



The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961

Act 33 of 1961

Keyword(s):

Kshettra Samitis, Zila Parishad, Adhyaksha, Upadhyaksha

Amendments appended: 24 of 1963, 26 of 1972, 37 of 1976, 8 of 1984, 20 of 1990,
20 of 1998, 25 of 2005, 23 of 2018, 14 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961}

- उ. प्र. अधिनियम संख्या 2, 1963
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 24, 1963
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 16, 1965
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 6, 1969
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1970
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 22, 1970
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 18, 1971
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 26, 1972
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 34, 1972
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 3, 1973
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 37, 1976
- उ. प्र. अधिनियम संख्या 38, 1978

द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में 14 सितम्बर, 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित 1 मई, 1961 को पारित, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 19 मई, 1961 को स्वीकार कर लिये गये।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवम्बर, 1961 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 3 दिसम्बर, 1961 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में {क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों}² की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि शासकीय कृत्यों के लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के विद्वान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और यूनाइटेड प्राविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित {ग्राम पंचायतों}² के अधिकारों तथा कृत्यों का {क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों}² से समन्वय करने के लिये खण्ड तथा जिला स्तरों पर कुछ शासकीय कृत्यों के सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश के जिलों में क्रमशः {क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों}² की स्थापना की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उ.प्र. अधिनियम सं. 26,
1947

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा
प्रारम्भ

1. उद्देश्यों व कारणों के विवरण के लिये 18 अगस्त, 1960 का उत्तर प्रदेश का असाधारण गजट देखिये।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 2}

{(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिए ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा या अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे।³}

2— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

परिभाषाएं

(1) “अनुसूचित जातियों” का तात्पर्य उन जातियों से है जो “भारत का संविधान” के प्रयोजन के लिये अनुसूचित जातियां समझी जायें ;

(2) “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में “शिड्यूल्ड बैंक” का है;

ऐक्ट संख्या 2, 1934

(3) “अन्तरिम {जिला पंचायत}¹” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन संघटित अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ से है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1958

(4) “उपविधि” का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है;

(5) “कलेक्टर” के अन्तर्गत वह ऊपर (एडीशनल) कलेक्टर भी है जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो;

(6) “क्षेत्र पंचायत¹” का तात्पर्य धारा 5 के अधीन {निगमित}⁴ {क्षेत्र पंचायत}¹ से है तथा इसके अन्तर्गत {क्षेत्र पंचायत}¹ की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा {क्षेत्र पंचायत}¹ के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो {और ‘क्षेत्र समिति’ का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी क्षेत्र समिति से है;}⁵

{(7) “खण्ड” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पंचायत के पंचायत क्षेत्र से है;

(8) पिछड़े वर्गों, ‘ग्राम सभा’, ‘ग्राम पंचायत’, ‘सर्किल’, ‘राज्य निर्वाचन आयोग’, ‘वित्त आयोग’ और ‘जनसंख्या’ के वही अर्थ होंगे, जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं;}²

(9) “गृह के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिये प्रयुक्त कोई बाड़ा भी है;

(10) “ग्राम्य क्षेत्र” का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटी-फाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी तथा नगर महापालिका क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है;

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 62 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 15 (क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उपर्युक्त की धारा 15 (क)(दो) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 2}

(11) "[जिला पंचायत]²" [***]³ का तात्पर्य धारा 17 के अधीन {निगमित}⁵ {जिला पंचायत}² से होगा तथा इसके अन्तर्गत {जिला पंचायत}² की कोई समिति तथा उसका ({जिला पंचायत}² का) कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा {जिला पंचायत}² के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का संपादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो {और जिला परिषद् का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी जिला परिषद् से है;}⁶

(12) "[जिला पंचायत]² का सेवक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो {जिला पंचायत}² से वेतन पाता हो और उसकी सेवा में हो;

(13) "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" तथा "बोर्ड" का तात्पर्य यूनाइटेड प्रार्विसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ऐक्ट, 1922 के अधीन स्थापित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है;

(14) "जिला मैजिस्ट्रेट" का तात्पर्य {दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20}⁴ के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से है;

ऐक्ट संख्या 5, 1898

(15) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें;

(16) "त्रिमास" का तात्पर्य तीन महीने की उस अवधि से है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी महीने के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ हो;

{(16-क) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (टटट) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से है;}⁷

{(17) (क) "नगरपालिका" "नगरपालिका बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के वही अर्थ होंगे जो यू. पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन क्रमशः "म्युनिसिपैलिटीज" "म्युनिसिपल बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के हैं;

यू. पी. ऐक्ट संख्या 2, 1916

(ख) 'टाउन एरिया' का वही अर्थ होगा, जो यू. पी. टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 में दिया गया है;

यू. पी. ऐक्ट संख्या 2, 1914

(ग) "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे जो केन्टोनमेन्ट्स ऐक्ट, 1924 के अधीन क्रमशः "केन्टोनमेन्ट" तथा "केन्टोनमेन्ट बोर्ड" के हैं;

यू. पी. ऐक्ट संख्या 2, 1924

(घ) "नोटीफाइड एरिया कमेटी" या "नोटीफाइड एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू. पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 338 के अधीन संघटित कमेटी से है; और

यू. पी. ऐक्ट संख्या 2, 1916

(ङ) "टाउन एरिया कमेटी" या "टाउन एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू. पी. टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 5 के अधीन स्थापित कमेटी से है;}¹

यू. पी. ऐक्ट संख्या 2, 1914

(18) "नगर महापालिका" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 ई. के अधीन स्थापित नगर महापालिका से है;

उ. प्र. अधिनियम संख्या 2, 1959

(19) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम द्वारा नियत से है;

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 62(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उपर्युक्त की धारा 62 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 15 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उपर्युक्त की धारा 15 (ख)(दो) द्वारा बढ़ाया गया।
 7. उपर्युक्त की धारा 15 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 2}

(20) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी के रूप में गजट में विस्थापित किया गया हो;

(21) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है;

(22) {***}²

(23) किसी खण्ड या जिले के संबंध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य कमशः {उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उस खण्ड के लिए प्रथम क्षेत्र पंचायत या उस जिले के लिए प्रथम जिला पंचायत के संघटन के दिनांक}⁴ से है;

(24) "न्यायाधीश" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) से है, और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा तदर्थ नामांकित या नामोद्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) भी है;

(25) "भूमि प्रबन्धक समिति" का तात्पर्य यूनाइटेड प्रार्विसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में यथापरिभाषित भूमि प्रबन्धक समिति से है;

यू. पी. ऐक्ट संख्या 26, 1947

(26) "मंडल" "जिला" या "तहसील" के वही अर्थ होंगे, जो यूनाइटेड प्रार्विसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में कमशः "डिविजन", "डिस्ट्रिक्ट" तथा "तहसील" शब्दों के हैं;

यू. पी. ऐक्ट संख्या 3, 1901

(27) किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ अथवा {जिला पंचायत}¹ के संबंध में "मंडल आयुक्त" का तात्पर्य यूनाइटेड प्रार्विसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 12 के अधीन उस मण्डल (डिविजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर, यथास्थिति, {क्षेत्र पंचायत}¹ अथवा {जिला पंचायत}¹ अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो तथा उक्त ऐक्ट की धारा 13 के अधीन उस मण्डल के नियुक्त उपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी इसके अन्तर्गत है;

(28) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(29) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(30) "लोक सेवक" का तात्पर्य इण्डियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 में यथापरिभाषित "पब्लिक सर्वेंट" से है;

ऐक्ट संख्या 45, 1860

(31) {***}⁵

(32) {***}⁵

(33) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाये गये विनियम से है;

{(34) किसी खण्ड के संबंध में "संघटक ग्राम पंचायत" का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत से है, जो उस खण्ड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो;}³

{(35) "सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य की सरकार से है;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 62(घ) द्वारा निरसित।
3. उपर्युक्त की धारा 62(च) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 15 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 15 (ड) द्वारा निरसित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 3-4}

(36) "सरकार की सेवा में व्यक्ति" के अन्तर्गत जिला सरकारी अभिभाषक (डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल), ऊपर या सहायक जिला सरकारी अभिभाषक, कोई ऐसा अन्य अभिभाषक जिसे सरकार ने रखा हो परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर), पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया हो, नहीं है;

(37) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क, पुल, पुलिया, समान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण की विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो ओर जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो;

(38) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो और जन-साधारण के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खुला हो, चाहे वह स्थान स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या न हो;

(39) "स्थानीय प्राधिकार" के अन्तर्गत {ग्राम पंचायत}³ भी है;}¹

{(40) 'पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य —

(क) किसी क्षेत्र, पंचायत के संदर्भ में, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है; और

(ख) किसी जिला पंचायत के संदर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है।⁴

अध्याय 2

{क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}²

{क्षेत्र पंचायत}²

3— राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकती है।

ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन

4— यदि धारा 3 के अधीन को खेतर एक खण्ड से निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाय तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड की {क्षेत्र पंचायत}² के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा, जिसे वह निकाला गया हो और वह उस खण्ड की क्षेत्र सहमति के, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो, क्षेत्राधिकार में, तथा उसमें प्रवृत्त नियमों, विज्ञप्तियों, आदेशों, निर्देशों और नोटिसों के अधीन हो जायेगा तथा राज्य सरकार उस {क्षेत्र पंचायत}² की, जिसके क्षेत्राधिकार से क्षेत्र निकाला गया हो, आस्तियों का ऐसा भाग, जो वह उचित समझे उस दूसरी क्षेत्र समिति के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे अस्थायी आदेश तथा निदेश दे सकती है वह परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे :

खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव

1. मूल अधिकार की धारा 1 का खण्ड (35) निकाल दिया गया और उसके बाद के खण्ड (36) से लेकर (40) तक, उ. प्र. अधिनियम संख्या 2, 1963 द्वारा पुनः अंकित करके क्रमशः (35) से (39) तक कर दिया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 62(छ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 62(ज) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक खण्ड से निकाला गया क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये कोई {क्षेत्र पंचायत} संघटित न की गई हो तो {जब तक की नये खण्ड के लिये {क्षेत्र पंचायत} संघटित न हो जाय,}¹ उस खण्ड को {क्षेत्र पंचायत}², जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार या प्रयोग करती रहेगी और उस {क्षेत्र पंचायत}² द्वारा उस क्षेत्र के संबंध में की गई कोई बात अथवा कार्यवाही—जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत, अनुज्ञा-पत्र या लाइसेंस या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है—नये खण्ड के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई {क्षेत्र पंचायत} द्वारा की गई समझी जायगी और तदनुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवकांत न कर दिया जाय।

³{ 5— (1) प्रत्येक खण्ड के लिये क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा और जो एतदपश्चात् उपबन्धित प्रकार से संघटित की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत का संघटन और निगमन

(2) क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

(3) क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा, जहाँ वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था।}

{(4) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुनर्संघटन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(5) क्षेत्र पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायेगा।}⁵

6— (1) क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —

क्षेत्र पंचायत की रचना

(क) खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा :-

(1) पर्वतीय क्षेत्र में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे :

{प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।}⁴

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1973 की धारा 15 द्वारा रखा गया।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 17 क द्वारा बढ़ाया गया।

5. उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट है;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य, जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या उपप्रमुख के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उनकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

{(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता हो, ऐसी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।}³

6-क— (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा, जो उस खण्ड में अनुसूचित जातियों की या उस खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की या उस खण्ड में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे :

स्थानों का स्थानान्तरण

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के {चौदह}⁵ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

{अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आँकड़ें उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}²

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के {आधे से अन्यून}⁴ स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) स्थानों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}⁴ स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 30 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 8}

6-ख— (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।

क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन तैयार की गई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी, जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी क्षेत्र पंचायत में ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली पृथक् तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

6-ग— (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत की सदस्यता या किसी पद के निर्वाचन के लिए अर्ह होगा :

मत का अधिकार आदि

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

7— (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जायेंगे।

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उपप्रमुख

(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद में रिक्ति के होते हुए भी प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।

7-क— (1) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे :

प्रमुखों के पदों का आरक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से, ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किए जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के {चौदह}³ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

{प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}²

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के {आधे से अन्यून}⁴ स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}⁴ पद, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 30 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 8क-9}

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुखों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

8— (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि इस अधिनियम के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

{क्षेत्र पंचायत}¹ और उसके सदस्यों का कार्यकाल

(2) किसी क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए निर्वाचन —

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व;

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि, जिसके लिए वह बनी रहती, छः मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

{(3-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान तथा उसके बाद बढ़ी हुई छः माह की अवधि के पूर्व निर्वाचन कराना साक्ष्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उसके क्रमशः प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, तथा स्थिति, ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।}⁴

(4) किसी क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की गई क्षेत्र पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित क्षेत्र पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर, सदस्य न रहेगा।²

8-क— {***}³

-
1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उपर्युक्त की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 64 द्वारा निकाली गयी।
 4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2002 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}⁴ अधिनियम, 1961}

{धारा 9क-11}

9— {(1)}¹ इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी {क्षेत्र पंचायत}⁶ के प्रमुख या उप-प्रमुख का कार्यकाल उसके अनिर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायगा और {क्षेत्र पंचायत}⁶ के कार्यकाल तक रहेगा;

प्रमुख तथा उप प्रमुख
का कार्यकाल

{ * * * }²

{(2) जहां प्रमुख का पद रिक्त हो—

(क) वहां ज्येष्ठ उप-प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) और यदि ज्येष्ठ उप-प्रमुख का पद भी रिक्त हो, वहां प्रमुख या ज्येष्ठ उप-प्रमुख का निर्वाचन होने तक कनिष्ठ, उप-प्रमुख, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) और यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप-प्रमुख दोनों के पद भी रिक्त हों वहां जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप-प्रमुख का निर्वाचन होने तक, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।}⁵

{9-क— जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहण करने में असमर्थ हो और उप-प्रमुख के पद रिक्त हों या जब यदि उप-प्रमुख कोई हो, जो प्रमुख के पद की रिक्ति के दौरान धारा 83 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वहण, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण कार्य से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अपने कर्तव्यों को फिर संभाले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहण करने के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।}⁴

कुछ मामलों
अस्थायी
व्यवस्था

10— (1) राज्य सरकार, प्रत्येक खण्ड के लिये प्रथम {क्षेत्र पंचायत}⁶ के संघटन का ओर {उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो}³ उसके पुनः संघटन का प्रबन्ध धारा 6 के उपबन्धों का ध्यान रखते हुए करेगी।

{क्षेत्र पंचायतों}⁴ का संघटन
तथा पुनर्संघटन

(2) {***}⁷

(3) {***}⁷

11— {(1) प्रमुख, उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है, जो प्रमुख की दशा में संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को सम्बोधित होगा।}⁸

प्रमुख उप प्रमुख या
सदस्य का त्याग पत्र

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 1973 की धारा 9 की उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 1978 की धारा 2 (क) द्वारा निकाले गये और 15 जुलाई 1978 से निकाले गये समझे जायेंगे।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 1973 की धारा 22 (क) द्वारा रखी गयी।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 वर्ष 1976 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 38, 1978 की धारा 2 (ख) द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 1978 से प्रतिस्थापित जायगी।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 65 द्वारा निरसित।
8. उपर्युक्त की धारा 66 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 12-13}

(2) प्रमुख त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग-पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति {क्षेत्र पंचायत}¹ के कार्यालय में प्राप्त हो जाय {और यह समझा जायेगा कि ऐसे प्रमुख, उप-प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है}² और उप-प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब {क्षेत्र पंचायत}¹ को कार्यकाल में उसका नोटिस प्राप्त हो जाय।

{12—यदि किसी प्रमुख, उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस {रिक्ति की पूर्ति, ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व}³ उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए यथास्थिति, धारा 6 या 7 में उपबन्धित रीति से की जायेगी :

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

13— कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिये और उसका सदस्य होने के लिए अनर्हित होगा, यदि —

क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

(क) उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि उसी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(ख) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त प्राप्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(घ) उस पर ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर भी विफल रहा हो;

(ङ) वह अनुमोचित दिवालिया हो;

(च) वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(छ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन बनाए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 66 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 7 द्वारा अन्तर्विष्ट।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 14—15}

(ज) उसे ऐंसेशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 अथवा यू0पी0 कन्ट्रोल ऑफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(झ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ट) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ठ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ड) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि-व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो;

(ढ) धारा 23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो; या

(ण) उसे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) या (ठ) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिए जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिए जाने पर खण्ड (ङ) के अधीन अनर्हता न रह जाएगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं खण्डों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा हटायी जा सकती है।²

14—(1) यदि वह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के [खण्ड (क)]³ के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

सदस्य या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद

{(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया सदस्य है अथवा नहीं या वह ऐसा सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न न्यायाधीश को नियत रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।}⁴

(3) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था {***}⁵ या वह {क्षेत्र पंचायत}¹ का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय के दिनांक से {क्षेत्र पंचायत}¹ का सदस्य न रहेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 68 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 68 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 68 (ग) द्वारा निरसित।

[उत्तर प्रदेश [क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत]³ अधिनियम, 1961]

[धारा 15]

15— (1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार [क्षेत्र पंचायत]³ के प्रमुख या किसी उप प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

प्रमुख या उप प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव

(2) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा तथा [क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों]⁴ की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर-कृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायगा, जिसका [क्षेत्र पंचायत]³ पर क्षेत्राधिकार हो।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर—

(1) [क्षेत्र पंचायत]³ की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये [क्षेत्र पंचायत]³ के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (2) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

(2) [क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों]⁵ को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा, जो नीयत की जाय।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायगी, जिसमें इस धारा के अधीन किये गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायगा, जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

(4) ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का पगना अधिकारी करेगा जिसमें [क्षेत्र पंचायत]³ क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र समिति एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो अथवा परगना अधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकता हो, तो कलेक्टर द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा।

[(4-क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (4-ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(4-ख) यदि उपधारा 4 में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे किन्तु यह उप दिनांक धारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।]¹

(5) [उपधारा (4-क) तथा (4-ख) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर]² इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायगी।

(6) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी [क्षेत्र पंचायत]³ को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो तथा यह घोषित करेगा कि उस पर वाद-विवाद किया जा सकता है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 5 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा बढ़ाये गये।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 69 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उपर्युक्त की धारा 69 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जायगा।

(8) यदि ऐसा वाद-विवाद बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो, तो वह दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायगा। बाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा, {जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।}¹

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोष पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकार होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त {जिला पंचायत}³ को भेजेगा।

(11) यदि प्रस्ताव {क्षेत्र पंचायत}³ के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के {कम से कम दो तिहाई}⁴ समर्थन से पारित हो तो—

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन {क्षेत्र पंचायत}³ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित करा कर भी, करायेगा; और

(ख) यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस {क्षेत्र पंचायत}³ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से {दो वर्ष}² व्यतीत न हो जाय, तब तक उसी प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायगा।

(13) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख के पद ग्रहण करने के {दो वर्ष}² के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा।

{16—(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या कोई उप-प्रमुख इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जान-बूझकर नहीं करता या पालन करने से इंकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रमुख या ऐसे उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो इस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख या उप-प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी :

प्रमुख या उप-प्रमुख का हटाया जाना

1. उ० प्र० अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 5 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (4) द्वारा बढ़ाये गये।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1998 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 18—18ख}

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में, जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाय कि किसी प्रमुख या उप-प्रमुख ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की हैं तो ऐसा प्रमुख या उप-प्रमुख अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया प्रमुख या उप-प्रमुख अपने पद से हटाए जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा।}²

{जिला पंचायत}¹

{17— (1) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी, जिसका नाम उस जिले के जिला पंचायत के नाम पर होगा और जो एतदपश्चात् उपबन्धित प्रकार से संघटित की जायगी।

जिला पंचायत का संघटन और निगमन

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।}³

{18— (1) जिला पंचायत, एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

जिला पंचायत की रचना

(क) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख;

{(ख) निर्वाचित सदस्य, जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा :-

(1) पर्वतीय क्षेत्र के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जायेंगे;

(2) मैदानी क्षेत्र के 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा:

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।}⁴

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2002 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 18}

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

{(4) किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं बनाये जा सकते हैं।}²

{(5) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी जिला पंचायत के संघटन या पुनर्संघटन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(6) जिला पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायेगा।⁴

18-क— (1) प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य, वही होगा, जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाना आवश्यक है, किए जा सकेंगे :

स्थानों का आरक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के {चौदह}⁵ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

{अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}³

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के {आधे से अन्यून}⁶ स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) स्थानों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}⁶ स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवश्यक है, किए जा सकेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 21 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29 वर्ष 1995 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 30 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 18ग-19क}

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

18-ख— (1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी :-

जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली

(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी, जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

18-ग— इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और जिला पंचायत की सदस्यता किसी पद के निर्वाचन के लिए अर्ह होगा :

मत का अधिकार आदि

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

19— (1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जायेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पदों में से किसी रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।

19-क— (1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे :

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा, जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे :

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के {चौदह}³ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

{अग्रत्तर प्रतिबंध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}²

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 23 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 30 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 20}

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के {आधे से अन्यून}³ स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}³ पद, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पद चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

20— (1) प्रत्येक जिला पंचायत, यदि धारा 232 के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिए निर्वाचन —

(क) उपधारा (11) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व;

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि, जिसके लिए वह बनी रहती, छः मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए जिला पंचायत का संघटन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उस सदस्य का कार्यकाल, जो उस रिक्ति की पूर्ति कर, उस प्रारम्भ होगा जब वह उक्त रिक्ति की पूर्ति करने का अधिकार हो जाय।

{(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की पदावधि, जो 20 जनवरी, 1990 के पूर्व या उसके पश्चात् धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिए चुना गया हो, एक वर्ष होगी, किन्तु वह तब तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को सदस्य होने के लिए न चुन लिया जाय।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निवारण के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिये किसी व्यक्ति का चयन, धारा 17 में {जिला पंचायत}² के गठन या पुनर्गठन के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।¹

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 20 वर्ष 1990 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 21-23}

{(3-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान तथा उसके बाद बड़ी हुई छः माह की अवधि के पूर्व निर्वाचन कराना साक्ष्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उसके क्रमशः प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य, तथा स्थिति, ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।}⁶

(4) किसी जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की गई जिला पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित जिला पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर सदस्य न रहेगा।

21— (1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जाएगा और जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।³

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल

{21-क— [जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह]⁵, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति के दौरान धारा 60 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह ठीक समझे।]¹

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

22— (1) राज्य सरकार वर्तमान {जिला पंचायत}² के, यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो, {जिला पंचायत}² के संघटन या पुनर्संघटन का प्रबन्ध करेगी।

{जिला पंचायतों}² का संघटन तथा पुनर्संघटन और निर्वाचन व्यय की वसूली

(2) {***}⁴

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 37, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 73 द्वारा उपधारा (2) द्वारा निरसित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय—तीन की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 15 वर्ष 2002 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 24-27}

{23— (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम कोई प्राधिकारी किसी उम्मेदवार को, जिसके संबंध में यह पाया जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² के सदस्य के रूप में चुने जाने {***}³ या {क्षेत्र पंचायत}² या {क्षेत्र पंचायत}² का प्रमुख या {जिला पंचायत}² का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर, जो {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² दे सकती हो या जो उसके अधिकार में हो नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(1) किसी मतदाता को कपट, साशय मित्या-निरूपण, अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुंचने की धमकी देकर, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत न देने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है;

(2) किसी मतदाता को, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने या मत न देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिग सुविधा या लाभ का वचन देता है;

(3) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या लिवाता है, जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है;

(4) खण्ड (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिये {इंडियन पैनल कोड के अर्थ में} अभिप्रेरित (bet) करता है;

(5) किसी उम्मेदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह, अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह अभिरुचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायगा;

(6) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतार्थना करता है;

(7) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे।

स्पष्टीकरण— किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसमें वह अभिरुचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² में किसी विशिष्ट बात के पक्ष या विरोध में मत देने का वचन नहीं है।¹

24— {(1) जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद-त्याग कर सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को संबोधित होगा तथा जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायगा।⁴

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग-पत्र

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 2, 1963 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 74 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 75 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत} अधिनियम, 1961}

{धारा 27—क}

(2) अध्यक्ष का त्याग—पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग—पत्र की स्वीकृति {जिला पंचायत}² के कार्यालय में प्राप्त हो जाय और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग—पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग—पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय {और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।}³

{25—(1) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस {रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व}⁸ उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए यथास्थिति, धारा 18 या 19 में उपबन्धित रीति से की जायेगी :

आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छः माह से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

26— जो व्यक्ति, धारा 13 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा 18 के अधीन सदस्य के रूप में अथवा धारा 19 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनर्ह होगा।⁴

सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता

27— (1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 18 की {खण्ड (क)}⁵ के अधीन {जिला पंचायत}² का सदस्य है अथवा नहीं तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद

(2) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति—

(क) धारा 18 के अधीन {जिला पंचायत}² का सदस्य विधितः चुना गया {***}⁶ है या नहीं,

(ख) धारा 20 के प्रयोजनों के लिये {जिला पंचायत}² के सदस्य {xxx}¹ के रूप में चुने जाने {***}⁷ का पात्र रह गया है या नहीं; या।

(ग) धारा 19 के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनिर्हित हो गया है या नहीं,

तो वह विवाद न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

{27—क— (1) धारा 7, 19 और 27 में दी हुई किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई भी व्यक्ति, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने या होने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह—

प्रमुख उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिए विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 2, 1963 की धारा 17 (2) द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 75 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 77 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 77(ख) (एक) द्वारा निरसित।
7. उपर्युक्त की धारा 77 (ख)(दो) द्वारा निकाला गया।
8. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय—तीन की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}² अधिनियम, 1961}

{धारा 27—क}

- (1) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो; या
- (2) किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख या वाइस उपनगर प्रमुख हो; या
- (3) किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हों; या
- (4) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में अलिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किए जाने के दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जायगा और तदुपरान्त प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी;

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं, धारा 27 के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिदिष्ट किया जायगा और न उसके समक्ष उठाया जाएगा;

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति खंड (ख) के अधीन प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(2) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिकी या आदेश के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद, 30 अप्रैल 1969 के पूर्व किसी समय उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में अलिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किये रहे, तो वह उक्त दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जायगा और तदुपरान्त प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जैसी भी दशा हो पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के संबंध में उक्त उपधारा के खण्ड (ग) और (घ) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पद पर न रह जाने के संबंध में लागू होते हों और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा 27 के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश या किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जाएगा।¹

{27—ख— कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से —

(क) क्षेत्र पंचायत का सदस्य न होगा; या

(ख) जिला पंचायत का सदस्य न होगा;

और किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों को रिक्त किए जाने की व्यवस्था नियमों द्वारा की जा सकती है।³

एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 6, 1969 की धारा 20 द्वारा बढ़ाये गये।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 24 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}³ अधिनियम, 1961}

{धारा 27—क}

{27—ग— (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित किसी पद पर निर्वाचन के लिए या पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा —

एक साथ दो पद धारण करने का अग्रतर रोक

(क) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख, यदि वह जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो; और

(ख) जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि वह किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख के पद के साथ-साथ, या बाद में जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर ऐसे निर्वाचन के दिनांक से वह, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख, के पद पर नहीं रह जायेगा।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए चुना जाता है, जिनको एक साथ धारण करने के लिए वह उपधारा (1) के अधीन अनर्ह है तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त पदों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनांकों की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक पद को छोड़कर अन्य सभी पदों से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में जिला पंचायत में उसके पद को छोड़कर अन्य सभी पद रिक्त समझे जायेंगे।⁵

28—(1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार {जिला पंचायत}³ के अध्यक्ष {या उपाध्यक्ष}² में अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष {या उपाध्यक्ष}¹ में अविश्वास का प्रस्ताव

(2) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा और {जिला पंचायत}³ के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे {निर्वाचित सदस्यों}⁴ द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले {निर्वाचित सदस्यों}⁴ में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे कलेक्टर को दिया जायगा जिसका {जिला पंचायत}³ पर क्षेत्राधिकार हों।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर—

(1) {जिला पंचायत}³ की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये {जिला पंचायत}³ के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

(2) {निर्वाचित सदस्यों}⁴ को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण —इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायगी जिसमें इस धारा के अधीन दिये गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायगा, जो {निर्वाचित सदस्यों}⁴ को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1990 की धारा 5(क) द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}⁴ अधिनियम, 1961}

{धारा 28}

(4) कलेक्टर, जिले के जिला न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश एवं स्वयं अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्त किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है।

{(4-क)—यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिए स्थगित हो जायेगी, जिसे वह अधिकारी उपधारा (4-ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(4-ख) यदि उपधारा (4) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है, जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर [निर्वाचित सदस्यों]⁵ की अगली बैठक के स्थगन की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।]¹

(5) {उपधारा (4-क) तथा (4-ख) में की गयी व्यवस्था का छोड़कर}² इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलाई गई बैठक स्थगित न की जायगी।

(6) इस धारा के अधीन बुलाई गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी {जिला पंचायत}⁴ को वह प्रस्ताव पड़कर सुनाएगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलाई गयी हो और यह घोषित करेगा कि उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जायगा।

(8) यदि ऐसा वाद-विवाद, बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो तो दो घंटे बीतते ही स्वतः समप्त हो जायेगा। वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा, {जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।}³

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी, बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा कलेक्टर को भेजेगा।

(11) यदि प्रस्ताव {जिला पंचायत}⁴ के तत्कालीन {निर्वाचित सदस्यों}⁵ की कुल संख्या के {कम से कम दो तिहाई}⁶ के समर्थन से पारित हुआ हो तो—

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन, उसका नोटिस {जिला पंचायत}⁴ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त चिपकवा कर, तथा गजट, में उसे विज्ञापित कराकर भी करायेगा; और

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 7 (1) द्वारा बढ़ायी गयी।
 2. उपर्युक्त की धारा 7 (2) द्वारा जोड़ दिया गया।
 3. उपर्युक्त की धारा 7 (3) द्वारा जोड़ा गया।
 4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उपर्युक्त की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1998 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}³ अधिनियम, 1961}

{धारा 29—30}

(ख) अध्यक्ष {या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो}² उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस {जिला पंचायत}³ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो, अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से {दो वर्ष}⁸ व्यतीत न हो जाय तब तक अध्यक्ष {या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो}² में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायगा।

(13) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष {या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो}² के पद ग्रहण करने {दो वर्ष}⁹ के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा।

29— (1) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन, अपने कर्तव्यों या कृत्यों का जान-बूझकर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है {या अपने कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए}⁴ तो राज्य सरकार, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की स्पष्टीकरण का समूचित अवसर देने के पश्चात् उसको आदेश द्वारा पद से हटा सकती है {और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी :}¹

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना

{प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाय कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की हैं तो ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अन्तिम जाँच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और तब तक उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।}⁵

(2) {***}⁶

(3) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

30— {***}⁷

{क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों}³ के अधिकार और कृत्य

31— (1) प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}³ इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त तथा सौंपे गये या प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगी।

अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 2, 1963 की धारा 18 द्वारा बढ़ाये गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1990 की कमश: धारा 5(ग) तथा 5 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 60 तथा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 79 (क) (एक) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 79 (क) (दो) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 79 (ख) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 80 द्वारा निकाला गया।
8. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1998 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 31-33}

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उससे नीचे के स्तर पर तत्समय संपादित किसी कृत्य को किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ अथवा समस्त {क्षेत्र पंचायतों}¹ या किसी {जिला पंचायत}¹ अथवा समस्त {जिला पंचायतों}¹ को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गये कृत्य को वापस ले सकती है।

{(3) जहां राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन कोई कृत्य जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को सौंपती है तो वह निदेश दे सकती है कि संबद्ध विभाग का कोई कार्यक्रम योजना या परियोजना भी, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को अन्तरित हो जाएगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियंत्रण में या उसके अधीन किया जायेगा।}²

32— (1) प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}¹ खण्ड के भीतर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी।

{क्षेत्र पंचायतों}¹ के सामान्य अधिकार और कृत्य

33— (1) प्रत्येक {जिला पंचायत}¹ निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का संपादन करेंगे —

{जिला पंचायत}¹ के सामान्य अधिकार और कृत्य

(1) जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे उनसे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का, {ग्राम पंचायतों}¹, {क्षेत्र पंचायतों}¹ तथा {जिला पंचायतों}¹ द्वारा प्रबन्ध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिये कमशः {ग्राम पंचायतों}¹ के मेलों तथा उत्सवों, {क्षेत्र पंचायतों}¹ के मेलों तथा उत्सवों और {जिला पंचायतों}¹ के मेलों तथा उत्सवों के रूप में वर्गीकरण और जब ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाय तो ऐसे वर्गीकरण को बदलना;

(2) {ग्राम पंचायतों}¹, {क्षेत्र पंचायतों}¹ तथा {जिला पंचायतों}¹ द्वारा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिय सड़कों का कमशः ग्राम सड़कों अन्तर्याम सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण;

(3) जिले {ग्राम पंचायतों}¹ तथा {क्षेत्र पंचायतों}¹ के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण;

(4) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर {क्षेत्र पंचायतों}¹ और {ग्राम पंचायतों}¹ के बीच पत्र व्यवहार के लिये मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना;

(5) अनुसूची 2 के भाग-क में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य;

(6) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो नियत किये जायें।

(2) अनुसूची 2 में के भाग 'ख' में निर्दिष्ट मामलों संबंध में {जिला पंचायतों}¹, जिसके भीतर समुचित व्यवस्था पर सकती है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 60 तथा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 81 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 34—36}

34—(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये किन्हीं नियमों उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी भी समय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा जिले में विद्यमान किसी {ग्राम सभा}¹, {ग्राम पंचायत}¹ या भूमि प्रबन्धक समिति की सम्पत्ति से, उक्त {ग्राम सभा}¹, {ग्राम पंचायत}¹ या भूमि प्रबन्धक समिति को उस क्षेत्र से संबंध में जिसके अर्न्तगत वह {ग्राम सभा}¹, {ग्राम पंचायत}¹ या भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हों, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकती है :

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा अपने किसी कृत्य का अन्य स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिधान

प्रतिबन्ध यह है कि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, किसी भी समय राज्य सरकार की स्वीकृति से इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार या कृत्य को वापस ले सकती है।

(2) {जिला पंचायत}¹ {क्षेत्र पंचायत}¹ को और {क्षेत्र पंचायत}¹ {जिला पंचायत}¹ को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को इसी प्रकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि {जिला पंचायत}¹ का कोई अधिकार या कृत्य जिले में {क्षेत्र पंचायतों}¹ या {ग्राम पंचायतों}² को संप्रक्रमित किया जाय या {क्षेत्र पंचायतों}¹ का कोई अधिकार या कृत्य {जिला पंचायतों}² को और {ग्राम पंचायतों}² का {क्षेत्र पंचायतों}¹ या {जिला पंचायतों}¹ को संप्रक्रमित किया जाय।

35—(1) जिले की समस्त {ग्राम पंचायतों}⁴ के संबंध में अनुसूची 3 के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन निश्चित दिनांक से {जिला पंचायतों}¹ अथवा {क्षेत्र पंचायतों}¹, जिसकी वह संघटक {ग्राम पंचायतों}⁴ हो, जैसा भी उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित हो द्वारा किया जायगा।

{ग्राम पंचायतों}³ के संबंध में कतिपय अधिकार

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 या “1950” ई० का उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई {जिला पंचायतों}¹ जिले की {किसी ग्राम पंचायतों}⁵ से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यों में से किसी का संबंध {क्षेत्र पंचायतों}¹ के उसी प्रकार के कार्यों से करे और तदुपरान्त {***}⁶ {ग्राम पंचायतों}¹ तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूर्ति करेगी।

यू. पी. ऐक्ट सं. 26, 1947
उ०प्र० अधिनियम सं० 1,
1951

36—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 तथा तदन्तर्गत बनायी गई किसी नियमावली में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—

{ग्राम पंचायतों}⁷ द्वारा बनाई गई उपविधियों तथा उनके कर संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947

(क) जिले की किसी {ग्राम पंचायतों}⁷ द्वारा उक्त एक्ट की धारा 37 में वर्णित कोई कर अथवा उपशुल्क (Rate) आरोपित करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अनुमोदित और स्वीकृत करने का अधिकार तथा उक्त एक्ट की धारा 111 तथा 112 के अधीन जिले के भीतर किसी {ग्राम पंचायतों}⁷ के निमित्त उपविधियां बनाने और स्वीकृत करने का अधिकार निश्चित दिनांक से जिले की {जिला पंचायतों}¹ में निहित होगा और उसी को प्राप्त होगा; तथा

(ख) {***}⁸

यू. पी. ऐक्ट संख्या 26,
1947

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 83 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 83 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 83(ग)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 83(ग)(दो) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 84 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 84 (ख) द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 37-39}

37— इस अधिनियम में कोई बात—

{जिला पंचायत}² और {क्षेत्र पंचायतों}² के क्षेत्राधिकार के संबंध में अपवाद

(1) न तो किसी {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² को उसके नियन्त्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा संपादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के संबंध में कोई अधिकार प्रदान करेगी; और

(2) न किसी {क्षेत्र पंचायत} या {जिला पंचायत}² को उसके नियन्त्रण नगरपालिका नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी कार्य या संस्था के संबंध में कोई अधिकार प्रदान करेगी; और

(क) {** *}¹

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, औषधालय निर्धन-गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण-गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है; और

(ग) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है, जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसक कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक हो।

38— इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² —

{क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² का अन्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करन तथा ऐसी संस्थाओं की, जिनका वह प्रबन्ध करती हो, सहायता करने का अधिकार

(क) किसी अन्य {क्षेत्र पंचायत}² या {जिला पंचायत}² जैसी भी दशा हो या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या अपक्रमों (understakings) में सम्मिलित हो सकती है, जिनसे उस के द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुँचा हो; और

(ख) ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंश दान दे सकती है, जिसे यथास्थिति, खण्ड या जिले को लाभ पहुँचता हो भले ही वह कार्य खण्ड या जिले के बाहर किया जाय संस्था खण्ड या जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी नगर महापालिका, नगर पालिका, छावनी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हो।

अध्याय 4

{जिला पंचायत तथा क्षेत्र समितियों}² के अधिकारी तथा सेवक

39— [(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, जिला पंचायत में अधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे—

{जिला पंचायत}² के अधिकारी तथा सेवक

- (1) मुख्य अधिकारी;
- (2) अपर मुख्य अधिकारी;
- (3) वित्त अधिकारी;
- (4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी;
- (5) पेयजल अभियन्ता;
- (6) विकास अधिकारी;
- (7) कार्य अधिकारी;
- (8) अभियन्ता;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 60 तथा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 39}

- (9) बेसिक शिक्षा अधिकारी;
- (10) कृषि अधिकारी;
- (11) सहकारिता अधिकारी;
- (12) पशुधन अधिकारी;
- (13) समाज कल्याण अधिकारी;
- (14) ग्रामीण अभियंता अधिकारी;
- (15) युवा कल्याण अधिकारी;
- (16) भूमि संरक्षण अधिकारी;
- (17) उद्यान अधिकारी;
- (18) पंचायत राज अधिकारी;
- (19) लघु सिंचाई अधिकारी;
- (20) बाल विकास अधिकारी;
- (21) कर अधिकारी;
- (22) मत्स्य अधिकारी;
- (23) गन्ना अधिकारी;
- (24) दुग्ध अधिकारी;
- (25) माध्यमिक शिक्षा अधिकारी;
- (26) नलकूप अभियंता।³

(2) {जिला पंचायत}², ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें, अपने कार्यों के सम्बन्ध में, ऐसे अन्य अधिकारियों, (जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त अभियन्ता तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं।) तथा सेवकों के पद से सृजित कर सकती है, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें। {** *}¹

{** *}¹

{(3) राज्य सरकार के, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जहां किसी जिले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैनात न हों, वहां मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई), जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास परियोजना), यथास्थिति, सहायक निदेशक मत्स्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, जिला गन्ना विकास अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और अधिशासी अभियंता (नलकूप) कमशः उपधारा (1) के खण्ड (1), (4), (5), (6), (9) से (20) तक और (22) से (26) तक में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे।⁴

{(3-क) राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि {उपधारा (1) के खण्ड (7), (8) और (21)}⁵ में उल्लिखित सभी या कोई पद ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी शर्तों पर, जो निर्दिष्ट की जाएं, पदेन धारण किये जायेंगे।

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 10 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 10 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उपर्युक्त की धारा 10 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उपर्युक्त की धारा 10 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 40-43}

(3-ख) राज्य सरकार आदेश द्वारा {जिला पंचायत}² में अधिकारी या सेवक को अन्य पद सृजित कर सकती है और—

(क) निर्देश दे सकती है कि ऐसा पद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाय, पदेन धारण किया जायगा; या

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है; या

(ग) ऐसे पद पर भर्ती को निनियमित कर सकती है, और ऐसी शर्तों को जिन पर वह पद धारण किया जायगा, निर्दिष्ट कर सकती है।

(3-ग) उपधारा (3-ख) के अधीन इस प्रकार सृजित कोई पद राज्य सरकार को स्वीकृति कि बिना समाप्त नहीं किया जायेगा।¹

(4) {जिला पंचायत}² का कार्य विभागों में किया जायगा और विभागों तथा उन अधिकारियों के जो उनके अध्यक्ष होंगे, नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जायगा।

40— (1) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, कार्याधिकारी अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं वे होगी, जो नियत की जायं।

अर्हतायें, सेवा की शर्तें, आदि

(2) {जिला पंचायत}² के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां तभी सेवा की अन्य शर्तें होंगी जो नियत की जायं।

41— (1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार —

{जिला पंचायत}² के अधीन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

(क) {जिला पंचायत}² की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिये ओर ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जाय अपने किसी कर्मचारी की सेवाएं {जिला पंचायत} को सौंप सकती है; तथा

(ख) ऐसी दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का किसी {जिला पंचायत}² को संकामित हो जाय लिखित आदेश द्वारा {जिला पंचायत}² से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकार नामोद्दिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट है नियोजित करे और ऐस करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय {जिला पंचायत}² को सौंपी गई समझी जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि {जिला पंचायत}² द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों वे {जिला पंचायत}² के सेवक हों।

42— {जिला पंचायत}² का वित्त अधिकारी नियमों में व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति

43— (1) कार्याधिकारी, अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर तथा धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन सृजित ऐसे पदों पर, {जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे}³, नियुक्तियां {जिला पंचायत}² द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के जिसे राज्य सरकार तदर्थ समस्त {जिला पंचायतों}² के लिये अथवा किन्हीं {जिला पंचायतों}² के समुदाय के लिये पृथक् रूप से संघटित करें (दोनों दशाओं में इसे आगे आयोग कहा गया है) परामर्श से नियत रीति से की जायेगी;

अभियन्ता तथा कुछ अन्य नियुक्तियों की प्रणाली

1. उ० प्र० अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 10 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 86 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}⁵ अधिनियम, 1961}

{धारा 40-45}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयोग ओर {जिला पंचायत}⁵ के बीच कोई मतभेद हो तो विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(2) {ऐसे किसी अन्य}² वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर {जिला पंचायत} के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर {जिनका वेतनमान ऐसा हो, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे}⁶ नियुक्तियां मुख्य अधिकारी द्वारा की जायेगी।

{(3) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए {जिला पंचायत} के अधीन उपधारा (1) तथा (2) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियां—

(क) {***}³

(ख) अन्य दशाओं में, धारा 45 के अधीन संघटित चुनाव समिति के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का यह मत हो कि {चुनाव समिति}⁴ की सलाह या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है, जिसका उस मामले में निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा।¹

(4) पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि राज्य सरकार ने धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया हो तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय {जिला पंचायत}⁵ से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन {जिला पंचायत}⁵ को सौंपी गई हो तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो, अपनी ही सेवा में कर ले और इस प्रकार {जिला पंचायत} की सेवा में कर लिये जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर {जिला पंचायत} का सेवक हो जायेगा।

44— धारा 41, 42 तथा 43 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी समय कार्याधिकारियों अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों का एक केन्द्रीय, संक्राम्प बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों अभियन्ताओं वित्त अधिकारियों या अन्य उपयुक्त अधिकारियों के पदों पर, जैसी भी दशा हो नियुक्तियां उक्त संवर्ग के व्यक्तियों में से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जायगी किसी संवर्ग के लिये व्यक्तियों का चुनाव तथा संवर्ग के अधिकारियों का स्थानान्तरण और दण्ड नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवकों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्प संवर्ग

45— (1) एक चुनाव समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

चुनाव समिति

(क) अध्यक्ष—सभापति;

(ख) कार्य—समिति का एक सदस्य जिसे कार्य समिति प्रतिवर्ष निर्दिष्ट करेगी;

(ग) उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें नियुक्ति की जानी है सचिव।

(2) समिति परामर्श देने में निर्णय बहुमत द्वारा करेगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ.प्र. अधिनियम सं. 34, 1972 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त द्वारा निकाला गया।

4. उपर्युक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उपर्युक्त की धारा 86 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 46-47}

46— (1) समस्त अधिकारी तथा सेवक, {जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व जिला परिषद् के नियोजन में हो}³, धारा 39 तथा 43 में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, {जिला पंचायत}² द्वारा नियोजित अधिकारी तथा सेवक वेतनों तथा भत्तों के अधिकारी होंगे, जिनके अधिकारी वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके अधीन वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे।

इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों पर प्रभाव यू. पी. ऐक्ट सं. 10, 1922

(2) धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिक्रिया का अनुसरण किया जायगा:-

(क) उन पदों पर नियुक्तियां, जिनके लिये धारा 43 की उपधारा के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी,

(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियां तदर्थ बनाये नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष द्वारा की गई किसी नियुक्ति से सुक्ष्म कोई अधिकारी या सेवक उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा नियुक्ति की गई हो तीस दिन के भीतर मण्डल के आयुक्त की अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में मण्डल के उपयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा :

(ग) यदि किसी पद के लिये पूर्व अधिकारियों तथा सेवकों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उस पद पर नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बाहर से की जा सकती है। [ऐसे अधिकारियों तथा सेवक उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जायगा।]¹

(घ) यदि उपर्युक्त कोई अधिकारी या सेवक उस पद को, जिस पद उसे नियुक्त उसे नियुक्त किया जाय, इस आधार पर अस्वीकार कर वे कि उस पद से सम्बद्ध वेतन या वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम है, तो उसकी सेवा ऐसे नोटिस के पश्चात् तथा उन शर्तों पर समाप्त कर दी जायगी, जिनका अधिकारी वह उस दशा में होता जब कि इस अधिनियम के परित हुये बिना ही उसका पद समाप्त कर दिया जाता;

(ङ) खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्तियां करने में अधिकारियों तथा सेवकों के सेवाकाल तथा अनुभव का यथोचित ध्यान रखा जायगा; और

(च) कोई अधिकारी अथवा सेवक, जो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसका वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान के कालमान से कम हो, उस आदेश के दिनांक से, जिसके द्वारा उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जा रहा हो तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(3) पूर्वोक्त जिला बोर्ड या अन्तरिम {जिला पंचायत}² के अधीन किसी अधिकारी या संवक द्वारा दी गयी सेवा, छुट्टी, पेंशन और उपदान या भत्ता दिये जाने प्रयोजनों के लिये {जिला पंचायत}² के अधीन की गई सेवा समझी जायगी।

{47—(1) धारा 43, 44 और 46 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 43 की उपधारा या धारा 44 के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श किए बिना की जा सकती है, किन्तु उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किए बिना एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी।

कुछ पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 20 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 48-51}

(2) उपधारा (1) के अधीन की गयी नियुक्तियां विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी {जिला पंचायत}² हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जारी रह सकती है।¹

48—(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}² इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके। इस उद्देश्य से उसमें नियोजित किये जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हतायें, वेतन कम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

{क्षेत्र पंचायत}² के अधिकारी तथा सेवक

(2) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विकास खण्डों में तत्समय नियोजित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवायें ऐसी शर्तों पर {क्षेत्र पंचायतों}² के सुपुर्द कर दी जायेगी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी समय यह निदेश दे सकती है कि {जिला पंचायत}² विकास खण्डों में तत्समय नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के संबंध में जिला संवर्ग संघटित करे और उपधारा (3) में की गयी व्यवस्था के अनुसार उस संवर्ग के सदस्यों की सेवाएं {क्षेत्र पंचायतों}² के सुपुर्द कर दे।

(3) {जिला पंचायत}² प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}² के लिये उपधारा (2) में अलिखित कर्मचारियों के अतिरिक्त अपेक्षित सभी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी, जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके और ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवा {क्षेत्र पंचायतों}² के सुपुर्द ऐसी शर्तों पर की गयी समझी जायेगी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

49— (1) प्रत्येक {क्षेत्र पंचायतों}² का एक खण्ड विकास अधिकारी होगा।

प्रत्येक {क्षेत्र पंचायतों}² के लिए खण्ड विकास अधिकारी

(2) खण्ड विकास अधिकारी, जिसकी सेवायें तत्समय {क्षेत्र पंचायतों}² के सुपुर्द कर दी गयी हों {क्षेत्र पंचायतों}² का खण्ड विकास अधिकारी होगा।

50— (1) {जिला पंचायतों}² तथा {क्षेत्र पंचायतों}² के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य वही होंगे, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, किसी अन्य अधिनियमिनि द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय।

{जिला पंचायतों}² तथा {क्षेत्र पंचायतों}² के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार कृत्य और कर्तव्य

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायतों}² के विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की दशा में और मुख्य अधिकारी अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की दशा में, उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्तव्य सौंप सकता है, और खण्ड विकास अधिकारी हो नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों को अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य सौंप सकता है।

51— (1) (क) {जिला पंचायतों}² मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियंत्रण रखेगी जो नियत किया जाय, और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आचार पर अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टि यां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो।

{जिला पंचायतों}² के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 52—54}

(2) {जिला पंचायत}¹ में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर {***}² मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा और विशेष रूप से उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो भेजे, जिससे उक्त अधिकारियों एवं सेवकों के सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी द्वारा भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

(3) {***}³

(4) {जिला पंचायत}¹ के विभागाध्यक्षों का अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियंत्रण रहेगा।

52— (1) प्रमुख का खण्ड विकास अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

{क्षेत्र पंचायतों}¹ के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

(2) {क्षेत्र पंचायत}¹ में नियोजित समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक, खंड विकास अधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन काम करेंगे।

(3) {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकारी और अन्य सेवक ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन काम करेंगे जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(4) {क्षेत्र पंचायत}¹ में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों का स्थानान्तरण तथा उनकी चरित्र पुस्तिका में नियतकालिक प्रविष्टियों का अभिलेखन और उन्हें आकस्मिक अवकाश का दिया जाना राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगा।

53— {जिला पंचायत}¹ या किसी क्षेत्र में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को दण्ड—जिसके अन्तर्गत दण्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील, अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार यदि हो और जांच होने तक निलम्बन भी है—नियमों द्वारा विनियमित होगा :

{जिला पंचायत}¹ तथा {क्षेत्र पंचायत} के सेवकों को दंड

प्रतिबन्ध यह है कि वह प्राधिकारी, जिसे किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाय, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति-प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन कर्मचारियों की दशा में जिनकी नियुक्ति राज्य लोक-सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले अधिकारी के लिये किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा।

54— (1) उपधारा 43 में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर, धारा 39 में निर्दिष्ट या उसके अधीन सृजित किसी पद पर धारा 43 में व्यवस्थित रीति से या धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में नियुक्त न करे तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समूचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गई समझी जायगी।

राज्य सरकार का नियुक्ति आदि करने का अधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 87 (क) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 87 (ख) द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 55—56}

(2) यदि {जिला पंचायत}², धारा (3) के अधीन किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ के लिये कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार {जिला पंचायत}¹ के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उपधारा के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ में प्रतिनियुक्त (Placed on deputation) समझे जायेंगे।

55— {जिला पंचायत}² या {क्षेत्र पंचायत}² का प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, अधिकारी या सेवक¹ इंडियन पीनल कोड 1860 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझा जायगा तथा उक्त कोड की धारा 161 में “legal remuneration” की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द “Government” में, इस धारा के प्रयोजनार्थ {जिला पंचायत}² तथा {क्षेत्र पंचायत}² भी सम्मिलित समझी जायगी।

{जिला पंचायत}² या {क्षेत्र पंचायत}² के समस्त अधिकारी तथा सेवक लोक-सेवक होंगे ऐक्ट सं. 45, 1860

अध्याय 5

{जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों}² के कार्य का संचालन

56—(1) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके, जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, {जिला पंचायत}² द्वारा अपनी बैठक में संकल्प पारित करे ही प्रयोग किया जा सकता है और संपादन किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

{जिला पंचायत} के अधिकारों का प्रयोग

(2) {जिला पंचायत}² के निम्नलिखित अधिकारों कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन {जिला पंचायत}² के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा, अर्थात्—

(क) {जिला पंचायत}² के उन सेवकों की, जिनकी धारा 43 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी {जिला पंचायत}² है सेवा छुट्टी वेतन भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार के विषय में उठने वाले प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदर्थ किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान;

(ख) विवरण पत्र लेखे, प्रतिदिन तथा लेखों की प्रतिलिपियां {जिला पंचायत}² अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियों या इसे अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव एवं आपत्तियां नियत प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना

(ग) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित वे अधिकार कर्तव्य तथा कृत्य, जिनका उस अनुसूची के तीसरे स्तम्भ के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या सम्पादन अपेक्षित हों अथवा जो धारा 57 के अधीन {जिला पंचायत}² द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये जायें;

(घ) {जिला पंचायत}² के अन्य समस्त कर्तव्य, अधिकार तथा कृत्य, जिनका संकल्प द्वारा प्रयोग या सम्पादन व्यक्त रूप से अपेक्षित न हो और जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ के निर्दिष्ट न किये गये हों तथा जो धारा 57 के अधीन {जिला पंचायत}² द्वारा अध्यक्ष से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित न किये गये हों।

(3) अनुसूची 5 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन मुख्य अधिकारी द्वारा {जिला पंचायत}² की ओर से किया जायगा।

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1965 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 57—58}

57—(1) {जिला पंचायत}¹ किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य या कृत्य को छोड़कर, जो—

{जिला पंचायत}¹ द्वारा
अधिकारी का प्रतिनिधान

(क) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो और जिसके सामने या तो तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उक्त अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय;

(ख) धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा धारा 58 द्वारा अध्यक्ष के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपा गया हो; तथा

(ग) धारा 78 के अधीन {जिला पंचायत}¹ के मुख्य अधिकारी के लिये रक्षित हों;

समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को, जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हो या उसको सौंपे गये हों, विनियम द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है के यदि अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (3) की व्यवस्था के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायत}¹ किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का, जिसे उसने उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिहित किया हो, स्वयं प्रयोग या संपादन न करेगी और न उसके प्रयोग या संपादन में हस्तक्षेप करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन {जिला पंचायत}¹ द्वारा किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का प्रतिनिधान इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधान के अनुसरण में दिये गये समस्त अथवा किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील निर्दिष्ट अवधि के भीतर {जिला पंचायत}¹ को की जा सकेगी या निर्दिष्ट अवधि के भीतर {जिला पंचायत}¹ द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह {जिला पंचायत}¹ की किसी समिति के किसी संकल्प के इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा {जिला पंचायत}¹ के किसी सेवक को उसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है।

58— अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह—

अध्यक्ष के कर्तव्य

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो आथवा यथेचित कारण से वह ऐसा न कर सके—

(1) {जिला पंचायत}¹ तथा उसकी उन समितियों को जो तदर्थ नियत की जायं सभी, बैठकों के बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे;

(2) {जिला पंचायत}¹ की सभी बैठकों में कार्य के संपादन को तदर्थ बनाये किसी विनियम के अनुसार अनन्यथा नियंत्रित करें;

(ख) {जिला पंचायत}¹ के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर {जिला पंचायत}¹ का ध्यान आकृष्ट करे; तथा

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 59-61}

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अनय तिथि के अधीन उससे अपेक्षित हो अथवा उस पर आरोपित किये जाय।

59— (1) {जिला पंचायत}¹ का अध्यक्ष, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उपाध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह धारा 58 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अध्यक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, उसके सामान्य पथ-प्रदर्शन के अधीन, प्रयोग या संपादन करे।

अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिधित्व

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश में किसी अधिकार के प्रयोग कर्तव्य अथवा कृत्य के संपादन के संबंध में कोई शर्त नियत की जा सकती है तथा कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

60— उपाध्यक्ष —

उपाध्यक्ष के कर्तव्य

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में {जिला पंचायत}¹ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके तथा किसी बैठक की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है

(ख) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में अथवा अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में अध्यक्ष के किसी अन्य कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा;

(ग) किसी भी समय धारा 59 के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन या अवसर आ पड़ने पर किसी अधिकार का प्रयोग करेगा;

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके, तथा किसी बैठक में अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का संपादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) की दशा में, जब अध्यक्ष अपने पद पर हो तो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन जो तदर्थ निर्मित नियमों में निर्दिष्ट हैं, कार्य समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

बैठकें

61— {(1) कार्य सम्पादन के लिये प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

{जिला पंचायत}¹ की बैठकें

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।²

(2) अध्यक्ष, अथवा जिले से उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझें {जिला पंचायत}¹ की बैठक बुला सकता है तथा {जिला पंचायत}¹ के सदस्यों के कम से कम पंचमाश के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जा चुका हो अथवा प्राप्ति पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए. डी.) द्वारा {जिला पंचायत}¹ को उसके कार्यलय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर {जिला पंचायत}¹ की बैठक अवश्य बुलायेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2006 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 62—64}

(3) कोई बैठक आगामी अथवा किसी बाद के दिन के लिये स्थगित की जा सकती है, तथा कोई स्थगनोपरान्त बैठक उसी रीति से फिर स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक {जिला पंचायत}¹ के कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दे दी गयी हो, की जायगी।

62— {जिला पंचायत}¹ की बैठकों से संबद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शास्ति बैठकों की प्रक्रिया होंगे—

- (क) बैठकों में कार्य का संपादन;
- (ख) कार्य के संपादन के लिये गणपूर्ति;
- (ग) अध्यक्ष तथा उपध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता;
- (घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना;
- (ङ) बैठक की सूचना;
- (च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना;
- (छ) मतदान द्वारा निर्णय;
- (ज) वृत्त पुस्तिका (minute book) तथा संकल्प;
- (झ) सरकारी कर्मचारियों राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार:—
- (ञ) {जिला पंचायत}¹ का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार;
- (ट) बैठकों के संबंध में {जिला पंचायत}¹ के अधिकारियों का अधिकार,
- (ठ) {जिला पंचायत}¹ का मुख्य अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा
- (ड) अन्य आनुषांगिक विषय, जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।

{63— (1) जिला पंचायत, जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी। जिला योजना तैयार करना

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा नियत रीति से तैयार किया जायेगा और मुख्य अधिकारी उस योजना को नियोजन समिति के समक्ष रखेगा, जो उसके सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है, जो वह उचित समझे।

(3) अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों सहित, यदि कोई हो, जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, जो उसे ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और इसे संविधान के अनुच्छेद 243—य घ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक, जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगी।²

64—(1) {जिला पंचायत}¹ धारा 22 के अधीन संघटित या पुनर्संघटित हो जाने के पश्चात् शीघ्र ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के संपादन के निमित्त, जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियों, नियुक्त करेगी: {जिला पंचायत}¹ की कमेटियां

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 65—66}

- (क) कार्य समिति;
- (ख) वित्त समिति;
- {(ग) शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति;
- (घ) कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति, और
- (ङ) समता समिति।}²

(2) इस अधिनियम में निर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करने के लिये {जिला पंचायत}¹ की एक नियोजन समिति भी होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे;

- (क) अध्यक्ष, जो सभापति होगा;
- (ख) उपाध्यक्ष, जो उपसभापति होगा;
- (ग) मुख्य अधिकारी जो समिति का सचिव होगा, और
- (घ) जिला स्तर के समस्त अधिकारी।

{65— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक जिला पंचायत धारा 64 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर, जिन्हे इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति को समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का कर्तव्यों के सम्पादन के लिए ऐसी अन्य समिति या समितियां संघटित करेगी; जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायेगी और इस अधिनियम के किसी उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई जिला पंचायत की समितियों का संघटन

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति होगा और छः अन्य सदस्य होंगे, जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किए जायेंगे :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रत्तर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा।}³

66— (1) कार्य समिति के निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

- (क) अध्यक्ष;
- (ख) उपाध्यक्ष;

(ग) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट समितियों के सभापति;

कार्य समिति का संघटन

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय—तीन की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 67-69}

(घ) {जिला पंचायत}¹ के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर तीन या चालीस से अधिक होने पर छः व्यक्ति, जो उक्त सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष तथा उपध्यक्ष कार्य समिति के क्रमशः सभापति तथा उप-सभापति होंगे।

(3) {जिला पंचायत}¹ का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होगा।

67— (1) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति में, {जिला पंचायत}¹ के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर छः या चालीस से अधिक होने पर नौ सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन {जिला पंचायत}¹ के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायगा।

धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों का संघटन

(2) अध्यक्ष, वित्त समिति {और शिक्षण एवं जन-स्वास्थ्य समिति}² का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा।

68— (1) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा और नियत की जाने वाली रीति से होगा।

धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकाल तथा उनके सदस्यों के निर्वाचन की रीति

(2) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल {जिला पंचायत}¹ के कार्यकाल तक होगा, किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष कम से निवृत्त होंगे और कम से निवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों की पूर्ति उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से की जायगी।

(3) उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम वर्ष निवृत्त होंगे, और उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के दो वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से परिचयां डालकर किया जायगा।

(4) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से किसी समिति के निर्वाचित सदस्य के पद में हेने वाली रिक्ति की दशा में उसमें उस रिक्ति की पूर्ति, ऐसे सदस्य के शेष कार्यकाल के लिये, उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से दूसरे सदस्य का निर्वाचन करके की जायगी।

69— (1) कार्य समिति तथा वित्त समिति से भिन्न धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति तथा दूसरे को उप-सभापति निर्वाचित करेगी।

समितियों के सभापति तथा उप-सभापति और उनके कार्यकाल

(2) वित्त समिति अपनी प्रथम बैठक में संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक को अपना उप सभापति निर्वाचित करेगी।

(3) दोनों ओर मतों की संख्या समान होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु अन्यथा उपधारा (1) के अधीन समिति की अध्यक्षता करते समय उसे कोई मत देने का अधिकार न होगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचन सभापति तथा उप-सभापति का कार्यकाल निर्वाचन के दिनांक में से एक वर्ष का होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सभापति या उप-सभापति के पद में मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्ति होने की दशा में नया सभापति या उप-सभापति वहिर्गामी सभापति तथा उप-सभापति के शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचित किया जायगा।

1. उपप्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 90 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 70-75}

70— { * * * }³

71— { * * * }³

72—कार्य समिति उन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और उन कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी—

कार्य समिति के अधिकार तथा कृत्य

(1) जिसका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उससे (कार्य समिति से) अपेक्षित हो;

(2) जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों तथा जिसके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द “कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायगा” और

(3) जो धारा 57 के अधीन {जिला पंचायत}¹ द्वारा कार्य समिति को प्रतिनिहित किये गये हों;

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य समिति अपने ऐसे अधिकारी, कर्तव्यों अथवा कृत्यों को, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, धारा 75 के अधीन स्थापित किसी उप-समिति को अथवा {जिला पंचायत}¹ के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है।

73—(1) वित्त समिति निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी—

वित्त समिति के अधिकार तथा कृत्य

(क) वर्ष पर्यन्त आय तथा व्यय की प्रगति पर दृष्टि रखना तथा मुख्य अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना, जो उक्त समिति आवश्यक समझे;

(ख) अनुदानों के उचित विनियोग का पर्यवेक्षण करना;

(ग) अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जो उसे प्रतिनिहित किये गये हों अथवा जिनका प्रयोग, अथवा सम्पादन अनुसूची 4 के तीसरे स्तम्भ के अधीन उससे अपेक्षित हों।

(2) उपधारा (1) को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए वित्त समिति को {जिला पंचायत}¹ के लेखे प्राप्य होंगे।

74— {शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति, कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति तथा समता समिति}² के अधिकार, कर्तव्य और कृत्य वही होंगे, जो इस अधिनियम तथा तदर्थ निर्मित नियमों में व्यवस्थित हों।

धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों के अधिकार तथा कृत्य

75—(1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये एक या अधिक उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

उप-समितियाँ

(2) उप-समिति का संघटन तथा कार्यकाल वे होंगे, जो समिति द्वारा निश्चित किये जायें।

(3) यदि समिति उप-समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 91 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 13 द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 76—78}

76—(1) धारा 64 में निर्दिष्ट समितियों की बैठक मास में कम से कम एक बार होगी।

समिति उपसमिति की बैठकें

(2) समितियों तथा उप-समितियों की बैठकों के सम्बन्ध में धारा 62 में निर्दिष्ट विषय नियमों द्वारा शासित होंगे।

77— (1) कोई {जिला पंचायत}¹ सहमत होने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों से इस बात के लिये संयुक्त हो सकती है कि वे किसी ऐसे कार्य के संयुक्त समितियां सम्पादन के लिये जिसमें उनका संयुक्त हित हो तथा एक ऐसे कारण द्वारा, जिस पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के तदर्थ हस्ताक्षर हों, एक संयुक्त समिति नियुक्त करें और यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो {जिला पंचायत}¹ अवश्य ऐसा करेगी।

संयुक्त समितियां

(2) ऐसे कारण में यह निश्चित कर दिया जायगा कि कौन स्थानीय प्राधिकारी संयुक्त समिति में अपने प्रतिनिधित्व के लिये कितने सदस्य चुनेगा, कौन व्यक्ति उस समिति का सभापति होगा, संयुक्त समिति सहमत होने वाले प्राधिकारियों में एक या अधिक के द्वारा प्रयोज्य अधिकारों में से किन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी तथा उसके कार्य तथा पत्र-व्यवहार किस रीति से किये जायेंगे।

(3) ऐसा करण सभी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये हुए दूसरे करण द्वारा समय-समय पर परिवर्तित अथवा रद्द किये जाने की दशा में, उसके अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां उस दिनांक से अप्रवर्ती समझी जायेगी, जो उस दूसरे करण में निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान में दो या अधिक प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी मतभेद का निर्णय धारा 256 के अधीन राज्य सरकार को अभिदिष्ट करके किया जायगा।

78—(1) मुख्य अधिकारी {जिला पंचायत}¹ का मुख्य कार्यकाल अधिकारी होगा और {जिला पंचायत}¹ के प्रति उत्तरदायी होगा तथा वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेगा, अर्थात्—

मुख्य अधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व

(क) {जिला पंचायत}¹ को देय या उसे दी गई कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे जिला निधि में जमा करने का अधिकार;

(ख) इस अधिनियम की धाराओं तथा उपधाराओं द्वारा प्राप्त अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(ग) अनुसूची 5 के पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट धाराओं तथा उपधाराओं के अधीन {जिला पंचायत}¹ की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों का प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(घ) अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसा कोई लाइसेन्स स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने, निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार जिसे स्वीकृत करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा उसे प्राप्त हो;

(ङ) कोई अन्य अधिकारी, जो {जिला पंचायत}¹ द्वारा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो; तथा

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 79—80}

(च) उन सेवकों से भिन्न, जिनके लिये धारा 43 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी {जिला पंचायत}¹ है, {जिला पंचायत}¹ के समस्त सेवकों की सेववा, छुट्टी, वेतन, भत्ता, तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन मुख्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध उससे क्षुब्ध सेवक उस निर्णय की सूचना दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अध्यक्ष को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दिशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) {जिला पंचायत}¹ की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्य अधिकारी पर होगा।

(3) मुख्य अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा {अपर मुख्य अधिकारी}² को अधिकार दे सकता है कि वह मुख्य अधिकारी के ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, जो मुख्य अधिकारी को {जिला पंचायत}¹ या अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिहित न किये गये हों, उसके सामान्य पथ—प्रदर्शन के अधीन रहते हुये प्रयोग या सम्पादन करे।

79—(1) अनुसूची 6 के स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और सम्पादन किया जायगा, अन्यथा नहीं।

{क्षेत्र पंचायतों}¹ के अधिकारों का प्रयोग

(2) प्रमुख, {क्षेत्र पंचायत}¹ के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा, जो अनुसूची 6 के तीसरे स्तम्भ के अधीन प्रमुख द्वारा प्रयोग या सम्पादन किये जोन के लिये अपेक्षित है या जो प्रमुख की धारा 80 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

(3) अनुसूची 7 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन {क्षेत्र पंचायत}¹ की ओर से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायगा, अन्यथा नहीं, और वह उन समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन सम्पादित हों और जो अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट नहीं है तथा जो {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 80 के अधीन खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये हैं।

80— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹ ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों कृत्यों को ध्यान में रखते हुए—

{क्षेत्र पंचायतों}¹ के क्षेत्रों का प्रतिनिधान

(क) अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों और सामने या तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उन अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपे गये हों;

किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों, संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 92 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 81—83}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह {क्षेत्र पंचायत}¹ की किसी समिति के किसी संकल्प के इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यन्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹ के किसी सेवक को उसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है।

81—प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह—

प्रमुख के कर्तव्य

(क) जब कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके;

(1) {क्षेत्र पंचायत}¹ तथा उनकी उन समितियों की, जो तदर्थ नियत की जाय सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे;

(2) {क्षेत्र पंचायत}¹ की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे;

(ख) {क्षेत्र पंचायत}¹ वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे {तथा उसमें किसी त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लाए; और}²

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करे, जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायं।

82— {1}³ {क्षेत्र पंचायत}¹ का प्रमुख सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ज्येष्ठ या कनिष्ठ उपप्रमुख की अधिकार दे सकता है कि वह धारा 81 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी, कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न प्रमुख के अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का उसके सामान्य पथ—प्रदर्शन के अधीन, प्रयोग या संपादन करे।

प्रमुख द्वारा उप—प्रमुख की प्रतिनिधान

{(2) उपधारा (1) के अधीन प्रमुख द्वारा कोई आदेश किसी शक्ति के प्रयोग और किसी कर्तव्य या किसी कृत्य के सम्पादन के सम्बन्ध में कोई शर्त नियत कर सकता है या निर्बन्धन आरोपित कर सकता है।}³

83—(1) ज्येष्ठ उपप्रमुख—

उप प्रमुख के कर्तव्य

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में क्षेत्र समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके तथा कृत्यों का संपादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सके;

(ख) प्रमुख का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में, अथवा प्रमुख की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में प्रमुख के किसी अन्य कर्तव्य का पालन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा; और

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 93 द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उपर्युक्त की धारा 94 द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 84—87}

(ग) किसी भी समय, धारा 82 के अधीन प्रमुख द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्यों का सम्पादन, या अवसर आ पड़ने पर किसी अधिकार का प्रयोग करेगा।

(2) कनिष्ठ उपप्रमुख किसी भी समय धारा 82 के अधीन प्रमुख द्वारा उसकी प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन या अवसर आ पड़ने पर अधिकार का प्रयोग करेगा और ज्येष्ठ उपप्रमुख की अनुपस्थिति में या ज्येष्ठ उपप्रमुख का पद, रिक्त होने की दशा में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ज्येष्ठ उपप्रमुख के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

84— {(1) कार्य सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी : {क्षेत्र पंचायत}}¹ की बैठकें

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।⁵

(2) प्रमुख अथवा {खण्ड}² से उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ उपप्रमुख, अथवा यदि {खण्ड}² से ज्येष्ठ उपप्रमुख भी अनुपस्थित हो तो कनिष्ठ उपप्रमुख, जब कभी भी वह उचित समझे, {क्षेत्र पंचायत}}¹ की बैठक बुला सकता है तथा {क्षेत्र पंचायत}}¹ के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन पर जो प्रमुख पर तामील किया जा चुका हो, अथवा प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए0डी0) द्वारा {क्षेत्र पंचायत}}¹ को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन के तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर {क्षेत्र पंचायत}}¹ की बैठक अवश्य बुलायेगा।

{(3) कोई बैठक आगामी या किसी पश्चात्पूर्व दिन तक स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक इसी प्रकार आगे भी स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिसकी सम्यक रूप से सूचना दी जा चुकी हो, होगी।³

85— {क्षेत्र पंचायत}}¹ की बैठकों के संबंध में भी, धारा 62 के निर्दिष्ट प्रकार के विषय तदर्थ नियमों द्वारा शासित होंगे।

{क्षेत्र पंचायत}}¹ की बैठकों की प्रक्रिया, आदि

{86— (1) क्षेत्र पंचायत, खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात्, खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष कए विकास योजना तैयार करेगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति खण्ड विकास अधिकारी, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत रीति से तैयार करेगी और इसे क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी।

(3) क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिष्कार के साथ या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है।

(4) खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को उस दिनांक से पहले, जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगा।⁴

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 95(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 95 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

4. उपर्युक्त की धारा 96 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2006 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}² अधिनियम, 1961}

{धारा 88}

87— (1) {क्षेत्र पंचायत}² धारा 10 के अधीन संघटित या पुनर्संघटित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शोध ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित्त, जिसकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियां नियुक्त करेगी—

- {(क) कार्य समिति;
- {(ख) वित्त एवं विकास समिति;
- {(ग) शिक्षा समिति; और
- {(घ) समता समिति।}³

(2) तदर्थ नियत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, {क्षेत्र पंचायत}² समस्त अथवा उसके किसी भाग में किन्हीं निर्दिष्ट कर्तव्यों अथवा कर्तव्यों के वर्ग के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये अनय समितियां स्थापित कर सकती है {और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो अवश्य स्थापित करेगी}¹ और ऐसी किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है, जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।

(3) पूर्ववर्ती उपधारायें उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, {क्षेत्र पंचायत}² समय-समय पर किसी ऐसे विषय की, जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन {क्षेत्र पंचायत}² का निर्णय अपेक्षित हो, जांच करने अथवा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियां नियुक्त कर सकती है।

88— {(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक सर्किल से एक सदस्य होगा, जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।}⁴

समितियों का संघटन

(2) प्रमुख तथा दोनों उपप्रमुख {कार्य समिति}⁵ के पदेन सदस्य होंगे और उसके कमशः सभापति, ज्येष्ठ उप-सभापति तथा कनिष्ठ उप-सभापति होंगे।

(3) ज्येष्ठ उपप्रमुख कल्याण समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और {खण्ड}⁵ में स्थित कृषि विद्यालय (यदि कोई हो) का प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) समिति का अपर सदस्य होगा।

{(3-क) ज्येष्ठ उप-प्रमुख 'समता' समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा;}⁶

(4) कनिष्ठ उपप्रमुख {शिक्षा समिति}⁷ का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और {खण्ड}⁵ में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों में से एक को {क्षेत्र पंचायत}² के संकल्प द्वारा अनुमेलित किया जायगा।

(5) अपने संघटक के पश्चात् यथाशीघ्र {वित्त एवं विकास समिति}⁵ {शिक्षा समिति और समता समिति}⁸ अपने सदस्यों में से एक को समिति का उपसभापति निर्वाचित करेगी।

(6) धारा 87 की उपधारा (2) तथा (3) में निर्दिष्ट समितियों का संघटन वह होगा जो नियत किया जाय।

(7) किसी सदस्य के स्थान या सभापति अथवा उप-सभापति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में यथास्थिति, जो सदस्य, सभापति या उपसभापति निर्वाचित किया जाय, वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासंभव उसी रीति से निर्वाचित किया जायगा, जिस रीति से उसका पूर्वाधिकार निर्वाचित किया गया था।

-
1. उ० प्र० अधिनियम सैं. 2, 1963 की धारा 21 द्वारा रक्षी गयी।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 97 द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उपर्युक्त की धारा 98 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उपर्युक्त की धारा 98 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उपर्युक्त की धारा 98 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
 7. उपर्युक्त की धारा 98 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
 8. उपर्युक्त की धारा 98 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 89-91}

89— (1) धारा 87 में उल्लिखित समस्त समितियों के सदस्यों और {वित्त एवं विकास, शिक्षा समिति और समता समिति}² के उपसभापति और अन्य समितियों के सभापति तथा उपसभापति के निर्वाचन की रीति वह होगी, जो नियत की जाय।

समितियों के निर्वाचन की रीति तथा उनका कार्यकाल

(2) धारा 87 की उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनांक से एक वर्ष का होगा; किन्तु वह किसी भी दशा में {क्षेत्र पंचायत}¹ के कार्यकाल के आगे न बढ़ेगा।

{89-क — (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत धारा 87 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर, जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति की समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के सम्पादन के लिए ऐसी अन्य समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायेगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघटन

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किए जायेंगे :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रत्तर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख या कनिष्ठ उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा।⁴

90—(1) {क्षेत्र पंचायत}¹, संकल्प द्वारा, {वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति}³ के सदस्यों में से एक या अधिक उपसमितियों संघटित कर सकती है और ऐसी उप-समिति को, यथास्थिति, {वित्त एवं विकास, शिक्षा समिति या समता समिति}³ के ऐसे कृत्य सौंपे सकती है, जो वह उचित समझे।

उप समितियां

(2) धारा 87 में उल्लिखित कोई समिति अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य या कर्तव्यों के वर्ग के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उपसमितियां संघटित कर सकती है।

(3) उपसमितियों की रचना तथा उनका कार्यकाल और आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने की रीति वही होगी, जो यथास्थिति, {क्षेत्र पंचायत}¹ या समिति द्वारा निश्चित की जाय।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 99 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}² अधिनियम, 1961}

{धारा 92}

91—(1) {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा वित्त, करारोपण, {आर्थिक विकास}⁴ तथा सामान्य प्रशासन के संबंध में अपने कृत्यों का सम्पादन किए जाने में {कार्य समिति}³ उसी सहायता करेगी और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी—

धारा 87 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कृत्य

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हों; या

(2) जो धारा 80 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}² द्वारा {समता समिति}³ को प्रतिनिहित किये गये हों।

(2) कृषि सहकारिता, पशुपालन, लघु सिंचाई—कार्य, ग्रामीण उद्योग और उत्पादन कार्यों के क्षेत्र में सुधार करने से सम्बद्ध उसके अधिकारों के प्रयोग तथा उसके कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में {वित्त एवं विकास समिति}³ {क्षेत्र पंचायत}² की सहायता करेगी—

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हों;

(2) जो धारा 80 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}² द्वारा {वित्त एवं विकास समिति}³ को प्रतिनिहित किये गये हों।

(3) स्वास्थ्य, स्वच्छता, {सामाजिक न्याय}⁵, महिला—कल्याण, युवक—कल्याण तथा रचनात्मक कार्यक्रम के क्षेत्र में सुधार करने से सम्बद्ध अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में {समता समिति}³ क्षेत्र की सहायता करेगी—

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हों; या

(2) जो धारा 80 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}² द्वारा {समता समिति}³ को प्रतिनिहित किये गये हों।

{(3—क) शिक्षा समिति, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत को उसके अधिकारों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेगी।}⁶

(4) ऊपर उल्लिखित कोई समिति नियमों द्वारा नियत रीति से और शर्तों के आसीन रहते हुये, {क्षेत्र पंचायत}² द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अपने किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को {क्षेत्र पंचायत}² के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है।

{(5) राज्य सरकार, किसी भी समय, यह निदेश दे सकती है कि {वित्त एवं विकास समिति}³ या {समता समिति}³ का कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किसी समिति को संक्रमित किया जाय।}¹

92—(1) खण्ड विकास अधिकारी {क्षेत्र पंचायत}² का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और {क्षेत्र पंचायत}² तथा उसकी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा उन अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों के अतिरिक्त, जिनकी इस अधिनियम में उसके द्वारा प्रयोग तथा सम्पादन की अपेक्षा की गई है, और तदर्थ किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन करेगा, अर्थात्—

खण्ड विकास अधिकारी के अधिकार तथा उत्तरदायित्व

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 22 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 101 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 101 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 101 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उपर्युक्त की धारा 101 (घ) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 93—94}

(1) क्षेत्र निधि की देय या उसे दी गयी कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे क्षेत्र निधि में जमा करने का अधिकार;

(2) {***}²

(3) कोई विवरण, लेख, प्रतिलेख, लेख्यों को प्रतिलिपियां, {क्षेत्र पंचायत}¹ या उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियां नियत प्राधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(4) {ग्राम पंचायतों}¹ को उनके विकास कार्य में, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा निर्धारित मानकों तथा स्थूल नीति के अनुसार योजनाएँ बनाना, उनका निष्पादन और पूर्वोक्त योजनाओं के निष्पादन में पायी गयी किन्हीं त्रुटियों को {क्षेत्र पंचायत}¹ के ध्यान में लाना भी है—सहायता देना;

(5) धारा 52 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {क्षेत्र पंचायत}¹ में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार;

(6) इस धारा किसी अन्य धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(7) ऐसे अधिकार, कर्तव्य और कृत्य, जो राज्य सरकार {क्षेत्र पंचायत}¹ की सम्मति से सौंपे।

(2) {क्षेत्र पंचायत}¹ की ओर से समस्त कार्यो तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होगा।

93—(1) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी समिति से, यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप-समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरण मांग सकती है।

समितियों या उप-समितियों का अधीन रहना

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उपसमिति, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

94—(1) {जिला पंचायत}¹ अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से और {क्षेत्र पंचायत}¹ प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है—

{जिला पंचायत}¹ तथा क्षेत्रसमिति का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार

(क) यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के प्रशासन से संबद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) किसी उपसमिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण ; तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र-व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसक कब्जे या नियंत्रण में अध्यक्ष, प्रमुख, मुख्य अधिकारी, या खण्ड विकास अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹ के, या {जिला पंचायत}¹ अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹ के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 95-96}

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, प्रमुख या खण्ड अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का अनुचित विलम्ब किये बिना पालन करेगा।

(3) इस धारा से या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात से यह समझा जायगा कि वह {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के ऐसे उपबन्ध बनाने पर रोक लगाती है, जिसमें उसकी बैठकों में, नियत शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का प्राधिकार दिया जाय।

{95— निम्नलिखित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला पंचायत को ऐसी सहायता और परामर्श, जहां तक उसका संबंध उनके विभाग से हो, दें जो आवश्यक या वांछनीय हो अथवा अपने जिला योजना कार्यक्रम तथा अन्य कार्य को कार्यान्वित करने के लिये जिला पंचायत, जिसकी अपेक्षा करें—

कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श लेने का जिला पंचायत का अधिकार

(1) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग);

(2) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्);

(3) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (नहर);

(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी;

(5) जिले में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाला मण्डल वनाधिकारी (डिवीजिनल फॉरेस्ट आफिसर);

(6) जिला पूर्ति अधिकारी;

(7) उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी;

(8) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी;

(9) सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र;

(10) जिले के ऐसे अन्य अधिकारी, जो अनुसूची-2 के भाग-क में विनिर्दिष्ट जिला पंचायत के किन्हीं कृत्यों के संबद्ध जिलों के प्रभारी हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा 39 की उपधारा (3-क) के अधीन जिला पंचायत के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय तो उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।²

96— जब इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में यह अपेक्षा की गई हो कि लेख्य के लिखने वाले अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्य किया जायगा, और या लेख्य {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की ओर से लिखा गया हो अथवा वह ऐसा लेख्य हो, जिसके अधीन {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ दावा करे, तो वह कार्य, उपर्युक्त अधिनियमिति अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, {जिला पंचायत}¹ की दशा में मुख्य अधिकारी द्वारा अथवा {जिला पंचायत}¹ के तदर्थ अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, और {क्षेत्र पंचायत}¹ की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा या {क्षेत्र पंचायत}¹ के तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

कारणों का रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट 16, 1908

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33 वर्ष 1999 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 97—99}

97—(1) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी का प्रयोग, अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये {जिला पंचायत}¹, अध्यक्ष, कार्य समिति, वित्त समिति, मुख्य अधिकारी या {जिला पंचायत}¹ की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के संबंध में विवाद

(2) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये {क्षेत्र पंचायत}¹, प्रमुख, {कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति}², खण्ड विकास अधिकारी या {क्षेत्र पंचायत}¹ की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला जिला मैजिस्ट्रेट को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसा कोई भी निर्णय देने में जिला मैजिस्ट्रेट उप सामान्य आदेशों से निर्देशित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एतदर्थ जारी किये जायें।

98—(1) {जिला पंचायत}¹ में, या {जिला पंचायत}¹ की किसी समिति में या कार्य समिति द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति में वर्तमान किसी रिक्ति के कारण उसका कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य न होगी।

कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता

(2) यदि कार्य या कार्यवाही किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में बहुमत, यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ समिति या उपसमिति के ऐसे सदस्यों का रहा हो जिनमें कोई ऐसी अनर्हता अथवा दोष न हो तो {जिला पंचायत}¹ के अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति या उपसमिति के सदस्य के रूप में अथवा {जिला पंचायत}¹ की या ऐसी समिति अथवा उपसमिति की बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अनर्हता, या उसके निर्वाचन, अनुमेलन या नियुक्ति में त्रुटि के कारण यह न समझा जायगा कि {जिला पंचायत}¹, समिति या उपसमिति का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य हो गई है।

(3) जब तक उसके विपरीत सिद्ध न हो जाय, तब तक प्रत्येक लेख्य या कार्यवृत्त (minutes) के विषय में, जो {जिला पंचायत}¹ या उपसमिति की कार्यवाही का अभिलेख भावित हो—यदि वह सारतः उसी रीति से तैयार तथा उस पर हस्ताक्षर किया गया हो जो उस प्रकार की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने तथा उस पर हस्ताक्षर के लिये नियत की गई हो—यह समझा जायगा कि वह यथाविधि संघटित ऐसी {जिला पंचायत}¹, समिति या उपसमिति की यथाविधि संयोजित बैठक की कार्यवाही का शुद्ध अभिलेख, है जिसके सब सदस्यों यथाविधि अर्ह थे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}¹ या उसकी समिति अथवा उपसमिति के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 6

निधि, सम्पत्ति तथा संविदायें

99—(1) प्रत्येक {जिला पंचायत}¹ के लिये एक निधि की स्थापना की जायगी जो जिला-निधि कहलायेगी और प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}¹ के लिये एक निधि की स्थापना की जायगी जो क्षेत्रनिधि कहलायेगी। {जिला पंचायत}¹ द्वारा या उसकी ओर से {राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित}³ लिये गये समस्त ऋण जिला-निधि में तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा या उसकी ओर से {वित्त एवं विकास, शिक्षा समिति या समता समिति}³ लिये गये समस्त ऋण क्षेत्र-निधि में जमा किये जायेंगे :

जिला निधि तथा क्षेत्रनिधि

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 103 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 100—102}

प्रतिबन्ध यह है कि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिये प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिये अलग रक्षित कर देगी और उन्हें उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी।

(2) इस धारा में कोई बात {जिला पंचायत}¹ या क्षेत्रसमिति के उन आधारों पर प्रभाव नहीं डलेगी, जो किसी ऐसे न्यास से उत्पन्न हों जो विधितः उस पर आरोपित किया गया हो या उसने स्वीकार किया हो।

(3) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है, जो कोई किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिये दे और तत्पश्चात् {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ उसे, जहां कहीं आवश्यक अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी।

100— (1) {जिला पंचायत}¹, लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 में यथा—परिभाषित “लोकल अथारिटी समझी जायगी तथा उस अधिनियम के अधीन रूपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी।

{जिला पंचायत}¹ लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 के अधीन लोकल अथारिटीज होगी ऐक्ट 9, 1914
ऐक्ट संख्या 2, 1934

(2) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नया राज्य सरकार की, पूर्व स्वीकृति से {जिला पंचायत}¹ ऐसी रीति से तथा उन उद्देश्यों के लिये और उन शर्तों के जिनके अन्तर्गत निपेक्ष निधि रखने की शर्त भी है और जो नियमों द्वारा नियत की जायेगी, अधीन रहते हुए ऋण—पत्र जारी करके बाजार में ऋण ले सकती है।

101—(1) जिला निधि या क्षेत्र निधि सरकारी खजाने या उप—खजाने में या ऐसे बैंक में, जिसे सरकारी खजाने का काम सौंपा गया हो, जमा की जायगी या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एक या अधिक अनुसूचित बैंकों या सहकारी बैंकों में जमा की जायगी जिन्हें वह व्यर्थ निर्दिष्ट करें।

निधि की अभिरक्षा या उसका लगाया जाना

(2) उन स्थानों में जहां इस प्रकार का कोई खजाना या बैंक न हो, जिला निधि या क्षेत्र—निधि किसी महाजन की या महाजन के रूप में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जा सकती है जिसने उस निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा मांग करने पर भुगतान करने के लिये ऐसी प्रतिभूति दे दी हो, जो राज्य सरकार उस विशेष मामले में पर्याप्त समझे।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी भी बात से यह न समझा जायगा कि वह {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ को निधि के किसी ऐसे अंश को, जिसकी तत्काल व्यय के लिये आवश्यकता न हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से इण्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 की धारा 20 में वर्णित प्रतिभूतियों में से किसी में लगाने, अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य किसी प्राधिकारी या संस्था के पास सावधि निक्षेप रूप में जमा करने से रोकती है।

ऐक्ट संख्या 2, 1982

{101—क— क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।²

क्षेत्र पंचायत निधि से आहरण और वितरण

102—(1) जिला निधि तथा {जिला पंचायत}¹ में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र निधि तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ से निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिये उपयोग में उपयोग में लायी जायगी, जिनके लिये, इस अथवा अन्य किसी अधिनियमिता द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ को अधिकार प्रदान किये हों या उस पर कर्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों।

निधि का उपयोग

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33 वर्ष 1999 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 103—104}

(2) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, यथास्थिति, जिले या खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई निर्माण कार्य सम्पादित करने के निमित्त कोई व्यय—

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तों से अन्यथा, जो राज्य सरकार आरोपित करे, नहीं करेगी।

(3) धारा 99 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की निधि और सम्पत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम से किया जायगा—

(क) विधितः {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभारः

(ख) अधिष्ठान व्यय का—जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य-निधि तथा अवकाश भत्ते भी हैं—भुगतान;

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियां:

(घ) लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 के उपबन्धों के अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा उसके ब्याज का भुगतान;

(ङ) कोई धनराशि, जिसका धारा 109 की उपधारा (2) धारा 137 की उपधारा (3) धारा 229 की उपधारा (2) धारा 230 की उपधारा (3) तथा धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो; तथा

(च) इस अधिनियम की धारा 31, 32, 33 और 34 के अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन {जिला पंचायत}¹ पर आरोपित आभारों का निर्वाहन।

103— राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त संपत्ति जो जिले के भीतर स्थित हो, {जिला पंचायत}¹ में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो {जिला पंचायत}¹ में निहित हो जाय, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रित के अधीन रहेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निर्मित अधिकार में रखी तथा उपयोग में लायी जायगी, अर्थात् —

{जिला पंचायत}¹ में निहित सम्पत्ति

(क) प्रत्येक प्रकार की सब सार्वजनिक इमारतें, जो जिला-निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो जिला-निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष निर्माण सामग्री उपकरण और वस्तुएं, जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गई हो तथा

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य संपत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये {जिला पंचायत}¹ को संकलित की गयी हो।

104— राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त संपत्ति, जो खण्ड के भीतर स्थित हो, {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित होगी और उसकी संपत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित हो जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निदेश प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी; अर्थात् —

{क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित सम्पत्ति

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 105—106}

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें, जो क्षेत्र निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र-निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण-सामग्री उपकरण और वस्तुयें, जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों की गयी हो;

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिये {क्षेत्र पंचायत}¹ को संक्रमित की गयी हो; तथा

(घ) खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुयें और समस्त जमीनें इमारतें, सामग्री तथा वस्तुयें, जो उनसे संबद्ध या संसक्त हो, जो निजी सम्पत्ति न हो और न किसी सरकार द्वारा या अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ से भिन्न किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

105— (1) जब {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिती के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी या अस्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहे, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।

भूमि का अनिवार्य अर्जन
ऐक्ट संख्या 1, 1894

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐस अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संबंध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित हो जायगा।

106—(1) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का, जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला-निधि या क्षेत्र-निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित होगा।

सार्वजनिक संस्थायें

(2) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उनके संबंध में {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकती है;

(3) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त संपत्ति, निबन्ध (endowment) और निधियां जो {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में जिनके लिये ऐसी संपत्ति, निबन्ध तथा निधियां उस समय विधितः उपयोग में लयी जा सकती थी जब कि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह चैरिटेबुल इनडाउमेन्ट्स में निहित होने से रोकती है।

ऐक्ट संख्या 6, 1890

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 107—110}

107— (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ अपने में निहित किसी संपत्ति को जो ऐसी संपत्ति न हो, जो किसी ऐसे न्याय के रूप में उसके अधिकार में हो, जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार संक्रमण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय बंधक, पट्टे, दान, विनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार या अन्य किसी प्रकार से संकामित कर सकती है।

संपत्ति को संकामित करने का अधिकार

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, राज्य सरकार की स्वीकृति से अपने में निहित कोई संपत्ति सरकार को संकामित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्याय या सार्वजनिक अधिकारो पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह संपत्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक संकामण जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के पट्टे से भिन्न हो, एक करण द्वारा संपन्न होगा, जिस पर यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ को सामान्य मुद्रा अंकित रहेगी तथा वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित संविदा संबंधी समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।

{107—क— जो कोई जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अतिक्रमण अवरोध के शास्त्र

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा।}³

108— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है जिसे {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्तव्य के सम्पादन से क्षति पहुंची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से कोई व्यक्ति से कोई चूक न हुई हो।

109— (1) जब {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के प्रबन्ध में कये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा नियंत्रित और विनियमित पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर यथा स्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की मांग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और उक्त {जिला पंचायत}¹ द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगा।

मैलों अदि में विशेष पुलिस संरक्षण के लिए {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा व्यय का दिया जाना

(2) यदि देय व्यय की राशि अदा न की जाय तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला—निधि या क्षेत्र निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

110— (1) {जिला पंचायत}² कार्य समिति नियत रीति से वित्त समिति के परामर्श से तथा धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याषित आय—व्यापक का एक पूरा लेखा तथा आगामी 01 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान तैयार करेगी।

परिषद का बजट तैयार पारित करना

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 105 द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33 वर्ष 1999 की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 111-114}

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट अनुमान तैयार करने में आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन और विकास कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायगा कि उन अनुदानों को किसी प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) तदुपरान्त अध्यक्ष नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक के पहले उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखा तथा बजट अनुमान की {जिला पंचायत}¹ की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(4) {जिला पंचायत}¹ उपधारा (3) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा—

(क) पूरे बजट को पारित करेगी या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित पारित करेगी, जो वह उचित समझे, या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिये उसे कार्य समिति को लौटा देगी।

(5) जब {जिला पंचायत}¹ उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन बजट लौटा दे तो कार्य समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष उस बजट को {जिला पंचायत}¹ के समक्ष रखेगा और {जिला पंचायत}¹ उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके, जो वह उचित समझे, पारित करेगी।

(6) {***}²

(7) {जिला पंचायत} कार्य समिति के परामर्श से, समय-समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय है, {अपने द्वारा अंतिम रूप से पारित}³ बजट में परिवर्तन कर सकती है।

{***}⁴

111— पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायगा और यह पुनरीक्षित बजट, यथासंभव उन समस्त उपबन्धों के अधीन होगा, जो धारा 110 के अधीन तैयार किये गये बजट पर प्रवृत्त होते हैं।

{जिला पंचायत}¹ के बजट का पुनरीक्षण

112— यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई न्यूनतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य समिति बजट तैयार करने में उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिये व्यवस्था करेगी।

{जिला पंचायत}¹ की बजट में दिखायी गयी न्यूनतम रोकड़ बाकी

113— प्रत्येक {जिला पंचायत}¹ अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल-आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी।

बजट की प्रतिलिपि का आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजा जाना

114— (1) जब इस अधिनियम के अधीन किसी {जिला पंचायत}¹ का बजट या पुनरीक्षित बजट अंतिम रूप से पारित किया जा चुका हो तो तो {जिला पंचायत}¹ बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त, जिसमें करों के लौटाये जानें की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के अर्न्तगत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय तब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिये व्यवस्था न कर ले।

बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक व्यय करने का निषेध

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 33 वर्ष 1999 की धारा 19(क) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 19 (ख)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 19 (ख) (2) द्वारा निकाला गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 115—117}

(2) जब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाय तो बजट में परिवर्तन करके उस व्यय के लिये अविलम्ब व्यवस्था की जायगी।

115—(1) {क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समात समिति}² के परामर्श से और धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुये आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय—व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये अपने आय—व्यय का बजट उस दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाय तैयार करेगी :

{क्षेत्र पंचायत}¹ का बजट तैयार और पारित करना

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायेगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किया जाय तैयार करेगी;

(2) {***}⁴

(3) {***}⁴

(4) {क्षेत्र पंचायत}¹ इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित दिनांक के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें {कार्य समिति}³ द्वारा तैयार किये गये लेखे और बजट {***}⁵ पर विचार—विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कार के साथ, जिन्हें करना वह उचित समझे, संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी।

(5) यदि किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ का बजट उसके पारण के लिये नियत दिनांक तक उपधारा (4) के अधीन पारित न किया गया हो, तो {कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया बजट पारित किया गया समझा जायगा}⁶ और यह तब तक अवर्तन रहेगा जब तक कि {क्षेत्र पंचायत}¹ उपधारा (4) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

116— धारा 111, 112, 113 तथा 114 के उपबन्ध परिवर्तनों के साथ {क्षेत्र पंचायत}¹ के बजट पर प्रवृत्त होंगे।

{जिला पंचायत}¹ के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध {क्षेत्र पंचायतों}¹ के बजट पर प्रवृत्त होंगे

117— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिना {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा, जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर हों।

{जिला पंचायत}¹ तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा संतिदाएं

(2) संविदाओं की स्वीकृति, निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन से सम्बद्ध समस्त विषय, जिनके अन्तर्गत उनके लिये योजनाएं, अनुमान तथा परियोजनाएं तैयार करना तथा उनके लिये स्वीकृति देना भी है, नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(3) यदि किसी संविदा का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाय तो यह {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ पर बन्धनकारी न होगा।

-
1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उपर्युक्त की धारा 106 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 106 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33 वर्ष 1999 की धारा 20 (क) द्वारा निकाला गया।
 5. उपर्युक्त की धारा 20 (ख) द्वारा निकाला गया।
 6. उपर्युक्त की धारा 20 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 118—119}

118— निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे; अर्थात् —

कतिपय विषय, जो नियमों द्वारा शासित होंगे

(क) अनुदान तथा ऋण देना;

(ख) लेखे, जो {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा रखे जायेंगे;

{(ग) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति से बजट के सम्बन्ध में परामर्श करने की रीति;}²

(घ) रीति जिससे ऐसे लेखों की परीक्षा की जायगी और उन्हें प्रकाशित किया जायगा तथा लेख-परिष्कारों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अनवधानता या अनाचार के कारण {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध सिफारिश करने का अधिकार;

(ङ) दिनांक, जिससे पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिये बैठक की जायगी;

(च) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र;

(छ) {जिला पंचायत} या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन; और

(ज) यात्रा भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक भत्ता भी है {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायतों}¹ के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उपप्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकता है।

अध्याय 7

कराधान तथ शुल्कों और पथ करों का उद्ग्रहण

119— (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये {जिला पंचायत}¹ निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनका आरोपण जारी रख सकती है; अर्थात्—

कर जो {जिला पंचायत} द्वारा आरोपित किये जा सकते हैं

(क) विभव तथा सम्पत्ति पर कर;

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान-मण्डल को “भारत का संविधान” के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका {जिला पंचायत}¹ द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(2) कर “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निमित्त नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्रहित किये जायेंगे।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 107 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 120—121}

विभव तथा सम्पत्ति पर कर

120— (1) यदि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कोई कर (tax on circumstances and property) प्रचलित रहा हो, जो युनाइटेड प्राविसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, 1922 के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, जो ऐसा कर, जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाय, {जिला पंचायत}¹ द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा था, उद्गृहीत किया जाता रहेगा, तथा धारा 121 में किसी बात के होते हुये भी, निश्चित दिनांक पर ऐसे करों के उद्गृहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम और उपविधियाँ, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियाँ और नियुक्तियाँ उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानों वे इस अधिनियम के अधीन बनायी गई, दिये गये या की गई हों और उन्हे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निरस्त, परिवर्तित या परिष्कृत किया जा सकेगा।

विभव तथा सम्पत्ति
आरोपण जारी रहना यू.
पी. ऐक्ट 10, 1922

(2) यदि निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले ही से प्रचलित न हो तो उस जिले की {जिला पंचायत}¹ आगे दी गई रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकती है।

(3) विभव तथा सम्पत्ति पर कर का कोई बकाया {जिला पंचायत}¹ द्वारा स्वमति से अध्याय 8 के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

121— {जिला पंचायत}¹ का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात्—

विभव तथा सम्पत्ति पर
कर आरोपित करने की
शर्तें और निर्वहन

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारणाधीन वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो:

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जायगा, जिसकी कुल कर-योग्य आय [बारह हजार रुपये]² वार्षिक से कम हो:

(ग) कर की दर कुल कर-योग्य आय पर तीन नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी; तथा

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी—

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये “कर योग्य आय धनराशि उस अधिकतम धनराशि आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी—

(1) इण्डियन इनकम ऐक्स ऐक्ट, 1922 में यथा परिभाषित “एग्रीकल्चरल इनकम” (agricultural income);

ऐक्ट संख्या 11, 1922

(2) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 128 के अधीन किसी नगरपालिका बोर्ड या नोटीफाइड ऐरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

यू. पी. ऐक्ट सं. 2, 1916

(3) आय जिस धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी दूसरी {जिला पंचायत}¹ द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 108 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 122—124}

(4) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 के अधीन पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

यू. पी. ऐक्ट सं. 2, 1914

(5) आय, जिस पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 172 के अधीन किसी नगर महापालिका द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो।

उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1959

122— यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, {जिला पंचायत}¹ ऐसा कमीशन देकर, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी {ग्राम पंचायत}³ को उसके {पंचायत क्षेत्र के निवासियों}⁴ पर लगाये गये विभव तथा सम्पत्ति पर कर वसूल करने का कार्य सौंप सकती है और उस दशा में {ग्राम पंचायत}⁵ का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निवासियों से उक्त कर वसूल करे तथा उगाही हुई धनराशियों को जिला निधि में जमा करे।

विश्व तथा सम्पत्ति कर की {ग्राम पंचायतों}³ के माध्यम से वसूली

करारोपण

123— (1) जब कोई {जिला पंचायत}¹ कर आरोपित कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेंगी—

करारोपण के लिये प्रारम्भिक प्रस्तावों का तैयार किया जाना

(क) कर जो धारा 119 में वर्णित करों में से कोई हो, या, जिसे वह आरोपित करना चाहे;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिन पर कर का दायित्व डाला जायगा तथा उस सम्पत्ति या अन्य कर-योग्य वस्तु या विभव का वर्णन, जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायगा, किन्तु जब कोई ऐसा वर्ग या वर्णन खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्गृह्य कर की मात्रा या दर;

(घ) धारा 140 में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसके निर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे।

(2) {जिला पंचायत}¹ उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी, जो वह धारा 140 में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाना चाहे।

(3) तत्पश्चात् {जिला पंचायत}¹ नियमों द्वारा नियत रीति से, उपधारा, (1) के अधीन तैयार किये गये, प्रस्तावों, और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप में नोटिस के सहित जो {जिला पंचायत}¹ विनियम द्वारा नियत करे, प्रकाशित करेगी।

124— (1) कोई व्यक्ति, जो सामान्यतया उस जिले में रहता हो या व्यवसाय करता हो, जिसके भीतर {जिला पंचायत}¹ कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किये गये सभी या किसी प्रस्ताव के विरुद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है और {जिला पंचायत}¹ इस प्रकार की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी।

प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 109 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 109 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 109 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 109 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 125—129}

(2) यदि {जिला पंचायत}¹ अपने प्रस्तावों को उसमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रलेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे यह व्यक्त हो कि वे प्रस्ताव तथा नियम, यदि कोई हो, आपत्तियों के लिये पूर्व प्रकाशित प्रस्तावों और नियमों का परिष्कार करके बनाये गये हैं।

(3) परिष्कृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में किन्हीं आपत्तियों पर उपधारा (1) में नियत रीति से कार्यवाही की जायेगी।

125— (1) जब {जिला पंचायत}¹ अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें, उनके संबंध में की गई आपत्तियों सहित यदि कोई हों, नियम प्राधिकारी को भेजेगी और वह उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को, यदि कोई हों, राज्य सरकार को भेजेगा।

राज्य सरकार का {जिला पंचायतों} के प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार

(2) उक्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार, जैसा वह अचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इंकार करने से इंकार कर सकती है या उन्हें और विचार के लिये {जिला पंचायत}¹ के पास भेज सकती है या उन्हें बिना परिष्कार किये स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है, जिनसे आरोपित की जानी वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो।

126— (1) जब राज्य सरकार ने धारा 125 की उपधारा (2) के अधीन {जिला पंचायत} के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो वह, {जिला पंचायत}¹ द्वारा भेजे गये नियमों के प्रलेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा 237 के अधीन कर के विषय में ऐसे नियम बनाना प्रारम्भ करेगी, जो वह उस समय आवश्यक समझे।

नियमों का राज्य, सरकार द्वारा बनाया जाना

(2) जब नियम बन जायें तो उनकी एक प्रति {जिला पंचायत}¹ को भेजी जायगी।

127—पूर्वगामी धारा के अधीन भेजी गयी नियमों के प्रति प्राप्त होने पर {जिला पंचायत}¹ विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से कर के आरोपण का निदेश देगी। उक्त दिनांक उस संकल्प के दिनांक से कम से कम छः सप्ताह बाद का होगा।

{जिला पंचायत}¹ का करारोपण निदेश देने का संकल्प

128— (1) {जिला पंचायत}¹ द्वारा धारा 127 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायगी।

करारोपण

(2) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 127 के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से करारोपण को गजट में विज्ञापित करायेगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए किया जायगा कि वह इस प्रकार विज्ञापित किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन करारोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

129— कर को समाप्त या निलंबित करने की, या धारा 123 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कर में परिवर्तन की प्रक्रिया यथासंभव वही होगी, जो धारा 123 से 128 तक में करारोपण के लिये नियत है।

करों के परिवर्तन की प्रक्रिया

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 130—132}

130— धारा 123 से 129 तक में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के संबंध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है, जो वह उचित समझे।

करों कुछ करो के संबंध में परिवर्तित या परिष्कृत प्रक्रिया

131— (1) {जिला पंचायत}¹, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस नियुक्ति का, जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है।

विमुक्ति

(2) {जिला पंचायत}¹ नियम प्राधिकारी द्वारा पुष्टीकृत विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

{131-क— कोई क्षेत्र पंचायत ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, निम्नलिखित का आरोपण कर सकती है —

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण

(क) जलकर, जहां वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिंचाई के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है;

(ख) विद्युतकर, जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है; और

(ग) कोई ऐसा कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।²

132— (1) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि {जिला पंचायत}¹ द्वारा आरोपित किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भारा न्यायसंगत नहीं है तो राज्य सरकार {जिला पंचायत}¹ के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा {जिला पंचायत}¹ से अपेक्षा कर सकती है कि वह, आदेश में निर्दिष्ट किये गये जाने वाले समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हो।

राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार

(2) यदि {जिला पंचायत}¹ राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिये जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाय, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 110 द्वारा बढ़ाई गई।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 133-137}

133— (1) {जिला पंचायत}¹ आदेश द्वारा धारा 121 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि —

दायित्व बतलाने का अभाव

(क) वह व्यक्ति उस कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या संपत्ति पर निर्धारित किया गया है:

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये: तथा

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अव्यासन में हो, वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता क्या है ?

(2) किसी अन्य कर के संबंध में {जिला पंचायत}¹ द्वारा लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कर का देनदार प्रतीत हो, ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है, जो नियम द्वारा नियत की जाय।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिये कहा गया हो वह, सूचना न दे या ऐसी सूचना दे, जो असत्य ही तो दोषी पाये जाने पर उस पर जुर्माना किया जा सकेगा जो {एक हजार रुपये}² तक हो सकता है।

134— धारा 222 में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायत} का अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और यदि संकल्प द्वारा वह तदर्थ प्राधिकृत हो तो {जिला पंचायत}¹ का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है।

निरीक्षण का अधिकार

135— (1) विभव तथा संपत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरुद्ध अपील नियत प्राधिकारी को उस रीति से की जा सकती है और उसके द्वारा उस रीति से निर्णीत की जायगी, जो नियमों द्वारा नियत की जाय।

कर के संबंध में अपील

(2) धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन {जिला पंचायत}¹ द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी, जिसे कर के निर्धारण या उसके निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरुद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णीत की जायगी।

136— ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायगी ओर न उस पर निर्णय दिया जायगा जब तक कि—

कालावधि तथा अभ्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना

(क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किये परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर, या यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के अधीन की गयी पहली मांग के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो: और

(ख) यदि अपील कर्ता ने अनर्हित धनराशि पचीस रुपये से अधिक हो तो ऐसी धनराशि का आधा भाग उसके द्वारा {जिला पंचायत}¹ के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।

137— (1) धारा 135 के अधीन की गयी किसी भी अपील में व्यय दिलाना, अपील का निर्णय करने वाले अधिकारी की स्वामित्व पर निर्भर होगा।

व्यय

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 138—140}

(2) इस धारा के अधीन {जिला पंचायत}¹ को दिलाया गया व्यय {जिला पंचायत}¹ द्वारा अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) यदि {जिला पंचायत}¹ अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने वाले आदेश की सूचना {जिला पंचायत}¹ को दिये जाने के दिनांक के बाद दस दिन के भीतर अदा न करे तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला-निधि की अवशिष्ट राशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

138— (1) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गयी हो, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के संबंध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किये या लगाये जाने के दायित्व के संबंध में आपत्ति न की जायगी।

कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा गणना या निर्धारण या निर्धारण के दायित्व या कराधान के संबंध में कोई आदेश पुष्टीकृत किया गया हो, अंतिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये वह वैध होगा कि वह आवेदन-पत्र दिये जाने पर या स्वतः अपने द्वारा अपील में दिये गये आदेश का, अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर एक और पारित करके पुनर्विलोकन करें।

139— कोई भी निर्धारण-सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या अन्य ऐसा लेख्य जो किसी कर, परिव्यय, किराये या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव को निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करता भावित हो, केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा संपत्ति, वस्तु या विभव के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई हो, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिक अशुद्धि है या उसके आकार में कोई दोष है अमान्य नहीं होगा और यह पर्याप्त होगा कि संबद्ध व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव, की पहचान के प्रयोजन के निमित्त पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी संपत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा।

व्यावृत्तियाँ

140— इस अधिनियम द्वारा तदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, निम्नांकित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे, अर्थात्—

निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के संबंध में नियम

(क) करों का निर्धारण और वसूली;

(ख) करापर्वचन की रोकथम;

(ग) पद्धति, जिसके अनुसार कर लौटाने की अनुज्ञा दी जायगी और उनका भुगतान किया जायगा;

(घ) विभव तथा संपत्ति पर करों के मध्य भुगतानों की मांग के नोटिस के लिये तथा अभिहरण के अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन के लिये शुल्क ;

(ङ) अभिहृत पशु धन के पोषण के निमित्त लिए जाने वाले व्यय की दरें; तथा

(च) करों से संबद्ध अन्य कोई विषय, जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था न की गयी हो या अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार राय में जिसके लिये व्यवस्था करना आवश्यक हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 141-145}

141— {जिला पंचायत}¹ विभव तथा संपत्ति पर कर से होने वाले अपनी आय (net proceeds) से जिले की {ग्राम पंचायतों}² की निधियों में ऐसी धनराशियां देगी, जो वह ऐसी प्रत्येक {ग्राम पंचायत}² की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें।

करों में {ग्राम पंचायतों}² का अंश

शुल्क और पथकर

142— (1) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, यथास्थिति, अपने में निहित या अपने प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल संपत्ति के—जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायगा।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की संपत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिये शुल्क

(2) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उद्ग्रहीत किये जा सकते हैं, जो धारा 143 के अधीन स्वीकृत, लाइसेंस या अनुमति के निमित्त लिये जाते हैं या अध्याय 8 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

143— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी ऐसे लाइसेंस, स्वीकृति या अनुमति के लिए, जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत करना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है, जो उपविधि द्वारा निश्चित किया जायगा।

लाइसेंस शुल्क आदि

144— राज्य सरकार की पूर्व से, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण-कार्यों या संस्थाओं में से किसी या किन्हीं ऐसे कार्यों के जो मूलतः दुर्भिक्ष-निवारण या सहायता-कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हों, प्रयोग के लिये या उनसे होने वाले लाभों के लिए शुल्क, सांडो तथा बीजाश्वों की सेवा और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिए शुल्क—ऐसे मेलों, बाजारों कृषि-प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिये शुल्क चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हो या अन्यथा, जिनमें जन-साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिन में {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ सर्वसाधारण के लिये सफाई संबंधी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो, तथा {जिला पंचायत}¹ का या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा निर्मित, मरम्मत किये गये या अनुरक्षित पुलों के प्रयोग के लिये पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्ग्रहीत कर सकती है :

कुछ अन्य शुल्क

प्रतिबन्ध यह है कि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ उन पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क निश्चित या उद्ग्रहीत न करेगी, जो उसमें निहित न हों।

145— राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथ-करों में से एक या अधिक आरोपित कर सकती है:-

बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथ कर

(क) ऐसे बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेन्स शुल्क ;

(ख) बिक्री के लिये ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लहू पशुओं या कुलियों पर पथ-कर;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 112 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 146—151}

(ग) ऐसे बाजार में बिक्री के लिये माल प्रदर्शित करने के अधिकार के लिये या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिये बाजार शुल्क ;

(घ) ऐसे बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क।

146— धारा 144 तथा 145 में उल्लिखित जिन शुल्कों और पथकरों का भुगतान न किया गया हो वे अध्याय 8 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

धारा 144 तथा 145 के अधीन लगाये गये शुल्कों तथा पथकरों की वसूली रीति

अध्याय—8

करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली

147— जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, धारा 148 में उल्लिखित कर तथा अन्य देय {जिला पंचायत}¹ द्वारा आगे व्यवस्थित रीति से बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distrain) तथा बिक्री कर के वसूल किये जा सकते हैं।

करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति

148— (1) जैसे ही कोई व्यक्ति—

बिल का प्रस्तुत किया जाना

(क) {जिला पंचायत}¹ द्वारा आरोपित किसी कर के मध्य किसी धनराशि का, अथवा

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अथवा नार्दर्न इण्डिया फेरीज ऐक्ट, 1878 के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, {जिला पंचायत}¹, यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी,

ऐक्ट संख्या 17, 1878

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

149—प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी—

बिल में निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें

(क) अवधि जिसके लिये, तथा सम्पत्ति व्यवसाय, विभव अथवा वस्तु, जिसके सम्बन्ध में धनराशि मांगी गयी हो,

(ख) शास्ति, जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी, और

(ग) धारा 136 की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, की जा सकती हो।

150— यदि वह धनराशि, जिसके लिये, पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर {जिला पंचायत}¹ के कार्यालय में अथवा उस व्यक्ति को, जो विनियम द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया हो अदा न की जाय, तो {जिला पंचायत}¹ उक्त धनराशि के लिए देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो {जिला पंचायत}¹ विनियम द्वारा नियत करे, मांग का एक नोटिस तामील करवा सकती है।

मांग की नोटिस

151— (1) यदि उक्त धनराशि का देनदार व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर—

अधिपत्र का जारी किया जाना

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि अदा न करे, या

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 152—153}

(ख) {जिला पंचायत}¹ के या ऐसे अधिकारी के, जिसे {जिला पंचायत}¹ इस सम्बन्ध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बताये कि वह धनराशि क्यों अदा न करे,

तो ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण व्यय सहित {जिला पंचायत}¹ द्वारा ऐसे आकार में, जो {जिला पंचायत}¹ विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसे {जिला पंचायत}¹ ने विनियम द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो।

152— {जिला पंचायत}¹ के किसी ऐसे अधिकारी के लिये, जिसे धारा 151 के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खेले अन्यथा नहीं—

अधिपत्र के निष्पादन के लिये बलात प्रवेश

(क) यदि अधिपत्र में कोई एक सा विशेष आदेश हो, जिसके द्वारा उसे तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है, जो अधिपत्र के अधीन अभिगृहीत की जा सकती है, तथा

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिये यथाविधि अनुमति मांगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सके :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं करेगा और न उसके दरवाजे को जोड़ेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री को, जो उसके भीतर हों, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

153— (1) धारा 152 में उल्लिखित अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह किसी बाकीदार की चल सम्पत्ति का, ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहां कहीं भी वह पाई जाय, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अभिहरण करे।

अधिपत्र के निष्पादन की रीति

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नहीं किया जायगा—

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे, और उसके खाना बनाने के आवश्यक बर्तन;

(ख) कारीगरों के औजार;

(ग) लेखा पुस्तकें;

(घ) जब बाकीदार खेतिहर (Agriculturist) हो तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज तथा ऐसे पशु, जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हों।

(3) अभिहरण अत्यधिक न होगा अर्थात् अभिहरण की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी, जो अधिपत्र के अधीन वसूल की जानी है, यदि किन्हीं ऐसी वस्तुओं का अभिहरण किया गया हो, जिनका धारा 151 की उपधारा (2) द्वारा उसके अधीन अधिपत्र में हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहिये था, वे सभी वस्तुएं तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 154-156}

(4) सम्पत्ति का अभिग्रहण करके अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनायेगा और उसे हटाने के पूर्व, अभिग्रहण के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची की अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत एक प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस कि उक्त सम्पत्ति विनियम द्वारा नियत करे, देगा।

154— (1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली हो अथवा यदि वसूल की जाने वाली धनराशि से मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भवाना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी, जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर किये हों, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई थी, परन्तु इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेचे दी जायगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, तब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा कर दी जाय।

अधिपत्र के अधीन वस्तुओं का विक्रय तथा विक्रय धन की प्रयुक्ति

(2) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन तुरन्त न बेच दी गई हो, तो वह या उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादिन करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर {जिला पंचायत}¹ के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है; जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा, जिसने उसमें हस्ताक्षर किये थे निलम्बित न कर दिया जाय या बकीदार द्वारा देय धनराशि नोटिस, अधिपत्र और अभिग्रहण तथा सम्पत्ति के निरोध सम्बन्धी सभी आनुषंगिक व्ययों सहित अदा न कर दी जाय।

(3) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का कमीशन काटकर धनादेश द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायगी, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी। यदि इस प्रकार भेजी गई धनराशि डाक-घर द्वारा {जिला पंचायत}¹ को लौटा दी जाय, तो उसे जिला निधि में जमा कर दिया जायगा और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस व्यक्ति को दे दिया जायगा, तथा यदि नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर {जिला पंचायत}¹ को आवेदन-पत्र देकर उक्त धनराशि की मांग की जाय तो वह धनराशि उस व्यक्ति को लौटा दी जायगी। कोई धनराशि, जिसके लिये उक्त नोटिस के तामील के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाय, {जिला पंचायत}¹ की सम्पत्ति हो जायगी।

155— (1) यदि किसी बाकीदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मैजिस्ट्रेट {जिला पंचायत}¹ के आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकता है—

ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशामें प्रक्रिया

(क) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिग्रहण तथा बिक्री; अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र के भीतर स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में, वह अन्य मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवायेगा तथा वसूल की गई धनराशि को अधिपत्र जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट को भिजवायेगा जो कि उसे {जिला पंचायत}¹ को भेज देगा।

156— धारा 150 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक तथा धारा 153 या 155 के अधीन किये गये अभिग्रहण का आदेशिका शुल्क तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का व्यय, उन दरों से लिये जायेंगे, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित हो और उन्हें धारा 151 के अधीन उद्ग्राह्य वसूली के व्यय में सम्मिलित कर लिया जायगा।

शुल्क और व्यय

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 157-163}

157— बिल, नोटिस, अभिहरण-अधिपत्र, सूची अथवा ऐसे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनाधिकार प्रवेश समझा जायगा।

व्यावृत्ति

158— (1) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले अथवा मांगी गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल न कर सकने की दशामें, {जिला पंचायत}¹ उस धनराशि के देनदार व्यक्ति के विरुद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद ला सकती है।

वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार

(2) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के बकाये की दशा में {जिला पंचायत}¹ धारा 148 के या इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए, उसे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

159— यदि {जिला पंचायत}¹ में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा {जिला पंचायत}¹ को लगान या किराये के मध्य कोई धनराशि देय हो, तो {जिला पंचायत}¹ तदर्थ बनाए गए नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए, ऐसे किसी बकाये की मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

भूमि के किराये की वसूली

160— {जिला पंचायत}¹ में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा {जिला पंचायत}¹ को लगान या किराये के मध्य देय कोई बकाया धारा 148 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायगा।

अन्य अचल सम्पत्ति के लिये लगान या किराये की वसूली लगान या किराये की वसूली

161— इस अधिनियम के अधीन या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायगी।

{क्षेत्र पंचायत}¹ की देय धनराशियों की वसूली

अध्याय 9

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों अदि के सम्बन्ध में अधिकार और शक्ति इमारतों का विनियमन

162— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए —

परिभाषा

(क) “समुपयुक्त प्राधिकारी” का तात्पर्य {क्षेत्र पंचायत}¹ से होगा, यदि विषय {क्षेत्र पंचायत}¹ के कृत्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तथा अन्य दशाओं में {जिला पंचायत}¹ से होगा।

(ख) क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र भी है, “{क्षेत्र पंचायत}¹” का तात्पर्य उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली {क्षेत्र पंचायत}¹ से होगा।

163— (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर विपरीत प्रभव डाले बिना, इस अध्याय की धारा 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 209, 213 और 216 के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो {जिला पंचायत}¹ द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों।

इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 164—165}

(2) {जिला पंचायत}¹ संकल्प द्वारा घोषित कर सकती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित धाराओं के या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया गया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और वह क्षेत्र “नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र” कहलायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प के सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियम की जाय।

164— (1) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुएं को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम या {जिला पंचायत}¹ द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जायगा और उसका आरम्भ तब तक न किया जायगा जब तक कि {क्षेत्र पंचायत}¹ को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे व्योरे सहित, जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, कम से कम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में दे दिया गया हो।

इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा

(2) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायगा यदि—

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल—निस्तारण संवातन (ventilatic) स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो; या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या घन धारिता बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की घन—धारिता किसी उपविधि द्वारा नियम न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो; या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाय; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो, जो तदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो।

निर्माण—कार्य की {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

165— (1) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी ऐसे निर्माण—कार्य के लिए, जिसके संबंध में धारा 164 के अधीन नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इंकार कर सकती है या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुए स्वीकार कर सकती है—

{क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे {क्षेत्र पंचायत}¹ धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक ‘क’ के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के संबंध में देना उचित समझे, या

(ख) ऐसा लिखित निदेश जिसमें किसी इमारत या इमारत के भाग की धारा 191 के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण रेखा तक या ऐसी रेखा के नियत न होने की दशा में किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 166—169}

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इनकार करने की दशा में, {क्षेत्र पंचायत}¹ धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप से सूचना देगी।

(3) यदि {क्षेत्र पंचायत}¹ धारा 164 के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद एक मास तक उस नोटिस के संबंध में उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उसे उस व्यक्ति के पास, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुंचाने में उपेक्षा या में चूक करे तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा {क्षेत्र पंचायत}¹ का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है, और यदि, ऐसी उपेक्षा या चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायगा कि {क्षेत्र पंचायत}¹ में, प्रस्तावित निर्माण कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

166— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 165 के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिये, जो उपविधि द्वारा नियत की जाय, मान्य रहेगी।

स्वीकृति की अवधि

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण-कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।

167— प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी और, यदि {क्षेत्र पंचायत}¹ के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो तो {क्षेत्र पंचायत}¹ का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण-कार्य का, जिसके संबंध में धारा 164 के अधीन नोटिस अपेक्षित हो—

ऐसे निर्माण-कार्यों का निरीक्षण, जिनके लिये स्वीकृति अपेक्षित हो

(क) जब निर्माण-कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति को महीने के भीतर, या ऐसा प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण-कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

168— धारा 108 के किसी बात के होते हुए भी, धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 165 के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि—

धारा 165 के अधीन दिए गए आदेश के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न किसी कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण-कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जन-साधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये हानिकर होगा, या

(ख) उक्त आदेश में धारा 165 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(ग) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुनर्निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से इंकार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या वह अपने प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत है, जो उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या उससे धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (घ) के अधीन का उल्लंघन होता है।

169— (1) धारा 165 के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति उस व्यक्ति को, जिसे स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जाय, किसी ऐसे शास्ति या फल से विमुक्त करने के अतिरिक्त, जिसका वह धारा 170, 171 या 191 के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त न करेगी, न प्रतिष्टम्भ (estoppel) अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न सम्पत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधिक प्रभाव ही होगा।

धारा 165 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 170—174}

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा 181 द्वारा आरोपित इस आभार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिए अलग स्वीकृति प्राप्त करे।

170— जो व्यक्ति धारा 164 द्वारा अपेक्षित नोटिस, दिए बिना या धारा 165 के उपबन्धों का, या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने के आदेश का, या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 165 के अधीन दिए गए किन्हीं लिखित निदेशों का या किसी उपविधि का उल्लंघन न कर के इमारत या इमारत के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, या कोई कुंआ बनाना या उसे बड़ा करना आरम्भ करे, जारी रखे या उसे पूरा करे, तो वह दोषी पाए जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है।

इमारत का अवैध निर्माण या परिवर्तन

171— {क्षेत्र पंचायत}¹, किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी की उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुंआ बनाने या उसे बड़ा करने से रोकने का निदेश दे सकती है, जब वह यह समझे कि ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, बनाया जाना या बड़ा किया जाना धारा 170 के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह, यथास्थिति, इमारत या इमारत के भाग या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिराने का, जैसा भी वह आवश्यक समझे, निदेश दे सकती है।

निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार

सार्वजनिक नालियां

172— {क्षेत्र पंचायत}¹ नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियां बना सकती है जिन्हें वह किसी बने हुए क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी सड़क या स्थान के बीच से या, उसके आर-पार या उसके नीचे से ले जा सकती है, तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्हीं इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती है :

सार्वजनिक नालियां

प्रतिबन्ध यह है कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उक्त स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जायगा।

173— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹ समय-समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बड़ा या छोटा कर सकती है, या उसके मार्ग को बदल सकती है, उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को बन्द कर सकती है या हटा सकती है।

सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब {क्षेत्र पंचायत}¹ उक्त अधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली की व्यवस्था करेगी।

174— (1) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियां {क्षेत्र पंचायत}¹ की नालियों में गिरने का अधिकार होगा :

सार्वजनिक नाल उपयोग स्वामियों द्वारा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले {क्षेत्र पंचायत}¹ की लिखित अनुमति प्राप्त कर ले, और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तों का अनुपालन करे, जिन्हें {क्षेत्र पंचायत}¹ उस रीति तथा उस अधीक्षण के संबन्ध में नियत करे जिसमें या जिसके अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार निहित हुई नालियों से मिलाया गया।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 175—176}

(2) जो व्यक्ति {क्षेत्र पंचायत}¹ की लिखित अनुमति के बिना या किसी उपविधि या उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित किसी नाली से जोड़े या जुड़वाये या ऐसे किसी जोड़ में परिवर्तन करे या करवाये तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है, तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड़ को बन्द करने, तोड़ देने, परिवर्तित करने, पुनर्निर्मित करने या उस सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाही करने का अपेक्षा कर सकती है, जो वह उचित समझे।

सड़क संबंधी विनियम

175— उस दशा को छोड़कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त न की गई हो, उक्त भूमि या उसके किसी भाग को इमारत बनाने के स्थल के रूप में प्रयुक्त करना, बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा संक्रामित करना चाहे, तो वह उक्त स्थल को प्रयुक्त करने, बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा संक्रामित करने के पूर्व एक ऐसी सड़क का विन्यास और निर्माण करेगा जो उक्त स्थल की किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सड़क से मिलाये।

ऐसे स्थल पर, जो कि सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ न हो इमारत का निर्माण करने के पहले सड़क का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध

176— (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी नई निजी सड़क का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिये {क्षेत्र पंचायत}¹ को एक प्रार्थना-पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा—

सड़क के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति

(क) सड़क की प्रस्तावित सतह, दिशा तथा चौड़ाई;

(ख) सड़क का समरेखाकरण (alignment) और उसकी निर्माण-रेखा, तथा प्रार्थना-पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सड़क की समतल करने, उसमें खडंगा लगाने, उसे पक्का करने, उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियां और नालियां बनाने के लिये क्या प्रबंध किया जायगा।

(2) किसी सार्वजनिक सड़क की सतह और चौड़ाई तथा उससे लगी हुई किसी इमारत की ऊंचाई के संबंध में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के उपबन्ध, उपधारा (1) में उल्लिखित सड़क के विषय में भी प्रवृत्त होंगे तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण {क्षेत्र पंचायत}¹ के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर {क्षेत्र पंचायत}¹ सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तों के अधीन देगी, जिन्हें लगाना वह ठीक समझे, या उसे अस्वीकृत कर देगी, अथवा निर्दिष्ट किये गये समुचित समय के भीतर उसके संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है यदि—

(1) प्रस्तावित सड़क से किन्हीं ऐसे प्रबन्धों में बाधा पड़े, जो सड़क में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये, किये गये हो या {क्षेत्र पंचायत}¹ की राय में जिसके किये जाने की संभावना हो, अथवा

(2) प्रस्तावित सड़क उपधारा (2) में उल्लिखित अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, अथवा,

(3) प्रस्तावित सड़क की प्ररचना ऐसी न हो, जिसका कम से कम छोर एक सार्वजनिक सड़क से मिले।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 177—180}

(5) कोई व्यक्ति, {क्षेत्र पंचायत}¹ के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अनुरूप किसी नई निजी सड़क अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नहीं करेगा। यदि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना मांगी गई हो, तो उक्त सड़क का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नहीं किया जायगा जब तक कि उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् प्रार्थना-पत्र पर आदेश न दे दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि {क्षेत्र पंचायत}¹ को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात् जिसे वह प्रार्थना-पत्र के अंतिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझो, ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक विलम्ब नहीं किया जायगा।

177— यदि {क्षेत्र पंचायत}¹ धारा 176 के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन तक स्वीकृति प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित्त उक्त धारा को उपधारा (3) के अधीन आदेश दिया गया हो तो, उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना-पत्र दिया हो, {क्षेत्र पंचायत}¹ अपेक्षित सूचना के ब्यौरे भेजने में असफल रहे, तो ऐसा व्यक्ति लिखित-पत्र द्वारा समिति का ध्यान उक्त उपेक्षा, चूक अथवा असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा चूक या असफलता जारी रहे तो यह समझा जायगा {क्षेत्र पंचायत}¹ ने प्रस्तावित सड़क के विन्यास तथा निर्माण के लिये पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है :

कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के लिये {क्षेत्र पंचायत}¹ की स्वीकृति का मान लिया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि इसने दी हुई किसी बात से यह अर्थ न निकाला जायगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करके कोई कार्य करने का अधिकारी दिया गया है।

178—(1) {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 176 तथा 177 के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

स्वीकृति को अवधि

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति बिना आरम्भ नहीं की जायगी।

179— जो व्यक्ति धारा 176 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा धारा 177 या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उल्लंघन करके किसी सड़क का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ कर, उसे जारी रखे अथवा पूरा करे, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

सड़क का अवैध निर्माण

180—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 176 में उल्लिखित किसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण, {क्षेत्र पंचायत}¹ के आदेशों के बिना अथवा उनके अनुरूप करता है तो {क्षेत्र पंचायत}¹ इस बात के होते हुए भी की दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा—

अस्वीकृत सड़क की परिवर्तित करने तथा उसे तोड़ देने की संबंध में अधिकार

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, {क्षेत्र पंचायत}¹ के पास लिखित एवं अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत उत्तर प्रदेश भेजकर, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उस सड़क को {क्षेत्र पंचायत}¹ के संतोषानुसार क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सड़क न तोड़ दी जाय अथवा

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 181—183}

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायं, {क्षेत्र पंचायत}¹ के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताये :

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो क्षेत्र समित के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो {क्षेत्र पंचायत}¹ सड़क को परिवर्तित करने अथवा तोड़ देने के लिये, जो भी वह उचित समझें, आदेश दे सकती है।

181— (1) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिनमें किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृति की शर्तें नियम की गई हो {क्षेत्र पंचायत}¹ उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गयी हो—

सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये {क्षेत्र पंचायत} की स्वीकृति

(क) सड़कों में या उन पर स्थित इमारतों के स्वाम अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों, छज्जों, या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार करे कि उनकी किसी ऊपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सड़क की सतह से उतनी ऊंचाई पर रहे और इमारत की कुर्सी या नींव की दीवार क रेखा से उतना ओगे रहे जितना उक्त उपविधियों में नियम किया गया हो;

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार करे कि वह किसी सड़क की नाली के ऊपर उस आयति तक तथा उन शर्तों के अनुसार, जो उसी प्रकार नियत की गयी हो, लटके, बड़े या उस पर अतिक्रमण करे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुमति देते समय {क्षेत्र पंचायत}¹ वह आयति और शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन उक्त सड़क के ऊपर कोई छतों, ओलतियों, जल-फलकों (weather boards), दुकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सड़क पर बढ़ने की अनुमति हो।

182— जो व्यक्ति धारा 181 में उल्लिखित किसी प्रक्षेप अथवा संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके अधीन दी गई किसी अनुमति का उल्लंघन कर के करे, वह दोषी पाए जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है।

बिना अनुमति के सड़कों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति

183— {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सड़क पर व लटकने वाले, उस पर बड़े हुए या उस पर अतिक्रमण करने वाले अथवा उस पर की किसी नाली, मल नाले अथवा जल-प्रणाली में, या उस पर या उसके ऊपर, बने हुए किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करें :

सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथवा संरचना की दशा में, {क्षेत्र पंचायत}¹ उसे हटाने अथवा उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने के व्यय के तिगुने से अधिक न होगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 184-187}

184— (1) यदि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई निजी सड़क अथवा उसका कोई भाग {क्षेत्र पंचायत}¹ के संतोषानुसार समतल न किया गया हो या उसमें खंडजा न लगाया गया हो या उसको पक्का न किया गया हो या उसमें पत्थर न लगाये गये हो या मोरियों या नालियों की व्यवस्था न की गयी हो तो {क्षेत्र पंचायत}¹ उन भूगृहादि के, जिनके अग्रभाग उक्त सड़क या भाग की ओर हों या जो उससे लगे हुए हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों को नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे कार्य को, जो उसकी राय में आवश्यक हो, उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय संपादित करें।

सड़कों के समतल किये जाय तथा उनमें खंडजा लगाने जाने आदि क अपेक्षा करने का अधिकार

(2) यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाय तो {क्षेत्र पंचायत}¹, यदि वह उचित समझे, उसे संपादित कर सकती है, तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों से अध्याय 8 के अधीन उनके अपने-अपने भू-गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो {क्षेत्र पंचायत}¹ निश्चित करे, वसूल किया जायगा।

(3) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन कोई सड़क समतल की गयी हो या उसमें खंडजा लगाया गया हो या वह पक्की की गयी हो या उसमें पत्थर लगाये गये हों या मोरियां तथा नालियां बनाई गयी हों तो ऐसी सड़क घोषित कर दी जायगी।

185— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹ की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड़ या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा न किसी इमारत या उसके भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण करेगा, या उसे गिरायेगा, न किसी इमारत के बाहरी भाग में परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सड़क का अपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश अथवा अवरोध, खतरे या क्लेश का संकट पैदा हो।

इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की अपेक्षा करने का अधिकार

(2) {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उक्त कार्य को आरम्भ न करे अथवा उसे जारी रखने से रूका रहे जब तक कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसी बाड़ा अथवा पर्दा, जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हों, न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनको व्यवस्था न करे और वह किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकती है कि उक्त कार्यों में से किसी कार्य की प्रत्याशा से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़ों की नोटिस में नियत समय के भीतर, हटा दे।

(3) जो व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोषी पाये जाने पर अर्ध-दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपया तक हो सकता है तथा प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंघन जारी रहे, अतिरिक्त अर्धदण्ड का भागी होगा जो पांच रुपया तक हो सकता है।

186— {क्षेत्र पंचायत}¹, नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को या उस पर उगे पेड़ों की ऐसी शाखाओं को, जो सड़क के ऊपर लटकती हों और उसे अवरुद्ध करती हों, या खतरा पैदा करती हों, काटे या छांटे।

झाड़ियों और पेड़ों को छांटने की अपेक्षा करने का अधिकार

187— जब कोई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ और सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को रोक ले, तो {क्षेत्र पंचायत}¹ ऐसे अवरोध या रोक (encumbrance) को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकती है और उस व्यय को अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

आकस्मिक अवरोधों हटाने का अधिकार

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 188—189}

188— {क्षेत्र पंचायत}¹, नोटिस द्वारा सड़क से लगी हुई किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासो से अपेक्षा कर सकती है कि वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसकी ऐसी रीति से जिसे {क्षेत्र पंचायत}¹ ठीक समझे, निकासी के लिये, जल प्रणालियों तथा पाइपों की व्यवस्था करे और उन्हें अच्छी दशा में रखे जिससे की सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो।

किसी सड़क को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियाँ तथा नाली के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन

सार्वजनिक सड़कें

189— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ —

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, अनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार

(क) किसी नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगें तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है;

(ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को, यदि वह, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित हो, चौड़ी, लम्बी, विस्तृत या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है;

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, मोड़, बदल या रोक सकती है अथवा उसे बन्द कर सकती है;

(घ) स्वमति से उतनी लम्बाई—चौड़ाई के जो वह उचित समझे निर्माण—स्थलों के व्यवस्था कर सकती है जो किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क से लगे हुए या उसके पार्श्वस्थ हो, जो {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित अथवा चौड़ी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गई हो अथवा सुधारी गई हो;

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्तें नियत की गयी हो, जिन पर {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा संपत्ति अर्जित की जा सकती हो, किसी ऐसी भूमि को, उस पर स्थित इमारतों सहित जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ में ली गई अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबन्ध करके अथवा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1994 या अन्य किसी विधि के अधीन अर्जित कर सकती है; तथा

ऐक्ट सं. 1, 1894

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्तें नियत की गयी हों, जिन पर {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित संपत्ति संक्रामित की जा सकती हो, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा खण्ड (ङ) के अधीन अर्जित किसी संपत्ति को अथवा {जिला पंचायत}¹ या समिति द्वारा सार्वजनिक सड़क के रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गयी हो, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है अथवा अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकती है, और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत की हटाने, उस प्रकार बनायी जाने वाली किसी नयी इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में जो वह उचित समझे, कोई शर्त लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ या किसी भी दशा में, उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसको अतिक्रमण नहीं करेगी।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 190—191}

190— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹, किसी भी समय, किसी सड़क पर, जो सार्वजनिक सड़क न हो अथवा ऐसी सड़क के किसी भाग पर, सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और धारा 184 की उपधारा (3) के अधीन अध्यर्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगी। उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर उस सड़क के, अथवा सड़क के उक्त भाग के, अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी उक्त नोटिस के विरुद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹ को संबोधित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। {क्षेत्र पंचायत}¹ प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकार कर दे तो वह सड़क या उस भाग पर एक और सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है।

किसी सड़क का सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय पत्राचार-पत्र में, यदि कोई हो, अथवा ऐसी अन्य रीति से जो {क्षेत्र पंचायत}¹ उचित समझे, प्रकाशित किया जायगा।

(3) {जिला पंचायत}¹ भी इस धारा के अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसी सड़क या सड़कों के भाग के संबंध में कर सकती है, जिसे वह जिला सड़कों में सम्मिलित करना चाहती हो।

191— (1) जब कभी समुपयुक्त प्राधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क के दोनों अथवा किसी ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझे, तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा।

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायगी, जिसके भीतर आपत्तियां ली जायंगी।

(3) समुपयुक्त प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सब आपत्तियों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त रेखा को परिभाषित करते हुए संकल्प पारित कर सकता है तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा “सड़क की नियमित निर्माण रेखा” कहलायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार परिभाषित सामान्य निर्माण रेखा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं के समनरूप होगी।

(4) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिये किसी इमारत या इमारत के भाग का पुनर्निर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा, कि वह सड़क की नियमित निर्माण रेखा के आगे बढ़ जाये, जब तक कि उस धारा 165 के अधीन स्वीकृत द्वारा या लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार न दे दिया हो, और समुपयुक्त प्राधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है।

(5) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसने परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, समुपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोक के जाने के कारण उसे पहुंचे तथा सड़क की नियमित निर्माण रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायगी।

(6) समुपयुक्त प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन उपधारा (4) का उल्लंघन करके किया गया हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 192-194}

192— (1) समुपयुक्त प्राधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क या अपने में किसी निहित जल-मार्ग, नाली या भू-गृहादि के निर्माण या मरम्मत के दौरान में या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सड़क, जल-मार्ग या भू-गृहादि, मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जनसाधारण द्वारा उपयोग के लिये असुरक्षित हो गये हों, तो दुर्घटना से बचाव के लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा —

(क) पार्श्वस्थ इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रखा करके;

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी ओर मोड़ने के प्रयोजन से किसी सड़क में या उसके आर-पार आड़, जंजीरें या खंभें लगाकर; तथा

(ग) किसी कार्य की जा रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके।

(2) जो व्यक्ति समुपयुक्त, प्राधिकारी के प्राधिकार या सम्मति के बिना, समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्माण के संबंध में या दुर्घटना से बचाव के लिये किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है।

जल-संभरण स्रोतों की रक्षा

193— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹ ऐसे किसी निजि जल-मार्ग, स्रोत, तालाब, कुएं या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है और जब {जिला पंचायत}¹ ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय-समय पर उस में से तलछट, कूड़-करकट या सड़ने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे, तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो {क्षेत्र पंचायत}¹ उचित समझे।

नीजि जल-मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार

(2) जब किसी ऐसे जल-मार्ग, स्रोत, तालाब, कुएं या अन्य स्थान का पानी {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के लिये उपयोग में लाया जाय तो यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, से नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी रूप से बन्द करने की या ऐसे जल-मार्ग, स्रोत, तालाब, कुएं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकती है, जिसका वह निर्देश दे, जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में न लाया जा सके।

194— जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में हैजा या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामक रोग जाने की दशा में, {जिला पंचायत}¹ का अध्यक्ष या {क्षेत्र पंचायत}¹ का प्रमुख या उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति, महामारी के फैले रहने की अवधि में, बिना नोटिस के और किसी भी समय किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान का, जिसमें से पानी पीने के लिये लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

महामारी फैलने पर आपातक अधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 195—198}

195— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी से, जिनकी भूमि पर किसी स्रोत, कुएं, तालाब, जलाशय या अन्य स्रोत जिसमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो या निकाला जा सकता हो के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, सण्डास, शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या गलीज या कूड़ा-करकट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा देया बन्द करे दे।

जलसम्भरण के किसी स्रोत के निकट से शौचालय आदि का हटाया जाना

196— (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की लिखित अनुमति के बिना, किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ में निहित किसी जल-कार्य के ऊपर कोई सड़क बनायी गयी हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹—

नाली या जलकार्य के ऊपर बनधिकृत निर्माण आदि

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी हो संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनायी गयी हो संरचना का निर्माण किया गया हो, या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, संरचना या पेड़ को हटा दे या उसके संबंध में कोई अन्य कार्यवाही करे जो, यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ उचित समझे, अथवा

(ख) सड़क संरचना या पेड़ की स्वयं हटा सकती है या उसके संबंध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के ऊपर {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा किया गया कोई व्यय अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी हो संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो।

बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

197— (1) {क्षेत्र पंचायत}¹, जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से, बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वध के लिये नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में भू-गृहादि निश्चित कर सकती है तथा उसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है और वापस ले सकती है।

बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान

(2) जब ऐसे भू-गृहादि निश्चित कर दिये गये हों, तो कोई व्यक्ति उक्त भू-गृहादि से दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे पशु का वध न करेगा।

(3) जो व्यक्ति दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में ऐसे पशु का बिक्री के प्रयोजनार्थ वध करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो इस प्रकार वध किये गये प्रत्येक पशु के लिये बीस रुपये तक हो सकता है।

198— जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मण्डल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियम कर सकती है तथा वह रीति, जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे पशु वध-स्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायगा, नियत कर सकता है।

ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में, जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायगा जिला मैजिस्ट्रेट का अधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 199—202}

199— जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रह गया हो अथवा जिसे भोजन के लिये उपयोग में लया जा सकता हो, गन्दे या हानिकारक पदार्थ खिलाये या खिलाये जाने दे वह दोषी पाये जाने पर अर्धदण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है।

दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं के अनुपयुक्त भोजन देना

स्पष्टीकरण— गन्दे अथवा हानिकारक भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो नियमों में नियत किसी प्राधिकारी द्वारा तथा रीति के अनुसार गन्दा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो।

200— अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, {जिला पंचायत}¹ का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत {क्षेत्र पंचायत}¹ का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में किसी भी समय, किसी ऐसे बाजार, दुकान, स्टाल अथवा स्थान में, जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये, अथवा वधशाला के रूप में, अथवा भेषजों की बिक्री के लिये प्रयुक्त होता हो, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भोज्य अथवा पेय पदार्थ का अथवा किसी पशु अथवा भेषज का, जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है।

भोजन पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण

201— (1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भेष्य अथवा पेय पदार्थ अथवा कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत किन्तु तदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है या उसे नष्ट करवा सकता है या उसके इस प्रकार निस्तारण करवा सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभोग के लिये प्रदर्शित न किया जा सके।

असवस्थकर वस्तुओं का अभिग्रहण किया हवे या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव भेषजों का हटाया जाना

(2) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसका प्रभाव बदल गया है या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को, जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो यह प्रतीत हो कि उसमें अपमिश्रण किया गया है या वह पूर्वोक्त रूप से गतप्रभाव अस्वास्थ्यकर या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे आदेश दे सकता है और यदि वह प्रकट हो कि कोई अपराध किया गया है तो वह उसका संज्ञान करने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

202— (1) यदि {जिला पंचायत}¹ के संतोषानुसार यह दिखया जाय कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान से, जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण संग्रह, किया या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्टरी या कारोबार के अन्य स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करने का आशय रखता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत, प्रयोग के कारण लोक संकट पैदा करता है या उसके पैदा होने की संभावना है, तो {जिला पंचायत}¹ अपने विकल्प से उस इमारत या स्थान के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह—

क्षोभकर व्यापारों का विनियमन

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 203—204}

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग न करे या न करने दें, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर या ऐसे सरंचनात्मक परिवर्तनों के पश्चात् प्रयोग करे या प्रयोग करने दे, जो {जिला पंचायत}¹ ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त इमारत या स्थान के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में नियत करे।

(2) जो व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात् किसी इमारत अथवा स्थान का नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे वह दोषी पये जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत अथवा स्थान का इस प्रकार प्रयोग कर अथवा प्रयोग करने दे, अतिरिक्त अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो चालीस रुपये तक हो सकता है।

203— जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में, सड़क पर कोई वाहन हांकने, ले जाने अथवा चलाने में वास्तविक आवश्यकता की दशा से अन्यथा—

पथ नियम की उपेक्षा

(क) बायीं ओर न रहे; अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसके दाहिनी ओर न रहे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा जो दस रुपये तक हो सकता है।

अपवाद— यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड मण्डलों के जिलों में प्रवृत्त न होगी न उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोक्त व्यतिक्रम मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 ई. की धारा 121 के अधीन दण्डनीय अपराध हो।

204— (1) जब जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरे के निवारणार्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो {क्षेत्र पंचायत}¹ सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों को किसी मकान, इमारत, या स्थान में जो नोटिस में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा चटाइयां या फूस की झोपडियां रखन या आग जलाने का निषेध कर सकती है।

प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में रखे गए ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी देने का अधिकार

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निषेध का उल्लंघन करके या उपधारा (1) के किसी या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखे जाने के अनुज्ञात परिणाम से अधिक परिणाम से अधिक परिमाण में, सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का संग्रह रखे जाने या किये जाने का सन्देह हो तो मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत {जिला पंचायत}¹ का कोई अधिकारी अथवा सेवक बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा उसका निरीक्षण कर सकता है।

(3) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिमाण में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाय तो, ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे, उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकता है।

(4) यदि मैजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा स्थान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 205—208}

(5) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा तदधीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए अस प्रकार जब्त किया गया पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुए व्यय की अदायगी के बाद जिला निधि में जमा की जायगी।

205— धारा 204 के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा, जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने या करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती हों।

अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद

206— (1) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड्गे नाल के पत्थर या अन्य सामग्री या उसकी मेड़ों, दीवारों या खम्भों या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की वही स्थित ऐसी अन्य सम्पत्ति को, यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

खड्गों आदि को हटाना

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के किये जाने के कारण {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है।

207— जो व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आगा के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले, जिससे पास से निकलने वाले या पास-पड़ोस में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिये संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है।

अग्नेयास्त्र आदि छोड़ना

208— (1) {जिला पंचायत}¹, नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि—

ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार

(क) वह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो {जिला पंचायत}¹ आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे पेड़ को हटा दे, जो उक्त स्वामी का हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिसके विषय में {जिला पंचायत}¹ को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिये खतरनाक है; अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुए स्थान की, जा उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण {जिला पंचायत}¹ को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करे, रक्षा करे या उसे घेर दे, जिससे वह {जिला पंचायत}¹ आवश्यक समझे।

(2) यदि {जिला पंचायत}¹ को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो {जिला पंचायत}¹ का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे, तथा ऐसी दशा में, धारा 222 के उपबन्धों के बावजूद {जिला पंचायत}¹ के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह नोटिस दे, यदि {जिला पंचायत}¹ को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले विलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य हो विफल हो जायगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 209—210}

209— (1) जो व्यक्ति {जिला पंचायत}¹ की लिखित अनुमति के बिना—

सड़क का अवरोध

(क) किसी वाहन को, उसमें जोते हुए पशु सहित अथवा उसके बिना, उस समय से, जो उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिये आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिससे किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध उत्पन्न हो; अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो; अथवा

(ग) किसी ऐसी वस्तु को, विक्रय के निमित्त स्टाल में कपड़ा या लकड़ी की बनी दुकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो; अथवा

(घ) किसी ऐसी सड़क में कोई इमारती सामान, बक्स, गांठ, बण्डल या व्यापारिक सामान जमा करे या जमा करने दे; अथवा

(ङ) किसी ऐसी सड़क के कोई मेड़, कठघरा, खम्भा, स्टाल या ऐसा ही कोई अन्य स्थाय (fixture) खड़ा करे या बनाये; अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जानबूझकर किसी रीति से अवरुद्ध करे या कराये;

वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है।

(2) {जिला पंचायत}¹ की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सड़कों से अवरोधों को हटाने का {जिला पंचायत}¹ द्वारा प्रयोज्य अधिकार, {जिला पंचायत}¹ द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह {जिला पंचायत}¹ में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधों को हटाने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकेगा।

(4) इस धारा में दी हुई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा इसके अधीन {जिला पंचायत}¹ द्वारा दी गयी हो।

रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

210— {जिला पंचायत}¹ ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध हो या उस पर नियंत्रण रखता हो, नोटिस द्वारा या अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसी शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे जो {जिला पंचायत}¹ उचित समझे उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और उनकी प्रतिदिन सफाई कराये :

फैक्टरियों, स्कूलों तथा जन्म सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिये शौचालय

प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 द्वारा विनियमित फैक्टरी पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी।

ऐक्ट संख्या 63, 1948

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 211-215}

211— {जिला पंचायत}¹ किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे, गड्ढे या खोदे हुये स्थान को, जो {जिला पंचायत}¹ को पास-पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मत कराये या उसे ढके, भरवाये या जलोत्सारित करवाये :

तालाबों आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्यधिकार {जिला पंचायत}¹ के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की {जिला पंचायत}¹ से अपेक्षा कर सकता है।

212— यदि कोई भूमि गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो {जिला पंचायत}¹ उसके स्वामी से नोटिस द्वारा उस भूमि की सफाई करने या उसे अनयथा उचित दशा में करने और आगे स्वच्छ और उचित दशा में रखने की अपेक्षा कर सकती है।

गन्दी भूमि की सफाई

213— (1) {जिला पंचायत}¹ किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में—

कूड़ा करकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन

(क) क्षोभकर पदार्थ तथा कूड़ा-करकट को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है;

(ख) विष्ठा तथा अन्य क्षोभकर और कूड़ा-करकट के निस्तारण के लिये स्थान निश्चित कर सकती है; तथा

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीत और शर्तों के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या जिसके अधीन रहते हुए खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ या कूड़ा-करकट सड़क पर से ले जाया या जमा किया जाय या अन्यथा असका निस्तारण किया जाय।

(2) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निषेध करने वाला सूचना पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने की पर्याप्त सूचना माना जायगा।

214— किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिससे कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा-करकट या विष्ठा धारा 213 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र या स्थान से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग में या सार्वजनिक नालों से मिलने वाली किसी नाली में फेंका जाय या जमा किया जाय, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये {जिला परिषद्}¹ के किसी निदेश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो बीस रुपये से अधिक न होगा।

कूड़ा करकट विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिये शास्ति

215— निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे, मल नाले या नलकूप का पानी या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, {जिला पंचायत}¹ को लिखित अनुमति से बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मलनाले या नाली में, जो तदर्थ पृथक् न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाय या रखा जाय तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे निकले या निकाल कर रखा जाय उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है।

सार्वजनिक सड़क आदि पर मलानादि के उल्लंघन के लिये शास्ति

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 216-219}

216— (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई इमारत, या उसका कोई कमरा, {जिला पंचायत}¹ की राय में, जलोत्सारण या संवातन के उचित साधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो, तो {जिला पंचायत}¹ उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा, उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्णरूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती है जब तक कि उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे जो कि उस नोटिस में नियत किया गया हो।

मनुष्यों के रहने के अयोग्य भवन

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो {जिला पंचायत} के लिये यह वैध होगा कि वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करे।

217— जो व्यक्ति किसी संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित होते हुए —

कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भेष्य पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिये तैयार या प्रस्तुत करता है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शित किया गया हो जानबूझकर छूता है; या

(ग) गन्दे कपड़े धाने या उन्हें ले जाने का किसी व्यापार में भाग लेता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है।

218— यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक (Director of medical and health services) यह प्रमाणित करे की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई—

स्वास्थ्य के लिये हानिकार खेती, खादके प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है, के द्वारा उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है,

तो सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का जो इस प्रकार हानिकारक बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा दूषण रूक जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी भूमि पर, जिसके संबंध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के दिनांक से पूर्व पांच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पहुंची हो जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायगा।

219— {जिला पंचायत}¹ नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ियों को साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकार या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो।

हानिकार वनस्पति को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 220—222}

220—किसी ग्रामय क्षेत्र में, जिसके लये धारा 239 की उपधारा (2) के षीर्षक “छ” के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियां बनाई गई हों {जिला पंचायत}¹ किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई—कार्य नलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए वह खुदाई कार्य करने या नलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुए स्थान, नलकूप, तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस से निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित करे दे।

खोदी हुई भूमि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार

221— (1) {जिला पंचायत}¹ सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या शमशान को जिनके संबंध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह पास-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसके हानिकर होने की संभावना है, उस दिनांक से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा यदि समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिये अधीन उपयुक्त की व्यवस्था करेगी।

कब्रिस्तान या शमशान के सम्बन्ध में अधिकार

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में शर्त को दफनाने का निजी स्थान, ऐसी शर्तों के अधीन जो {जिला पंचायत}¹ तदर्थ लगाये, उक्त नोटिस की व्याप्ति से मुक्त किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों तथा वे स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिये ही प्रयुक्त किये जायेंगे।

(3) {जिला पंचायत}¹ की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या ष्मषान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायगा।

(4) कोई व्यक्ति {जिला पंचायत}¹ की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या शमशान में जो उपधारा (1) के अधीन बन्द कर दिया गया हो या उपधारा (3) का उल्लंघन करके बनाया गया हो, न तो दफनाये या जलायेगा और न दफनवाये या जलवायेगा।

(5) जो व्यक्ति किसी शव की इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलाने देता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है।

निरीक्षण, प्रवेश तलाशी आदि

222— अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत होने पर {जिला पंचायत}¹ का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत {क्षेत्र पंचायत}¹ का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत में या भूमि पर, निरीक्षण या जिसे निष्पादित करने के लिये यथास्थित, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो अथवा जिसे निष्पादित करना {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के लिये इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिये अथवा उनके अनुसरण में आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकता है:

निरीक्षण का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायगा; तथा

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 223-225}

(ख) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों, या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त किसी इमारत में सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो, अध्यासी को अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का कम से कम चार घंटे पूर्व लिखित दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा; तथा

(ग) प्रत्येक अवस्था में, और उस दशा में या जब किसी भू-गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायगा, जिससे किसी ऐसे कक्ष में, जो स्त्रियों के लिये हो रहने वाला स्त्रियां वहां से हट कर भू-गृहादि के किसी ऐसे दूसरे भाग में चली जायं जहां उनकी गोपनीयता में बाधा डालने की आवश्यकता न हो; तथा

(घ) प्रवेश किये गये भू-गृहादि के अध्यासियों को सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायगा।

223— धारा 222 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने के, या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोल या खुल जाय—

प्रवेश का अधिकार

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिये उसका खोलना आवश्यक समझा, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, या उपस्थित होने पर वह इस दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार करे।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट

224— जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के साथ हुई किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उसके कर्तव्यों के पालन करने में या संविदा को पूरा करने में रूकावट डाल या व्यथित कर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर तीन मास तक के प्रयोजन बीस या पांच सौ रुपये तक अर्थदण्ड दोनों का भाग होगा।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिये दण्ड

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

225— (1) नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट, यथास्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र या अपने जिले का सीमाओं के भीतर—

{जिला पंचायत}¹ पर नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के अधिकार

(क) {जिला पंचायत}¹ या उसकी किसी सम्पत्ति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का, अथवा उनमें से किसी के निदेशाधीन किये जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकती है या करवा सकता है;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख्य को, जो {जिला पंचायत}¹ या उसका किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हों, मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 226—228}

(ग) लिखित आदेश द्वारा {जिला पंचायत}¹ या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से संबद्ध ऐसे विवरण, लिखे या प्रतिवेदन (जिसके अर्न्तगत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हे मंगाना वह उचित समझे; और

(घ) {जिला पंचायत}¹ या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों संबंध में कोई विचार हो, जो वह उचित समझे, लेखबद्ध कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग अपने विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय में कर सकता है और ऐसे विषयों के संबंध में {जिला पंचायत}¹ के शासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है।

226— (1) जिला मैजिस्ट्रेट, समय-समय पर, समुचित नोटिस के पश्चात् {जिला पंचायत}¹ के नियोजन तथा विकास विषयक बजट अनुदान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं, अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और, यदि आवश्यक समझा जाय तो, वित्त अधिकारी सम्मिलित हों।

जिला मैजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्तव्य

(2) जिला मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार को विकास कार्य की प्रगतीद का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।

227— {जिला पंचायत}¹ के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण कार्य या सेस्था का तथा तत्संबंधी समस्त रजिस्ट्रों, पुस्तकों, लेखों या लेख्यों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, निरीक्षण किया जा सकेगा।

सरकारी अधिकारियों के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार

228— (1) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लिखित आदेश द्वारा, किसी {जिला पंचायत}¹ की समिति या संयुक्त समिति अथवा {जिला पंचायत}¹ या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमिती के अधीन पारित या दिये गये किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगें निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध हो या शक्ति-बाह्य (ultra vires) हो या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन-साधारण के लिये या विधि के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश या क्षति अथवा मानव-जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा या दंगा या हंगामा उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो, और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के किये जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकता है।

नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, तो उसे लिये जाने के कारणों के विवरण सहित, उसका एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार का भेजा जायगा, जो {जिला पंचायत}¹ से स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उस आदेश की रद्द, परिष्कृत या पुष्ट कर सकती है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 229-231}

(3) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाय और वह निषेधकारी आदेश तब भी प्रचलित हो तो {जिला पंचायत}¹ की समिति या संयुक्त समिति, अथवा {जिला पंचायत}¹ की समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का उसे उस दशा में अधिकार होता जब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता और जो किसी व्यक्ति की उन संकल्प या आदेश का जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो।

229— (1) आपात की दशा में जिला मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण-कार्य के निष्पादन का, अथवा ऐसे कार्य संपादन की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या संपादन का {जिला पंचायत}¹ या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा संपादन, उसकी राय में, जन-साधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और वह यह निदेश दे सकता है कि निर्माण-कार्य की निष्पादित करने अथवा उस कार्य को संपादित करने के व्यय का भुगतान {जिला पंचायत}¹ द्वारा तुरन्त किया जाय।

आपात के समय जिला मैजिस्ट्रेट के असाधारण अधिकार

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला-निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिए उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान करने का निदेश हो और उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(3) जिला मैजिस्ट्रेट {जिला पंचायत}¹ या नियत अधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा, जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करे।

230— (1) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि {जिला पंचायत}¹ या उसकी संयुक्त समिति, या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य का संपादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, उस कर्तव्य का पालन किये जाने के लिये एक अवधि निश्चित कर सकती है।

{जिला पंचायत}¹ के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाय तो राज्य सरकार जिला मैजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य व्यक्ति को, उसका सम्पादन करने के लिये नियुक्त कर सकती है, और निदेश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का संपादन करने के व्यय का, यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो करे {जिला पंचायत}¹ द्वारा चुकाया जाय।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला-निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान का निदेश हो।

231— (1) राज्य सरकार {जिला पंचायत}¹ के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकती है:—

सदस्यों का हटाया जाना

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 231}

(क) उसने किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी प्रतिनियोक्ता अथवा किसी व्यक्ति की ओर से व्यवसायिक हित रखता हो मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर {जिला पंचायत}¹ के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो;

(ख) वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का संपादन करने में शारीरिक या मनसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो;

(ग) वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य-संपादन में अपनी वर्तमान या पांच वर्ष के भीतर को किसी पूर्ववर्ती पदावधि में अनाचार का दोषी हो या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या {जिला पंचायत}² की निधि या संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने के कारण वह सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा के अधीन हटाये जाने को आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक न दिया जायगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय;

{(गग) उसने स्वाहस्ताक्षरित किसी मिथ्या घोषणा के आधार पर, जिसमें यह कथन किया गया हो कि वह, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, धारा 18-क के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो;

(गगग) वह धारा 26 में निर्दिष्ट किसी अनर्हता से ग्रस्त हो।⁷

(2) यह हटाया जाना गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्पन्न होगा तथा उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 18 की उपधारा (1) के {खण्ड (क)}³ में निर्दिष्ट कोई सदस्य इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो वह उपधारा (2) के अधीन हटाये जाने की विज्ञप्ति कि प्रकाशन के दिनांक से, {प्रमुख}⁴ के पद पर न रहेगा और यह समझा जायगा कि उसका उक्त पद रिक्त हो गया है।

(4) {***}⁵

(5) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन {जिला पंचायत}² की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक {जिला पंचायत}² के सदस्य के रूप में चुने जाने {***}¹ {***}⁶ तथा {क्षेत्र पंचायत}² का प्रमुख {***}⁶ निर्वाचित होने के लिये अनर्हित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

-
1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 24 द्वारा निकाले गये।
 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 113 (क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उपर्युक्त की धारा 113 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उपर्युक्त की धारा 113 (ख) द्वारा निकाला गया।
 6. उपर्युक्त की धारा 113 (ग) द्वारा निकाला गया।
 7. उ०प्र० अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}² अधिनियम, 1961}

{धारा 232—236}

232— यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो, कि {जिला पंचायत}² इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य का संपादन करने में चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार, {जिला पंचायत}² से स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिये होंगे, या तो {जिला पंचायत को विघटित कर सकती है।⁵

राज्य सरकार का {जिला पंचायत}² को विघटित {***}³ करने का अधिकार

233— धारा 232 के अधीन {जिला पंचायत}² के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

{जिला पंचायत}² के विघटन का परिणाम

(क) अध्यक्ष सहित {जिला पंचायत}² के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर अपने पदों को रिक्त कर देंगे; किन्तु इसके कारण इस अधिनियम के अधीन {सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिये उनकी पात्रता पर}⁵ कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र { {जिला पंचायत}³ इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुर्नसंघटित की जायेगी।¹

(ग) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, उस समय तक जब तक कि {जिला पंचायत}² पुर्नसंघटित न हो जाय, {जिला पंचायत}² के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का संपादन यथासंभव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे या उन्हें {जिला पंचायत}² समझा जायगा।

234— {***}⁶

235— {***}⁶

236— (1) {धारा 225 से 233}⁷ तक के उपबन्ध {क्षेत्र पंचायतों}² पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे मानों पदावली {जिला पंचायत}³ " "अध्यक्ष", "मुख्य अधिकारी" तथा "जिला निधि" को पदावली {क्षेत्र पंचायत}², "प्रमुख", "खण्ड विकास अधिकारी" तथा "क्षेत्र निधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो :

{क्षेत्र पंचायतों}² का वाह्य नियंत्रण

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट उक्त धाराओं के अधीन अपने किन्हीं या सभी अधिकारों का संपूर्ण खण्ड या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) को प्रतिनिहित कर सकता है।

(2) {***}⁸

(3) {***}⁸

(4) {***}⁸

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 25 (2) द्वारा रखे गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 114 (क) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 114 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 116 द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 117 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 117 (ख) द्वारा निकाला गया।

अध्याय 11

नियम, विनियम तथा उपविधियां

237— (1) राज्य सरकार किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है इस अधिनियम से सुसंगत [गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है]¹ तथा ऐसे नियम भी बना सकती है, जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त [जिला पंचायतों]⁴ या समस्त [क्षेत्र पंचायतों]⁴ के लिये अथवा निर्दिष्ट किये जाने वाली किसी एक या अधिक [जिला पंचायतों]⁴ या [क्षेत्र पंचायतों]⁴ के लिये विशेष रूप से हो सकता है। [***]²

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।]³

238— (1) [जिला पंचायत]⁴ विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी विनियम से सुसंगत विनियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिये बना सकता है—

कार्य संचालन आदि के लिये विनियम बनाने का अधिकार

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान,

(ख) बैठकें बुलाने तथा उनके सम्बन्ध में नोटिस देने की रीति;

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अर्न्तगत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना भी है, तथा बैठकों का स्थगन है;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिये परामर्श समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना, तथा ऐसी समितियों के संघटन तथा उनकी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों का अवधारण;

(ङ) निम्नलिखित को अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान—

(1) [जिला पंचायत]⁴ का अध्यक्ष या [क्षेत्र पंचायत]⁴ का प्रमुख;

(2) खण्ड (घ) के अधीन संघटित समिति;

(3) उक्त समिति का सभापति;

(4) मुख्य अधिकारी या [जिला पंचायत]⁴ का अन्य कोई सेवक;

(च) [जिला पंचायत]⁴ द्वारा नियोजित सेवकों के, जिनके अर्न्तगत किसी [क्षेत्र पंचायत]⁴ के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है, अनुपस्थित के अन्य भत्ते;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 28 (1) द्वारा रखे गये।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1973 की धारा 28 (2) द्वारा निकाले गये।
3. उपर्युक्त की धारा 28 (3) द्वारा रखी गयी।
4. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) {जिला पंचायत}¹ के ऐसे सेवक द्वारा—जिसके अन्तर्गत किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है—जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार;

(ज) {जिला पंचायत}¹ के सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को (यदि कोई हों) दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(झ) {जिला पंचायत}¹ के समस्त सेवकों की जिनके अन्तर्गत किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार में रखे गये सेवक हैं—सेवा की शर्तों, जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है, तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवा निवृत्ति होने पर या अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपदान, वार्षिकी या कारुण्य अधिदेय दिया जायगा तथा उक्त उपदान, वार्षिकी या कारुण्य अभिदेय की धनराशि और शर्त जिनके अधीन कोई उपदान वार्षिकी या कारुण्य अधिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यों का पालन करने में हुई हो, उत्तरजीवी सम्बन्धियों को दया जा सकता हो;

(ञ) {जिला पंचायत}¹ द्वारा या {जिला पंचायत}¹ के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा स्थापित पेंशन—निधि या भविष्य—निधि में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त विनियमों में नियत की जायें, अंश दान देना।

(ट) {जिला पंचायत}¹ के सेवकों को—जिनके अन्तर्गत किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार में रखे गये सेवक भी हैं—भर्ती के सिद्धान्त तथा रीति;

(ठ) लेखा परीक्षा निमित्त वित्त अधिकारी को कागज—पत्र प्राप्त कराने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके द्वारा की गयी आलोचनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही;

(ड) अधिकारियों तथा सेवकों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) रीति, जिसके अनुसार धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन {जिला पंचायत}¹ को सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समनुरूप होंगे;

(ण) शर्तों, जिनके अधीन {जिला पंचायत} या {क्षेत्र पंचायत}¹ को देय धनराशियाँ अप्राप्य धनराशियों के रूप में बट्टे खाते डाला जा सके, और शर्तों, जिनके अधीन अभिहरण के निमित्त लिये जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क या उसके किसी भाग में छूट दी जा सके;

(त) खण्ड (ड) से (ण) तक वर्णित विषयों में से सदृश्य ऐसे समस्त विषय या ऐसे समस्त विषय, जिनके सम्बन्ध में विनियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप से प्रदान किया गया है, पर जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है; और

(थ) खण्ड (क) से (घ) तक वर्णित विषयों से सदृश्य ऐसे समस्त विषय, जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 239}

(2) यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के खण्ड (ड) से (ड) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे {जिला पंचायत}¹ द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसा विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जायगा।

239—(1) {जिला पंचायत}¹ अपने प्रयोजनों के लिये और {क्षेत्र पंचायतों}¹ के प्रयोजनों के लिये ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है तथा जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और खण्ड तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियम के सुसंगत, उपविधियाँ बना सकती है, जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हों और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियाँ बनायेगी।

{जिला पंचायत}¹ को उपविधियाँ बनाने का अधिकार

(2) विशेषतः तथा उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, {जिला पंचायत}¹ उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियाँ बना सकती है:—

क—निर्माण

(क) धारा 164 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के सन्दर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को “महत्वपूर्ण परिवर्तन” घोषित करना;

(ख) यह नियत करना कि तदर्थ निर्दिष्ट की गई दर शुल्क देने पर, {क्षेत्र पंचायत}¹ से नक्शे तथा विनिर्दिष्टियाँ (Specifications) प्राप्त की जा सकेंगी;

(ग) धारा 166 के सन्दर्भ में वह अवधि निश्चित करना, जिसमें स्वीकृति मान्य रहेगी;

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियम क्षेत्र या क्षेत्रों में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हों, प्रकार और विवरण तथा वे प्रयोजन, जिनके लिये कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना;

(ङ) वे परिस्थितियाँ नियत करना, जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित पुनर्निर्मित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके;

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुनर्निर्मित या परिवर्तन सम्बन्ध में निम्नांकित विषयों में सब या कोई नियत करना—

(1) बाहरी और विभाजक दीवारों, छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति;

(2) अग्नि-स्थानों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण की रीति;

(3) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल की, जो मनुष्यों रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये अभिप्रेत हो, छत की ऊँचाई तथा ढाल;

(4) संवातन (ventilation) तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्वाध संचालन तथा घर की सफाई को सुन्दर बनाने तथा आग लगने की रोकथाम के निमित्त छोड़ा जायगा;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) नींव की सतह तथा चौड़ाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण का स्थायित्व;

(6) इमारत में बनाई जाने वाली मंजिल की संख्या और ऊंचाई;

(7) आग लग जाने पर इमारत से बाहर निकलने के साधनों की व्यवस्था;

(8) कोई ऐसा अन्य विषय, जिसका इमारत के संवातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़े, और

(9) जल को कलषित होने से बचाने या कुएं का उपयोग करने वाली किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए किसी कुएं के निर्माण या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके या न दी जा सके।

(छ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी भूमि पर किसी घेरे, दीवार, मेड़, तम्बू, तिरपाल या अन्य संरचना का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना, जिसकी अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

ख— नालियां, संडास, मलकूप आदि

(क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, नालियों संवातन (ventilation) की नलिकाओं (shafts) तथा पाइपों, संडासों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों तथा अन्य जलोत्सारण कार्यों के निर्माण, परिवर्तन, अनुरक्षण, परिरक्षण, सफाई और मरम्मत का विनियमन;

(ख) नालियों में मल, कूड़ा-करकट, गन्दा पानी तथा अन्य क्षोभकर या अवरोधक पदार्थों के फेंके या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध।

ग—सड़कें

(क) धारा 176 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ को दी जाने वाली सूचनाएं तथा नक्शों को अवधारित करना;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुएं बेचने या कोई व्यापार करने अथवा कोई कपड़े या लकड़ी की बनाई हुई दुकान या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना या उसका निषेध या विनियमन तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहित करने की व्यवस्था करना;

(ग) वे शर्तें विनियमित करना जिन पर धारा 181 के अधीन {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर प्रक्षेप बनाने तथा धारा 209 के अधीन {जिला पंचायत}¹ द्वारा अस्थायी रूप से सड़कों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके।

घ—बाजार, वधशालाएं, भोजन-विक्रय आदि

(क) {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृति लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान को वधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन के लिये अभिप्रेत पशुओं या मांस या मछली के विक्रय के लिये बाजार या दुकान के रूप में प्रयोग करने का निषेध;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 239}

(ख) शर्तें, जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में ऐस प्रयोग के लिये लाइसेन्स स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते हैं या वापस लिये जा सकते हैं, नियत करना;

(ग) पूर्वोक्त किये जाने वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना, जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानि प्रद क्षोभकर या भय प्रद प्रभाव जो वहां से उत्पन्न होता हो या जिसके वहां से उत्पन्न हाने की संभावना ही कम हो जाय;

(घ) बाजारों तथा वक्शालाओं, अश्वशालाओं, शिविर-भूमियों सरायों, आटा चक्कियों, नानबाई की दुकानों, निर्दिष्ट खाद्य या पेय पदार्थों की तैयारी या विक्रय के लिये स्थानों अथवा विक्रय या किराये के लिये पशुओं को, अथवा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हों, रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और उनके विनियमन तथा निरीक्षण के लिये तथा उनमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना; और

(ङ) शर्तें, जिनके अधीन तथा परिस्थितियां, जिनमें और क्षेत्र तथा स्थान जिनके संबंध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेन्स स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें नियत करना तथा ऐसे लाइसेन्सों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों की स्थापना का निषेध करना।

ङ— क्षोभकर व्यवसाय

(क) सिवाय जब और जहां तक कोई बात पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934 तथा तदधीन बनाये गये नियमों की किसी बात से असंगत हो, {जिला पंचायत}¹ द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये फैक्ट्री के या व्यापार के अन्य स्थानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना—

ऐक्ट संख्या 30, 1934

(1) मांसोच्छिष्ट (offal) रक्त, हड्डियों, अंतडियों या चिथड़ों को उबालना या उनका संग्रह करना;

(2) चमड़ा या चमड़े की वस्तुओं का निर्माण,

(3) चरबी या गन्धक पिघलाना,

(4) ईट, खपरैल या चौके, मिट्टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना;

(5) साबुन बनाना,

(6) तेल उबालना,

(7) सूखी घस, पुआल, लकड़ी कोयला या अन्य भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह रखना,

(8) पेट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील तेल या सिप्रट का संग्रह रखना;

(9) रूई या रूई के क्षेप (repuse) का संग्रह रखना या उसे दबाना,

(10) कोई अन्य प्रयोजन, यदि ऐसे प्रयोग से लोक कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो ;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 239}

(ख) वे परिस्थितियाँ, जिनमें, ओर क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें, नियत करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा 220 द्वारा {जिला पंचायत}¹ को प्राप्त किसी अधिकार का अल्पीकरण हो); और

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरीक्षण तथा विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद, क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव, जो वहाँ से उत्पन्न होता या जिसके वहाँ से उत्पन्न होने की संभावना ही कम हो जाय।

च—सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा

(क) {***}²

(ख) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर दिये जाने के लिये रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) नावों, या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेन्स लेने का अधार आरोपित करना तथा ऐसे लाइसेन्सों के लिये देय शुल्क और वे शर्तें निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायें, और वापस लिये जायें, और वापस लिये जायें ;

(ग) ऐसे स्थान निश्चित करना जहाँ पर नावें बांधी जा सकें या भारयुक्त तथा भारमुक्त की जा सकें, और उसके प्रयोग को विनियमित करना, और ऐसे स्थानों को छोड़कर जो {जिला पंचायत}¹ द्वारा नियत किये जायें और कहीं नाव बांधने या भारयुक्त या भारमुक्त करने का निषेध करना;

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना;

(ङ) सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की वृद्धि के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियम, जिससे लोक कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो;

(च) पेय जल सम्भारण की व्यवस्था तथा विनियमन।

छ—रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

(क) कब्रिस्तानों तथा शमशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियंत्रण तथा विनियमन, और यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था {जिला पंचायत}¹ ने की हो तो उनके निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निश्चित करना और शवों को कब्रिस्तान या शमशान ले जाने के लिये मार्ग नियत या निषिद्ध करना;

(ख) स्वच्छता, तथा स्वच्छता संरक्षण का विनियमन;

(ग) पूर्वगामी उप शीर्षक के अधीन तदर्थ कोई उपविधि न बनायी जाने की दशा में, वास-गृहों की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण ओर अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी सांक्रामिक या सांसर्गिक रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यतया वास-गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2006 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।

(घ) रोगों की रोकथाम या स्वच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा होने की संभावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

ज—प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की संभावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवस्था न की गई हो;

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री और जन-गणना करने और ऐसी सूचना जो उक्त रजिस्ट्री या जन-गणना को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो, अनिवार्यता दिये जाने की व्यवस्था करना;

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी भी वस्तु को, जो सरकारी हो या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की हो अथवा {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के नियंत्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना;

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के नियंत्रण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना;

(ङ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अविनियम या किसी नियम अथवा उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिये, उनके अभिकर्ता के रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियों की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन;

(च) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना, जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियां दी जा सकती हों ऐसे अभिलेखों अथवा लेख्यों के निरीक्षण या प्रतिलिपियों के निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना;

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन (disopensing) के लिये लाइसेन्स देने की व्यवस्था करना;

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तालि उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना;

(झ) प्रसूति-केन्द्रों तथा शिशु कल्याण-गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये व्यवस्था करना;

(ञ) शरीर-संवर्धन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना;

(ट) निर्धन-गृह अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशु-चिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाएं विनियमित करना;

(ठ) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु-बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियां, जिनमें सर्वसाधारण को प्रवेश करने का अधिकार हो विनियमित करना;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 240—242}

(ड) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के नियंत्रणाधीन किन्हीं स्रोतों, जल-मार्गों या नालियों के अवरोध का निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना;

(ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को हटाना, गिराना या उन्हें निरापद बनाना;

(ण) लावारिस, रोग ग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकारक पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना;

(त) {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की वृत्त-पुस्तिकाओं तथा {जिला पंचायत} की निर्धारण-सूचियों के निरीक्षण के लिये शर्तें नियत करना;

(थ) किसी गन्दे पानी के गड्ढे, नाली, स्टीम इंजिन या ब्वायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल-संभरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, डाले जाने का निषेध करना।

240— नियम बनाने के राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से {जिला पंचायत}¹ निदेश दे सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ-दण्ड से दण्ड्य होगा जो {एक हजार रुपये}² तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्ड्य होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, {पचास रुपये}² तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्ड्य होगा, जो तीन मास तक का हो सकेगा।

नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन

241— (1) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए कि विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाये जायें और वे तब तक प्रभावी न हों जब तक कि वे गजट में प्रकाशित न हो जायें।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन आदि

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मण्डलों या जिलों के लिये अथवा ऐसे समस्त मण्डलों या जिलों के लिये, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्तन से अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से हो सकता है अथवा किसी एक या अधिक मण्डलों या जिलों के सुंपूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिये विशेष रूप से ही सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दें।

242— (1) {जिला पंचायत}¹ की धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) से (थ) तक के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी न होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय।

{जिला पंचायत}¹ द्वारा बनये गये विनियमों तथा उपविधियों की पुष्टि आदि

(2) {जिला पंचायत}¹ का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तों के अधीन होगा कि एक सी उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनायी जायेंगी और वे तब तक प्रभावी में होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय और वे गजट में प्रकाशित न हो जायें।

(3) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 118 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 243-244}

(4) धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (थ) तक के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय और इसी प्रकार से {जिला पंचायत}¹ द्वारा बनायी गयी उपविधि में कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होना जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय।

(5) राज्य सरकार अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसे विनियम को जिसकी उसने पुष्टि की हो, अथवा उसी प्रकार नियत प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की हो, रद्द कर सकता है और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी।

अध्याय 12

प्रक्रिया

243— जब इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित हो, जिसके लिये उपधारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह कार्य करने के लिये उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायगा और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

अनुपालन के लिये उचित समय का निश्चित किया जाना

244— (1) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल, जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टतया अन्यथा व्यवस्थित न हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायगा—

नोटिस की तामील

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके, या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर, यदि वह {जिला पंचायत}¹ या सम्बद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹ जैसी भी दशा हो, के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो, छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर लिया जायगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन कोई नोटिस इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उसकी तामील उन दशाओं में, जिनके लिये इस अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो—

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उनमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर; या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष, सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि के, जिससे उसका सम्बन्ध हो, जिससे उसका सम्बन्ध हो किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर दी जायगी।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाना हो, अवयस्क हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष, सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जाना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायगी।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 245—249}

245— कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा।

दोषपूर्ण आकार

246— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा किसी नियम या विधि के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया गया हो, जिसके द्वारा उससे, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, चाहे वह चल हो या अचल, सार्वजनिक हो या निजी, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, किसी कार्य के निष्पादन की अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था करने की या कोई कार्य करने या न करने की अपेक्षा की गयी हो और यदि वह व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन न करे तो—

व्यक्ति विशेष को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा

(क) यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या सम्बद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹ ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकती है या ऐसी वस्तु की व्यवस्था कर सकती है या उस कार्य को करवा सकती है और इस मद में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है, तथा इसके अतिरिक्त—

(ख) उक्त व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाये जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन जारी रखे जाने की दशा में अतिरिक्त अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो प्रथम दोष—सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पांच रुपये तक हो सकता है।

247—जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि {जिला पंचायत}¹ या सम्बद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹ या {जिला पंचायत}¹ अथवा सम्बद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करेगा {जिला पंचायत}¹ या उक्त व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

अभियोजन के लिये प्राधिकार

248—(1) {जिला पंचायत}¹ या अध्यक्ष या {क्षेत्र पंचायत}¹ का प्रमुख कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पहले या पीछे, इस अधिनियम या उपविधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध में समझौता कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अपराध में, जो {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की ओर से जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न करने के कारण हुआ हो, तब तक समझौता न किया जायगा जब तक कि उस नोटिस का यथासम्भव अनुपालन न कर दिया गया हो।

अपराधों में समझौता का अधिकार

(2) जब किसी अपराध में समझौता हो चुका हो तो अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायगा तथा इस प्रकार समझौता किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

(3) इस धारा के अधीन समझौते के रूप में दी गई धनराशियां, जिला निधि या क्षेत्र निधि जैसी भी दशा हो, में जमा की जायेगी।

249— यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो {जिला पंचायत}¹ या किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची तो ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति का भीगी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायी होगा और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा उस मैजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायगी, जिसके द्वारा उक्त शास्ति का व्यक्ति दण्डित किया जाय तथा मांग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान न किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायगी तथा उक्त मैजिस्ट्रेट तदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा।

{जिला पंचायत}¹ में निहित सम्पत्ति की क्षति के लिये प्रतिकर

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 250—253}

250— प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपनी जानकारी में आने वाले किसी ऐसे अपराध की जो इस अधिनियम के विरुद्ध या किसी ऐसे अधिनियम के विरुद्ध किया गया हो जिसमें या जिसके अधीन अर्थ दण्ड के जिला निधि या क्षेत्र निधि में जमा किये जाने की व्यवस्था हो, या उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन बनाये गये किसी नियम के विरुद्ध किया गया हो सूचना तुरन्त, यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या सम्बद्ध {क्षेत्र पंचायत}¹, को देगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी {जिला पंचायत}¹ के या किसी {क्षेत्र पंचायत}¹ के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधि-संगत अधिकार के प्रयोग में सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

अपराधों के तथा {जिला पंचायत}¹ तथा क्षेत्र समित के प्राधिकारियों की सहायता के सम्बन्ध में पुलिस अधिकार कर्तव्य

251—(1) कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की धारा 165 (1), 171, 184, 191 (6), 193, 202, 216, 218, 221 के अधीन या धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक 'घ' के उपशीर्षक (क) तथा शीर्षक 'ङ' के अधीन बनाई गई उपविधि के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिसमें से वह समय निकाल दिया जायगा जो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अपील या उसमें से किसी अपील को सुनने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे अथवा यदि ऐसे कोई पदाधिकारी नियुक्त न किये जायं तो जिला मैजिस्ट्रेट को, अपील कर सकता है।

{जिला पंचायत} के आदेश के विरुद्ध अपील

(2) यदि अपीलीय प्राधिकारी उचित समझे तो वह अपील करने के लिये उपधारा (1) के द्वारा अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।

(3) कोई अपील तब तक पूर्णतः या अंशतः खारिज या स्वीकृत न की जायगी जब तक कि संबद्ध पक्षों को कारण बताने या सुने जाने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

252—(1) अपील का निर्णय करने वाले न्यायालय को स्वमति से व्यय दिलाने का अधिकार होगा।

व्यय

(2) इस धारा के अधीन {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ को दिलाया गया व्यय {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह अपीलकर्ता से प्राप्त किसी कर का बकाया हो।

(3) यदि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ इस धारा के अधीन किसी अपीलकर्ता को दिलाये गये किसी व्यय का भुगतान उस दिनांक के, जिस पर उसका भुगतान करने के लिये दिये गये आदेश की सूचना उसे दी गयी हो, दस दिन के भीतर न करे तो व्यय दिलाने वाला न्यायालय, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को उक्त व्यय की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

253— (1) धारा 251 में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर उसमें व्यस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायेगी।

अपीलय अधिकारी के आदेश का अन्तिम होना

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अन्तिम होगा;

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि अपीलय प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, वह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उसके मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया जाय :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 251 में उल्लिखित आदेश या निदेश किसी व्यक्ति नागरिक अधिकार का अतिलंघन करता हो तो उसे तद्विषयक क्षेत्राधिकार युक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश पर आपत्ति करने का अधिकार होगा।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 254-257}

254— यदि धारा 251 में निर्दिष्ट प्रकार के किसी आदेश या निदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील की गयी हो, या धारा 251 के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे आदेश निदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियां तथा उसके उल्लंघन के लिये किये गये समस्त अभियोजन, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी के अथवा दीवानी न्यायालय के आदेश द्वारा, अपील में या वाद का निर्णय होने तक के लिये निलम्बित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में या दीवानी न्यायालय के निर्णय द्वारा ऐसा आदेश या निदेश रद्द कर दिया जाय तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं समझा जायगा।

255— (1) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उनका निबटारा ऐसी रीति से किया जायगा जिसके विषय में संबद्ध पक्ष सहमत हों, या कोई सहमति न हो सके तो, {जिला पंचायत} या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा या प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायगा।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद

(2) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसे लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 की धारा 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवाये।

ऐक्ट संख्या 1, 1894

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाय, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश, यथा सम्भव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिये नियत की गयी है।

256—(1) यदि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम उत्पन्न होगा।

स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवादों का निर्णय

(2) राज्य सरकार {जिला पंचायतों}¹ तथा {क्षेत्र पंचायतों}¹ और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप में स्वत्व रखते हों, रहने वाले सम्बन्धों को नियम द्वारा विनियमित कर सकती है।

257— (1) किसी {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के विरुद्ध या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत} के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, जो उसके द्वारा आधिकारिक स्थिति से किये गये अथवा किये गये भावित होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में हो, तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि एक लिखित नोटिस {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की दशा में उसके कार्यालय में छोड़ें जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक की दशा में उसे या उसके कार्यालय या निवास स्थान में दिये जाने के पश्चात् दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गई हो और उक्त नोटिस में वाद के कारण प्रार्थित अनुतोष के स्वरूप अभ्यर्थित प्रतिकर की धनराशि तथा वादेच्छुवादि के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा वाद-पत्र में यह प्रकाशन भी होगा कि ऐसा नोटिस दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार या सेवक आदि के विरुद्ध वादे

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 258—261}

(2) यदि {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ या उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही आरम्भ की जाने के पूर्व वादी की भूल-सुधार स्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रस्तुत कर दी हो तो वादी इस प्रकार प्रस्तुत की गयी धनराशि से अधिक कोई धनराशि वसूल नहीं करेंगे तथा ऐसी धनराशि प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किये गये समस्त व्ययों का भी भुगतान करेगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार की कोई कार्यवाही जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये की गयी कार्यवाही न हो, वाद-कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह ससी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है, जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injunction) हो, जिसका कि उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।

258—किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय—

दीवानी न्यायालयों द्वारा {जिला पंचायत}¹ {क्षेत्र पंचायत}¹ या उनके अधिकारियों के विरुद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश

(क) किसी व्यक्ति को {जिला पंचायत}¹ या {जिला पंचायत}¹ की किसी समिति या उप-समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपअध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों या कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिये कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है; या

(ख) किसी व्यक्ति को, {क्षेत्र पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की किसी समिति या उप-समिति के सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्तव्यों का संपादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से ऐसे सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है; या

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ या {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ की किसी समिति या उपसमिति की कोई निर्वाचन करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचन करने से रोकने के लिये कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

259—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत प्राधिकारी को किसी निर्दिष्ट {जिला पंचायत}¹ या {जिला पंचायत}¹ अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायतों}¹ के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

260—{जिला पंचायत}¹ या प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत}¹ की वृत्त-पुस्तिकाओं तथा {जिला पंचायत}¹ की कर निर्धारण-सूचियों का निरीक्षण किसी भी कर दाता या निर्वाचक द्वारा तदर्थ प्रविधि द्वारा नियत शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा।

वृत्त-पुस्तिकाओं तथा कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा

261—पुस्तकें, जिनमें प्रत्येक नियम विनियम तथा उपव्यधि हो यथा स्थिति, {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹, के कार्यालय में रखी जायगी तथा कार्य के साधारण घंटों में किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा तथा वे तदर्थ उपविधि द्वारा निर्दिष्ट उचित मूल्य पर जनसाधारण के हाथ विक्रय के लिए ऐसे कार्यालयों में रखी रहेंगी।

नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार की व्यवस्था

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 262-264 ख}

262— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के कब्जे की कोई रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या तदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया (Prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आपत्ति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी, जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता है।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के अभिलेखों के सिद्ध की रीति

263— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसे विधिक कार्यवाही, जिसमें {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ एक पक्ष न हो कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय ने आदेश न दिया हो।

{जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने पर निर्बन्ध

264— {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ का कोई सदस्य किसी ऐसे निर्माण-कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति पूर्णतः या अंशतः {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से यथास्थिति {जिला पंचायत}¹ या {क्षेत्र पंचायत}¹ के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक, लेख्यों का निरीक्षण कर सकता है।

सदस्यों द्वारा {जिला पंचायतों}¹ या {क्षेत्र पंचायतों}¹ के निर्माण कार्यों तथा रजिस्ट्रों का निरीक्षण

{264-क— (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के मानदेय और प्रमुख और उप-प्रमुख ऐसे मानदेय और ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जैसा नियत किया जाय।

मानदेय और भत्ते

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भिन्न जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख और उपप्रमुख से भिन्न क्षेत्र पंचायत के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जैसा नियत किया जाय।

264-ख— (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र निर्वाचन रीति पंचायत के प्रमुख, उप-प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर और संचालन निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा नियमों में दी गई रीति से किया जायगा, जिनमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख के निर्वाचन से सम्बन्धित शंकाओं और विवादों के समाधान की भी व्यवस्था होगी।

निर्वाचन की रीति और संचालन

(2) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप-प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।²

{(3) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख, कनिष्ठ उप-प्रमुख या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिए दिनांक या दिनाकों को नियत करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख, कनिष्ठ उप-प्रमुख या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिए दिनांक या दिनाकों को नियत करेगा।³

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 119 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-तीन की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 264ग-264घ}

{264-ग— (1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आदि के कर्मचारी वृन्द को निर्वाचन कार्य के लिए उपलब्ध किया जायेगा

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा, जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है, जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

264-घ— (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में —

परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतादान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है; अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा, जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसकी अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति से की जाएगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के पर विस्तृत न होगी, जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[धारा 264 ड]

(4) इस धारा में—

(क) “परिसर” से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड़ या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है;

(ख) “यान” से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

264—ड— (1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर को धारा 264—घ के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदाय किया जायेगा, जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा; अर्थात् :—

प्रतिकर का संदाय

(एक) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निदेशित कर दिया जाय, वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है, वहां अवधारण के लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में “हितबद्ध व्यक्ति” पद से वह व्यक्ति, जो धारा 264—घ के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था, वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 264—घ के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदाय किया जायेगा, जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां, अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवकय करार के आधार पर था, वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जायें और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 264 च-264 झ}

264-च— जिला मजिस्ट्रेट किसी सम्पत्ति की धारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 264-ङ के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे, जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति

264-छ— (1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 264-घ के अधीन आदेश किया जाय और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए, किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय कोई व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियाँ

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 264-घ में हैं।

264-ज— (1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 264-घ के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

अधिगृहीत परिसर से बेदखली

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटाया या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

264-झ— (1) जबकि धारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने हों तो तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किए जाने के समय कब्जा लिया गया था या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है, परिदत्त किया जायेगा और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अधधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 264ज-267}

264-ज— यदि कोई व्यक्ति धारा 264-घ या धारा 264-च के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।⁵

अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति

265— इस अधिनियम की कोई बात इंग्लिश रेलवेज ऐक्ट, 1890 के, या यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज ऐक्ट, 1892 के किसी उपबन्ध पर अथवा उन ऐक्टों के अधीन बनाए गए किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी।

इंडियन रेलवे ऐक्ट, 1890 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सेनीटेजन ऐक्ट, 1892 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति ऐक्ट सं. 9, 1990 यू. पी. ऐक्ट सं. 2, 1992

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध, निरसन तथा संशोधन

266— (1) यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1958 से भिन्न किसी अधिनियमिति में, जो किसी जिले में {इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक}⁴ से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रचलित हो या तद्धीन निर्मित या जारी किए गए किसी नियम आदेश या विज्ञप्ति में, जो ऐसे दिनांक पर उक्त जिले में प्रचलित हो, जब तक कि अन्य आशय प्रतीत न हो—

अन्य अधिनियमियों में उल्लेख का अर्थ यू. पी. ऐक्ट सं. 10, 1922 यू. पी. ऐक्ट सं. 22, 1958

(क) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह जिले की {जिला पंचायत}¹ का उल्लेख है और वह अधिनियमिति नियम आदेश अथवा विज्ञप्ति तदनुसार उक्त {जिला पंचायत}¹ के सम्बन्ध में प्रवृत्त होगी;

(ख) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट अथवा वाइस-प्रेसिडेंट के उल्लेखों का अर्थ यह किया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के उल्लेख हैं;

(ग) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिए संघटित {जिला पंचायत}¹ के सदस्यों का उल्लेख है;

(घ) यू. पी. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, 1922 में किसी अध्याय या किसी धारा के प्रति उल्लेख या यथासंभव यह अर्थ किया जायगा कि वह इस अधिनियम या इसके तत्स्थानीय अध्याय धारा का उल्लेख है।

यू. पी. ऐक्ट सं. 10, 1922

{(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी लेख या कार्यवाही में जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के उल्लेख का अर्थ यह किया जायगा कि वह क्रमशः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का उल्लेख है।²}

³{267— (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों अधिकारों दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 120 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 121 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 268—270}

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले {जिला पंचायत}¹ या क्षेत्र पंचायत में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, {जिला पंचायत}¹ या क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेगी और इसके अधिकार में रहेगी; तथा

(ख) पूर्वोक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो गई है या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवकान्त न हो जाय, अन्तिम होगा।

268— किसी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति को देय समस्त धनराशियां चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती।

देय धनराशियाँ

269— (1) किसी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसकी ओर से धारा 267 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हो, यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा हुए अथवा किए गए और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

ऋण, आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन कार्यवाहियाँ

(2) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा संपन्न किया जाना अपेक्षित हो, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को संक्रमित कर दी जायगी और उसके द्वारा जारी रखी जायगी और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासंभव उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भ या संपन्न की जाती।

(3) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य, इस प्रकार निस्तारित की जायगी मानो उसके प्रारम्भ किए जाने के समय, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत विद्यमान थी।

(4) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए सभी अभियोजन तथा उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाए गए सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो उक्त दिनांक की विचाराधीन हों, यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन वाद या कार्यवाही चलाए जाने के समय जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत संघटित की जा चुकी हो।²

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 121 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{धारा 271-272}

270— इस अध्याय के उपबन्धों द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था के अधीन रहते हुए—

(क) निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व यू. पी. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1958 {या इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा उनके संशोधन के पूर्व था}⁴ अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन की या बनायी गयी जारी की गई आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों कसे असंगत न हो तब तक प्रचलित बना रहेगा जब तक कि वह {उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम}⁴ अथवा पूर्वोक्त किसी विधि के अधीन की या बनाई गई, जारी की गई आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति प्रतिनिधान विज्ञप्ति नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री नियम, उप-विधि विनियम या प्रपत्र द्वारा अवकान्त न कर दिया जाय; तथा

(ख) यू. पी. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम {जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1958 के अधीन {इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक}⁵ के पहले तैयार किए गए समस्त बजट के तखमीने, निर्धारण, मूल्यवान माप तथा विभाजन जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत हो, इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए समझे जायेंगे।

नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना आदि
यू. पी. ऐक्ट सं. 10, 1922
यू. पी. ऐक्ट सं. 22, 1958

{271— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से—

जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के संघटन तक के लिए व्यवस्था

(क) {उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम जिला पंचायत}⁶ के संघटन तक की अवधि के दौरान जिला परिषद् और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कमशः जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जायेंगे;

(ख) {उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम क्षेत्र पंचायत}⁷ के संघटन तक की अवधि के दौरान, क्षेत्र समिति और उसके प्रमुख, उप-प्रमुख और सदस्य कमशः क्षेत्र पंचायत और उसके उसके प्रमुख, उप-प्रमुख और सदस्य के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र पंचायत और उसके उसके प्रमुख, उप-प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।}²

272— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण तत्समय प्रचलित किसी अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, {अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम}³ ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 122 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 123 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 के अध्याय-तीन की धारा 28(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 28 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 29 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 29 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}³ अधिनियम, 1961}

{धारा 273—274}

{(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रभावी होंगे, मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु, जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।⁴

273— अनुसूची 8 में दी गई अधिनियमितियों का संशोधन उक्त अनुसूची में उल्लिखित रूप से तथा सीमा तक किया जायगा :

संशोधन

प्रतिबन्ध यह है कि यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 37 का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे तथा विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक निर्दिष्ट किये गये जा सकते हैं।

यू. पी. ऐक्ट संख्या 26
1947

274— (1) उस दिनांक से जब कि जिले में {क्षेत्र पंचायतों}³ की स्थापना का कार्य पूरा हो जाय यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज लोकल रेट्स ऐक्ट, 1914 उस जिले के संबंध में निरस्त हो जायेंगे :

निरसन
यू. पी. ऐक्ट संख्या 10,
1922

{प्रतिबन्ध यह है कि उन क्षेत्रों के संबंध में, जिनमें आस्थान जमींदारी विनाश से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन राज्य में निहित न हुए हों, उक्त ऐक्टों के उपबन्ध उस सीमा तक, जहां तक उनका सम्बन्ध स्थानिक कर आरोपित तथा वसूल करने से है, इस प्रकार निहित होने के दिनांक तक प्रचलित रहे समझे जायेंगे।}¹

यू. पी. ऐक्ट संख्या 1,
1914

{(2) उस दिनांक से जब धारा 17 के अधीन किसी जिले में {जिला पंचायत}³ स्थापित हो जाये, उस जिले के संबंध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 निरस्त हो जायेगा और निरस्त रहेगा।}²

उ0 प्र0 अधिनियम
संख्या 32, 1958

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 29 द्वारा जोड़ा गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1965 की धारा 14 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 123 द्वारा बढ़ाया गया।

²{अनुसूची 1

{धारा 32 देखिए}

क्षेत्र पंचायतों के अधिकार और कृत्य

- (1) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है :
 - (क) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास।
 - (ख) सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।
- (2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण :

सरकार के भूमि सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।
- (3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास :
 - (क) लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।
 - (ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।
- (4) पशुपालन दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :
 - (क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण।
 - (ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार।
 - (ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालना और सुअर पालन की प्रोन्नति।
- (5) मत्स्य पालन :

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति।
- (6) सामाजिक और कृषि वानिकी:
 - (क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण;
 - (ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।
- (7) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।
- (8) लघु उद्योग :
 - (क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना।
 - (ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन।
- (9) कुटीर और ग्राम उद्योग :

कुटीर उद्योग के उत्पादों का विपणन।
- (10) ग्रामीण आवास :

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (11) पेयजल :
- (क) पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना।
 - (ख) कलुषित जल को पीने से बचाना।
 - (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।
- (12) ईन्धन और चारा भूमि :
- (क) ईन्धन और चारा भूमि से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।
 - (ख) पंचायत क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
- (13) सड़क, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :
- (क) गावों के बाहर सड़कों, पुलियों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण;
 - (ख) पुलों का निर्माण।
 - (ग) नौकाघाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में सहायता।
- (14) ग्रामीण विद्युतीकरण :
- ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति।
- (15) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :
- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी प्रोन्नति।
- (16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम :
- गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- (17) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं :
- (क) प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का विकास।
 - (ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति।
- (18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :
- ग्रामीण शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति।
- (19) प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा :
- प्रौढ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।
- (20) पुस्तकालय :
- ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।
- (21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :
- (क) सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण।
 - (ख) क्षेत्रीय लोक गीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन।
 - (ग) सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और प्रोन्नति।
- (22) बाजार और मेले :
- ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिनमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता :

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण।
- (ख) महामारियों का नियंत्रण।
- (ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(24) परिवार कल्याण :

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(25) प्रसूति और बाल विकास :

- (क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रमों की प्रोन्नति।
- (ख) महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(26) समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है :

- (क) समाज कल्याण कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना।
- (ख) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं का अनुश्रवण करना।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

- (क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।
- (ख) सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :

सामुदायिक आस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्शन करना।

(30) नियोजन और आंकड़े :

- (क) आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।
- (ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण।
- (ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पाद को सुनिश्चित करना।
- (घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा।
- (ङ) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}}¹ अधिनियम, 1961}

{अनुसूची 1 और 2}

(31) ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण :

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदानों का विवरण।

(ख) ग्राम पंचायत के क्रिया-कलाप के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

(32) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना।²

³{अनुसूची 2

भाग-क

(1) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि।

(ख) गोदामों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण :

सरकार द्वारा सौंपे गए भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा चकबन्दी कार्यक्रमों की योजनाओं का कार्यान्वयन।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल विकास :

(क) लघु सिंचाई और अन्तर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध करना।

(ग) भूमिगत जल का विकास।

(घ) जलाच्छादन विकास।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :

(क) पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) नस्लों का सुधार।

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालना तथा सुअर पालन की प्रोन्नति।

(5) मत्स्य पालन :

(क) सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास।

(ख) मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी :

(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन की प्रोन्नति।

(ख) बंजर भूमि का विकास।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 124 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका क्रियान्वयन।

(8) लघु उद्योग :

लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की प्रोन्नति।

(9) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग :

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना।

(10) ग्रामीण आवास :

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास।

(ख) अनावसीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का क्रियान्वयन।

(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्रामगृहों का निर्माण।

(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किए गए ग्रामीण आवास कार्य का अनुश्रवण।

(11) पेयजल :

(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिए पीने के पानी का अनुरक्षण।

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।

(12) ईंधन और चारा भूमि :

(क) ईंधन और चारा कार्यक्रमों का अनुश्रवण और विकास।

(ख) ईंधन और चारा क्षेत्र के लिए पौधों का अनुरक्षण और विकास।

(ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किए गए कार्यक्रमों का अनुश्रवण।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :

(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जलमार्गों का विकास और अनुरक्षण।

(ख) नदी के किनारों का अनुरक्षण।

(ग) सड़कों पर दिशाओं और चिन्हों का अंकित करना।

(घ) सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना।

(15) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :

(क) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम :

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।

(ख) अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय।

(17) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं :

(क) प्रारम्भिक, सामाजिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण।

(ख) जिले में सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना।

(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :

तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुश्रवण।

(19) प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन।

(20) पुस्तकालय :

(क) खण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति।

(ख) क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।

(ग) विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्यवस्था।

(22) बाजार और मेले :

(क) ग्रामीण बाजारों, मेलों (जिसके अन्तर्गत पशु मेले भी हैं) का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किए गए बाजारों और मेलों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता :

(क) महामारियों के रोकथाम और नियंत्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना और उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध।

(ग) पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{अनुसूची 2}

(24) परिवार कल्याण :

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण।

(25) प्रसूति और बाल विकास :

(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(26) समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) समाज कल्याण कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना।

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं के समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।

(ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण।

(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध।

(घ) सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :

(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण।

(ख) सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण।

(30) नियोजन और आंकड़े :

(क) आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।

(ख) क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण।

(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निष्पाद को सुनिश्चित करना।

(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा।

(ङ) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री संग्रह करना तथा आंकड़ों का अनुरक्षण।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(31) सहायता कार्य :

(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण और दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना, जो आवश्यक समझी जाय।

(ख) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों और विश्राम गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण।²

भाग—ख

- (1) पूर्व निर्मित अथवा अनिर्मित क्षेत्रों में नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा तदर्थ एवं उक्त सड़कों से लगे हुए भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना;
- (2) अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार;
- (3) स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना;
- (4) जन गणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना, जिससे जन्म—मरण के आंकड़ों की ठीक—ठीक प्रविष्टि को सके;
- (5) ट्राम—पथों, हवाई राज—पथों तथा यातायात के अन्य साधनों का निर्माण, उन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना;
- (6) कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिये उपयुक्त उन्हें क्षति पहुंचाये जाने या दूषित अथवा कलुषित होने से बचाना;
- (7) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल संभरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण उन्हें क्षति पहुंचाये जाने या दूषित अथवा कलुषित होने से बचाना;
- (8) पर्यटन की उन्नति;
- (9) जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना, जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की स्वीकृति से {जिला पंचायत}¹ द्वारा, जिला निधि पर उपयुक्त रीति से भारित व्यय घोषित किया गया है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{अनुसूची 3}

अनुसूची 3

{धारा 35 देखिए}

यूनाइटेड प्रॉविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य, जो {जिला पंचायत}¹ अथवा {क्षेत्र पंचायत}¹, जैसा कि तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित है, द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे:

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्रधिकारी, जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
9	{***} ²	{***} ²
11(1)	{***} ²	{***} ²
12-ई	{ग्राम पंचायत} ³ के प्रधान तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सहायक सरपंचों के पद की शपथ दिलाना	{क्षेत्र पंचायत}
12-एफ	{ग्राम पंचायतों} ³ के प्रधान, उप-प्रधान तथा सदस्यों के त्याग-पत्रों को ग्रहण करना	{जिला पंचायत}
17(ई)	सिंचाई की छोटी योजनाओं को हाथ में लेने के {ग्राम पंचायतों} ³ के प्रस्तावों को स्वीकृत करना	{क्षेत्र पंचायत}
20	(1) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिए खण्ड में स्थित पास-पड़ोस के {ग्राम पंचायतों} ³ के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना	{क्षेत्र पंचायत}
	(2) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित की गांव के लिये अंतर-खण्ड पास पड़ोस की {ग्राम पंचायतों} ³ के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना	{जिला पंचायत}
25(1)	पंचायत द्वारा किसी ऐसे पद के सृजन का अनुमोदन करना, जिसके लिये उसके बजट में व्यवस्था न हो	{क्षेत्र पंचायत}
25(4)	(1) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड के अन्दर स्थाना-न्तरण करना	{क्षेत्र पंचायत}
	(2) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड के बाहर स्थानान्तरण करना	{जिला पंचायत}
25(5)	न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियां स्वीकृत करना तथा उनके संबंध में स्थानान्तरण, दण्ड, पद मुक्ति तथा पदच्युत के अधिकारों का प्रयोग करना	{जिला पंचायत}
25-ए	(1) पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना तथा उन पर पदोन्नति, पदच्युत तथा हटाये जाने संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार	{क्षेत्र पंचायत}

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 124 (ग)(1) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 124 (ग) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

{अनुसूची 3}

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्रधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
	(2) पंचायत सेक्रेटरियों पर छुट्टी स्थानान्तरण तथा अन्य अनुशासन सम्बन्धी अधिकार नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाये जाने संबंधी अधिकार सम्मिलित नहीं है	{क्षेत्र पंचायत}
27	{ग्राम पंचायत} ¹ के किसी धन अथवा संपत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरुपयोग के लिये {ग्राम पंचायत} ¹ , संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य विरुद्ध दीवानी वाद चलाने की स्वीकृति देना	{जिला पंचायत} ¹
30 (2)	(1) खण्ड के अन्दर स्थित संयुक्त समिति की संघटक इकाईयो, के बीच विवादों को तय करना	{क्षेत्र पंचायत} ¹
	(2) संयुक्त समिति की अन्तर खण्ड संघटक इकाईयों के बीच विवादों को तय करना	{जिला पंचायत} ¹
36	{***} ²	{***} ²
37-ए (2)	गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उप शुल्क लगाने के लिए {ग्राम पंचायत} ³ को निदेश देना	{क्षेत्र पंचायत} ¹
37-बी	यदि {ग्राम पंचायत} ³ अपने आदयों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करे तो पंचायत करों का मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जाना प्राधिकृत करना	{क्षेत्र पंचायत} ¹
37-सी (2)	सरकार द्वारा नियत की गयी परिस्थितियों में किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देना	{जिला पंचायत} ¹
37-सी (3)	किसी कर या शुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के {ग्राम पंचायत} ³ के निर्णय को अनुमोदित करना	{क्षेत्र पंचायत} ¹
39 (1)	उस अनुपात की निर्धारित करना, जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्किल में सम्मिलित {ग्राम पंचायतों} ³ की गांव निधियों पर भारित होंगे	{क्षेत्र पंचायत} ¹
41 (3)	{***} ²	{***} ²
41 (4)	{***} ²	{***} ²
41 (5)	{***} ²	{***} ²

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 124 (ग)(1) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 124 (ग) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

{अनुसूची 4}

- 96 किसी {ग्राम सभा}¹, {ग्राम पंचायत}² या संयुक्त समिति {जिला पंचायत}¹ या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना, यदि उसकी (नियत प्राधिकारी की) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जनसाधारण या विधितः नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की संभावना हो अथवा उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा हो या होने की संभावना हो अथवा दंगा या हंगामा उत्पन्न होने की संभावना हो
- 98 पंचायत उप विधियों के शास्ति खण्ड की स्वीकृति देना {जिला पंचायत}¹
- 112 (1) (जी) {ग्राम पंचायत}² द्वारा कोई अन्य कर्तव्य या कृत्य किए जाने का निदेश देना {क्षेत्र पंचायत}¹
- 114 पंचायत राज ऐक्ट के अधीन संघटित किसी निकाय में हुई किसी रिक्ति को, यदि वह 6 मास से अधिक के लिये हो, न भरने का निदेश देना {जिला पंचायत}¹

अनुसूची 4

(धारा 56 देखिए)

{जिला पंचायत}¹ के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को जिले के भीतर किसी {ग्राम-सभा} ¹ , {ग्राम पंचायत} ¹ या भूमि प्रबंधक समिति, को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार को वापस लेना	
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को {क्षेत्र पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित करना अथवा {क्षेत्र पंचायत} ¹ द्वारा कोई अधिकार या कृत्य {जिला पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित किए जाने के संबंध में सम्मति देना	
35 (1)	{ग्राम पंचायतों} ² के संबंध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना	कार्य समिति, अध्यक्ष या मुख्य अधिकारियों को पूर्णतः अथवा अंशतः एक को और अंशतः अन्य को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
35 (2)	जिले की किसी {ग्राम पंचायत} ² से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का समन्वय {क्षेत्र पंचायत} ¹ की उसकी प्रकार कार्यवाहियों से करे	प्रतिनिहित किया जा सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (ग) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

{अनुसूची 4}

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
36 (क)	कोई कर अथवा उपशुल्क आरोपित करने के किसी {ग्राम पंचायत} ¹ के प्रस्ताव को अनुमोदित करना और उसे स्वीकृत करना तथा किसी {ग्राम सभा} ¹ के निमित्त उपविधियां बनाना और उन्हें स्वीकृत करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
36 (ख)	{***} ²	
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य {जिला पंचायत} ¹ या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्य या उपक्रमों में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं, जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसा प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो	
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंश दान दिया जाय या नहीं, जिससे जिले को लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य जिले के बाहर किया जाय या संस्था जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वह किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, छावनी, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हों	
39 (2)	धारा 39 (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पदों से भिन्न पदों का सृजन करना या ऐसे पद का सृजन करना, जिसके सृजन का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो	
39 (2) प्रति— बन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर सृजित पद को समाप्त करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेना	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
39(2) प्रति— बन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट निदेश पर सृजित किसी ऐसे पद को समाप्त करना, जिसके समाप्त करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो	
41 (1) (क)	राज्य सरकार से प्रार्थना करना कि वह अपने किसी कर्मचारियों की सेवायें {जिला पंचायत} ¹ को सौंप दें	
43 (1)	कार्याधिकारी अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना, {जिनका वेतनमान ऐसा हो, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे] ³	
43 (4) (ख)	राज्य सरकार के अपेक्षानुसार किसी सरकारी कर्मचारी को {जिला पंचायत} ¹ की सेवा में कर लेना	
46 (2) (घ)	किसी अधिकारी या सेवक की सेवा समाप्त करना	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
48 (3) प्रति— बन्धात्मक	सरकार द्वारा निदेश दिये जाने पर {क्षेत्र पंचायतों} ¹ में नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में जिला संवर्ग संघटित करना	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (घ)(1) द्वारा निकाला गया।

3. उपर्युक्त की धारा 124 (घ) (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

{अनुसूची 4}

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
48 (3)	प्रत्येक {क्षेत्र पंचायत} ¹ के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
51 (1)	मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण रखना	{जिला पंचायत} ¹ के सामान्य पथ प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
51 (3)	{***} ²	{***} ²
57 (1)	{जिला पंचायत} ¹ के किन्हीं अधिकारों कर्तव्यों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित करना	
57 (3)	{जिला पंचायत} ¹ द्वारा प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करना या उस आदेश का पुनरीक्षण करना	
64 (1)	समितियां नियुक्त करना	
65 (1)	विनियम द्वारा अन्य समितियां नियुक्त करना	
65 (2)	संकल्प द्वारा परामर्श समितियां नियुक्त करना	
77 (1)	संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिये सहमति देने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त होना	
86 (7)	{***} ²	
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मांगना	अध्यक्ष को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
94 (1)	अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से कोई विवरणियां आदि देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना	
95	कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श देने की अपेक्षा करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
100 (2)	खुले बाजार में ऋण लेना	
101 (3)	जिला निधि से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना अथवा निधियों को सावधि निपेक्ष में रखना	
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि के अर्जन के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
107	{जिला पंचायत} ¹ में निहित किसी संपत्ति को संक्रामित करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (घ)(1) द्वारा निकाला गया।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 4]

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
108	जिला निधि से प्रतिकर देना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
110 (7)	बजट में परिवर्तन करना	
115 (2)	{क्षेत्र पंचायत} ¹ के बजट को नियोजन समिति के समक्ष रखना	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
115 (6)	बजट के बारे में {क्षेत्र पंचायत} ¹ तथा नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना	
122	कर की वसूली {ग्राम पंचायत} ² को सौंपना	
124	कर सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना	
131	कर के भुगतान से विमुक्त करना	
132	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और कर के दोष को दूर करना	
141	{ग्राम पंचायतों} ² की निधियों में अंशदान देना	
142	{जिला पंचायत} ¹ में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा ऐसे शुल्कों को उद्गृहीत तथा वसूल करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
143	लाइसेन्सों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना	
144	इस धारा में वर्णित शुल्क तथा तथकर निश्चित करना तथा उद्गृहीत करना	
145	{जिला पंचायत} ¹ द्वारा स्थापित अनुरक्षित या प्रबन्ध किये गये बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना	
189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ी तथा लम्बी आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण-स्थलों की व्यवस्था करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
190	किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
191(1) से (3)	आशय को विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा परिभाषित करना	{कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति} ³ द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना, जो सड़क की नियमित निर्माण-रेखा के समनरूप न हो	{कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (घ)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 124 (घ) (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

{अनुसूची 4}

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
191 (5)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण आदि करने से रोके जाने से होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देना	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेंगे।
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना, जो किसी सड़क की नियमित निर्माण-रेखा उल्लंघन करती हो	{कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति} ³ द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की सहमति देना, जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन {जिला पंचायत} ¹ द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना हो	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
195	नाली, सन्डास आदि को हटाने या उसे बन्द करने आदि की अपेक्षा करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
196	{जिला पंचायत} ¹ में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जल-कार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देने तथा उसे हटाने का आदेश देना और ऐसा न करने पर स्वयं किसी अनधिकृत संसचना या पेड़ को हटाना तथा सम्बन्धित व्यक्ति से व्यय वसूल करना	
202	क्षोभकर व्यापारों को विनियमित करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
211	धारा 211 के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भूमि या भूम्याधिकार अर्जित करना या अन्यथा उसकी व्यवस्था करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
213 (1) (क)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को हटाने के समय, रीति तथा शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी करना	{शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
213 (1) (ग)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को हटाने के समय, रीति तथा शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी करना	{शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
216	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त किसी इमारत के उपयोग का तब तक के लिये निषेध करना जब तक कि उसमें उपयुक्त परिवर्तन न कर दियें और इसका अनुपालन न करने पर उसके गिराये जाने की अपेक्षा करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (घ) (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 124 (घ) (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 4]

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
218	स्वास्थ्य के लिये हानिकार किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद्य का प्रयोग या सिंचाई की किसी रीति का निषेध करना ।	
221	किसी निर्दिष्ट कब्रिस्तान या श्मशान को बन्द करने का आदेश देना और यदि समुचित दूरी के भीतर कोई उपयुक्त स्थान न हो तो इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, किसी सार्वजनिक नोटिस की व्याप्ति से निजी कब्रिस्तान को मुक्त करना तथा अनुभिज्ञात कब्रिस्तान या श्मशान के उपयोग की अनुमति देना	{शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति} ² को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
228 (2)	नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिसमें किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया गया हो, स्पष्टीकरण देना	
232	{जिला पंचायत} ¹ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देना	
239	उपविधियाँ बनाना	
246	यदि {जिला पंचायत} ¹ के नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था कोई कार्य करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना, और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य जिसका {जिला पंचायत} ¹ द्वारा प्रयोग या संपादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो	

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (घ) (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 5]

अनुसूची 5

(धारा 56 देखिए)

मुख्य अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34(1)	{जिला पंचायत} ¹ द्वारा {ग्राम सभा} ¹ , {ग्राम पंचायत} ¹ अपने कोई अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित करने के लिये संबद्ध निकाय की सम्मति प्राप्त करना	
34(2)	ऐसा अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिये {क्षेत्र पंचायत} ¹ की सम्मति प्राप्त करना, जिसे {क्षेत्र पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित करने का {जिला पंचायत} ¹ का प्रस्ताव हो	
43(1)	ऐसे पदों पर, {जिनका वेतनमान ऐसा हो, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे} ² , नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिये आयोग को लिखना	
86(4)	खण्ड की योजना का प्रालेख प्राप्त करना	
86(5)	{***} ³	
101(3)	कतिपय प्रतिभूतियों में जिला निधि की धनराशि लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	
102(2)	जिले की सीमाओं के आहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	
113	अंतिम रूप से पारित बजट की एक बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजना	
115 (3)	{क्षेत्र पंचायत} ¹ के बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति का अनुमोदन या सिफारिश क्षेत्र समिति को संसूचित करना	
123(3)	कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा नियमों के प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना	
124(2)	कर-सम्बन्धी परिष्कृत प्रस्तावों और नियमों के पुनरीक्षित प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना	
128	उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजना, जिसमें करारोपण का निदेश दिया गया हो	
148	माँग का बिल जारी करना	
150	माँग का नोटिस करना	
155	जिला मैजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना-पत्र देना कि वह ग्राम्य क्षेत्र के बाहर या अन्य मैजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे	

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उपर्युक्त की धारा 124 (ड) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उपर्युक्त की धारा 124 (ड)(2) द्वारा निकाला गया।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 5]

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
158	{जिला पंचायत} ¹ को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना	
159	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना	
206	{जिला पंचायत} ¹ के खड़जे, गन्दी नाली आदि को किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा {जिला पंचायत} ¹ द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना ।	
208	कोई इमारत, कुआँ आदि गिराने या हटाने आदि की अपेक्षा करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना ।	अपील की जा सकती है ।
209	ऐसी वस्तुओं के लिए अनुमति देना, जिनसे अन्यथा किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध पैदा होता हो, किसी अवरोध को हटाना और उस पर होने वाला व्यय वसूल करना ।	
210	फैक्टरियों, स्कूलों आदि में शौचालयों और मूत्रालयों का व्यवस्था की अपेक्षा करना ।	
211	किसी निजी कुएं, तालाब आदि को साफ कराने, उसकी मरम्मत कराने, उसे ढकने, भरवाने या जलोत्सारित कराने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है ।
212	किसी गन्दी भूमि या इमारत को साफ कराने तथा उसे उचित दशा में करने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है ।
215	किसी गन्दे पानी की मोरी या गड़ढे या मल के नाले या मलकूप (cesspool) या अन्य किसी क्षोभकर पदार्थ को किसी सार्वजनिक सड़क या स्थानों पर बहने देने, जलोत्सारित करने या रखे जाने की स्वीकृति देना तथा उसके सम्बन्ध में कोई शर्त आरोपित करना ।	
219	हानिकर वनस्पति को साफ करने का आदेश देना ।	अपील की जा सकती है ।
220	खोदे गये स्थान आदि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 6]

अनुसूची-6
(धारा 79 देखिए)
{क्षेत्र पंचायत}¹ के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
11(1)	{***} ² उप-प्रमुख या सदस्य से पद-त्याग का नोटिस लेना ।	खण्ड विकास अधिकारी या उसके किसी नामांकित द्वारा किया जाय
34(1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को {ग्राम सभा} ¹ , {ग्राम पंचायत} ¹ या भूमि प्रबंधक समिति को प्रतिनिहित करना या उनसे इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार आदि को वापस लेना ।	
34(2)	इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार या कृत्य को {जिला पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित करना अथवा {जिला पंचायत} ¹ द्वारा कोई अधिकार या कृत्य {क्षेत्र पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित किये जाने की सम्मति देना ।	
35(1)	{ग्राम पंचायतों} ³ के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना ।	{कार्य समिति} ⁴ को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
173	किसी सार्वजनिक नाली में परिवर्तन करना, उसे रोकना, बन्द करना या हटाना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य {क्षेत्र पंचायत} ¹ या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं, जिनसे {क्षेत्र पंचायत} ¹ द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों का लाभ पहुंचता हो	
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाय या नहीं, जिससे खण्ड को लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड के बाहर किया जाय या संस्था खण्ड के बाहर अनुरक्षित हो या किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, छावनी, नोटीफाइड ऐरिया, टाउन ऐरिया के क्षेत्र, में हों	
86	खण्ड को योजना के प्रालेख पर विचार करना तथा उस अनुमोदित करना	
87(1) तथा (2)	समितियों स्थापित करना	
87 (3)	परामर्श समितियां नियुक्त करना	
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्घरण आदि मांगना	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 124 (च)(1) द्वारा निकाला गया ।
3. उपर्युक्त की धारा 124 (च) (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 124 (च) (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 6]

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
101 (3)	क्षेत्र-निधि में से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या सावधि निक्षेप में रखना	खण्ड विकास अधि-कारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि का अर्जन करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
107 (1)	{क्षेत्र पंचायत} ¹ में किसी संपत्ति को संक्रामित करना	{कार्य समिति} ² को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
108	क्षेत्र-निधि में से प्रतिकर देना	{कार्य समिति} ² को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
115 (4)	बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार करना	
142	{क्षेत्र पंचायत} ¹ में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा शुल्क को उद्ग्रहित या वसूल करना	
143	लाइसेंसों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना	
144	इस धारा में वर्णित कुछ अन्य शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना	
145	{क्षेत्र पंचायत} ¹ द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबंध किये गये बाजारी में शुल्क या पथ क आरोपित करना	
165 (1)	किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार, {जिला पंचायत} ¹ या {क्षेत्र पंचायत} ¹ में निहित संपत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत के निर्माण अथवा कुएं की खुदाई आदि की स्वीकृति देना या देने से इंकार करना इत्यादि	खण्ड विकास अधि-कारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
171	किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को (किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार, {जिला पंचायत} ¹ या {क्षेत्र पंचायत} ¹ में निहित संपत्ति के पार्श्वस्थ) किसी इमारत के निर्माण आदि या कोई कुआं बनाने आदि से रोकने के लिये निदेश देना तथा किसी इमारत या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने के लिये निदेश देना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
184 (1) तथा (2)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को सरल समतल करने उसमें खड़जा लगाने, उसे पक्का करने या उसमें पत्थर लगाने आदि की अपेक्षा करना तथा ऐसा न किये जाने पर उस कार्य को सम्पादित करवाना और समबद्ध व्यक्ति से उसका व्यय वसूल करना।	किसी विकास अधि-कारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
184 (3)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	
189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास करना तथा उनका निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ा, लम्बा आदि करना तथा उनसे सलग्न निर्माण-स्थलों की व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (च) (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961}

{अनुसूची 6}

190	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	
191 (1) से (3)	आशय को विज्ञापित करने तथा आपतियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दानों और इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा परिभाषित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क को नियमित निर्माण रेखा के समनरूप न हो।	{कार्य समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायगा
191 (5)	किसी सड़क का नियमित निर्माण रेखा से किसी निजी भूमि के अपवर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान का स्वीकृति देना।	{कार्य समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायगा
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना, जो किसी सड़क का नियमित निर्माण-रेखा की उल्लंघन करता हो।	{कार्य समिति} ² द्वारा प्रयुक्त किया जायगा
192 (2)	किसी व्यक्ति को ऐसी बात करने की अनुमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन {जिला पंचायत} ¹ द्वारा निर्माण को सम्बन्ध में किये गये प्रबंध में हस्तक्षेप हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
193	किसी जलमार्ग आदि की सफाई करने तथा उसे अच्छी हालत में बनाये रखने की अपेक्षा करना, और पीने के प्रयोजन के लिये किसी जलमार्ग, आदि के उपयोग का निषेध करना या उसे बन्द करने का आदेश देना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
194	नाली, संडास आदि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	{कार्य समिति} ² या खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जायगा।
196	{क्षेत्र पंचायत} ¹ में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जलकार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देना तथा उसे हटाने का आदेश देना, और ऐसा न किये जाने पर किसी अनधिकृत संरचना या पेड़ को स्वयं हटाना तथा सम्बन्धित व्यक्ति से व्यय वसूल करना।	
228 (2)	नियत प्राधिकारी के उस आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जिसमें उसमें संकल्प या के साथ आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध पठित)	
236(4) (क)	{***} ³	
246	यदि {क्षेत्र पंचायत} ¹ की नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था कोई कार्य के करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना, या उस वस्तु की व्यवस्था या वह कार्य करवाना और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
सामान्य	कोई अधिकार कर्तव्य या कृत्य, जिसका {क्षेत्र पंचायत} ¹ द्वारा प्रयोग या संपादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो।	

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 124 (च) (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 124 (च)(4) द्वारा निकाला गया।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 7]

अनुसूची 7

धारा 79 (3) देखिए

खण्ड विकास अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन {क्षेत्र पंचायत} ¹ के किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को {ग्राम सभा} ¹ , {ग्राम पंचायत} ¹ या भूमि प्रबंधक समिति को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी सम्मति प्राप्त करना।	
34 (2)	{क्षेत्र पंचायत} ¹ का कोई अधिकार या कृत्य {जिला पंचायत} ¹ को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी ({जिला पंचायत} ¹ की) सम्मति प्राप्त करना।	
101 (3)	क्षेत्र-निधि का रूपय कतिपय प्रतिभूतियों में लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
102 (2)	खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये व्यय में निमित्त सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना,	
148 (धारा 161 के साथ पठित)	मांग का बिल जारी करना।	
150 (धारा 161 के साथ पठित)	मांग का नोटिस जारी करना।	
155 (धारा 161 के साथ पठित)	जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना-पत्र देना कि वह खण्ड के बाहर या अन्य मैजिस्ट्रेट को अधिकार-क्षेत्र के अर्न्तगत स्थित संपत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे।	
158 (धारा 161 के साथ पठित)	{क्षेत्र पंचायत} ¹ को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	
159 (धारा 161 के साथ पठित)	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना।	
172	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी को इस आशय का नोटिस देना कि {क्षेत्र पंचायत} ¹ की नाली या उस इमारत या भूमि में, या उसमें होकर, या उसके नीचे से निकाली जायेगी।	अपील की जा सकती है।
174 (1)	किसी निजी नाली को {क्षेत्र पंचायत} ¹ की नाली में गिराने की अनुमति देना।	
174 (2)	किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह {क्षेत्र पंचायत} ¹ की नाली से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली के जोड़ को बन्द करे, तोड़ दे आदि।	अपील की जा सकती है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश {क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत}¹ अधिनियम, 1961]

[अनुसूची 7]

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
176	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सड़क के विन्यास की अनुमति देना।	अपील की जा सकती है।
180	दोषी व्यक्ति से कारण बताने या उपस्थित होने की अपेक्षा करना तथा किसी अननुमित निजी सड़क को परिवर्तित करने या तोड़ देने का आदेश देना।	अपील की जा सकती है।
181	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों तथा नलियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण की स्वीकृति देना	अपील की जा सकती है।
183	सड़को तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले भागों तथा प्रक्षेपों को हटाने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
185	किसी ऐसे पेड़ काटने या किसी ऐसी इमारत आदि के निर्माण या उसके गिराये जाने की अनुमति देना, जो सड़क का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश पैदा करती हो।	अपील की जा सकती है।
186	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़क के किनारे की भूमि में उगी हुई झाड़ियों आदि के काटने या छंटने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
187	किसी मकान या पेड़ के गिरने से सड़क पर आकस्मिक अवरोध उत्पन्न हो जाने पर उसे हटाना तथा स्वामी से उसका व्यय वसूल करना।	
188	सड़क से लगी हुई इमारतों या भूमियों के स्वामियों अथवा अध्यासियों से यह अपेक्षा करना कि वे नाली का पानी निकालने के लिये पाइपों और जल प्रणालियों की व्यवस्था करें और उन्हें अच्छी दशा में रखें।	
195	किसी कुएं तालाब आदि के पचास फीट के भीतर स्थित किसी मलपात्र को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
197	नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में पशुओं के वध के लिये भूगृहादि निश्चित करना तथा ऐसे भूगृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेंस देना तथा वापस लेना।	
201	मानव अपभोग के लिये अभिप्रेत किसी भोज्य या पेय पदार्थ या पशु को, जो ऐसे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो, अभिग्रहीत करना तथा हटाना या नष्ट करना और इसी प्रकार कोई गतप्रभाव भेषज मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना।	
206	{क्षेत्र पंचायत} ¹ के खडंजे, गंदी नाली आदि के किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा {क्षेत्र पंचायत} ¹ द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 के अध्याय-तीन की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

**THE UTTAR PRADESH [KSHETTRA PANCHAYAT AND ZILA
PANCHAYAT]² ADHINIYAM, 1961¹
[U. P. ACT NO. XXXIII OF 1961]**

Amended by-

U. P. Act No.2 of 1963
U. P. Act No. 24 of 1963
U. P. Act No. 16 of 1965
U. P. Act No.6 of 1969
U. P. Act No. 19 of 1970
U. P. Act No. 22 of 1970
U. P. Act No. 18 of 1971
U. P. Act No. 26 of 1972
U. p. Act No. 34 of 1972
U. P. Act No.3 of 1973
U. P. Act No. 37 of 1976
U. P. Act No. 38 of 1978

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 14, 1960, and by the Uttar Pradesh Legislative Council with amendments on May, 1961 which were accepted by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 19, 1961]

[Received the assent of the President on November 29, 1961, under Article 201 of “the Constitution of India” and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 3, 1961.]

AN

ACT

*to provide for the establishment of [Kshettra Panchayats and Zila Panchayatss]²
in Uttar Pradesh*

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² in the districts of Uttar Pradesh to undertake certain governmental functions at Kshettra and district levels respectively in furtherance of the principle of democratic ecentralization of governmental functions and for ensuring proper municipal government in rural areas, and to correlate the powers and functions of [Gram Panchayats]² under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, with [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]²;

IT IS HEREBY enacted in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

1. For S. O. R. see Uttar Pradesh Gazette, extraordinary, dated August 18, 1960.
2. Chapter-III substituted by section 60 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 2]

[(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, upon being satisfied that it is so desirable on account of a national emergency or for the preservation of the safety or security of the country or any part thereof, by notification in the *Gazette*, suspend or withdraw the operation of this Adhiniyam in respect of any district or portion of any district in Uttar Pradesh or direct that the provisions of the Adhiniyam shall apply to such area with such modifications in the nature of additions, omissions or alterations as the State Government may specify and thereupon the operation of the Adhiniyam to such district or portion thereof shall remain suspended or withdrawn or the provisions of the Adhiniyam shall apply with the modifications so specified, as the case may be, till the notification is cancelled.]³

- | | |
|---|---|
| <p>Definitions</p> <p>Act II of 1934</p> <p>U.P. Act XXII of 1958</p> | <p>2. In this Act unless there be something repugnant in the subject or context----</p> <p>(1) "Scheduled Castes" means the castes deemed to be Scheduled Castes for the purposes of the Constitution of India;</p> <p>(2) "Schedule Bank" shall have the meaning assigned to the expression in the Reserve bank of India Act, 1934;</p> <p>(3) "Antarim [Zila Panchayat]¹" means the Antarim [Zila Panchayat]¹ constituted under section 4 of the Uttar Pradesh Antarim [Zila Panchayat]¹ Act, 1958;</p> <p>(4) "bye-law" means a bye-law made in exercise of a power conferred by this Act;</p> <p>(5) "collector" includes an additional collector to whom the collector may have by order, in writing delegated ally of his functions under this Act ;</p> <p>(6) "[Kshettra Panchayat]¹" means any [Kshettra Panchayat]¹ [incorporated]⁴ under section 5 and shall include any committee, member, officer or servant of the [Kshettra Panchayat]¹ authorised or required under this Act to exercise any power or perform any duty or function of the [Kshettra Panchayat]¹ under this Act, and '[Kshettra Panchayat]¹' shall mean a [Kshettra Panchayat]¹ established under this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994]⁵;</p> <p>[(7) "Khand" means the Panchayat area of a Kshettra Panchayat specified as such under section 3 ;</p> <p>(8) 'Backward Classes', 'Gram Sabha', 'Gram Panchayat', 'Circle', 'State Election Commission', 'Finance Commissioner' and 'Population' shall have the meanings respectively assigned to them under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;]²</p> <p>(9) "house" includes any shop, warehouse, shed and any enclosure used for keeping carts or cattle ;</p> <p>(10) "rural area" means the area of a district excluding every municipality, notified area, town area, cantonment and area of Nagar Mahapalika situated in the district;</p> |
|---|---|

1. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
2. Subs. by section 62(a) *ibid*.

3. Chapter-III of substituted by section 14 of U.P. Act No. 21 of 1995.
4. Subs. by section 15(a)(i) *ibid*.
5. Added by section 15(a)(ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 2]

- Act V of 1898 (11) "[Zila Panchayat]²" [means]³ [Zila Panchayat]² [incorporated]⁵ under section 17 and shall include any committee and any member, officer or servant of the [Zila Panchayat]², authorised or required under this Act to exercise any power or perform any duty or function of the [Zila Panchayat]² under this Act and '[Zila Panchayat]¹' mean a [Zila Panchayat]¹ established under this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994]⁶;
- U.P. Act II of 1959 (12) "servant of the [Zila Panchayat]²" means a person in the pay and service of 'the [Zila Panchayat]';
- (13) "district board" and "board" means the district board established under the United Provinces District Boards Act, 1922;
- (14) "district magistrate" means the district magistrate appointed under [section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973]⁴;
- (15) "district level officers" means such officers of the district as the State Government may from time to time specify as such by notification in the Gazette;
- (16)" "quarter" when referring to a period of time means a period of three months commencing on the first day of any of the months of January, April, July and October;
- [(16-A) 'Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat)' means the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) referred to in clause (kkk) of section 2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;]⁷
- [(17) (a) "municipality", "municipal board" and "notified area" shall have the meanings assigned to them under the U. P. Municipalities Act, 1916 ;
- (b) "town area" shall have the meaning assigned to it under the U. P. Town Areas Act, 1914;
- (c) "cantonment" and "cantonment board" shall have the meanings assigned to them under the Cantonments Act, 1924 ;
- (d) "notified area committee" or "committee for a notified area" means a committee constituted under section 338 of the U. P. Municipalities Act, 1916;
- (e) "town area committee" or "committee for a town area" means a committee established under section 5 of the U. P. Town Areas Act, 1914;]¹
- (18) "Nagar Mahapalika" means a Nagar Mahapalika established under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 ;
- (19) "prescribed" means prescribed by the Act or by any rule made thereunder;

1. Substituted by section 2 of U. P. Act II of 1963.

2. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

3. Subs. by section 62(b) *ibid*.
4. Subs. by section 62(c) *ibid*.
5. Chapter-III of substituted by section 15(b)(i) of U.P. Act No. 21 of 1995.
6. Added by section 15(b)(ii) *ibid*.
7. Added by section 15(c) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 2]

(20) "prescribed authority" means any person or authority Notified by the State Government in the Gazette as, prescribed authority for any purpose under this Act;

(21) "rule" means a rule made by the State Government in exercise of a power conferred by this Act ;

(22) [***]²

(23) "appointed date" with reference to a Khand or a district respectively means the [date of constitution of the first Kshettra Panchayat for that Khand or, as the case may be, the first Zila Panchayat for the district under this Act as amended by the Uttar Pardesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994]⁴ ;

(24) "judge" means the District Judge and, includes any other subordinate civil judicial officer named or designated by the District Judge in this behalf;

(25) "Bhumi Prabandhak Samiti" means a Bhumi Prabandhak Samiti as defined in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;

(26) "division", "district" and "tahsil" shall have the same meanings as they have in the United .Provinces Land Revenue Act, 1901;

(27) "commissioner of the division"" with reference to a [Kshettra Panchayat]¹ or [Zila Panchayat] means the commissioner appointed under section 12 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901, for the division within which the [Kshettra Panchayat]¹ or the [Zila Panchayats]¹ as the case may be exercises its jurisdiction and includes an additional commissioner appointed under section 13 of the same Act for such division;

(28) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(29) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(30) "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860;

(31) [***]⁵

(32) [***]⁵

(33) "regulation" means a regulation made in exercise of a power conferred by this Act ;

[(34) 'constituent Gram Panchayat' with reference to a Khand means a Gram Panchayat exercising jurisdiction within the Khand ;]³

[(35) "Government" means the Central Government or the Government of any State of the Indian Union ;

1. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
2. Deleted by section 62(d) *ibid*.
3. Subs. by section 62(f) *ibid*.
4. Chapter-III of substituted by section 15(d) of U.P. Act No. 21 of 1995.
5. Deleted by section 15(e) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 3-4]

(36) "person in the service of the Government" does not include a District Government Counsel, an Additional or Assistant District Government Counsel, any other counsel engaged by Government but not paid a monthly salary, a Government treasurer, a person holding a purely honorary office, or a person who has retired from the service of the Government

(37) "public road" or "public street" means any road street, bridge, culvert, thoroughfare, passage or place over which. the public in general have legally enforceable right of way and which is vested in, or maintained by, the Government or a local authority;

(38) "public place" means a place, not being private property, which is open to the use or enjoyment of the public whether such place is vested in the local authority or not ; and

(39) "local authority" includes a [Gram Sabha]³ ;]¹

[(40) 'Panchayat area' in relation to—

(a) a Kshettra Panchayat means the territorial area of the Kshettra Panchayat; and

(b) a Zila Panchayat means the territorial area of the Zila Panchayat.]⁴

CHAPTER II

[KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS]²

[Kshettra Panchayats]²

Division of
rural areas into
Khands

3. The State Government shall by notification in the Gazette divide the rural area of each district into Khands specifying each Khand by a name and the limits or constituents of its area and may likewise change the names or make modifications in the areas and limits of the Khands by including therein or excluding therefrom areas or create new Khands.

Effect of
changes in
Khands

4. When any area is under section 3 excluded from one Khand and included in another such area shall cease to be subject to the jurisdiction of the [Kshettra Panchayat]² of the Khand from which it has been excluded and become subject to the jurisdiction of the [Kshettra Panchayat]² of the Khand in which it has been included and to the rules, notifications, orders, directions and notices applicable thereto and the State Government may place at the disposal of such [Kshettra Panchayat] such portion of the assets of the [Kshettra Panchayat]² from whose jurisdiction the area has been excluded as it may deem proper and may make such

temporary orders and give such temporary directions as it may consider necessary to effectuate the change :

1. Clause (35) of section 1 of the Principal Act deleted and the subsequent Clauses (36) to (40) renumbered respectively as ((35) to (39) by U. P. Act II of 1963.
2. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
3. Deleted by section 62(g) *ibid*.
4. Subs. by section 62(h) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats] Adhiniyam, 1961]
[Section 5-6]

Provided that where the area excluded from the one Khand is included in a new Khand having no [Kshettra Panchayat]² constituted therefor, then [until a [Kshettra Panchayat]² is constituted for the new Khand]¹ the [Kshettra Panchayat]² of the Khand from which that area has been excluded, shall continue to exercise Jurisdiction in that area, and anything done or any section taken including any appointment or delegation made, notification, order or direction issued, rule, regulation, from bye-law or scheme framed, permit or licence granted or registration effected under the provisions of this Act in respect of such area by such [Kshettra Panchayat]², shall with respect to the new Kshand, be deemed to have been done or taken by the new [Kshettra Panchayat]² under the provisions of this Act and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act.

[{Constitution
and incorpora-
tion of Kshettra
Panchayat

5. (1) There shall be a Kshettra Panchayat for every Khand bearing the name of that Khand and constituted as hereinafter provided.
(2) The Kshettra Panchayat shall be a body corporate.
(3) The Kshettra Panchayat shall have its office at such place as may be determined by the State Government and until so determined, at the place at which it was situated immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.³
[(4) Any vacancy in any category of members referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 18 shall be no bar to the constitution or reconstitution of a Kshettra Panchayat.
(5) The constitution of a Zila Panchayat shall be notified in the Gazette.]⁵

Composition
of Kshettra
Panchayat

6. (1) A Kshettra Panchayat shall consist of a Pramukh, who shall be its Chairperson; and --
(a) all the Pradhans of the Gram Panchayats in the Khand;
[(b) elected members, who shall be chosen by direct election from the territorial constituencies of Panchayat area and for this purpose the Panchayat area shall be divided into territorial constituencies as follows-
(1) There shall be 20 territorial constituencies in the development blocks of hill area having the population upto 25000 and blocks having the population more than 25000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40.
(2) There shall be territorial constituencies in the development blocks of plane area having the population upto 5000 and in the developmnet blocks having the population more than 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40.

Provided that the a part of the territorial constituency in the blocks will be the same a far as practicable;

Provided further that a part of the territorial constituency of the Gram Panchayat shall not be included in the territorial constituency of any Kshetra Panchayat.]⁴

-
1. Subs. by section 15 of U. P. Act no. 3 of 1973.
 2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Substituted by section 16 of Chapter-III of U.P. Act No. 21 of 1995.
 4. Subs. by section 5 of UK Act no 8 of 2002.
 5. Added by section 8 of Chapter-III of U.P. Act No. 29 of 1995.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 6-A]

(c) the members of the House of the people and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Khand;

(d) the members of the Council of States and the members of the State legislative Council who are registered as electors within the Khand.

(2) The member of Kshetra Panchayat mentioned in clauses (a), (c) and (d) of sub-section (1) shall be entitled take part in the proceedings and vote at the meetings of the Kshetra Panchayat except in matters of election of and on a motion of no confidence against, the Pramukh or the Up-Pramukh.

(3) Each territorial constituency referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be represented by one member.

[(4) Every elected member of the Zila Panchayat representing constituency which comprises, wholly or partly, any Kshetra Paanchaayt, shall be entitled to take part and express his views in the meetings of such Kshetra Panchayat as a special invitee but shll have no right to vote in such meetings.]³

Reservation of 6-A
seats

(1) In every Kshetra Panchayat seats shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall, as nearly as may be, bear the same propotion to the total number of seats to be filled by direct election in the Kshetra Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the Khand or of the Backward Classes in the Khand bears to the total population of such Khand and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Kshetra Panchaayt in such order as may be prescribed :

Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed [fourteen]⁴ per cent of the total number of seats in the Kshetra Panchayat :

[Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.]²

(2) [Not less than one-half]⁴ of the seats reserved unde sub-section (1) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.

(3) [Not less than one-half]⁴ of the total number of seats, including the number of seats reserved under sub-section (2) shall be reserved for women and such seats may be allottd by rotation to different territorial constituencies in a Kshetra Panchayat in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation—It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.

-
1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. added by section 18 of Chapter-III of U.P. Act No. 21 of 1995.
 3. added by section 6 of Chapter-III of U.P. Act No. 33 of 1999.
 4. subs. by section 3 of UK Act no 30 of 2005.
 5. subs. by section 4 of UK Act no 07 of 2008.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 6B-7A]

Electoral rolls for Kshettra Panchayat	6-B	(1) There shall be an electoral roll for each territorial constituency of a Kshettra Panchayat. (2) The electoral roll for the territorial constituency of a Kshettra Panchayat shall consist of the electoral roll prepared under section 9 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 for all territorial constituencies of a Gram Panchayat or Gram Panchayats comprised within the territorial constituency of the Kshettra Panchayat and it should not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such territorial constituency of a Kshettra Panchayat : Provided that any correction, deletion or addition made in the electoral roll after the last date for making nominations for any election to the Kshettra Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purposes of that election.
Right to vote etc.	6-C	Except as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for the territorial constituency of a Kshettra Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or to any office in the Kshettra Panchayat : Provided that a person who has not completed the age of twenty-one years shall not be qualified to be elected as member or office bearer of the Kshettra Panchayat.
Pramukh and Up-Pramukh	7.	(1) In every Kshettra Panchayat a Pramukh, a Senior Up-Pramukh and a Junior Up-Pramukh shall be elected by the elected members of the Kshettra Panchayat from amongst themselves. (2) The election to the office of Pramukhs and Up-Pramukh may be held notwithstanding any vacancy in the office of the elected members of Kshettra Panchayat.
Reservation of the offices of Pramukhs	7-A	(1) The offices of the Pramukhs of Kshettra Panchayats in the State shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes : Provided that the number of offices of the Pramukhs so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the State or of Scheduled Tribes in the State or of the Backward Classes in the State bears to the total population of the State and the offices so reserved may be allotted by rotation to different Kshettra Panchayats in the State in such order as may be prescribed : Provided further that the reservation for the Backward Classes shall not exceed [fourteen]³ percent of total number of offices of Pramukhs in the State : [Provided also that if the figures of population for the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the

prescribed manner.]²

(2) [Not less than one half]⁴ of the offices reserved under sub-section (1) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes as the case may be.

(3) [Not less than one-half]⁴ of the total number of offices of Pramukhs, including the number of offices reserved under sub-section (2), shall be reserved for women and such offices may be allotted by rotation to different Kshettra Panchayaats in the State in such order as may be prescribed.

-
1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Added by section 19 of Chapter-III of U.P. Act No. 21 of 1995.
 3. subs. by section 3 of UK Act no 30 of 2007.
 4. subs. by section 4 of UK Act no 07 of 2008.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 8-A]

(4) The reservation of the offices of Pramukhs for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation— It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved offices.

Term of
Kshettra
Panchayat and
its members

8. (1) Every Kshettra Panchayat shall unless sooner dissolved under this Act, continue for five years the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) The term of office of a member of a Kshettra Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of Kshettra Panchayat.

(3) An election to constitute a Kshettra Panchayat shall be completed—

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1);

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Kshettra Panchayat would have continued is less than six months, its shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Kshettra Panchayat for such period.

[(3-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Kshettra Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an Administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Kshettra Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Kshettra Panchayat, its Pramukh and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be.]⁴

(4) A Kshettra Panchayat constituted upon the dissolution of a Kshettra Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Kshettra Panchayat would have

continued under sub-section (1) had it not been so dissolved.

(5) A person who has become a member of the Kshettra Panchayat under clause (a), (c) or (d) of sub-section (1) of section 6 shall cease to be a member upon his ceasing to hold the office by virtue of which he has become such member.]²

8-A [***]³

1. ~~Chapter III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.~~

2. Subs. by section 63 ibid.

3. Deleted by section 64 ibid.

4. Subs by section 2 of U.K. Act No. 15 of 2002.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]⁶ Adhiniyam, 1961 [Section 9-11]

Term of
Pramukh and
Up-Pramukh

9. [(1)]¹ Save as otherwise provided in this Act the term of office of a Pramukh or Up Pramukh of a [Kshettra Panchayat]⁶ shall commence upon his election and shall extend up to the term of the [Kshettra Panchayat]⁶ :

[* * *]²

[(2) Where the office of the Pramukh is vacant-

(a) the senior Up-Pramukh shall discharge the functions of the Pramukh till the Pramukh is elected;

(b) and if the office of senior Up-Pramukh is also vacant, the junior Up-Pramukh shall discharge the functions of the Pramukh till the Pramukh or the senior Up- Pramukh is elected;

(c) and if the offices of both, the senior and junior Up-Pramukhs also are vacant the District Magistrate may, by order, make such arrangements as he thinks fit for the discharge of the functions of the Pramukh, till the Pramukh, senior Up- Pramukh or Junior Up-Pramukh is elected.]⁵

[Temporary
arrangement in
certain cases

9-A When the Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, and the office of Up- Pramukhs are vacant, or when the Up-Pramukh, if any, acting under section 83 during a vacancy in the office of Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the District Magistrate may, by order, make such arrangement, as he thinks fit, for the discharge of the functions of the Pramukh, until the date on which the Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be resumes his duties.]⁴

Constiution
and
reconstitution
of Kshettra
panchayat

10 (1) The State Government shall arrange for the reconstitution of the first [Kshettra Panchayat]⁶ for every Khand and for the constitution thereof [before the expiry of its term or when otherwise required for the purposes of this Act]³ having regard to the provision of section 6.

(2) [***]⁷

(3) [***]⁷

- Resignation of Pramukh, Up-Pramukh or member 11 [(1) A Pramukh, Up-Pramukh or any elected member of the Kshettra Panchayat may resign his office by writing under his hand addressed, in the case of the Pramukh, to the Adhyaksha of the Zila Panchayat concerned and in other cases to the Pramukh of the Kshettra Panchayat.]⁸
-
1. Renumbered by sub-section (1) of section 9 of U.P. Act No. 3 of 1973.
 2. Deleted by section 2(a) shall be deemed to have been from July 15, 1978 of U. P. Act no. 38 of 1978.
 3. Subs. by section 22(a) of U. P. Act No.3 of 1973.
 4. Insertion by section 2 of U. P. Act No. 37 of 1976.
 5. Subs. and shall be deemed to have substituted with effect from October 25, 1978 by sect. 2(b) of U. P. Act no. 38 of 1978.
 6. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 7. Deleted by section 65 ibid.
 8. Subs. by section 66(a) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 12-13]

(2) The resignation of the Pramukh shall take effect on and from the date on which the sanction thereto of the Adhyaksh is received in the office of the Kshetpra Samiti and the resignation of an Up-Pramukh or member shall take effect on and from the date on which the notice is received in the office of the [Kshettra Panchayat]¹ [and such Pramukh, Up-Pramukh or the member shall be deemed to have vacated his office.]²

- [Filling of casual vacancies 12 If a vacancy occurs by reason of death or otherwise in the office of Pramukh, Up-Pramukh or an elected member of the Kshettra Panchayat, it [shall be filled before the expiration of a period of six months from the date of such vacancy]³ in the manner provided for in sections 6 or 7, as the case may be, for the residue of the term of his predecessor :

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Kshettra Panchayat is less than six months, the vacancy shall not be filled.

- Disqualifica- 13 A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of tions for membership of a Kshettra Panchayat, if he--
- (a) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election of the State Legislature :
- Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;
- (b) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority, or a Nyaya Panchayat established under section 42 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 :
 - (c) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority, or a Nyaya Panchayat or a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 for misconduct:

(d) is in arrears of any tax, fee rate or any other dues payable by him to the Gram Panchayat, Kshettra Pachayat or Zila Panchayat for such period as may be prescribed or has inspite of being required to do so by the Gram Panchayat, Nyaya Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat failed to deliver to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it ;

(e) is an undischarged insolvent;

(f) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(g) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months for contravention of any order made under the Essential Commodities Act, 1955;

-
1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Insertion by section 66 (b) ibid.
 3. Insertion by section 7 of Chapter-III of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 14]

(h) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation ofr contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U.P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947;

(i) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months under the U.P. Excise Act, 1910;

(j) has been convicted of an offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(k) has been convicted of an election offence ;

(l) has been convicted of an offence under the U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947 or the Protection of Civil Rights Act, 1955;

(m) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority;

(n) has been declared under section 23 to have committed any corrupt practice within the meaning of that section and such declaration continues to be effective; or

(o) is not registered in the electoral rolls for any territorial constituency of the Kshettra Panchayat :

Provided that the period of disqualification under clauses (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) or (l) shall be five years from such date as may be prescribed :

Provided further that the disqualification under clause (d) shall cease upon payment of arrears or delivery of the record or property, as the case may be :

Provided also that a disqualification under any of the clauses referred to in the first proviso may, in the manner prescribed, be removed by the State Government.]²

disqualification . Panchayat]¹ under [clauses (a)]³ of sub-section (1) of section 6, the dispute shall be referred in the manner prescribed to the State Government and the decision of the State Government shall be final and binding.

[(2) If any question arises as to whether a person has been lawfully chosen a member of a Kshettra Panchayat or has ceased to remain eligible to be such member the question shall be referred in the manner prescribed to the Judge, whose decision shall be final and binding.]⁴

(3) If the Judge decides that the member was not lawfully chosen [***]⁵ or has ceased to remain eligible to be a member of the [Kshettra Panchayat]¹ such member shall cease to be a member of the [Kshettra Panchayat]¹ from the date of such decision.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 67 *ibid*.

3. Subs. by section 68 (a) *ibid*.

4. Subs. by section 68 (b) *ibid*.

5. Deleted by section 68 (c) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]³ Adhiniyam, 1961] [Section 15]

Motion of no confidence in Pramukh or Up-Pramukh 15 . (1) A motion expressing want of confidence in the Pramukh or any Up-Pramukh of a [Kshettra Panchayat]³ may be made and proceeded with in accordance with the procedure laid down in the following sub-sections.

(2) A written notice of intention to make the motion in such form as may be prescribed signed by at least half of the total number of [elected members of the Kshettra Panchayat]⁴ for the time being together with a copy of the proposed motion, shall be delivered in person, by anyone of the members signing the notice, to the Collector having jurisdiction over the [Kshettra Panchayat]³.

(3) The Collector shall thereupon:-

(i) convene a meeting of the [Kshettra Panchayat]³ for the consideration of the motion at the office of the [Kshettra Panchayat]³ on a date appointed by him, which shall not be later than thirty days from the date on which the notice under sub-section (2) was delivered to him ; and

(ii) give to the members of the [Kshettra Panchayat]³ notice of not less than fifteen days of such meeting in such manner as may be prescribed.

Explanation-- In computing the period of thirty days specified in this sub-section, the period during which a stay order, if any, issued by a competent court on a petition filed against the motion made under this section is in force plus such further time as may be required in the issue of fresh notices of the meeting to the member, shall be excluded.

(4) The sub-divisional officer of the sub-division in which the [Kshettra Panchayat]³ exercises jurisdiction shall preside at such meeting;

Provided that if the [Kshettra Panchayat]³ exercises jurisdiction in more than one sub-division or the sub-divisional officer cannot for any reason preside, any stipendiary additional or assistant collector, named by the collector shall preside at the meeting.

[(4-A) If within an hour from the time appointed for the meeting such officer is not present to precede at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the

date and time to be appointed by him under sub-section (4-B).

(4-B) If the officer mentioned in sub-section preside at the meeting, he may, after recording his reasons, adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint, but not later than 25 days from the date appointed for the meeting under sub-section (3). He shall without delay inform the Collector in writing of the adjournment of the meeting. The Collector shall give to the members at least ten days Notice of the next meeting in the manner prescribed under sub-section (3).¹

(5) [Save as provided in sub-sections (4-A) and (4-B), a meeting]² convened for the purpose of considering a motion under this section, shall not be adjourned.

(6) As soon as the meeting convened under this section commences, the Presiding Officer shall read to the [Kshettra Panchayat]³ the motion for the consideration of which the meeting has been convened and declare it to be open for debate.

-
1. Ins. by section 5 (i) of U. P. Act No. 16 of 1965.
 2. Added. by section 5 (ii) *ibid*.
 3. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 4. Subs by 69(a) *ibid*.
 5. Subs. by section 69 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]³ Adhiniyam, 1961]
[Section 16]

(7) No debate on the motion under this section shall be adjourned.

(8) Such debate shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time appointed for the commencement of the meeting, if it is not concluded earlier. On the conclusion of the debate or on the expiration of the said period of two hours, whichever is earlier, the motion shall be put to vote [which shall be held in the prescribed manner by secret ballot].¹

(9) The presiding Officer shall not speak on the merits of the motion and he shall not be entitled to vote thereon.

(10) A copy of the minutes of the meeting, together with a copy of the motion and the result of the voting thereon, shall be forwarded forthwith on the termination of the meeting by the Presiding Office to the State Government and to the [Zila Panchayat]³ having Jurisdiction ;

(11) If the motion is carried with the support of [not less than two-thirds]⁴ of the total number of members of the [Kshettra Panchayat]³ for the time being-----

(a) the Presiding Officer shall cause the fact to be published by affixing a notice thereof on the notice board of the office of the [Kshettra Panchayat]³ and also by notifying the same in the Gazette; and

(b) the Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, shall cease to hold office as such and vacate the same on and from the date next following that on which the said notice is fixed on the notice board of the office of the [Kshettra Panchayat] .

(12) If the motion is not carried as aforesaid or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion expressing want of confidence in the same Pramukh or Up-Pramukh shall be received until after the expiration of [two years]² from the date of such meeting.

(13) No notice of a motion under this section shall be received within [two years]² of the assumption of office by a Pramukh or Up Pramukh, as the case may be.

[Removal of
Pramukh or
Up-Pramukh

16

(1) If in the opinion of the State Government, the Pramukh or any Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat wilfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act or abuses the powers vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties, the State Government may after giving the Pramukh or such Up Pramukh, as the case may be a reasonable opportunity for explanation and after consulting the Adhyaksha of the Zila Panchayat concerned in the matter and taking into consideration his opinion, if received within thirty days from the date of the dispatch of the communication for such consultation, by order, remove such Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, from office, and such order shall be final and not open to be questioned in a court of law :

-
1. Ins. by section 5 (iii) of U. P. Act No. 16 of 1965.
 2. Added by section 5 (iv) *ibid*.
 3. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 4. Substituted by section 2(a) of U.P. Act No. 20 of 1998.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]³ Adhiniyam, 1961 [Section 17-18]

Provided that where, in an enquiry held by such person and in such manner as may be prescribed, a Pramukh or Up-Pramukh is *prima facie* found to have committed financial and other irregularities, such Pramukh or Up-Pramukh shall cease to exercise and perform the financial and administrative powers and functions, which shall, until he is exonerated of the charges in the final enquiry, be exercised and performed by a committee consisting of three elected members of the Kshettra Panchayat appointed in this behalf by the State Government.

(2) A Pramukh or Up-Pramukh, removed from his office under this section, shall not be eligible for re-election as Pramukh or Up-Pramukh for a period of three years from the date of his removal.]²

[Zila Panchayats]¹

[Establishment
and incorpo-
ration of Zila
Panchayats

17

(1) There shall be a Zila Panchayat for each district bearing the name of the district and constituted as hereinafter provided.

(2) The Zila Panchayat shall be a body corporate.]³

Composition
of Zila
Panchayat

18

(1) A Zila Panchayat shall consist of an Adhyaksha who shall be its Chairperson, and--

(a) Pramukhs of all Kshettra Panchayat in the district;

[(b) elected members, who shall be elected by direct election from the territorial constituencies in the Zila Panchayat area and for this purpose the Panchayat area shall be divided into territorial as follows-

(1) Minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of hill area having the population upto 24000 and in the development blocks having the population more than 24000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies.

- (2) Minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of plane area having the population upto 50000 and in the development blocks having the population upto 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies.

Provided that the proportional population of the territorial constituencies in the development blocks will be the same as far as practicable:

Provided further a part of the territorial constituency of the Kshettra panchayat shall not be included in the territorial constituency of any Zila Panchayat.⁴

- (c) the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which compose any part of the Panchayat area;

- (d) the members of the council of States and the members of the State Legislative Council who are registered as elector within the Panchayat area.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 70 ibid.
 3. Substituted by section 20 of U.P. Act No. 21 of 1995.
 4. Subs by section 6 of UK Act no 8 of 2002.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 18A-18B]

(2) The members of the Zila Panchayat mentioned in clauses (a), (c) and (d) of sub-section (1) shall be entitled to take part in the proceedings and vote at the meetings of the Zila Panchayat except in matters of election of and on a motion of no-confidence against, the Adhyaksha or the Upadhyaksha.

(3) Each territorial constituency referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be represented by one member.

[(4) The territorial constituencies of a Kshettra Panchayat may be delimited in the prescribed manner and, if necessary, rules in this regard may be made with retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.]²

[(5) Any vacancy in an category of member referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 18 shall be no bar to the constitution or reconstitution of a Kshettra Panchayat.

(6) The constitution of a Zila Panchayat shall be notified in the Gazette.]⁴

Reservation
of seats

18-A

(1) In every Zila Panchayat, seats shall be reserved for the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall, as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Zila Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the Panchayat area or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area or of the Backward Classes in the Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zila Panchayat in such order as may be prescribed :

Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed

[fourteen]⁵ percent of the total number of seats in the Zila Panchayat :

[Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.]³

(2) [Not less than one half]⁶ of the seats reserved under sub-section (1) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes as the case may be.

(3) [Not less than one-half]⁶ of the total number of seats, including the number of seats reserved under sub-section (2), shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zila Panchayat in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation— It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.

-
1. substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. added by section 21(B) of U.P. Act No. 21 of 1995.
 3. Added by section 22 *ibid*.
 4. Added by section 9 of U.P. Act No. 29 of 1995.
 5. subs. by section 3 of UK Act no 30 of 2007.
 6. subs. by section 4 of UK Act no 07 of 2008

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 18C- 19A]

Electoral roll for Zila Panchayat	18-B	(1) There shall be an electoral roll for each territorial constituency of a Zila Panchayat. (2) The electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall consist of the electoral rolls for all such territorial constituencies of a Kshettra Panchayat or Kshettra Panchayats as are comprised within the territorial constituencies of the Zila Panchayat and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such territorial constituency of Zila Panchayat : Provided that any correction, addition or deletion made in the electoral roll after the last date for making nominations for an elections to the Zila Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purpose of that election.
Right to vote etc.	18-C	Except as otherwise provided by or under this act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or to any office in the Zila Panchayat : Provided that a person who has not completed the age of twenty-one years shall not be qualified to be elected as a member or office bearer of the Zila Panchayat.
Adhyaksha and Upadhyaksha	19	(1) In every Zila Panchayat an Adhyaksha and a Upadhyaksha shall be elected by the elected members of the Zila Panchayat from amongst themselves. (2) The election to the election of Adhyaksha and Upadhyaksha may be held

notwithstanding any vacancy in the office of the elected members of the Zila Panchayat.

Reservation of
the office of
Adhyakshas

19-A

(1) The offices of the Adhyakshas of the Zila Panchayat in the State shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes :

Provided that the number of offices of Adhyakshas so reserved shall bear, as nearly as may be the same proportion to the total number of such offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or of the Backward Classes in the State bears to the total population of the State and the offices so reserved shall be allotted by rotation to different Zila Panchayat in the State in such order as may be prescribed :

Provided further that the reservation for the Backward Classes shall not exceed [fourteen]³ per cent of the total number of offices of Adhyakshas in the State :

[Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.]²

1. ~~Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.~~

2. Added by section 23 of U.P. Act No. 21 of 1995.

3. subs. by section 3 of UK Act no 30 of 2007.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961] [Section 20]

(2) [Not less than one-half]³ of the office reserved under sub-section (1) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes as the case may be.

(3) [Not less than one-half]³ of the total number of offices of the Adhyakshas, including the number of offices reserved under sub-section (2), shall be reserved for women and such offices may be allotted by rotation to different Zila Panchayats in the State in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of offices of Adhyakshas for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cases to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation— It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved offices.

Term of Zila
Panchayat and
its members

20

(1) A Zila Panchayat shall, unless sooner dissolved under section 232, continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) The term of office of a member of a Zila Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of the Zila Panchayat.

(3) An election to constitute a Zila Panchayat shall be completed, --

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1) ;

(b) before the expiration of a period of six-months from the date of its

dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolve Zila Panchayat would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Zila Panchayat :

[(c) subject to the other provisions of this Act, the term of office of a person chosen to be a member under clause (v) of sub-section (1) of section 18, whether before or after January 20, 1990, shall be one year, but he shall continue to hold office til another person is chosen to be a member in his place.

Explanation— For removal of doubts it is hereby declared that the choice of a person to be a member under clause (v) of sub-section (1) of section 18 may be cancelled by the State Government at any time before the constitution or reconstitution of the [Zila Panchayat]² under section 17.]¹

-
1. added by section 3 of U.P. Act No. 20 of 1990.
 2. substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. subs. by section 4 of UK Act no 07 of 2008.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]

[Section 21-23]

[(3-A) notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in pubic interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Zila Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an Administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Zila Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Zila Panchayat, its Adhyakshaya and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be.]⁶

(4) A Zila Panchayat constituted upon the dissolution of a Zila Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Zila Panchayat would have continue under sub-section (1) had it not been so dissolved.

(5) A person who has became a member of the Zila Panchayat under clause (a), clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 18 shall cease to be a member upon his ceasing to hold the office by virtue of which he has become such member.

Terms of
Adhyaksha
and
Upadhyaksha

21

Save as otherwise provided in this Act, the term of office of the Adhyaksha or the Upadhyaksha shall commence on his election and shall end with the term of the Zila Panchayat.]³

[Temporary arrangement in certain cases]	21-A	[When the office of the Adhyaksha is vacant or he] ⁶ is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, and the office of Upadhyaksha is vacant or when the Upadhyaksha acting under section 60 during a vacancy in the office of Adhyaksha is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government may by order; make such arrangement, as it thinks fit, for the discharge of the functions of such Adhyaksha until the date on which the Adhyaksha or Upadhyaksha, as the case may be, resumes his duties.] ¹
Constitution and reconstitution of [Zila Panchayats] ² and recovery of expenses of election	22	(1) The State Government shall arrange for the constitution or reconstitution of the [Zila Panchayat] ² before the expiry of the term of the existing [Zila Panchayat] ² , if any or whenever otherwise required for the purposes of this Act. [(2) [***]] ⁴

-
1. Ins. by section 3 of U. P. Act No. 37 of 1976.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Subs. by section 72 ibid.
 4. Omitted sub-section (2) by section 73 ibid.
 5. Added by section 8 of U.P. Act No. 33 of 1999.
 6. subs by section 2 of UK Act no 15 of 2002.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]

[Section 24-27]

[Disqualification for corrupt	23	(1) An authority competent to decide election disputes under this Act or the rules made thereunder may declare any candidate found to have committed any corrupt practice to be incapable, for any period not exceeding five years from the date of declaration, of being chosen [***]⁴ as a member of a [Kshettra Panchayat]² or a Zila [Zila Panchayat], or elected as a Pramukh of a [Kshettra Panchayat]² or an Adhyaksha of a [Zila Panchayat]², or of being appointed or retained in any office or place in the gift or disposal of a [Kshettra Panchayat]² or a Zila Parishad. (2) A person shall be deemed to have committed a corrupt practice, who directly or indirectly by himself or by any other person- (i) induces, or attempts to induce, by fraud, intentional misrepresentation, coercion or threat of injury, any voter to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate; (ii) with a view to inducing any voter to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, offers or gives any money, or valuable consideration or any place, or employment, or holds out any promise of individual advantage or profit to any person, (iii) gives or procures the giving of a vote in the name of a voter who is not the person giving such vote; (iv) abets (within the meaning of the Indian Penal Code) the doing of any Of the acts specified in clauses (i),(ii) and (iii); (v) induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure; (vi) canvasses on grounds of caste, community, sect or religion; or (vii) commits such other practice as the State Government may, by rule,
-------------------------------	----	---

prescribe to be a corrupt practice;

Explanation-- A "promise of individual advantage or profit to person" includes a promise for the benefit of the person himself, or of anyone in whom he is interested, but does not include a promise to vote for or against any particular measure in a [Kshetra Panchayat]² or [Zila Panchayat]².]¹

Resignation of Adhyaksha, Upadhyaksha or member	24	[(1) An Adhyaksha, Upadhyaksha or any member of the Zila Panchayat may resign his office by writing under his hand addressed, in the case of Adhyaksha, to the State Government and in other cases to the Adhyaksha and delivered to the Mukhya Adhikari of the Zila Panchayat.] ³
	-	

-
1. Subs. by Sec. 13 of U. P. Act No. II of 1963.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. omitted by section 74 ibid.
 4. Subs. by section 75 (a) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]³ Adhiniyam, 1961]

[Section 27-A]

(2) The resignation of the Adhyaksha shall take effect on and from the date on which the sanction thereto of the State Government is received in the office of the [Zila Panchayat]² and the resignation of an Upadhyaksha or member shall take effect on and from the date on which the resignation is accepted by the Adhyaksha [and such Adhyaksha, Upadhyaksha or member shall be deemed to have vacated his office.]⁴

[Filling of casual vacancies	25	(1) If a vacancy occurs by reasons of death or otherwise in the office of Adhyaksha, Upadhyaksha or an elected member of the Zila Panchayat, it [shall be filled before the expiration of a period of six months from the date of such vacancy] ⁸ in the member provided for in section 18 or 19, as the case may be, for the residue of the term of his predecessor :
	-	

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Zila Panchayat is less than six months, the vacancy shall not be filled.

Disqualification for being a member or an Adhyaksha	26	A person, who is subject to any of the disqualifications mentioned in section 13, shall be disqualified for being elected as a member under section 18 or as an Adhyaksha or Upadhyaksha under section 19.] ⁵
	-	

Disputes as to membership or disqualification	27	(1) If any dispute arises as to whether a particular person is a member of the [Zila Panchayat] ² under [clause (i), clause (iii), [clause (a)] ⁶ of section 18, the dispute shall be referred in the manner prescribed to the State Government and the decision of the State Government shall be final and binding.
	-	

(2) If a dispute arises as to whether a person-

(a) has been lawfully chosen [***]⁷ a member of a [Zila Panchayat]² under section 18; or

(b) has ceased to remain eligible for being chosen [***]⁴ a member [xxx]¹ of the [Zila Panchayat]³ for the purposes of section 20 ; or

(c) has become disqualified to be Adhyaksha or Upadhyaksha for the purposes of section 19,

the dispute shall be referred in the manner prescribed to the Judge whose decision shall be final and binding.

-
1. Subs. by Sec. 13 of U. P. Act No. II of 1963.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Subs. by section 75 (a) *ibid*.
 4. Added by section 75 (b) *ibid*.
 5. Subs. by section 76 *ibid*.
 6. Subs. by section 77 (a) *ibid*.
 7. Deleted by section 77 (b)(i) *ibid*.
 8. Substituted by section 9 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 27B- 28]

[Bar to legisla-
tors and hold-
ers of certain
offices becom-
ing or continu-
ing as Pramukh,
U.P. Pramukh,
Adhyaksha or
Upadhyaksha

27-A

(1) Notwithstanding anything contained in section 7, 19 and 27-

(a) a person shall be disqualified for being elected as, and for being, a Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha if he is-

(i) a member of Parliament or of the State Legislature; or

(ii) Nagar Pramukh or Up-Nagar Pramukh of a Nagar Mahapalika ; or

(iii) President or Vice-President of a Municipal Board ; or

(iv) Chairman of a Town Area Committee or President of a Notified Area Committee;

(b) if a person after his election as Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha is subsequently elected or nominated to any of the offices mentioned in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a), he shall, on the date of first publication in the Gazette of India or of Uttar Pradesh of the declaration of his election or his nomination cease to hold the office of Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha, and a casual vacancy shall thereupon occur in the office of Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha, as the case may be ;

(c) no question or dispute as to whether a person has ceased to hold the office of Adhyaksha or Upadhyaksha under clause (b) shall be referred to or be raised before the Judge under section 27 ;

(d) no suit in respect of any question or dispute as to whether a person has ceased to hold the office of Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha under clause (b) shall lie in any civil court.

(2) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, where any person after his election as Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha is subsequently, at any time before the thirtieth day of April, 1969, elected or nominated to any of the offices mentioned in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) of sub-section (1) and continues immediately before the said date to hold such office, he shall on the said date, cease to hold the office of Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha, and a casual vacancy shall

thereupon occur in the office of Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha Or Upadhyaksha, as the case may be, and the provisions of clauses (c) and (d) of the said sub-section shall apply in relation to such cessation as they apply in relation to cessation under clause (b) of that sub-section, and any reference pending before the Judge under section 27 or any suit pending in any civil court immediately before the said date in respect of any such question or dispute shall abate.]²

[Prohibition of holding more than one seat simultaneously]

27-B

No person shall simultaneously—

(a) be a member of a Kshettra Panchayat for more than one territorial constituency; or

(b) be a member of a Zila Panchayat for more than one territorial constituency,

and the rules may provide for the vacation of all but one seat by any person elected for more than one territorial constituency in a Kshettra Panchayat or a Zila Panchayat.]³

-
1. subs section 61 of UP Act no 9 1994.
 2. add by section 20 of UP Act no 6 of 1969.
 3. Added by section 24 of U.P. Act No. 21 of 1995.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]³ Adhiniyam, 1961]

[Section 27B- 28]

[Further bar on holding two offices simultaneously]

27-C

(1) A person shall be disqualified for being elected to or holding the office of—

(a) a member, Pramukh or Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat if he is a member, Adhyaksha or Upadhyaksha of the Zila Panchayat; and

(b) a member, Adhyaksha or Upadhyaksha of the Zila Panchayat, if he is a member, Pramukh or Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat.

(2) A person shall cease to hold the office of member, Pramukh or Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat, as the case may be if subsequently or simultaneously, he is elected to the office of member, Adhyaksha or Upadhyaksha of the Zila Panchayat, as the case may be.

(3) Notwithstanding anything in this Act, if in the first elections held after the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994, a person is chosen to more than one office which he is disqualified to hold simultaneously under sub-section (1), he shall submit his resignation from all but one of these offices within sixty days of the declaration of the results of electionsd, or if the declaration of the results of elections in respect of the said offices has been made on different dates, within sixty days of the last of such dates and in the event of failure to so resign, all offices except the offices in the Zila Panchayat shall be deemed vacant.]⁵

Motion of non-confidence in Adhyaksha [or Upadhyaksha]¹

28

(1) A motion expressing want of confidence in the Adhyaksha [or the Upadhyaksha]² of a [Zila Panchayat]³ may be made and proceeded with in accordance with the procedure laid down in the following sub-sections.

(2) A written notice of intent on to make the motion, in such form as may be prescribed, signed by not less than one-half of the total number of [elected members]⁴ of the [Zila Panchayat]³ for the time being, together with a copy of the proposed motion, shall be delivered in person, by anyone of the [elected members]⁴ signing the notice, to the collector having jurisdiction over the [Zila Panchayat]³.

(3) The collector shall thereupon—

(i) convene a meeting of the [Zila Panchayat]³ for the consideration of the motion at the office of the [Zila Panchayat]³ on a date appointed by him, which shall not be later than thirty days from the date on which the notice under sub-section (2) was delivered to him; and

(ii) give to the [elected members]⁵ notice of not less than fifteen days of such meeting in such manner as may be prescribed.

Explanation-- In computing the period of thirty days specified in this sub-section, the period during which a stay order, if any, issued by a competent court on a petition filed against the motion made under this section is in force plus such further time as may be required in the issue of fresh notice of the meeting to the [elected members]⁴ shall be excluded.

1. Insertion by section 5 (a) of U.P. Act No. 20 of 1990.

2. Ins. by section 5(b) *ibid.*

3. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

4. Subs. by section 78 *ibid.*

5. Added by section 10 of U.P. Act No. 29 of 1995.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]⁴ Adhiniyam, 1961]

[Section 28]

(4) The Collector shall arrange with the District Judge of the district to preside at such meeting :

Provided that the District Judge may instead of presiding him- self direct a civil judicial officer not below the rank of a Civil judge subordinate to him to president the meeting.

[(4-A) If within an hour from the time appointed for the meeting such officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and time to be appointed by him under sub-section (4-B).

(4-B) If the officer mentioned in sub-section (4) is unable to preside at the meeting, he may, after recording his reasons, adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint, but not letter than 25 days from the date appointed for the meeting under sub- section (3). He shall without delay inform the Collector in writing of the adjournment of the meeting. The Collector shall give to the [elected members]⁵ at least ten days notice of the next meeting in the manner prescribed under sub-section (3).]¹

(5) [Save as provided in Sub-sections (4-A) and (4-B a meeting]² convened for the purpose of considering a motion under this section shall not be adjourned.

(6) As soon as the meeting convened under this section commences, the Presiding officer shall read to the [Zila Panchayat]⁴ the motion for the consideration of which the meeting has been convened and declare it to be open for debate.

(7) No debate on the motion under this section shall be adjourned.

(8) Such debate shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time appointed for the commencement of the meeting, if it is Lot concluded earlier. On the conclusion of the debate or on the expiration of the said period of two hours, whichever is earlier, the motion shall be put to vote [which shall be held in the prescribed manner by secret ballot.]³

(9) The Presiding officer shall not speak on the merits of the motion and he shall not be entitled to vote thereon,

(10) A copy of the minutes of the meeting together with a copy of the motion and the result of voting thereon shall be forwarded forthwith on the termination of

the meeting by the presiding officer to the State Government and to the Collector.

(11) If the motion is carried with the support of [not less than two-thirds]⁶ of the total number of [elected members]⁵ of the [Zila Panchayat]⁴ for the time being-

(a) the presiding officer shall cause the fact to be published by affixing forthwith a notice thereof on the notice board of the office of the Zila Parishad and also by notifying the same in the Gazette; and

-
1. Added by section 7 (i) of U. P. Act No. XVI of 1965.
 2. Ins. by section 7 (ii) *ibid* .
 3. Ins. by section 7 (iii) *ibid*.
 4. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 5. Subs. by section 78 *ibid*.
 6. Substituted by section 3 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 20 of 1998.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]⁴ Adhiniyam, 1961]

[Section 29-30]

(b) the Adhyaksha [or the Upadhyaksha, as the case may be]² shall cease to hold office as such and vacate the same on and from the date next following that on which the said notice is affixed on the notice board of the office of the [Zila Panchayat]³.

(12) If the motion is not carried as aforesaid or if the meeting could not be held for want of a quorum, no notice of any subsequent motion expressing want of confidence in the Adhyaksha [or the Upadhyaksha, as the case may be]² shall be received until after the expiration of [two years]⁸ from the date of such meeting.

(13) No notice of a motion under this section shall be received within [two years]⁹ of the assumption of office by an Adhyaksha [or the Upadhyaksha, as the case may be.]²

Discharge of
Adhyaksha or
Upadhyaksha

29

-

(1) If in the opinion of the State Government the Adhyaksha or the Upadhyaksha while acting in place of Adhyaksha willfully omits or refuses to perform his duties or functions under this Act or abuses the powers vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties [or physically or mentally incapacitated for performing his duties]⁸, the State Government, after giving the Adhyaksha or Up-Adhyaksha, as the case may be, a reasonable opportunity for explanation may by order remove him from office [and such order shall be final and not open to be questioned in a Court of law :]¹

[Provided that where in an enquiry held by such person and in such manner as may be prescribed, an Adhyaksha or Up-Adhyaksha is *prima facie* found to have committed financial and other irregularities such Adhyaksha or Up-Adhyaksha shall cease to exercise and perform the financial and administrative powers and functions, which shall, until he is exonerated of the charges in the final enquiry, be exercised and performed by a committee consisting of three elected members of the Zila Panchayat appointed in this behalf by the State Government.]⁵

(2) [***]⁶

(3) An Adhyaksha or Up-Adhyaksha, removed from his office under this section, shall not be eligible for election as Adhyaksha or Up-Adhyaksha for a

period of three years from the date of his removal.

30 [***]⁷

-

1. ~~Insertion by section 18 of U. P. Act II of 1963.~~

2. Substituted by section 5 (c) and 5 (d) of U.P. Act No. 20 of 1990.

3. Substituted by section 60 and 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

4. Insertion by section 79 (a) (i) *ibid.*

5. Added by section 79 (a) (ii) *ibid.*

6. Omitted by section 79 (b) *ibid.*

7. Omitted by section 80 *ibid.*

8. Substituted by section 3(b) of U.P. Act No. 20 of 1998.

9. Subs. by section 3 (c) *ibid.*

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]⁴ Adhiniyam, 1961]

[Section 31-33]

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF [KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS]¹

Exercise of
powers and
performance
of functions
under the Act

31

-

(1) Every [Kshettra Panchayat and Zila Panchayat]¹ shall exercise the powers and perform the functions conferred and entrusted or delegated to it by or under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this or any other law for the time being in force, the State Government may, at any time, entrust to any [Kshettra Panchayat]¹ or all [Kshettra Panchayats]¹ or to any [Zila Panchayat]¹ or all [Zila Panchayats]¹ any of the functions for the time being performed by any of its departments below or at the district, level and to withdraw the function so entrusted.

[(3) Where the State Government entrusts any function to the Zila Panchayat or Kshettra Panchayat under sub-section (2), it may direct that any scheme, plan or project of the concerned department shall also be transferred to, and implemented by or under the control the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be.]²

General powers
and functions
of the [Kshettra
Panchayat]¹

32

-

Every [Kshettra Panchayat]¹ shall, within the Khand exercise powers and perform the functions specified in Schedule I.

General powers
and functions
of [Zila
Panchayat]

33

-

(1) Every [Zila Panchayat]¹ shall exercise and perform the following powers and functions-

(i) to classify fairs and festivals, other than those that are or may hereafter be managed by the State Government as festivals, [Gram Panchayat]¹ fairs and festivals, Kashtria Samiti fairs and [Zila Panchayat]¹ fairs and festivals for purpose of management and control by [Gram Panchayats]¹, [Kshettra Panchayat]¹ and [Zila Panchayat]¹ respectively and to reverse such classification when so deemed necessary or desirable ;

(ii) to classify roads as village roads, inter-village roads and district

roads for the purpose of management by [Gram Panchayat]¹ a [Kshettra Panchayats]¹ and the [Zila Panchayat]¹ respectively;

(iii) to supervise generally in accordance with rules made in this behalf the activities of [Gram Panchayats]¹ and [Kshettra Panchayats]¹ of the district;

(iv) to act, subject to the rules made in this behalf, as the main channel of correspondence between the State Government on the one hand and the [Kshettra Panchayats]¹ and [Gram Panchayats]¹ on the other;

(v) the powers and functions specified in Part A of Schedule II ;

(vi) performance of such other functions as may be prescribed ;

(2) A [Zila Panchayats]¹ may make reasonable provision within the district in respect of matters specified in Part B of Schedule II.

1. Substituted by section 60 and 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Added by section 81 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]

[Section 34-36]

Transfer of
any function
by [Zila
Panchayat]¹ or
[Kshettra
Panchayat]¹ to
another local
authority

34

-

(1) Notwithstanding anything contained in this or any other law for the time being in force, but subject to the provisions of any rules made by the State Government in this behalf, a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may at any time with the prior sanction of the State Government and with the consent of a [Gram Sabha]¹, [Gram Panchayat]¹ or Bhumi Prabandhak Samiti existing in the district delegate to such [Gram Sabha]¹, [Gram Panchayat]¹ or Bhumi Prabandhak Samiti, any of its powers or functions under this Act in respect of the area within which such [Gram Sabha]¹, [Gram Panchayat]¹ or Bhumi Prabandhak Samiti exercises jurisdiction:

Provided that the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ may at any time with the sanction of the State Government resum any or all of the powers or functions so delegated.

(2) A [Zila Panchayat]¹ may similarly delegate to a [Kshettra Panchayat]¹ and a [Kshettra Panchayat]¹ to the [Zila Panchayat]¹ any of its powers or functions under this Act.

(3) The State Government may at any time direct that any power or function of the [Zila Panchayat]¹ shall be transferred to the [Kshettra Panchayats]¹ or the [Gram Panchayats]² in the district, that any power or function of the [Kshettra Panchayats]¹ shall be transferred to the [Gram Panchayats]² or that any power or function of the [Kshettra Panchayat]¹ shall be transferred to the [Zila Panchayat]¹ and of the [Gram Panchayats]² to the [Kshettra Panchayats]¹ or the [Zila Panchayat]¹.

Certain powers
in respect of
[Gram Pancha-
yats]³
U.P. Act,
XXVI of 1947
U.P. Act I of
1951

35

-

(1) All powers, duties and functions which have been shown in the second column of Schedule III hereto in respect of all [Gram Panchayats]⁴ within the district shall as and from the appointed date be exercised and performed by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ of which the [Gram Panchayats]⁴ concerned is a constituent [Gram Panchayats]⁴, as may be specified in the third column of that Schedule.

(2) Notwithstanding anything in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 or the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a [Zila Panchayat]¹ may require [any Gram Panchayats]⁵ in the district to co-ordinate any of its activities with similar activities of the [Kshettra Panchayat]¹ and thereupon the [***]⁶ [Gram Panchayat]¹ and Bhumi Prabandhak Samiti shall comply with the requisition.

- Power to sanction bye-laws framed by [Gram Panchayats]⁷ and their tax proposals U.P. Act XXVI of 1947
- 36 - Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, and any rules made thereunder or any other law for the time being in force -----
- (a) the power to approve and sanction the proposal of a [Gram Panchayats]⁷ in a district to impose any tax or rate described in section 37 of the said Act and the power under sections 111 and 112 of the said Act to frame and sanction the bye-laws for any [Gram Panchayats]⁷ within the district shall as from the appointed date vest in and belong to the [Zila Panchayat]¹ of the district; and
- (b) [***]⁸

-
1. Substituted by section 60 and 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 82 *ibid*.
 3. Subs. by section 83 (a) *ibid*.
 4. Subs. by section 83 (b) *ibid*.
 5. Subs. by section 83 (c)(i) *ibid*.
 6. Subs. by section 83 (c)(ii) *ibid*.
 7. Subs. by section 84 (a) *ibid*.
 8. Omitted by section 84 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 37-39]

- Saving in respect of jurisdiction of [Zila Panchayat] and [Kshettra Panchayats]
- 37- Nothing in this Act shall-
- (1) confer on any [Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² any right in respect of any work or institution carried out and maintained by any agency not under the control of such [Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² ; or
- (2) entitle a [Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² to exercise within the limits of any Nagar Mahapalika, municipality, notified area, cantonment or town area any authority which is vested in the Nagar Mahapalika, municipal board, notified area committee, cantonment board, district magistrate, any other magistrate or town area committee, as the case may be, provided that the [Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² may nevertheless -
- (a) [***]¹
- (b) construct, maintain and control within the aforesaid limits any school, library, hospital, dispensary, poor house, asylum, orphanage, inspection house or other building or institution which is not maintained exclusively for the benefit of persons residing within the aforesaid limits, and
- (c) do anything within the aforesaid limits the doing of which is necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.
- Power of Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² to co-operate with other authorities and to assist institutions not managed by it
- 38- A [Kshettra Panchayat]² or a [Zila Panchayat]² may, subject to any rules made in this behalf-
- (a) unite with any other' [Kshettra Panchayat]² or [Zila Panchayat]² as the case may be, or other local authority in works or undertakings which benefit all the areas controlled by it and such authority; and
- (b) contribute to any work or institution from which the Khand or the district, as the case may be, benefits, although such work or institution is undertaken or maintained outside the khand or the district or is included in any Nagar Mahapalika, municipality, cantonment, notified area or town area

CHAPTER IV

OFFICERS AND SERVANTS OF [ZILA PANCHAYAT AND KSHETTRA

PANCHAYATS]²

Officers and
servants of
the [Zila
Panchayat]²

- 39- [(1) Subject to any special directions issued by the State Government from time to time, Zila Panchayat shall have the following posts of officers :--
- (i) Mukhya Adhikari ;
 - (ii) Apar Mukhya Adhikari ;
 - (iii) Vitta Adhikari ;
 - (iv) Chikitsa Evam Swasthya Adhikari ;
 - (v) Peyjal Abhiyata;
 - (vi) Vikash Adhikari;
 - (vii) Karya Adhikari ;
 - (viii) Abiyanta;

1. Del. by section 9 of U. P. Act No. XVI of 1965.

2. Substituted by section 60 and 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 39]

- (ix) Basic Shiksha Adhikari;
- (x) Krishi Adhikari;
- (xi) Sahkarita Adhikari;
- (xii) Pashudhan Adhikari;
- (xiii) Samaj Kalyan Adhikari;
- (xiv) Grameen Abhiyantran Abhiyanta;
- (xv) Yuva Kalyan Adhikari;
- (xvi) Bhoomi Sanrakshan Adhikari;
- (xvii) Udhyag Adhikari;
- (xviii) Panchayat Raj Adhikari;
- (xix) Laghu Sinchai Abhiyanta;
- (xx) Bal Vikas Adhikari;
- (xxi) Kar Adhikari;
- (xxii) Matsya Adhikari;
- (xxiii) Ganna Adhikari;
- (xxiv) Dugdha Adhikari;
- (xxv) Madhyamik Shiksha Adhikari;
- (xxvi) Nalkoop Abhiyanta.

(2) Subject to such conditions as may be prescribed the [Zila Panchayat]² may, in connexion with its affairs, create posts of such other officers (including Atirikt Abhiyanta and Atirikt Swasthya Adhikari) and other servants as may be prescribed by rules [***]¹

[***]¹

[(3) The Chief Executive Officer and where the Chief Executive Officer is not posted in a district, the Chief Development Officer, the Deputy Chief Medical Officer nominated by the Chief Medical Officer, the Executive Engineer, Jal Nigam, the District Development Officer, the Basic Shiksha Adhikari, the District Agriculture Officer, the Assistant Registrar Co-operative Societies, the Chief Veterinary Officer, the District Social Welfare Officer, the Executive Engineer Rural Engineering Services, the District Yuth Welfare Officer, the District Soil

Conservation Officer, the District Horticulture Officer, the District Panchayat Raj Officer, the Executive Engineer Minor Irrigation, the District Programme Officer (Child Development Project), the Assistant Director (Fisheries) or the Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, as the case may be, the District Cane Development Officer, the Deputy Dairy Development Officer, the District Inspector of Schools and the Executive Engineer (Tube-well) of the State Government shall also hold respectively posts mentioned in clauses (i), (iv), (v), (vi), (ix) to (xx) and (xxii) to (xxii) of sub-section (1).⁴

[(3-A) The State Government may direct that all or any of the posts mentioned in [clauses (vii), (viii) and (xxi) of sub-section (1)]⁵ shall be held ex-officio by such officers and on Such terms and conditions as may be specified.

-
1. Subs. by section 10(i) of U. P. Act No. XVI of 1965.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Substituted by section 10 (a) of U.P. Act No. 33 of 1999.
 4. Subs. by section 10 (b) *ibid*.
 5. Subs. by section 10 (c) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961] [Section 40-43]

(3-B) The State Government may, by order, create any other post of officer or servant in a [Zila Panchayat]² and---

(a) direct that such post shall be held ex-officio by such officer or servant of the State Government as may be specified or

(b) appoint any person to such post; or

(c) regulate the recruitment to such post, and further specify the terms and conditions on which the post shall be held.

(3-C) Any post created under sub-section (3-B) shall not be abolished without the sanction of the State Government.¹

(4) The work of the [Zila Panchayat]² shall be carried on in departments and the departments and the officers, who will be their heads shall be specified by rules.

Qualifications,
conditins of
service, etc. 40 -

(1) The qualifications of persons to be appointed to the posts of Vitta Adhikari, Karya Adhikari, Abhiyanta and Kar Adhikari created under sub-section (1) of section 39 and to all posts created under sub-section (2) of that section shall be as may be prescribed.

(2) The emoluments and other conditions of service of officers and other servants of the [Zila Panchayat]² shall be such as may be prescribed.

Employment
of servant of
Government
under the [Zila
Panchayat]² 41 -

(1) Subject to any rules made in this behalf, the State Government may-

(a) at the request of the [Zila Panchayat]² and for such time and on such terms as may be agreed to place at the disposal of the [Zila Panchayat] the services of any of its servants; and

(b) whenever the work of any Government office is transferred to a [Zila Panchayat]², by order in writing require the [Zila Panchayat]² to employ on such posts and on such terms as may be specified in the order either the entire staff of the office of Government connected with that work or such of the servants in that office as may be designated or nominated by the State Government and the services of such staff or servants shall thereupon be

deemed to have been placed at the disposal of the [Zila Panchayat]² for the time being :

Provided that a servant so employed with a [Zila Panchayat]² may at any time be recalled by the State Government.

(2) The salaries and allowances of servants referred to in sub-section (1) shall be paid out of the Zila Nidhi as if they were servants of the [Zila Panchayat]².

Appointment of
Vita Adhikari

42

-

The Vitta Adhikari of the [Zila Panchayat]² shall be appointed by the State Government in the manner provided by rules.

Method of
appointment of
Abhiyanta and
to certain other
posts

43

-

(1) Appointments to the posts of Karya Adhikari, Abhiyanta and Kar Adhikari and the posts created under sub-section (2) of section 39 [carrying such pay scales as the State Government may, by notification, fix]³ shall be made by the [Zila Panchayat]² in consultation with the State Public Service Commission or such other Commission or Selection Board as may be constituted by the State Government in this behalf for all [Zila Panchayats]² or any groups of [Zila Panchayat] s separately (in either case here-after referred to as the Commission) in the manner prescribed :

-
1. Subs. by section 10 (IV) of U. P. Act no. XVI of 1965.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Subs. by section 86 (a) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]⁵ Adhiniyam, 1961]
[Section 44-45]

Provided that if there is a difference of opinion between the Commission and the [Zila Panchayat]⁵ the matter shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

(2) Except in the case of [such other]² class of posts which the State Government may specify, appointments to posts connected with any department of the [Zila Panchayats]⁵ specified by rules and 39 [carrying such pay scales as the State Government may, by notification, fix]⁶ shall be made by the Mukhya Adhikari.

[(3) Except as otherwise provided in this Act, appointments to posts under the [Zila Panchayat] , other than those covered by sub-sections (1) and (2), shall be made by the Adhyaksha-----

(a) [***]³

(b) in the case of others, on the advice of the Chunao Samiti constituted under section 45;

Provided that if in any case the Adhyaksha is of opinion that the advice of [the Chunao Samiti]⁴ is improper or unfair, he may make a reference to the Commissioner of the Division whose decision in the matter shall be final and binding.]¹

(4) Notwithstanding anything in the preceding sub-section- --

(a) if the State Government has made any order under sub-section (1) of section 41, that order would prevail, and

(b) the State Government may at any time require a [Zila Panchayat]⁵ to take in its own service any such Government servant whose services have been placed at the disposal of the [Zila Panchayat]⁵ under clause (b) of sub-section (1) of section 41 and who has given has consent in that behalf and upon being so taken in the service of the [Zila Panchayat]⁵ such servant shall cease to be Government servant and shall become a servant of the [Zila Panchayat]⁵.

- Central trans-
ferable cadre
of certain
classes of
servants
- 44 Notwithstanding anything in sections 41, 42 and 43, the State Government may at any time create a central transferable cadre of Karya Adhikaris, Abhiyantas, Vitta Adhikaris and other officers and where any such cadre has been created, appointment to the posts of Karya Adhikaris, Abhiyantas, Vitta Adhikaris or other officers aforesaid, as the case may be, shall be made out of the persons of the cadre concerned in such manner and on such terms as may be prescribed by rules, and notwithstanding anything elsewhere in this Act, selection of persons to any such cadre and the transfer and punishment of officers of the cadre shall be regulated by rules.
- Chanao Samiti
- 45 There shall be a Chunao Samiti consisting of the following members-
- (a) the Adhyaksha -- Chairman;
 - (b) a member of the Karya Samiti to be nominated by the Karya Samiti yearly ;
 - (c) the head of the department for which the appointment is to be made—Secretary.
- (2) In tendering advice the committee shall take its decision by majority vote, each member of the committee having one vote.
-
1. Subs by sect 11 of U. P. Act XVI of 1965.
 2. Subs by sect 18 of U. P. Act No XXXIV of 1972.
 3. Del by ibid.
 4. Subs by ibid.
 5. substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 6. Subs. by section 86 (b) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 46-47]

- Consequences
of enforcement
of the Act on
the existing
officers and
servants
U.P. act X of
1922
- 46 (1) All officers and servants in the employ of the [Zila Panchayat] immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994³ notwithstanding anything in sections 39 and 43 but subject to the provisions of sub-section (2) be officers and servants employed by the [Zila Panchayat]² and until appointed to posts created under section 39 shall be entitled to the same salaries and allowances and shall be subject to the same conditions of service to which they were entitled or were subject immediately before the said date.
- (2) The following procedure shall be adopted in appointing the officers and servants referred to in sub-section (1) to the posts created under section 39:-
- (a) appointments to posts for which consultation of the Commission under sub-section (1) of section 43 is necessary shall be made according to the provisions of the said sub-section ;
 - (b) appointments to other posts shall be made by the Adhyaksha in accordance with rules made in this behalf :
- Provided that any officer or servant aggrieved by any appointment made by the Adhyaksha may within thirty days of the date of the order by which the appointment was made make a representation to the Commissioner of the division and in that case the decision of the Commissioner of the division shall be final and binding ;
- (c) if for any post a suitable person out of the officers and servants aforesaid is not available then appointment to the post may be made from outside under the provisions of this Act. [The suitability of such officers and servants shall be considered in the prescribed manner]¹;
 - (d) if any officer or servant as aforesaid declines to accept the post to which he is appointed on the ground that the pay or the time-scale of the pay attached to the post is less than his present time-scale of pay, then his service

shall be terminated after such notice and on such terms as he would have been entitled to on the abolition of the post held by him if this Act had not been passed;

(e) in making appointments under clauses (a) and (b) due regard will be made for the length of service and experience of the officers and servants; and

(f) an officer or servant appointed to a post of which the pay or time-scale of pay is less than his present pay or time-scale of pay, may, within thirty days of the order by which he has been appointed to that post make a representation to the State Government and in that case the decision of the State Government shall be final and binding.

(3) The service rendered by any such officer or servant under an aforesaid District Board or Antarim [Zila Panchayat]² shall for the purposes of leave, pension and grant of gratuity or allowance be deemed to be service rendered under the [Zila Panchayat]².

[Officiating
and temporary
appointments
to certain post

47

-

(1) Notwithstanding anything in sections 43, 44 and 46 officiating and temporary appointments to posts mentioned in sub-section (1) of section 43 may be made by the appointing authority specified in section 43 or in the rules made under section 44 without consulting the Commission, but no such appointment shall, except as provided in sub-section (2), continue beyond a period of one year save after consultation with the commission.

1. Ins. by sec. 20 of U. P. Act no. II of 1963.

2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

3. Substituted by section 25 of U.P. Act No. 21 of 1995.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 48-51]

(2) The appointments made under sub-section (1) may, in special circumstances and where the appointing authority is the [Zila Panchayat], with the approval of the Government be continued without consulting the commission for a period not exceeding two years.]¹

Officers and
servants of
[Kshettra
Panchayats]²

48

-

(1) Subject to the provisions of other sub-sections the qualifications, pay-scales, number and conditions of service of officers and servants to be employed with each Kahettra Samiti to enable it to carry out its functions under the Act shall be such as the State Government may specify.

(2) The services of officers and staff employed for the time being at development blocks in each district of Uttar Pradesh shall be placed at the disposal of [Kshettra Panchayats]² on such terms and conditions as the State Government may specify:

Provided that the State Government may at any time direct that the [Zila Panchayat]² shall constitute a district cadre in respect of any class of servants presently employed at development blocks and in that case the [Zila Panchayat]² shall constitute such a district cadre and shall place the services of members of such cadre at the disposal of [Kshettra Panchayats]² as provided in sub-section (3).

(3) The [Zila Panchayat]² shall provide each [Kshettra Panchayats]² with all staff in addition to the staff mentioned in sub-section (2) required by the [Kshettra Panchayat]² enable to it carry out its functions under the Aet and the services or all such staff shall be deemed to be placed at the disposal of the [Kshettra Panchayat]² on such terms as the State Government may specify.

Khand Vikas Adhikari for each [Kshettra Panchayat] ²	49	(1) Each [Kshettra Panchayat] ² shall have a Khand Vikas Adhikari. (2) The Block Development Officer whose services have for the time being been placed at the disposal of [Kshettra Panchayat] ² shall be the Khand Vikas Adhikari of the [Kshettra Panchayat] ² .
Powers, functions and duties of officers and other servants of [Zila Panchayats] ² and [Kshettra Panchayats] ²	50	(1) The powers, functions and duties of the officers and other servants of [Zila Panchayats] ² and [Kshettra Panchayats] ² shall be such as may be provided by or under this Act, by or under any other enactment by rules. (2) Subject to the provisions of sub-section (1) heads of departments of a Zila Parsishad in the case of officers and other servants working in their respective departments and the Mukhya Adhikari in the case of other officers and, servants may assign to them powers, functions and duties and the Khand Vikas Adhikari may assign powers, duties and functions to officers and other servants employed with the [Kshettra Panchayat] ² of which he is the Khand Vikas Adhikari.
Control over the officers and servants of [Zila Panchayat] ²	51	(1) (a) The [Zila Panchayat] ² shall exercise such control over the Mukhya Adhikari and other Heads of Departments as may be prescribed and the Adhyaksha shall have a right to send every year his assessment of the work and conduct of the Mukhya Adhikari of the authority which is required to record periodical entries about the work and conduct of the Mukhya Adhikari as a Government servant. (b) The authority aforesaid shall in addition to recording any other entry about the work and conduct of the said Government officer record also the assessment sent by the Adhyaksha under clause (a).

1. Subs. by section 12 of U. P. Act No. XVI of 1965.

2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 52-54]

Control over the officers and servants of [Kshettra Panchayats]	52	(2) The Mukhya Adhikari shall have administrative control over all officers and servants employed with the [Zila Panchayat] ¹ [***] ² and in particular, he shall have the right to send every year to such authority, if any, which is required to record periodical entries about the work and conduct of each such officer or servant as a Government servant his assessment of the work and conduct of the officer or servant. Such authority shall, in addition to recording an entry about the work and conduct of the said Government servant, also record the assessment sent by the Mukhya Adhikari. (3) [***] ³ (4) Heads of departments of the [Zila Panchayat] ¹ shall have immediate control over officers and servants working in their respective departments.
		(1) The Prarnukh shall have general control over the Khand Vikas Adhikari. (2) All other officers and servants employed with the [Kshettra Panchayat] shall work under the general control of the Khand Vikas Adhikari. (3) Officers and other servants of the Kshettrs Samitis shall work under such immediate control as the State Government may specify. (4) The transfer and the recording of periodical entries in the character rolls of officers and other servants employed with a [Kshettra Panchayat] ¹ and the grant of casual leave to them shall be governed by rules in this behalf made by the State Government.

- Punishment of servants of [Zila Panchayat] and [Kshettra Panchayat] 53 - The punishment of officers and other servants employed with the [Zila Panchayat]¹ or with any [Kshettra Panchayat]¹ including appeals from orders or punishment, the power of revision, if any, of appellate orders and suspension pending enquiry shall be regulated by rules:
- Provided that the authority which is given the power to dismiss remove from service or reduce in rank any officer or servant shall not be lower in rank than the appointing authority for the post held by such officer or servant:
- Provided secondly, that in the case of employees whose appointment is required to be made in consultation with the State Public Service Commission, it shall be necessary for the punishing authority to consult the Commission in the manner prescribed before passing an order for the dismissal, removal or reduction in rank of any such employee.
- Power of State Government to make appointments etc. 54 - (1) Where an authority specified in section 43, fails within a reasonable time to make an appointment to a post specified in section 39 or created thereunder, whether in the manner provided in section 43 or in pursuance of an order made under clause (b) of sub-section (1) of section 41, the State Government may, after giving such authority a reasonable opportunity to make the appointment and consulting the Commission, if necessary make appointment thereto and such appointment shall be deemed to have been made in accordance with this Act.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Omitted by section 87(a) *ibid*.
 3. Omitted by section 87(b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 55-56]

- (2) Where [Zila Panchayat]² fails to provide to any [Kshettra Panchayat]² any staff under sub-section (3) of section 48, the State Government may provide such staff out of the staff of the [Zila Panchayat]² and such staff shall be deemed to have been placed on deputation with the [Kshettra Panchayat]² under the said sub-section.
- All officers and servants of a [Zila Panchayat]² or a [Kshettra Panchayat]² to be public servants Act 45 of 1860 55 - [Every Adhyaksha, Up Adhyaksha, Pramukh, Up Pramukh, officer or servant of]¹ a [Zila Panchayat]² or a [Kshettra Panchayat]², shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860, and in the definition of legal remuneration in section 161 of the Code, the word "Government" shall, for the purpose of this section, be deemed to include [Zila Panchayat]² and a [Kshettra Panchayat]².

CHAPTER V

CONDUCT OF BUSINESS OF [ZILA PANCHAYATS]² AND [KSHETTRA PANCHAYATS]²

- Exercise of power of [Zila Panchayats]² 56 - (1) The powers, duties and functions specified in the second column of Schedule IV, with the Exception of those against which an entry is shown in the third column of that Schedule, may be exercised and shall be performed by a [Zila

Panchayat]² by resolution passed at a meeting and not otherwise.

(2) The following powers, duties and functions of a [Zila Panchayat] shall be exercised and performed by the Adhyaksha of the [Zila Panchayat]² ; namely-

(a) the determination, in accordance with the provisions of this Act and any regulations in this behalf of questions arising in respect of the service, leave, pay, allowance and other privileges of servants of the [Zila Panchayat]² in respect of whom the appointing authority under section 43, is the [Zila Panchayat]² ;

(b) the submission to the prescribed authority, the District Magistrate or the State Government, any statements, accounts reports, copies of documents; copies of resolutions passed by a [Zila Panchayat]² or any committee thereof or proposals and objections required to be submitted under this Act ;

(e) such of the powers, duties and functions referred to in the second column of Schedule IV, as are required under the third column thereof to be exercised or performed by the Adhyaksha or as they are delegated by the [Zila Panchayat]² under section 57 of the Adhyaksha ;

(d) all other powers, duties and functions of the [Zila Panchayat]² not expressly required to be exercised or performed by resolution which have not been specified in the second column of Schedule IV and which have not been delegated by the [Zila Panchayat]² under section 57 to any authority other than the Adhyaksha.

(3) The powers, duties and functions, specified in the second column of Schedule V, shall be exercised and performed on behalf the [Zila Panchayat]², by the Mukhya Adhikari.

-
1. Subs. by section 13 of U. P. Act No. XVI of 1965.
 2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 57-58]

Delegation of
power by [Zila
Panchayat] 57
 -

(1) With the exception of a power , duty or function --

(a) specified in the second column and against which no entry is shown in the third column of Schedule IV or the entry shown in the third column requires the power, duty or function to be exercised or performed by any particular officer or authority:

(b) reserved or assigned to the Adhyaksha by clauses (a)

and (b) of sub- section (2) of section 56 or by section 58 ; and

(c) reserved to the Mukhya Adhikari of a [Zila Panchayat]¹ under section 78 ;

a [Zila Panchayat]¹ may delegate by regulation all or any of the powers duties or functions conferred or imposed on or assigned to it under this Act:

Provided that if any powers duty or function specified in the second column of Schedule IV, is by the entry against it in the third column, made delegable only to a specified officer or authority, the delegation in respect of such powers, duty or function may be made to that officer or authority only.

(2) Except as provided in sub-section (3), a [Zila Panchayat]¹ shall not itself exercise or perform or interfere in the exercise or performance of any power, duty or function which it has delegated under sub-section (1).

(3) The delegation by the [Zila Panchayat]¹ under sub-section (1) of any power, duty or function may be made subject to the condition that all or any orders made in pursuance of such delegation shall be subject to the right of appeal to, or revision by the [Zila Panchayat]¹ within a specified period.

(4) Nothing in the foregoing provisions of this section shall be deemed to prevent a resolution of a committee of a [Zila Panchayat]¹ being carried into execution by any agency duly authorised in this behalf by or under this Act, or to preclude any servant of the [Zila Panchayat]¹ from acting within the scope of his employment.

Duties of Adhyaksha	58	It shall be the duty of Adhyaksha-
	-	(a) unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause-
		(i) to convene and preside at all meetings of the [Zila Panchayat] ¹ and of such of its committees as may be prescribed in this behalf ;
		(ii) otherwise to control in accordance with any regulation made in this behalf the transaction of business at, all meetings of the [Zila Panchayat] ¹ ;
		(b) to watch over the financial and superintend the executive administration of the [Zila Panchayat] ¹ , and bring to the notice of the [Zila Panchayat] any, defect therein; and

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 59-61]

(c) to perform such other duties as are required of or imposed on him under this Act or the rules made thereunder of any other law for the time being in force.

Delegation by Adhyaksha to Upadhyaksha and the Mukhya Adhikari	59	(1) The Adhyaksha of a [Zila Panchayat] ¹ may, by general or special order, empower the Upadhyaksha or the Mukhya Adhikari to exercise or perform under his general guidance any one or more of his powers, duties or functions except those specified in clauses (a) and (b) of section 58.
	-	(2) An order by the Adhyaksha under sub-section (1) may prescribe any condition, and impose any restriction, in respect of the exercise of any power and the performance of any duty or of any function.
Duties of Upadhyaksha	60	An Upadhyaksha shall-
	-	(a) in the absence of the Adhyaksha, preside at the meetings of the [Zila Panchayat] ¹ , unless prevented by reasonable cause from doing so, and shall perform all the duties and functions and may exercise as the powers of the Adhyaksha when presiding at a meeting;
		(b) during a vacancy in the office of Adhyaksha or in case of urgent

necessity or during the temporary absence or in capacity of the Adhyaksha, perform any other duty or function and exercise any other power of the Adhyakshs ;

(c) at any time perform any duty or function and exercise, when occasion arises, any power delegated to him by the Adhyaksha under section 59 ;

(d) preside in the absence of the Adhysksha at the meetings of the Karya Samiti unless prevented by reasonable cause from doing so, and shall perform all the duties and may exercise all the powers of the Adhyaksha when presiding at a meeting :

Provided that in the case of clause (d), the exercise of such powers and the performance of such duties and functions of the Adhyaksha while he is in office, as are specified in rules made in this behalf, shall be subject to the prior approval of the Karya Samiti.

Meetings

Meetings of 61
[Zila
Panchayats]¹ -

[(1) A Zila Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months;

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Zila Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution.]²

(2) The Adhyaksha or in his absence from the district, the Upadhyaksha may convene a meeting of the Zila [Zila Panchayat]¹ whenever he thinks fit and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-fifth of the members of [Zila Panchayat]¹ and served on the Adhyaksha or sent by registered post acknowledgment due, addressed to the [Zila Panchayat]¹ at its office, convene a meeting of the [Zila Panchayat]¹ within a period of one month from the date of the service or receipt of such requisition.

1- substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2-Subs. by section 6 of UK Act no 13 of 2006.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 62-64]

(3) A meeting may be adjourned until the next or any subsequent day, and an adjourned meeting may be further adjourned in like manner.

(4) Every meeting shall be held at the office of the [Zila Panchayat] or at some other convenient place of which notice has been duly given.

Procedure of 62
etc. meetings -

The following matters relating to meetings of [Zila Panchayat]¹ shall be governed by rules:---

- (a) transaction of business at the meeting ;
- (b) quorum for transaction of business ;
- (c) presiding over the meeting in the absence of Adhyaksha and the Upadhyaksha ;
- (d) asking of questions by members;
- (e) publicity of meeting;
- (f) maintaining of order at the meeting;
- (g) decision by vote ;

- (h) minute book and resolutions;
- (i) right of government servants, persons authorized by the State Government and other persons to attend and take part in discussions ;
- (j) right of [Zila Panchayat]¹ to require attendance of servants of the State Government to attend its meetings ;
- (k) right of officers of the [Zila Panchayat]¹ in regard to meetings ;
- (l) right of the [Zila Panchayat]¹ to require reports, returns; etc. from the Mukhya Adhikari ; and
- (m) other incidental matters which need or ought to be prescribed.

[Preparation of District plans	63	(1) A Zila Panchayat shall prepare every year a development plan for the district after including the development plans of the Kshettra Panchayats of the district.
-	-	(2) The plan referred to in sub-section (1) shall be prepared by the Krya Samiti of the Zila Panchayat in the manner prescribed and the Mukhya Adhikari shall lay such plan before the Niyojan Samiti, which may make such recommendation relating thereto, as it thinks fit.
		(3) the plan alongwith the recommendations, if any of the Niyojan Samiti shall be laid by the Adhyaksha before the Zila Panchayat which may approve it in such form as it may think fit and shall submit it to the District Planning Committee referred to in Article 243-ZD of the Constitution by such date as may be prescribed.] ²

Committees of [Zila Panchayat] ¹	64	(1) As soon as may be, after the [Zila Panchayat] ¹ has been constituted or re-constituted under section 22, it shall appoint the following committees in the manner and for performance of duties hereinafter provided :
-	-	

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Substituted by section 88 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 65-66]

- (a) Karya Samiti ;
- (b) Vitta Samiti ;
- [(c) Shiskha Evam Jan Swasthya Samiti ;
- (d) Krishi Udhyog Evam Nirman Samiti ; and
- (e) Samata Samiti.]²

- (2) The [Zila Panchayat]¹ shall also have a Niyojan Samiti for the performance of functions specified in this Act and composed of-
- (a) The Adhyaksha who will be the Chairman;
 - (b) The Upadhyaksha, who will be the Vice-Chairman;
 - (c) The Mukhya Adhikari who shall be the Secretary of the Committee ;
- and
- (d) all district level officers.

[Constitution of committees of Zila	65	(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules made thereunder, every Zila Panchayats shall, in place of all or any of the committees referred to in section 64, hereinafter in this
-	-	

Panchayat
notified by the
State
Government

section referred to as erstwhile committee, constitute such other committee or committees, as may be notified by the State Government for the exercise and performance of all or any of the powers, functions or duties assigned to erstwhile committee under this Act and may also delegate to such committee or committees such of its other powers, functions or duties assigned to erstwhile committee under this Act and may also delegate to such committee or committees such of its other powers, functions or duties as it may deem fit and upon constitution of a committee under this section in place of an erstwhile committee with respect to its any specified power, function or duty, the erstwhile committee with respect to that power, function or duty shall stand abolished and any reference to the erstwhile committee in any provisions of this Act or the rules made thereunder shall be construed as a reference to the committee constituted under this section.

(2) Every Committee constituted under sub-section (1) shall consist of a Chairman and six other members, who shall be elected by the members of the Zila Panchayat from amongst themselves in such manner as may be notified by the State Government :

Provided that in each such committee there shall be at least one woman member, one member belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes and one member belonging to Backward Classes :

Provided further that the State Government, by notifications direct that the Adhyaksha or Upadhyaksha or any other member of Zila Panchayat shall be the Chairman of any such Committee.]³

Constitution of
Karya Samiti

66

-

(1) The Karya Samiti shall consist of-

(a) the Adhyaksha ,

(b) the Upadhyaksha,

(c) chairmen of the committees specified in clauses (b) to (e) of sub-section (1) of section 64,

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Substituted by section 89 *ibid*.

3. substituted by section 12 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 67-69]

(d) three or six persons to be elected by the members of the [Zila Panchayat]¹ out of themselves, according as the number of such members is up to forty or above forty.

(2) The Adhyaksha and the Upadhyaksha shall respectively be the Chairman and the vice-Chairman of the Karya Samiti.

(3) The Mukhya Adhikari of the [Zila Panchayat] shall be the Secretary of the Karya Samiti.

Constitution
of other
Committees
specified in
sub-section (1)
of section 64

67

-

(1) Each of the committees specified in clauses (b) to (e) of sub-section (1) of section 64 shall consist of six or nine members to be elected by the members of the [Zila Panchayat]¹ out of themselves according as the total number of members of the [Zila Panchayat]¹ is up to 40 or over 40.

(2) The Adhyaksha shall be the *ex officio* member and Chairman of the Vitta Samiti [and Shiksha Evam Jans Swasthya Samiti]².

Method and manner of election of member and term of Committees specified in sub-section (1) of section 64	68	(1) The election of members of the committees specified in sub-section (1) of section 64 shall be made by the method of single transferable vote and in the manner to be prescribed. (2) The term of each committee specified in sub-section (1) of section 64 shall last till the term of the [Zila Panchayat]¹ but one-third of the elected members of each committee shall retire in rotation each year and the vacancies caused by rotation shall be filled in the manner provided in sub-section (1). (3) The determination of the members who shall retire in the first year after their election and of the members who shall retire two years after election shall be made by the drawing of lots in the manner to be specified by the State Government. (4) In the event of a vacancy occurring in the office of an elected member of a committee by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled for the remainder of the term of such member by electing another member in the manner provided in sub-section (1).
Chairman and Vice-Chairman of Committees and their terms	69	(1) Each committee specified in sub-section (1) of section 64 other than the Karya Samiti and the Vitta Samiti shall at its first meeting to be presided over by the Adhyaksha elect one of its members to be its Chairman and another member to be its Vice-Chairman. (2) The Vitta Samiti shall elect at its first meeting by resolution one of its members to be its Vice-Chairman. (3) In the event of a tie the Adhyaksha shall have a casting vote but shall otherwise have no vote in presiding over the committee Under sub-section (1). (4) The term of each elected Chairman and Vice-Chairman shall be one year from the date of election : Provided that in the event of a vacancy arising in the office of elected Chairman and Vice-Chairman by reason of death, resignation or otherwise, a new Chairman or Vice-Chairman shall be elected for the remainder of the term of the out-gone Chairman or Vice-Chairman.

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Substituted by section 90 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 70-75]

	70	[***] ³
	-	
	71	[***] ³
	-	
Powers and functions of Karya Samiti	72	The Karya Samiti may exercise and shall perform such powers, duties and functions as are- --- (i) required to be exercised or performed by it or by under this Act; (ii) specified in the second column of Schedule IV and against which the words "shall be exercised by the Karya Samiti" have been entered in the third column of the Schedule; and (iii) delegated to the Karya Samiti by the [Zila Panchayat]¹ under section
	-	

57 :

Provided that the Karya Samiti may delegate such of its powers, duties or functions to any sub-committee established under section 75 or to any officer of the [Zila Panchayat]¹ as may be prescribed by rules.

Powers and functions of Vitta Samiti	73	(1) The Vitta Samiti may exercise and shall perform the following powers, duties and functions ----- (a) watching the progress of income and expenditure through out the year and issuing such direction as it deems necessary to the Mukhya Adikari; (b) supervising the proper appropriation of grants; (c) powers functions and duties delegated to or required under the third column of Schedule IV to be exercised or performed by it. (2) For the purpose of giving effect to sub-section (1), the Vitta Samiti shall have access to the accounts of the [Zila Panchayat.] ¹
Powers and functions of other committees specified in sub-section (1) of section 64	74	The powers, duties and functions of the [Shiksha Evam Jan Swasthya Samiti, Krishi Udhhyog Evam Nirman Samiti and Samta Samiti] ² shall be as provided in this Act or in the rules made in this behalf.
Sub-committees	75	(1) A Committee may appoint one or more sub-committees for examination and report on any matter with which it is concerned or for discharging any of functions. (2) The composition and term of a sub-committee shall be such as may be decided by the Committee. (3) The report or action of the sub-committee shall be deemed to be the report or action of the Committee if approved by it.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Substituted by section 91 ibid.
 3. Omitted by section 13 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 76-78]

Meetings of committees and sub-committees	76	(1) The committees specified in section 64 shall meet, at least once, a month. (2) In the case of meetings of committees and sub-committees matters specified in section 62 shall be governed by rules.
Joint committees	77	(1) A [Zila Panchayat] ¹ may, and if so required by the State Government shall, combine with one or more than one other assenting local authority to appoint by means of a written instrument subscribed by the local authorities concerned, a joint committee for the purpose of transacting any business in which they are jointly interested. (2) Such instrument shall prescribe the number of members who shall be

chosen by each local authority to represent it upon the joint committee, the person who shall be chairman thereof, the powers, being powers exercisable by one or more of the concurring local authorities which may be exercised by the joint committee and the method of conducting the proceedings and correspondence thereof.

(3) Such instrument may from time to time be varied or rescinded by a further instrument subscribed by all the local authorities concerned, and in the event of the rescission of any instrument under this sub-section, all proceedings thereunder shall be deemed inoperative with effect from a date to be specified in such further instrument.

(4) Any difference of opinion arising in the course of any proceedings under the foregoing provisions of this section between two or more local authorities shall be decided by reference to the State Government under section 256.

Powers and
responsibilities
of the Mukhya
Adhikari

78

-

(1) The Mukhya Adhikari shall be the Chief Executive Officer of the [Zila Panchayat]¹ and shall be responsible to the [Zila Panchayat]¹ and shall exercise the following powers, namely-----

(a) The power to receive, recover and credit to the Zila Nidhi any sum due or tendered to the [Zila Panchayat]¹ ;

(b) the powers conferred by the sections or sub-section of this Act and the power to do all things necessary for the exercise of these powers ;

(c) the powers under the sections and sub-section specified in the first column of Schedule V to be exercised for and on behalf of the [Zila Panchayat]¹ and power to do all things necessary for the exercise of these powers ;

(d) the power, subject to the control of the Adhyaksha, to grant, refuse, suspend or withdraw any licence the power to grant which is conferred by this Act or by rules or regulations made thereunder ;

(e) any other power that has been delegated by the [Zila Panchayat]¹ to the Mukhya Adhikari ; and

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 79-80]

(f) the power to determine, in accordance with any regulations in this behalf, questions arising in respect of the service, leave, pay, allowance and other privileges of all servants of the [Zila Panchayat]¹ other than those for whom the appointing authority under section 43 is the [Zila Panchayat]¹ :

Provided that a servant aggrieved by a decision given by the Mukhya Adhikari under this clause may within thirty days of the date of communication of that decision make a representation to the Adhyaksha and in that case the decision of the Adhyaksha shall be final.

(2) The responsibility for the proper execution of all works and contracts on behalf of the [Zila Panchayat]¹ shall be of the Mukhya Adhikari.

(3) The Mukhya Adhikari may, by general or special order, empower the [Apar Mukhya Adhikari]² to exercise or perform under his general guidance one or more of such of his powers, duties and functions as have not been delegated to him by the [Zila Panchayat]¹ or the Adhyaksha.

Exercise to
power of
[Kshettra
Panchayats]¹

79

-

(1) The powers, duties and functions specified in the second column of Schedule VI, with the exception of those against which an entry is shown in the third column of that Schedule may be exercised and shall be performed by a [Kshettra Panchayat]¹ by resolution passed at a meeting and not otherwise.

(2) The Pramukh shall exercise and perform such of the powers, duties and functions of a [Kshettra Panchayat]¹ as are required under the third column of Schedule VI to be exercised or performed by the Pramukh or as are delegated by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 80 to the Pramukh.

(3) The powers, duties and functions specified in the second column of Schedule VII shall be exercised and performed on behalf of the [Kshettra Panchayat]¹ by the Khand Vikas Adhikari and not otherwise and he shall also exercise and perform all those powers, duties and functions of the [Kshettra Panchayat]¹ which are not expressly required to be exercised or performed by resolution and which have not been specified in the second column of Schedule VI and which have not been delegated by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 80 to any authority, other than the Khand Vikas Adhikari.

Delegation of
powers of
[Kshettra
Panchayat]

80

-

(1) With the exception of powers, duties and functions-

(a) specified in the second column and against which no entry is shown in the third column of Schedule VI or the entry shown in the third column requires the power, duty or function to be exercised or performed by any particular officer or authority ;

(b) reserved or assigned to the Pramukh or the Khand, Vikas Adhikari under this Act ;

a [Kshettra Panchayat]¹ may delegate by resolution any of the powers, duties and functions conferred or imposed on or assigned to it under this Act:

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Substituted by section 92 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 81-83]

Provided that if any power, duty or function specified in the second column of Schedule VI is by the entry against it in the third column made delegable only to a specified officer or authority, the delegation in respect of such power, duty or function may be made to that officer or authority only.

(2) Nothing in the foregoing provisions of this section shall be deemed to prevent a resolution of a committee of a [Kshettra Panchayat]¹ being carried into execution by any agency duly authorised in this behalf by or under this Act, or to preclude any servant of the [Kshettra Panchayat]¹ from acting within the scope of his employment.

Duties of Pramukh	81 -	It shall be the duty of Pramukh --- (a) unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause ; (i) to convene and preside at all meetings of the [Kshettra Panchayat]¹ and of such of its committees as may be prescribed in this behalf ; (ii) otherwise to control in accordance with any regulation made in this behalf the transaction of business at all meetings of the [Kshettra Panchayat]¹ ; (b) to watch over the financial and superintend the executive administration of [the Kshettra Panchayat and bring to the notice of the Kshettra Panchayat any defect therein ; and]² (c) to perform such other duties as are required or imposed on him under this Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force.
Delegation by pramukh to Up-Pramukh	82 -	[(1)]³ The Pramukh of a [Kshettra Panchayat]¹ may by general or special order empower to the Senior or Junior Up-Pramukh to exercise or perform under his general guidance anyone or more of his powers, duties or functions except those specified in clauses (a) and (b), of section 81. [(2) An order by the Pramukh under sub-section (1) may prescribe any condition or impose any restriction in respect of the exercise of any power and the performance of any duty or of any function.]³
Duties of Up-Pramukh	83 -	A Senior Up-Pramukh shall----- (a) in the absence of the Pramukh preside at the meetings of the [Kshettra Panchayat]¹ unless prevented by any reasonable cause from doing so and shall perform all duties and functions and may exercise all the powers of the Pramukh when presiding at the meeting ; (b) during a vacancy in the office of Pramukh or in case of urgent necessity or during the temporary absence or incapacity of the Pramukh perform any other duty or function and exercise any other power of the Pramukh; and

1. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Insertion by section 93 *ibid*.

3. Renumbered and added by section 94 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 84-87]

Meetings of [Kshettra Panchayats] ¹	84 -	(c) at any time perform any duty or function and exercise, when occasion arises, any power delegated to him by the Pramukh under section 82. (2) A Junior Up Pramukh shall at any time perform any duty or function and exercise, when occasion arises, any power delegated to him by the Pramukh under section 82 and in the absence of the Senior Up-Pramukh or a vacancy in the office of the Senior Up-Pramukh exercise the powers and perform the duties and functions of the Senior Up-Pramukh specified in sub-section (1). [(1) A Kshettra Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months.
--	---------	---

Provided that the date to be appointed for the first meeting or a Kshettra panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution.]⁵

(2) The Pramukh, or in his absence from the [Khand]² the Senior Up-Pramukh, or if the latter is also absent from the [Khand]², the Junior Up-Parmukh, may convene a meeting of the [Kshettra Panchayat]¹ whenever he thinks fit and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-fifth of the members of the [Kshettra Panchayat]¹ and served on the Pramukh or sent by registered post acknowledgment due addressed to the [Kshettra Panchayat]¹ at its office, convene a meeting of the [Kshettra Panchayat]¹ within a period of one month from the date of the service or receipt of such requisition.

[(3) A meeting may be adjourned until the next or any subsequent day and adjourned meeting may be further adjourned in the like manner.

(4) Every meeting shall be held at the office of the Kshettra Panchayat or at some other convenient place of which notice has been duly given.]³

Procedure, etc.
of meetings of
[Kshettra
Panchayat]¹

85

-

The matters of the nature specified in section 62 shall in the case of meetings of a [Kshettra Panchayat]¹ be also governed by rules made in, this behalf.

[Preparation of
plan by
Kshettra
Panchayat

86

-

(1) A Kshettra Panchayat shall prepare every year a development plan for the Khand after including the development plans of the Gram Panchayats of the Khand.

(2) The plan referred to in sub-section (1) shall be prepared by the Karya Samiti of the Kshettra Panchayat with the help of the Khand Vikas Adhikari, the Vitta Evam Vikas Samiti and the Samata Samiti in the manner prescribed and submit it to the Kshettra Panchayat.

(3) The Kshettra Panchayat shall consider the plan and may approve it with or without any modification.

(4) The Khand Vikas Adhikari shall submit the plan as approved by the Kshettra Panchayat to the Zila Panchayat before such date as may be prescribed.]⁴

Committees
of [Kshettra
Panchayat]¹

87

-

(1) As soon as may be, after the [Kshettra Panchayat]¹ has been constituted or reconstituted under section 10, it shall appoint the following committees in the manner and for performing the duties hereinafter provided:

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 95 (a) ibid.

3. Added by section 95 (b) ibid.

4. Subs. by section 96 ibid.

5. subs. by section 7 of UK Act no 13 of 2006.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 88]

(a) Karya Samiti ;

(b) Vitta Evam Vikas Samiti ,

(c) Shiksha Samiti ;

(d) Samata Samiti.]³

(2) Subject to any conditions prescribed in this behalf, a [Kshettra Panchayat]² may [and where so required by the State Government shall]¹ establish any other committees to assist it in the discharge of any specified duties or class of duties within the whole or any portion of the Kshettra and may delegate to any such

committee all or any of its powers, which may be necessary for the purpose of rendering such assistance.

(3) In addition to the committees mentioned in the preceding sub-section, a [Kshetra Panchayat]² may, from time to time, appoint from amongst its members one or more than one advisory committee for the purpose of enquiring into or reporting on any matter in respect of which a decision of the [Kshetra Panchayat]² is required by or under this Act.

Constitution
of committees

88

-

[(1) Subject to the provisions of the other sub-section, the committees specified in sub-section (1) of section 87 shall consist of one member from each circle within the Khand to be elected by the members of the Kshetra Panchayat from amongst themselves.]⁴

(2) The Pramukh and the two Up Prarnukhs shall be *ex-officio* members of the [Karya Samiti]⁵ and shall, respectively, be its Chairman, Senior Vice-Chairman and Junior Vice-Chairman.

(3) The Senior Up-Pramukh shall be *ex-officio* member and Chairman of the [Vitta Evam Vikas Samiti]⁵ and the Principal of the Agricultural School, if any, within the [Khand]⁵ shall be an additional member of the Utpadan Samiti.

[(3-A) The Senior Up-Promukh shall be *ex-officio* member and Chairman of the Samata Samiti.]⁶

(4) The Junior Up Pramukh shall be *ex-officio* member and Chairman of the [Shiksha Samiti]⁷ and one out of the Principals and Head Masters of Higher Secondary and Junior High Schools situated within the [Khand]⁵ shall be co-opted by a resolution by the [Kshetra Panchayat]².

(5) As soon as may be after their constitution, the [Vitta Evam Vikas Samiti]⁵ [of the Shiksha Samiti and of the Samata Samiti]⁸ shall elect one of their members to be the Vice-Chairman of the Samiti.

(6) The Constitution of the committees specified in sub-sections (2) and (3) of section 87 shall be as may be prescribed.

(7) In the event of a casual vacancy in the seat of a member or in the office of the Chairman or Vice-Chairman a member, Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, shall be elected for the remainder of the term of the committee in the manner, as far as may be, in which his predecessor had been elected.

1. Ins by. Sect 21 of U.P. Act no. II of 1963.

2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

3. Subs. by section 97 *ibid*.

4. Subs. by section 98 (a) *ibid*.

5. Subs. by section 98 (b) *ibid*.

6. Subs. by section 98 (c) *ibid*.

7. Subs. by section 98 (d) *ibid*.

8. Subs. by section 98 (e) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 89-90]

Method of
election and
term of
committees

89

-

(1) The method of election of members of all committees mentioned in section 87 and of the Vice-Chairman of the [Vitta Evam Vikas Samiti of the Shiksha Samiti and of the Samata Samiti]² and of the Chairman and Vice-Chairman of other committees shall be as may be prescribed.

(2) The term of each committee specified in sub-section (1) and (2) of section 87 shall be one year from the date of the first meeting of the committee but in no case extend beyond the term of the [Kshetra Panchayat]¹.

[Constitution of Committees of Kshettra Panchayat notified by the State Government	89-A	(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules made thereunder, every Kshettra Panchayat shall, in place of all or any of the committees referred to in section 87, hereinafter in this section referred to as the erstwhile Committee, constitute such other Committee or Committees, as may be notified by the State Government for exercise and performance of all or any of the powers, functions or duties assigned to the erstwhile committee under this Act and may also delegate to such committee or committees such of its other powers, functions or duties assigned to erstwhile committee under this Act and may also delegate to such committee or committees such of its other powers, functions or duties as it may deem fit and upon constitution of a Committee under this section in place of an erstwhile committee with respect to its any specified power, function or duty, the erstwhile committee with respect to that power, function or duty shall stand abolished and any reference to the erstwhile committee in any provisions of this Act or the rules made thereunder shall be construed as a reference to the Committee constituted under this section. (2) Every Committee constituted under sub-section (1) shall consist of a Chairman and six other members, who shall be elected by the members of the Kshettra Panchayat from amongst themselves in such manner as may be notified by the State Government : Provided that in each such committee there shall be at least one woman member, one member belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes and one member belonging to Backward Classes : Provided further that the State Government may, by notifications direct that the Pramukh, Senior Up-Pramukh or Junior Up-Pramukh or any other member of Kshettra Panchayat shall be the Chairman of any such Committee.]⁶
Sub-committees	90 -	(1) The [Kshettra Panchayat]¹ may, by resolution, out of the members of the [Vitta Evam Vikas Samiti, Shiksha Samiti or Samata Samiti]³ constitute one or more than one sub-committee and assign to it such of the functions of the [Vitta Evam Vikas Samiti, Shiksha Samiti or Samata Samiti]³, as the case may be, as it thinks fit. (2) Any committee mentioned in section 87 may out of its members constitute one or more than one sub-committee to assist it in the discharge of any duty or class of duties imposed upon sub-committee. (3) The composition and term of such sub-committees and the manner of filling casual vacancies shall be such as may be decided by the [Kshettra Panchayat]¹ or the committee, as the case may be.

-
1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 99 ibid.
 3. Subs. by section 100 ibid.
 4. Added by section 14 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 91-92]

Functions of committees specified in sub-section (1) of section 87	91 -	(1) The [Karya Samiti]³ shall assist the [Kshettra Panchayat]² in the performance of its functions in relation to finance, taxation [economic development]⁴ and general administration and shall exercise and perform such powers, duties and functions as are ---
--	---------	--

- (i) required to be exercised or performed by it under this Act; or
- (ii) delegated to it by the [Kshettra Panchayat]² under section 80.

(2) The [Vitta Evam Vikas Samiti]³ shall assist the [Kshettra Panchayat]² in the exercise of its powers and, performance of its duties and functions in relation to improvement in the field of agriculture, co-operation, animal husbandry, minor irrigation, rural industries and production works and such other powers, duties and functions as are-

- (i) required to be exercised or performed by it under this Act; or

- (ii) delegated to the [Vitta Evam Vikas Samiti]³ by the [Kshettra Panchayat]² under section 80.

(3) The [Samta Samiti]³ shall assist the [Kshettra Panchayat]² in the exercise of its powers and performance of its duties and functions in relation to improvement in the field of health, sanitation, [social justice]⁵, woman welfare, youth welfare and constructive programmes and such other powers, duties and functions as are ----

- (i) required to be exercised or performed by it under the Act; or

- (ii) delegated to the [Samata Samiti]³ by the [Kshettra Panchayat]² under section 80.

[(3-A) The Shiksha Samiti shall assist the Kshettra Panchayat in the exercise of its powers and performance of its duties and functions in relation to improvement in the field of education.]⁶

(4) Any of the committees mentioned above in the manner and subject to the conditions prescribed by rules, may delegate any of its powers, duties or functions, other than those delegated by the [Kshettra Panchayat]² to any officer of the [Kshettra Panchayat].²

[(5) The State Government may, at any time, direct that any power, duty or function of the [Vitta Evam Vikas Samiti]³, [Samata Samiti]³ shall be transferred to any of the committees established under sub-section (2) of section 87.]¹

Powers and
responsibilities
of the Khand
Vikas
Adhikari

92

-

(1) The Khand Vikas Adhikari shall be the Chief Executive Officer of the [Kshettra Panchayat]² and shall be responsible for implementing the resolutions of the [Kshettra Panchayat]² and its committees and shall in addition to powers, duties and functions which he is required in this Act to exercise and perform, and subject to any rules in this behalf, exercise and perform the following powers, duties and functions, namely-

- (i) the power to receive, recover and credit to the Kshettra Nidhi any sum due or tendered to the Kshettra Nidhi;

-
1. Added by section 22 of U.P. Act no II of 1963.
 2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Subs. by section 101 (a) *ibid*.
 4. Ins. by section 101 (b) *ibid*.
 5. Subs. by section 101 (c) *ibid*.
 6. Subs. by section 101 (d) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 93-94]

- (ii) drawing from and disbursing the funds of the Kshsttra Samiti ;
- (iii) the submission to the prescribed authority, district magistrate or the

State Government any statements, accounts, reports, copies of documents, copies of resolutions passed by the [Kshettra Panchayat]¹ or any committee thereof or proposals and objections required to be submitted under this Act;

(iv) assisting the [Gram Panchayats]¹ in their development work including drawing up of plans and their execution according to the standards and broad policy laid down by the State Government, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ and bringing to the notice of the [Kshettra Panchayat]¹ any defects in the execution of the aforesaid plans ;

(v) subject to the provisions of sub-section (4) of section 52 the power to determine, in accordance with any rules in this behalf, questions arising in respect of ,the service leave, pay, allowance and other privileges of all officers and servants employed with the [Kshettra Panchayat]¹ ;

(vi) power to do all things necessary for the exercise of the powers conferred under this or any other section; and

(vii) such powers, duties and functions as may be entrusted by the State Government with the consent of the [Kshettra Panchayat]¹ .

(2) The responsibility for the proper execution of all works and contracts on behalf of the [Kshettra Panchayat]¹ shall be of the Khand Vikas Adhikari.

Subordination
of committees
or sub-
committees

93

-

(1) A [Zila Panchayat] or a [Kshettra Panchayat]¹ may at any time call for from any of its committees and likewise a committee may call for from any of its sub-committees, a report of or extract from the proceedings of such committee or sub-committee or as the case may be, any return.

(2) The committee or sub-committee, as the case may be, shall with all convenient speed, comply with the request made under sub- section (1).

Powers of
[Zila
Panchayat]¹
and [Kshettra
Panchayat]¹ to
require report,
etc. and right
of
interpellation

94

-

(1) The [Zila Panchayat]¹ may require the Adhyaksha or the Mukhya Adhikari and the [Kshettra Panchayat]¹ may require the Pramukh or the Khand Vikas Adhikari to supply or produce of any of its meetings-

(a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter pertaining to the administration of the [Zila Panchayat] or the Kshattri Samiti, as the case may be ;

(b) a report or explanation of any sub-committee; and

(c) any report, correspondence or plan or other document or a copy thereof which is in his possession or control as Adhyaksha, Pramukh, Mukhya Adhikari or Khand Vikas Adhikari, or which is recorded or filed in the office of the [Zila Panchayat] or the Kshetra Samiti or of any servant of the [Zila Panchayat] or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be.

(2) The Adhyaksha, the Mukhya Adhikari, the Pramukh or the Khand Vikas Adhikari, as the case may be shall comply with every requisition made under sub-section (1) without unreasonable delay.

1- Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2- Subs. by section 15 of U.P. Act No. 33 of 1999.

(3) Nothing in this section or in any other provisions of this Act shall be deemed to prevent the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, from making provision authorizing the asking of question by members at its meetings subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

Right of Zila Panchayat to take assistance and advice from certain government servants

95

-

It shall be the duty of the officers hereinafter specified to render such assistance and to give such advice to the Zila Panchayat, in so far as it concerns their respective department as may be necessary or desirable, or as the Zila Panchayat may require, for the purpose of implementing the District Plan Programme and the other work of the Zila Panchayat ----

- (i) Executive Engineer (Public Works Department) to be nominated in this behalf by the Superintending Engineer of the concerned circle;
- (ii) Executive Engineer (Uttar Pradesh State Electricity Board) to be nominated in this behalf by the Superintending Engineer of the concerned circle;
- (iii) Executive Engineer (Canals) to be nominated in this behalf by the Superintending Engineer of the concerned circle;
- (iv) Chief Medical Officer;
- (v) Divisional Forest Officer exercising jurisdiction in the district ;
- (vi) District Supply Officer;
- (vii) Deputy Regional Marketing Officer ;
- (viii) District Economics and Statistics Officer ;
- (ix) General Manager, District Industries Centre ;
- (x) Such other Officer of the districts as are incharge of the department concerned with any of the functions of the Zila Panchayat specified in part A of Schedule II :

Provided that if any of these officers is appointed *ex-officio* as an officer of the Zila Panchayat under sub-section (3-A) of section 39, the provisions of this section shall not apply to him.]²

Registration of instruments Act XVI of 1908

96

-

When the Indian Registration Act, 1908, or any rule made thereunder requires any act to be done with reference to a document by a person executing or claiming under the same and the document has been executed on behalf of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ or is a document under which a Zila Panchayat or a [Kshettra Panchayat]¹ claims the act may, notwithstanding anything to the contrary contained in the aforesaid enactment or any rule thereunder, be done by the Mukhya Adhikari or by any other officer of the [Zila Panchayat] empowered in this behalf in the case of a [Zila Panchayat]¹ and by the Khand Vikas Adhikari or by any officer of the [Kshettra Panchayat]¹ empowered in this behalf in the case of a Kshettra Samiti.

1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 15 of U.P. Act No. 33 of 1999.

Disputes
regarding
exercise and
performance
of powers,
duties and
functions

97

-

(1) In case any doubt arises as to whether the [Zila Panchayat]¹, the Adhyaksha, the Karya Samiti, the Vitta Samiti, the Mukhya Adhikari or any other committee or officer of the [Zila Panchayat]¹ is the proper authority for the exercise of any power or the performance of any duty or function under this Act, the matter shall be referred by the Mukhya Adhikari to the State Government whose decision shall be final.

(2) In case any doubt arises as to whether the [Kshettra Panchayat]¹ the Pramukh, [the Karya Samiti, the Vitta Evam Vikas Samiti, the Shiksha Samiti or the Samata Samiti]² the Khand Vikas Adhiksri or any other committee or officer of a [Kshettra Panchayats]¹ is the proper authority for the exercise of any power or the performance of any duty or function under this Act, the matter shall be referred to the District Magistrate whose decision shall be final. In making any such decision, the District Magistrate shall be guided by such general directions as may be issued in this behalf by the State Government from time to time.

Validity of
acts and
proceedings

98

-

(1) No vacancy in a [Zila Panchayat]¹ or in a committee of a [Zila Panchayat]¹, or a sub-committee appointed by the Karya Samiti, shall vitiate any of its acts or proceedings.

(2) No disqualification or defect in the election, co-option or appointment of a person acting as a member of a [Zila Panchayat]¹ or of a committee or sub-committee appointed under this Act or as the presiding officer of a meeting of a [Zila Panchayat]¹ or of such committee or sub-committee, shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the [Zila Panchayat]¹, committee or sub-committee, if the majority of the persons present at the time of the act being done, or proceeding being taken were members of the [Zila Panchayat]¹ or committee or sub-committee without any such disqualification or defect.

(3) Until the contrary is proved any document or minutes which purport to be the record of the proceedings of a [Zila Panchayat]¹, a committee or a sub-committee shall, if substantially made and signed in the manner prescribed for the making and signing of the record of such proceedings, be deemed to be a correct record of proceedings of a duly convened meeting held by a duly constituted [Zila Panchayat]¹, committee or sub-committee, where of all the members were duly qualified.

(4) The provisions of the preceding sub-sections shall mutatis mutandis apply to acts and proceedings of every [Kshettra Panchayat]¹ or committee or sub-committee thereof.

CHAPTER VI

FUND, PROPERTY AND CONTRACTS

Zila Nidhi and
Kshettra Nidhi

99

-

(1) There shall be established for each [Zila Panchayat]¹ a fund called Zila Nidhi and for each [Kshettra Panchayat]¹ a fund called Kshettra Nidhi, to the or edit where of shall be placed all sums received [including the grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State]³ and all loans raised by or on behalf of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be :

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 103 *ibid*.
 3. Subs. by section 104 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 100-102]

Provided that a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ shall earmark parts of the fund received by it for a particular purpose for that purpose and shall expend the same in carrying out that purpose.

(2) Nothing in this section shall affect any obligations of a [Zila Panchayat] or a [Kshettra Panchayat]¹ arising from a trust legally imposed upon or accepted by it.

(3) A [Zila Panchayat]¹ or a Kshettra Samiti may receive such contributions in cash or in kind as may be made by any persons for any work of public utility and the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ shall, there upon, utilize the same together with its contributions, wherever necessary, in executing such work.

[[Zila Panchayat]]¹ to be local authority under the local Authorities Loans Act, 1914 Act 9 of 1914 Act 2 of 1934

100

(1) A [Zila Panchayat]¹ shall be deemed to be a local authority as defined in the Local Authorities Loans Act, 1914, and shall be subject to all its provisions and the rules made thereunder for the purpose of borrowing money under that Act.

(2) Subject to the provisions of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and with the previous sanction of the State Government a [Zila Panchayat]¹ may raise loans in the open market by the issue of debentures in the manner and for the objects and subject to the conditions, including the condition of maintaining a sinking-fund, to be prescribed by rules.

Custody and investment of fund

101

(1) The Zila Nidhi or Kshettra Nidhi shall be kept in the Government treasury or sub-treasury or in the bank to which the Government treasury business has been made over or with the previous sanction of State Government in one or more of the Scheduled Banks or Co-operative Banks specified by it in this behalf.

(2) In places where there is no such-treasury or bank, the Zila Nidhi or the Kshettra Nidhi may be kept with a banker, or person acting as a banker who has given security for the safe custody and re-payment on demand of the fund so kept as the State Government may in each case think sufficient.

Act 2 of 1882

(3) Nothing in the foregoing provisions of this section shall be deemed to preclude a [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ from investing, with the previous sanction of the State Government, in any of the securities described in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882, or placing on fixed deposit with the State Bank of India or with any other authority or institution any portion of its fund which is not required for immediate expenditure.

[Withdrawal from and disbursement of the fund of Kshettra Panchayat] Application of fund

101-A

All withdrawal of moneys from the fund of the Kshettra Panchayat and disbursement thereof shall be made jointly by the Pramukh the Khand Vikas Adhikari.]²

102

(1) The Nidhi and all property vested in a [Zila Panchayat]¹ and the Kshettra Nidhi and all property vested in a [Kshettra Panchayat]¹ shall be applied for the purposes, express or implied, for which, by or under this or any other enactment, powers are conferred or duties so or obligations are imposed upon the [Zila Panchayat] or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be.

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Added by section 17 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 103-104]

(2) A [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ shall not incur any expenditure for acquiring or renting land beyond the limits of the district or the Khand, as the case may be or for constructing anywork beyond such limits except--

(a) with the sanction of the State Government and

(b) on such terms and conditions as the State Government may impose.

(3) Subject to the provisions of section 99 the fund and property of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ shall be applied in the following order of priority--

(a) liabilities and obligations arising from a trust legally imposed-upon, or accepted by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ ;

(b) the payment of establishment charges including contributions to pension, provident fund and leave allowances;

(c) all sums due to the Government ;

(d) the repayment of, and the payment of interest on any loan incurred under the provisions of the Local Authorities Loans, Act, 1914 ;

(e) any sum ordered to be paid from the Zila Nidhi or the Kshettra Nadhi, as the case may be, under sub-section (2) of section 109, sub-section (3) of section 137, sub-section (2) of section 229, sub-section (3) of section 230 and sub-section (3) of section 252;

(f) the carrying on of the duties and obligations imposed upon under sections 31, 32, 33 and 34 of this Act or under any other enactment.

Property
vested in
[Zila
Panchayat]¹

103- Subject to any reservation made by the State Government, all property of the nature specified in this section and situated within the district, shall vest in and belong to the [Zila Panchayat]¹ and shall with all other property which may become vested in the [Zila Panchayat]¹ , be under it direction, management and control and shall be held and applied for the purpose of this Act, that is to say-

(a) all public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the Zila Nidhi ;

(b) all public roads, which have been constructed or are maintained out of the Zila Nidhi and the stones and other materials thereof and also all trees, erections, materials, implements and things provided for such roads; and

(c) all land and other property transferred to the [Zila Panchayat]¹ by Government, or by gift, sale or otherwise for local public purposes.

Property
vested in
[Kshettra
Panchayat]¹

104- Subject to any reservation made by the State Government all property of the nature specified in this section and situated within the Khand shall vest in and belong to the [Kshettra Panchayat]¹ and shall, with all other property which may become vested in the [Kshettra Panchayat]¹, be under its direction, management and control, for the purposes of this Act, this is to say --

Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 105-106]

(a) all public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the Kshettra Nidhi ;

(b) all public roads which have been constructed or are maintained out of the Kshettra Nidhi and the stones and other materials thereof and also all trees, erections materials, implements and things provided for such roads ;

(c) all land and other property transferred to the [Kshettra Panchayat]¹ by Government, or by gift, sale or otherwise for local purposes; and

(d) all tanks and wells and all adjacent lands, buildings, materials and things connected therewith appertaining thereto within the Khand, not being private property and not being maintained or controlled by any Government or by a local authority other than the Antarim [Zila Panchayat]¹.

Compulsory
acquisition of
land

105-

(1) Where a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ for the purpose of exercising any power or performing any duty conferred or imposed upon it under this or any other enactment, desires to acquire permanently or temporarily, any land or any right in respect of land, it, may request the State Government to acquire at, its cost the same under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, or of any other existing law.

(2) On the acquisition by the State Government of such land or such right under the aforesaid provisions and on payment by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, to the State Government of the compensation awarded thereunder and of the charges incurred by the State Government in connection with the proceedings, the land or right, as the case may be, shall vest in the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be.

Public
institution

106-

(1) The management, control and administration of every public institution maintained exclusively out of the Zila Nidhi or the Kshettra Nidhi shall vest in the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be.

(2) Any other public institution may also be vested in or placed under the management, control and administration of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ :

Provided that the extent of the authority of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ in respect thereof, may be prescribed by rule.

(3) All property, endowments and funds belonging to an public institution vesting in, or placed under, the management, control and administration of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹, shall be held by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ in trust for the purpose to which such property, endowments and funds were lawfully applicable at the time when the institution became so vested or was so placed :

Provided that nothing in the foregoing provisions of this section shall be held to prevent the vesting of any trust property in the Treasurer of Charitable Endowments under the Charitable Endowments Act, 1890.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 107-110]

Act VI of 1890 power to transfer property	107-	(1) Subject to any restriction imposed by or under this Act, a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may transfer by sale, mortgage, lease, gift, exchange or otherwise any property vested in it, not being property held by it in trust, the terms of which are inconsistent with the right so to transfer. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may, with the sanction of the State Government, transfer to Government any property vested in it, but not so as to affect any trust or public rights to which the property is subject: Provided that every transfer under sub-section (1), other than a lease for a term not exceeding one year, shall be made by instrument in writing sealed with the common seal of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, and otherwise complying with all conditions in respect of contracts imposed by or under this Act.
[Penalty for encroachment or obstruction	107-A	(1) Whoever makes any encroachment on any land belonging to a Zila Panchayat in the territorial area of the Zila Panchayat, except construction of steps over drain in any public street, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees. (2) An offence punishable under sub-section (1) shall be bailable and cognizable.]³
Payment of compensation from Zila Nidhi or Kshettra Nidhi	108-	A [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshettra Panchayat] ¹ may make compensation out of its fund to any person sustaining damage by reason of the exercise of any power conferred or the performance of any duty imposed by or under this Act or any other enactment, by it or by any person acting on its behalf under this Act, and shall make such compensation where the person sustaining the damage was not himself in default.
Payment by [Zila Panchayat] ¹ or [Kshettra Panchayat] ¹ for special police protection at fairs, etc.	109-	(1) When special police protection is asked for from the State Government by a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ on the occasion of any fair, agricultural show or industrial exhibition managed by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ or of a cattle market or cattle fair controlled and regulated by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, the State Government may provide such protection and the said [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ shall pay the whole charges thereof or such portion of such charges as the State Government consider equitably payable by it. (2) If the sum charged is not paid, the prescribed authority may make an order directing the person having the custody of the Zila Nidhi or the Kshettra Nidhi, as the case may be to pay the expense from such Nidhi and the person shall pay it accordingly.
Preparation and passing of the budget of the [Zila Panchayat] ¹	110-	(1) The Karya Samiti [of the Zila Panchayat] ² shall, in consultation with the Vitta Samiti, in the manner prescribed and with due regard to the provisions of the proviso to sub-section (1) of section 99, prepare every year before such date as is fixed by rule in this behalf, a complete account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the thirty-first day of March next following such date, together with a budget estimate for the year commencing on the first day

of April next following.

-
1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Insertion by section 105 *ibid*.
 3. Added by section 18 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 111-114]

(2) In preparing the budget estimate under sub-section (1) the estimate of income shall show separately grants from the State Government towards planning and development activities and the estimate of expenditure shall show separately how such grants are proposed to be expended.

(3) The Adhyaksha shall thereafter lay at a meeting of the [Zila Panchayat]¹ before a date to be fixed by rule in this behalf the account and budget estimate prepared under sub-section (1).

(4) The [Zila Panchayat]¹ shall, at the meeting referred to in sub-section (3) discuss and then by a special resolution- -----

(a) pass the budget as a whole, or

(b) pass the budget with any modifications, which it may deem fit to make, or

(c) remit the budget to the Karya Samiti for fresh preparation.

(5) Where the [Zila Panchayat]¹ has remitted a budget under clause (c) of sub-section (4), the Karya Samiti shall prepare a fresh budget and the Adhyaksha shall lay such budget before the [Zila Panchayat]¹ and the [Zila Panchayat]¹ shall discuss it and by special resolution either pass it as a whole or after such amendment as it thinks fit.

(6) [***]²

(7) The [Zila Panchayat] may, in consultation with the Karya Samiti, vary or alter from time to time as circumstances may render desirable the budget [finally passed by it.]³

[***]⁴

Revision of budget of the [Zila Panchayat]	111-	As soon as may be after the first day of October a revised budget for the year shall be framed and such revised budget shall, so far as may be, be subject to all the provision applicable to a budget made under section 110 .
Minimum closing balance shown in the budget of the [Zila Panchayat] ¹	112-	In framing a budget, a Karya Samiti shall provide for the maintenance of such minimum closing balance, if any, as the State Government may, by order, prescribe.
Sending of copy of budget of [Zila Panchayat] ¹ to commissioner and State Government	113-	Every [Zila Panchayat] ¹ shall submit a copy of its budget as finally passed to the commissioner of the division and another copy to the State Government.
Prohibition of expenditure in excess of	114-	(1) Where a budget or revised budget of a [Zila Panchayat] ¹ has been finally passed under this Act, the [Zila Panchayat] ¹ shall not incur any expenditure under any of the heads of the budget, other than the head providing for the refund of

budget

taxes, in excess of the amount passed under that head, without making provision for such excess by the variation or alteration of the budget.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Deleted by section 19 (a) of U.P. Act No. 33 of 1999.
 3. Subs. by section 19 (b)(i) *ibid*.
 4. Omitted by section 19 (b)(ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 115-117]

(2) Where any expenditure under any head providing for the refund, of taxes is incurred in excess of the amount approved or sanctioned under that head, provision shall be made without delay for such expenditure by the variation or alteration of the budget.

Preparation
and passing of
the budget of
the [Kshettra
Panchayat]

115- (1) The Karyakarini shall, in consultation with the [Vitta Evam Vikash Samiti, Shiksha Samiti and the Samata Samiti]² and with due regard to the provisions of the proviso to, sub-section (1) of section 99 prepare before such date as is fixed by rule in this behalf a complete account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the 31st day of March next, following such date, together with a budget of its income and expenditure for the year commencing on the 1st day of April next following :

Provided that the estimated income shall show separately grants from the State Government towards planning and development activities and the estimates of expenditure shall show separately how such grants are proposed to be expended.

(2) [***]⁴

(3) [***]⁴

(4) The [Kshettra Panchayat]¹ shall every year at a meeting called before a date specified by rule for the purpose discuss the account and budget prepared by the [Karya Samiti]³ [***]⁵ and then by resolution pass the budget without any modifications or with such modifications as it may deem fit to make.

(5) If by the date prescribed for the passing of the budget, the budget of any [Kshettra Panchayat]¹ has not been passed under sub-section (4) then the budget prepared by [the Karya Samiti shall be deemed to be]⁶ the budget as passed and it shall remain in force till the [Kshettra Panchayat] declares it ineffective after passing the budget under sub-section (4).

Certain provi-
sions relating to
budget of [Zila
Panchayat]¹ to
apply to budget
of [Kshettra
Panchayat]¹

116- The provisions of sections 111, 112, 113 and 114, shall, *mutatis mutandis*, apply to the budget of a [Kshettra Panchayat]¹.

Contracts by
[Zila Pancha-
yat]¹ and
[Kshettra
Panchayat]¹

117- (1) Subject to the provisions of this Act a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ shall have power to enter into contracts which may be necessary or expedient for any purpose of this Act.

(2) All matters relating to the sanction, execution, variation and discharge of contracts including the preparation and sanction of plans, estimates and projects therefor shall be regulated by rules.

(3) If a contract is executed otherwise than in conformity with the provisions of this Act or any rules framed for the purpose, it shall not be binding on the [Zila

Panchayat]¹ or the a [Kshettra Panchayat]¹.

-
1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 106 (a) ibid.
 3. Subs. by section 106 (b) ibid.
 4. Deleted by section 20 (a) of U.P. Act No. 33 of 1999.
 5. Omitted by section 20 (b) ibid.
 6. Subs. by section 20 (c) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 118-119]

Rules to
govern certain
matters

118-

The following matters shall be governed by rules, namely-

(a) making of grants and loans ;

(b) the accounts to be kept by a [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹;

[(c) manner of consulation of the Vitta Samiti of the Zila Panchayat by its Karya Samiti and of the Vitta Evam Vikash Samiti, the Shiksha Samiti and the Samata Samiti of the Kshettra Panchaayt by its Karya Samiti in regard to budget;]²

(d) the manner in which such accounts shall be audited and published and the powers of auditors about disallowance and recommending against members and officers or servants of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ in respect of loss, waste or misuse of any fund or property of the [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ occasioned by the negligence of misconduct of such member, officer or servant;

(e) the date before which a meeting shall be held for the sanction of the budget;

(f) the methods and forms to be adopted in the preparation of budgets;

(g) the returns, statements and reports to be submitted by the [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹; and

(h) travelling allowance including daily allowance that may be paid to Adhyaksha, Upadhyaksha, Pramukh Up-Pramukh and members of [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ .

CHAPTER VII

TAXATION AND LEVY OF FEES AND TOLLS

Taxes which
may be
imposed by
the [Zila
Panchayat]

119-

(1) The taxes which the [Zila Panchayat]¹ may impose or continue the imposition of for the purpose of this Act shall be the following; namely - ----

(a) a tax on Circumstances and Property ;

(b) any other tax which the State Legislature has the power under the Constitution of India, including Article 277 thereof, to impose in the State and of which imposition by the [Zila Panchayat]¹ has been authorized by the State Government.

(2) The taxes shall be assessed and levied subject to the provisions of Article 285 of “the Constitution of India” and in accordance with the provisions of this Act and rules, regulations and bye-laws framed thereunder.

-
1. Subs by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 107 (a) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 120-121]

TAX ON CIRCUMSTANCES AND PROPERTY

Continuance of imposition of Circumstances and property Tax U.P. Act X of 1922 120- (1) Where immediately before the appointed date there was in force a tax on Circumstances and Property in any district imposed or continue under the United Provinces District Boards Act, 1922, such tax shall until abolished or altered with the previous sanction of the State Government, continue to be levied by the [Zila Panchayat]¹ at the same rates and under the same conditions at and under which it was being levied under the Act aforesaid and notwithstanding anything in section 121, all rules regulations and bye-laws, all orders and notifications and all appointments relating to the levy of such taxes in force on the appointed date shall continue in force as if they have been made under this Act and may be cancelled, altered Or modified in accordance with the provisions of this Act.

(2) Where a tax on Circumstances and Property is not already in force in a district immediately before the appointed date, the [Zila Panchayat]¹ of that district may impose such a tax in the manner hereinafter provided.

(3) The recovery of any arrears of the tax on Circumstances and Property may be made under Chapter VIII, or as arrears of land revenue in the discretion of the [Zila Panchayat]¹.

Conditions and restrictions for tax on Circumstances and property 121- The power of a Parishad to impose a tax on Circumstances and Property shall be subject to the following conditions and restrictions, namely-

(a) the tax may be imposed on any person residing or carrying on business in the rural area provided that such person has so resided or carried on business for a total period of at least six months in the year under assessment ;

(b) no tax shall be imposed on any person whose total taxable income is less than [twelve thousand rupees]² per annum ;

(c) the rate of tax shall not exceed three Naye Paise in the rupee on the total taxable income; and

(d) the total amount of tax imposed on any person shall not exceed such maximum, if any, as may be prescribed by rule.

Explanation-- For the purpose of this section taxable income means estimated income but shall not include income of the following classes : --

Act XI of 1922 (i) "agricultural income" as defined in the Indian Income Tax Act 1922 ;

U.P. Act II of (ii) income on which any tax has previously been imposed under section 128 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, by any

1916

municipal board or any notified area committee;

(iii) income on which any tax has previously been imposed by any other [Zila Panchayat]¹ under clause (a) sub-section (1) of section 119;

1- Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2- Subs. by section 108 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 122-124]

U.P. Act II of
1914

(iv) income on which any tax has previously been imposed under section 14 of the United Provinces Town Areas Act, 1914 ;

U.P. Act II of
1959

(v) income on which any tax has previously been imposed by any Nagar Mahapalika under section 172 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

Collection of
circumstances
and property
tax through
[Gram
Panchayat]²
U.P. Act
XXVI of 1947

122-

Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, a [Zila Panchayat]¹ may, on payment of such commission as may, from time, be specified by the State Government entrust the work of collection of tax on circumstances and property levied upon the [residents of the Panchayat areas]⁴ of a [Gram Panchayat]³ to that [Gram Panchayat]³ and in such case it shall be the duty of the [Gram Panchayat]⁵ to collect the tax from such residents and to remit the realizations to the Zila Nidhi.

IMPOSTION OF TAXES

Framing of
preliminary
proposals for
imposition

123-

(1) When a [Zila Panchayat]¹ desires to impose a tax, it shall, by special resolution, frame proposals specifying-

(a) the tax, being one of the taxes described in section 119 which it desires to impose ;

(b) the persons or class of persons to be made liable and the description of the property or other taxable thing or circumstance in respect of which they are to be made liable, except where and in so far as any such as or description is already sufficiently defined under clause (a) or by this Act ;

(c) the amount or rate leviable from each such person or class of persons;

(d) any other matter referred to in section 140 which the State Government requires by rule to be specified.

(2) The [Zila Panchayat]¹ shall also prepare a draft of the rules which it desires the State Government to make in respect of the matters referred to in section 140.

(3) The [Zila Panchayat]¹ shall, thereupon, publish in the manner prescribed by rules the proposals framed under sub-section (1) and the draft rules framed under sub-section (2) alongwith a notice in such form as the [Zila Panchayat]¹ may, by regulation, prescribe.

Procedure

124-

(1) Any person or ordinarily residing or carrying on business in the district

subsequent to
framing
proposals

within which the [Zila Panchayat]¹ desires to impose a tax, may, within thirty days from the publication of the said notice, submit to the [Zila Panchayat]¹ an objection in writing, to all or any of the proposals framed under the preceding section and the [Zila Panchayat]¹ shall take any objection so submitted into consideration and pass orders thereon by special resolution.

-
1. Substituted by section 61 of chapter 3 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 109 (a) *ibid*.
 3. Subs. by section 109 (b) *ibid*.
 4. Sub. by section 109 (c) *ibid*.
 5. Subs. by section 109 (d) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 125-129]

(2) If the [Zila Panchayat]¹ desires to modify its proposals or any of them it shall publish modified proposals and, if necessary, revised draft rules, alongwith a notice indicating that the proposals and the rules, if any, are in modification as proposals and rules previously published for objections.

(3) Any objections which may be received to the modified proposals shall be dealt with in the manner prescribed in sub-section (1).

Powers of State
Government to
sanction
proposals by
[Zila
Panchayat]

125-

(1) When the [Zila Panchayat]¹ has finally settled its proposal, it shall submit them alongwith the objections, if any, make in connection therewith to the prescribed authority, who shall submit the proposals and objections, if any, to the State Government.

(2) The State Government after considering the said objections, if any, may either refuse to sanction the proposals or return them to the [Zila Panchayat]¹ for further consideration, or sanction them without modification or with such modification, not involving any in-crease of the amount to be imposed, as it deems fit.

Rules to be
made by State
Government

126-

(1) When the State Government has sanctioned the proposals of the [Zila Panchayat]¹ under sub-section (2) of section 125, it shall, after taking into consideration the draft rules submitted by the [Zila Panchayat]¹, proceed forthwith in to make under section 237 such rules in respect of the tax as for the time being it considers necessary.

(2) When the rules have been made, a copy thereof shall be sent to the [Zila Panchayat]¹.

Resolution of
[Zila
Panchayat]¹
directing
imposition of
tax

127-

Upon receipt of the copy of the rules sent under the preceding section, the [Zila Panchayat]¹ shall by special resolution direct the imposition of the tax with effect from a date, to be specified in the resolution, not less than six weeks from the date of such resolution.

Imposition of
the tax

128-

(1) A copy of the resolution passed by the [Zila Panchayat]¹ under section 127 shall be submitted to the State Government.

(2) Upon receipt of the copy of the resolution, the State Government shall notify in the Gazette the imposition of the tax from the date specified under section 127 and the imposition of a tax shall in all cases be subject to the condition that it

has been so notified.

(3) A notification of the imposition of a tax under sub-section (2) shall be conclusive proof that the tax has been imposed in accordance with the provisions of this Act.

Procedure or altering taxes	129-	The procedure for abolishing or suspending a tax, or for altering a tax in respect of the matters specified in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 123 shall, so far as may be, the procedure prescribed by sections 123 to 128 for the imposition of a tax.
-----------------------------	------	--

1- Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

**[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 130-132]**

Altered or modified procedure in respect of certain taxes	130-	Notwithstanding anything in sections 123 to 129, the State Government may, by rule, prescribe such other or modified procedure for the imposition and alteration of any tax mentioned in clause (b) of sub-section (1) of section 119 as it may think fit.
---	------	--

Exemption	131-	(1) A [Zila Panchayat]¹ may exempt, for a period not exceeding one year, from the payment of a tax or any portion of a tax imposed under this Act, any person who is, in its opinion, by reason of poverty, unable to pay the same, and may renew the same exemption as often as it deems necessary. (2) A [Zila Panchayat]¹ may, by a special resolution confirmed by the prescribed authority exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any person or class of persons or any property or description of property. (3) The State Government may, by order, exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any persons or class of persons or any property or description of property.
-----------	------	---

[Imposition of tax by Kshettra Panchayat]	131-A	A Kshettra Panchayat may, in such manner as may be prescribed, impose— (a) water tax, where it constructs or maintains a scheme for providing drinking water, water for irrigation or for any other purposes under its jurisdiction; (b) electricity tax, where it provides for and maintains lighting arrangement at a public street or other public places; and (c) any other tax which the State Legislature has the power under the Constitution, including Article 277 thereof, to impose in the State and of which imposition by the Kshettra Panchayat has been authorized by the State Government.]²
---	-------	---

Power of State Government to remedy or abolish a tax	132-	(1) Whenever it appears, on complaint made or otherwise to the State Government that the levy of any tax imposed by a [Zila Panchayat]¹ is contrary to the public interest or that any tax is unfair in its incidence, the State Government may, after considering the explanation of the [Zila Panchayat]¹, by order require
--	------	--

the [Zila Panchayat]¹ to take measures, within a time to be specified in the order, for the removal of any defect which it considers to exist in the tax or in the method of assessing or collecting the tax.

(2) Upon the failure or inability of the [Zila Panchayat]¹ to comply, to the satisfaction of the State Government with an order made under sub-section (1), the State Government may, by notification, suspend the levy of the tax, or of any portion thereof, until the defect is removed, or may abolish or reduce the tax.

1- substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2- Added by section 110 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 133-137]

Obligation to disclose liability	133-	(1) A [Zila Panchayat]¹ may, by written communication upon any person specified in clause (a) of section 121, to furnish such information as may be necessary in order to ascertain---- (a) whether such a person is liable to pay a tax assessed on his Circumstances and Property; (b) at what amount he should be assessed; and (c) the annual value of the building or land, which he occupies and the name and address of the owner. (2) In respect of any other tax, a [Zila Panchayat]¹ may, by written communication, require any person who may appear to be liable to payment of such tax, to furnish such information as may be prescribed by rule. (3) If the person so called upon to furnish the information omits to furnish it, or furnishes information which is untrue, he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to [one thousand rupees.]²
Power of inspection	134-	Subject to the conditions and restrictions specified in section 222, the Adhyaksha and the Mukhya Adhikari of a [Zila Panchayat]¹ and, if authorized in this behalf by a resolution any other member, officer or servant of the [Zila Panchayat] , may enter, inspect and measure a building for the purposes of valuation.
Appeal relating to tax	135-	(1) An appeal against an assessment or any alteration of any assessment, of a tax on Circumstances and Property may be made to, and be decided by, the prescribed authority in such manner as may be prescribed by rules. (2) In the case of any tax imposed by the [Zila Panchayat]¹ under the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 119 the State Government shall provide by rules the authority to which an appeal may be made against assessment or any alteration of an assessment of the tax and the manner in which such appeal is to be made and decided.
Limitation and preliminary deposit of tax	136-	No such appeal shall be heard and determined unless -- (a) the appeal is brought within thirty days next after the date of the

claimed receipt of notice of assessment or alteration of assessment, or, if no notice has been given within thirty days next after the date of the first demand under the assessment or alteration of assessment ; and

(b) where the amount claimed from the appellant is above twenty-five rupees, half of that amount has been deposited by him in the office of the [Zila Panchayat.]¹

Costs 137- (1) In every appeal under section 135, the cost shall be in the discretion of the officer deciding the appeal.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 111 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 138-140]

(2) Costs awarded under this section to the [Zila Panchayat]¹ shall be recoverable by the [Zila Panchayat]¹ in the manner provided by chapter VIII.

(3) If the [Zila Panchayat]¹ fails to pay the costs awarded to the appellant within ten days after the date of the communication to the [Zila Panchayat]¹ of the order for payment thereof the officer awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the Zila Nidhi to pay the amount and the person shall pay it accordingly.

Bar to jurisdiction of civil and criminal court in matters of taxation

138- (1) No objection shall be taken to a valuation or assessment nor shall the liability of a person to be assessed or taxed be questioned in any other manner or by any other authority than is provided by or under this Act.

(2) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying an order in respect of calculation or assessment or liability to assessment or taxation shall be final :

Provided that it shall be lawful for the appellate authority, upon application or on his own motion, to review any order passed by him in appeal by further order passed within three months from the date of his original order.

Savings

139- No assessment list or other list, notice, bill or other such document specifying or purporting to specify with reference to any tax, charge, rent or fee any person, property, thing or circumstances shall be invalid by reason only of a mistake in the name, residence, place of business or occupation of person or in the description of the property, thing or circumstance, or by reason of any mere clerical error or defect of form; and it shall be sufficient that the person, property, thing or circumstance is described sufficiently for the purpose of identification and it shall not be necessary to name the owner or occupier of any property liable in respect of a tax.

Rules as to assessment, collection or other matter

140- The following matters shall be governed by rules except in so far as provision therefor is made by this Act, namely--

(a) the assessment and collection of taxes;

- (b) the prevention of evasion of taxes ;
- (c) the system on which refunds shall be allowed and paid;
- (d) the fees for notice demanding payments on account of tax on Circumstances and Property and for the execution of warrants of distress ;
- (e) the rates to be charged for maintaining livestock distrained ; and
- (f) any other matter relating to taxes in respect of which this Act makes no provision or insufficient provision and provision is in the opinion of the State Government necessary.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

**[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 141-145]**

Share of [Gram Panchayat] ² in taxes	141-	Out of its net proceeds from the tax on Circumstances and Property, the [Zila Panchayat] ¹ shall contribute to the funds of the [Gram Panchayat] ² Sabhas of the district such amounts as it may determine having regard to the requirements of each of such [Gram Panchayat] ² .
---	------	--

FEES AND TOLLS

Fees for use, otherwise than under a lease of property of a [Zila Panchayat] ¹ or a Kshettra [Panchayat] ¹	142-	(1) A [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may charge fees to be fixed by bye-law or by public auction or by agreement for the use or occupation (otherwise than under a lease) of any immovable property vested in, or entrusted to the management of, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, including any public road or place of which it allows the use or occupation whether by allowing a projection thereon or otherwise. (2) Such fees may either be levied along with the fees charged under section 143 for the sanction, licence or permission or may be recovered in the manner prescribed by Chapter VIII.
--	------	---

Licence fee, etc.	143-	A [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshettra Panchayat] ¹ may charge a fee to be fixed by bye-law for any licence, sanction or permission which it is entitled or required to grant by or under this Act.
-------------------	------	--

Certain other fees	144-	With the previous sanction of the State Government, a [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshettra Panchayat] ¹ may fix and levy school fees, fee for the use of libraries and Sarais and Paraos, fees for the use of, or benefits derived from, any of the works or institutions constructed and maintained by the [Zila Panchayat] ¹ or the Kshettra Panchayat] ¹ , originally under-taken as famine preventive or relief works fees for the service of bulls and stallions, and for registration of animals, and fees at fairs, markets, agricultural shows, and industrial exhibitions held under its authority or otherwise, to which the public is allowed access and at which the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ provides sanitary and other facilities for the public and tolls for the use of bridges constructed, repaired or maintained by the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ :
--------------------	------	---

Provided that a [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ shall not fix or levy

fees for the use of Paraos which are not vested in it.

- Licence fees and tolls in respect of markets 145- Subject to any rule made by the State Government in this behalf, a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may impose in any market established, maintained or managed by it anyone or more of the following fees or tolls :
- (a) licence fees on brokers, commission agents, weighmen or measurers practising their calling within such markets;
 - (b) ton on vehicles, pack animals or porters bringing goods for sale into such a market ;

-
- 1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 - 2. Subs. by section 112 (a) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 146-151]

- (c) market fees for the right to expose goods for sale in such market or for the use of any building or structure therein;
- (d) fees on the registration of animals sold in market.

- Mode of recovery of fees and tolls levied under section 144 and 145 146- Any unpaid fees and tolls referred to in sections 144 and 145 may be recovered in the manner prescribed in Chapter VIII.

CHAPTER VIII

RECOVERY OF TAXES AND CERTAIN OTHER CLAIMS

- Mode of recovery of taxes and other dues 147- Unless otherwise provided by this Act, taxes and other dues referred to in section 148 may be recovered by the [Zila Panchayat]¹ by distraint, and sale of a defaulter's movable property in the manner hereinafter provided.

- Presentation of bill 148- (1) As soon as a person becomes liable for the payment of-
- (a) any sum on account of a tax imposed by the [Gram Panchayat]¹, or
 - (b) any other sum declared by or under this Act or by any rule or bye-law made under the Northern India Ferries Act, 1878 to be recoverable in the manner provided by this Chapter, the [Zila Panchayat]¹ shall, with all convenient speed, cause a bill to be presented to the person so liable.
- (2) Unless otherwise provided by rule, a person shall be deemed to become liable for the payment of every tax and licence fee upon the common cement of the period in respect of which such tax or fee is payable.

- Contents of bill 149- Every such bill shall specify-
- (a) the period for which, and the property, occupation, circumstance or thing in respect of which, the sum is claimed,

(b) the liability for penalty enforceable in default of payment, and

(c) the time within which an appeal, if any, may be preferred as provided in section 136.

Notice of demand	150-	If the sum for which a bill has been presented as aforesaid is not paid, into the office of the Zila Panchayat, or to a person empowered by a regulation to receive such payments, within fifteen days from the presentation thereof, the [Zila Panchayat] ¹ may cause to be served upon the person liable for the payment of the said sum, a notice of demand in such form as the [Zila Panchayat] ¹ may by regulation prescribe.
Issue of warrant	151-	(1) If the person liable for the payment of the said sum does not, within thirty days from the service of such notice of demand either— (a) pay the sum demanded in the notice, or

1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 152-153]

(b) show cause to the satisfaction of the [Zila Panchayat]¹ or of such officer as the [Zila Panchayat]¹ by regulation may appoint in this behalf why he should not pay the same,

such sum with all costs of the recovery may be recovered, under a warrant caused to be issued by the [Zila Panchayat]¹ in such form as the [Zila Panchayat]¹ may by regulation, prescribe, by distress and sale of the movable property of the defaulter.

(2) Every warrant issued under this section shall be signed by the Adhayaksha or by an officer to whom the [Zila Panchayat]¹ has delegated this power by regulation.

Forcible entry for purpose of executing warrant	152-	It shall be lawful for an officer of the [Zila Panchayat] ¹ , to whom warrant issued under section 151 is addressed, to break open at any time between sunrise and sunset, any outer or inner door or window of a building in order to make the distress directed in the warrant, in the following circumstances and not otherwise-- (a) If the warrant contains a special order authorizing him in this behalf; and (b) if he has reasonable grounds for believing that the building contain property which is liable to seizure under the warrant; and (c) if, after notifying his authority and purpose and duly demanding admittance, he cannot otherwise obtained admittance : Provided that such officer shall not enter or break open the door of an apartment appropriated for women until he has given any woman therein an opportunity to withdraw.
Manner of purpose of executing warrant	153-	(1) It shall also be lawful for the officer mentioned in section 152 to distrain, wherever It may be found within the rural area, any movable property of the defaulter, subject to the provisions of sub-section (2).

(2) The following property shall not be distrained-

(a) the necessary wearing apparel and bedding of the defaulter, his wife and children, and his necessary cooking utensils,

(b) the tools of artisans,

(c) books of account ,

(d) when the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, seed, grain, and such cattle as may be necessary to enable him to earn his livelihood.

(3) The distress shall not be excessive, that is to say, the property distrained shall be as nearly as possible equal in value to the amount recoverable under the warrant, and if any articles have been distrained which, in the opinion of a person authorized by or under sub-section (2) of section 158 to sign a warrant, should not have been so distrained they shall all forthwith be returned.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 154-156]

(4) The officer shall, on seizing the property, forthwith make an inventory thereof, and shall, before removing the same, give to the person in possession thereof at the time of seizure a copy of the inventory signed by him and a written notice in such form as the [Zila Panchayat]¹ may, by regulation, prescribe that the said property will be sold as specified in such notice.

Sale of goods
under warrant
and application
of proceeds

154-

(1) When the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping in custody together with the amount to be recovered is likely to exceed its value, the Adhyaksha or other officer by whom the warrant was signed shall at once give notice to the person in whose possession the property was seized to the effect that it will be sold at once and shall sell it accordingly unless the amount named in the warrant be forth- with paid.

(2) If not sold at once under sub-section (1) the property seized or sufficient portion thereof, may, on the expiration of the time specified in the notice served by the officers executing the warrant be sold by public auction under the order of the [Zila Panchayat]¹, unless the warrant is suspended by the person who signed it or the sum due from the defaulter is paid together with all costs incidental to the notice, warrant and distress and detention of the property.

(3) The surplus if any, shall forthwith be remitted by money order, less postal commission, to the person from whose possession the property was taken. If the amount so remitted is returned to the [Zila Panchayat]¹ by the post office it shall be credited to Zila Nidhi, notice of such credit being given at the same time to the said person, and, if the same be claimed by written application to the [Zila Panchayat]¹ within one year from the date of the service of the notice, a refund thereof shall be made to such person. Any sum not claimed within one year from the date of service of such notice shall be the property of [Zila Panchayat]¹.

Procedure in
case of
execution
against
property out-

155-

(1) If no sufficient movable property belonging to a defaulter can be found within the rural area, the district magistrate may, on the application of the [Zila Panchayat]¹, issue warrant to an officer of his court-

(a) for the distress and sale of any movable property or effect belonging

side the rural
area

to a defaulter within any other part of the jurisdiction of the magistrate, or

(b) for the distress and sale of any movable property, belonging to the defaulter within the jurisdiction of any other magistrate exercising jurisdiction within Uttar Pradesh.

(2) In the case of action being taken under clause (b) of sub-section (1) the other magistrate shall endorse the warrant so issued or and cause it to be executed, and any amount recovered to be remitted to the magistrate issuing the warrant, who shall same to the [Zila Panchayat].¹

Fees and costs

156-

A fee for every notice issued under section 150 and distress made under section 153 or 155 and the cost of maintaining any livestock seized under the said sections shall be chargeable at the rates respectively specified in such behalf in rules made by the State Government and shall be included in the costs of recovery to be levied under section 161.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 157-163]

Saving

157-

No distress or the sale made under this Act shall be deemed unlawful, nor any person making the same be deemed a trespasser on account of an error, defect or want of form in the bill, notice, warrant of distress, inventory or other proceeding relating thereto.

Alternative
power of
bringing suit
or recovering
as arrears of
land revenue

158-

(1) Instead of proceeding by distress and sale or in case of failure to realize thereby the whole or any part of the demand, the [Zila Panchayat]¹ may sue the person liable to pay the same in any court of competent jurisdiction.

(2) In the case of an arrear of tax on Circumstances and Property a [Zila Panchayat]¹ may in addition to the power to take recourse to the provisions of section 148 or sub-section(1) of this section, but subject to and in accordance with rules made in this behalf recover them all arrears of land revenue.

Recovery of
rent on land

159-

Where any sum is due on account of rent from a person to a [Zila Panchayat]¹ in respect of the land vested in or entrusted to the management of the [Zila Panchayat]¹, the [Zila Panchayat]¹ subject to and in accordance with rules made in this behalf may recover any such arrear as arrear of land revenue.

Recovery of
rent for other
immovable
property

160-

Any arrears due on account of rent from a person to the [Zila Panchayat]¹ in respect of immovable property, other than land vested in or entrusted to the management of the [Zila Panchayat]¹, shall be recovered in the manner provided in section 148.

Recovery of
dues of
[Kshettra
Panchayat]¹

161-

Any sum due to a [Kshettra Panchayat]¹ under this Act or under any rule or bye-law made thereunder and declared by this Act or such rule or bye-law to be recoverable in the manner provided by this chapter shall, mutatis mutandis, be recovered as provided in this chapter.

CHAPTER IX

POWERS AND PENALTIES IN RESPECT OF BUILDINGS, PUBLIC

DRAINS AND STREETS, ETC.

Regulation of Building

Definition	162-	For the purposes of this Chapter (a) "Appropriate authority" shall mean the [Kshettra Panchayat]¹ if the subject comes within the functional jurisdiction of the [Kshettra Panchayat]¹ and the [Zila Panchayat]¹ in other cases; (b) "[Kshettra Panchayat]¹" shall, in relation to any part of the rural area including controlled rural area, mean the [Kshettra Panchayat]¹ exercising jurisdiction in such part.
Limitation to application of certain sections of this Chapter	163-	(1) Without prejudice to any other provisions of this Act, the provisions of sections 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 190, 181, 182, 184, 186, 187, 209, 213 and 216 of this Chapter shall apply only to those portions of the rural area as have been specified by the [Zila Panchayat]¹ under this section.

1- Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 164-165]

(2) A [Zila Panchayat]¹ may by resolution declare that the provisions of the sections mentioned in sub-section (1) or anyone or more of them shall apply to any portion of the rural area of the district to be specified in the resolution and thereupon the provisions of the sections mentioned in the resolution shall apply to the area so specified which shall be called controlled rural area :

Provided that public notice of the resolution has been given to the residents of the controlled rural area in such manner as may be prescribed by rules.

Construction or alteration of building to be after notice and according to bye-laws	164-	(1) No erection or re-erection of a building or material alteration in an existing building or making or enlarging a well within a controlled rural area abutting on or adjacent to a public street or place or property vested in Government or in the [Zila Panchayat]¹ [Kshettra Panchayat]¹ shall be carried out except in accordance with the directions of any rule made by Government or bye-law made by the [Zila Panchayat]¹ and shall not be commenced unless written notice thereof has been tendered to the [Kshettra Panchayat]¹ not less than one month in advance, with such details of the proposed construction or alteration as may be required by bye-law to be furnished alongwith such notice. (2) An alteration in a building shall, for the purpose of this Chapter and of any rule or bye-law, be deemed to be material if- (a) it affects or is likely to affect prejudicially the stability or safety of the building or the condition of the building in respect of drainage, ventilation, sanitation or, hygiene, or (b) it increases or diminishes the height or area covered by or cubical capacity of the building or reduces the cubical capacity of any room in the building-below the minimum prescribed in any bye-law, or (c) it converts into a place for human habitation a building or portion
---	------	--

of a building originally constructed for other purposes, or

(d) it is an alteration declared by a bye-law made in this behalf to be material alteration.

SANCTION OR REFUSAL OF WORK BY [KSHETTRA PANCHAYAT]¹

Sanction of work by [Kshettra Panchayat] ¹	165-	(1) Subject to the provision of any bye-law the [Kshettra Panchayat]¹ may either refuse to sanction any work of which notice has been given under section 164 or may sanction it absolutely or subject to- (a) any written direction that the [Kshettra Panchayat]¹ deems fit to issue in respect of all or any of the matters mentioned in sub-head (f) of heading 'A' of sub-section (2) of section 239, or (b) a written direction requiring the set-back of the building or part of a building to the regular line of the street, prescribed under section 191, or in default of any regular line prescribed under that section to the line of frontage of any neighboring building or buildings.
---	------	--

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 166-169]

(2) In the case of refusal to sanction under sub-section (1), the Kshettra Samiti shall communicate in writing the reasons for such refusal to the person giving notice under section 164.

(3) Should the [Kshettra Panchayat]¹ neglect or omit for one month after the receipt of valid notice under section 164 to make and deliver to the person who has given such notice an order of the nature specified in sub-section (1) in respect thereof, such person may by written communication call the attention of the [Kshettra Panchayat]¹ to the omission or neglect, and, if such omission or neglect continues for a further period of one month, the [Kshettra Panchayat]¹ shall be deemed to have sanctioned the proposed work absolutely.

Duration of sanction	166-	(1) A sanction given or deemed to have been given by a [Kshettra Panchayat]¹ under section 165 shall be available for three years or for such lesser period as may be prescribed by bye-law. (2) After the expiry of the said period the proposed work may not be commenced without a sanction under the foregoing section
Inspection of work requiring sanction	167-	The Pramukh, the Khand Vikas Adhikari and, if authorized in this behalf by resolution of the [Kshettra Panchayat]¹, any other member, officer or servant of the [Kshettra Panchayat]¹ may at any time and without warning inspect any work in respect of which notice is required under section 164- (a) while under construction, or (b) within one month of the receipt of a report that it has been completed or, in default of such report, at any time after completion.
Compensation for damage	168-	Notwithstanding anything contained in section 108, a person giving notice under section 164 shall not be entitled to any compensation for damage or loss

sustained
through order
passed under
section 165

sustained by reason of an order passed by a [Kshettra Panchayat]¹ under section 165 unless--

(a) the order is passed on some ground other than that the proposed work would contravene a bye-law or be prejudicial to the health or safety of the public or any person; or

(b) the order contains a direction, of the nature specified in clause (b) of sub-section (1) of section 165, or

(c) the order is an order of refusal to sanction the reerection of a building on the ground that it is unsuitable in plan or design to the locality or is intended for a purpose unsuitable to the locality, or contravenes a bye-law under sub-head (d) of Heading 'A' of sub-section (2) of section. 239.

Effect of
sanction under
section 165

169- (1) A sanction given or deemed to have been given under section 165 shall not, beyond exempting the person to whom the sanction is given or deemed to have been given from any penalty or consequence to which he would otherwise be liable under section 170, 171 or 191, confer or extinguish any right or disability or operate as an estoppels or admission or affect any title to property or have any other legal effect whatsoever.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 170-174]

(2) In particular, such sanction shall not operate to relieve any person from the obligation imposed by section 181 to obtain separate sanction for any structure referred to therein.

Illegal erection
or alteration of
building

170- Whoever begins, continues or completes the erection or re-erection of, or any material alteration in, a building or part of a building or the construction or enlargement of a well, without giving the notice required by section 1,64 or in contravention of the provisions of section 165 or of an order of the [Kshettra Panchayat]¹ refusing sanction or any written directions made by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 165 or any bye-law, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

Powers of
[Kshettra
Panchayat]¹ to
stop erection
and to demo-
lish building
erected

171- The [Kshettra Panchayat]¹ may at any time by written notice direct the owner or occupier of any land to stop the erection, reerection or alteration of a building or part of a building or the construction or enlargement of a well thereon in any case where the [Kshettra Panchayat]¹ considers that such erection, re-erection, alteration construction or enlargement is an offence under section 170 and may, in like manner direct the alteration or demolition, as it deems necessary, of the building, part of a building or the well, as the case may be.

Public Drains

Public drains

172- The [Kshettra Panchayat]¹ may construct within the controlled rural area such drains as it thinks necessary for keeping an inhabited area properly cleansed and drained and may carry such drains through, across or under any street or place, and after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through or under

any building or land:

Provided that compensation worked out in the in manner provided by rules shall be paid to such owner or occupier.

- | | | |
|--|------|--|
| Alteration of public drains | 173- | <p>(1) The [Kshettra Panchayat]¹ may, from time to time, enlarge, lessen, alter the course of, cover or otherwise improve a public drain and may discontinue, close up or remove any such drain.</p> <p>(2) The exercise of the power conferred by sub-section (1) shall be subject to the condition that the [Kshettra Panchayat]¹ shall provide another and equally effective drain in place of any existing drain of the use of which any person is deprived by the exercise of the said power.</p> |
| Use of public drains by private owners | 174- | <p>(1) The owner or occupier of a building or land within the rural area shall be entitled to cause his drains to empty into the drains of the [Kshettra Panchayat]¹ ;</p> <p>Provided that he first obtains the written permission of the [Kshettra Panchayat]¹ , and that he complies with such conditions consistent with any bye-laws the [Kshettra Panchayat]¹ prescribes as to the mode in which, and the superintendence under which the communications are to be made between drains not vested in the [Kshettra Panchayat]¹ and drains which are so vested:</p> |

~~1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.~~

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 175-176]

(2) Whoever, without the written permission of the [Kshettra Panchayat]¹ or in contravention of any bye-law or of any direction or condition made or imposed under sub-section (1), makes or-causes to be made, or alters or causes to be altered a connection of a drain belonging to himself or to some other persons with a drain vested in the [Kshettra Panchayat]¹, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees, and the [Kshettra Panchayat]¹ may by written notice require such person to close, demolish, alter, remake or otherwise deal with such connection as it deems fit.

Street Regulations

- | | | |
|---|------|---|
| Provision of laying out and making a street before the construction of building on a site which does not abut on a public or private street | 175- | <p>Except where a site abuts a public or private street, if any person owning or possessing any land in a controlled rural area not hitherto used for building purposes intends to utilize, sell lease or otherwise transfer such land or any portion thereof as site for the construction of a building he shall before utilizing, selling, letting or otherwise transferring such site layout and make a street which shall connect such site with an existing public or private street.</p> |
| Permission to lay out and make a street | 176- | <p>(1) Every person before beginning to layout or make a new private street in a controlled rural area shall submit a supplication in-writing to the [Kshettra Panchayat]¹ seeking permission to layout or make such street and shall alongwith such. application submit the following particulars :</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) the proposed level, direction and width of the street,</p> <p style="margin-left: 40px;">(b) the street alignment and the building line, and shall also state in the application the arrangement to be made for levelling, paving, metalling,</p> |

flagging, channelling and draining of the street.

(2) The provisions of this Act and of any rules or bye-laws made thereunder as to the level and width of a public street and the height or a, building abutting thereon shall also apply to the case of a street referred to in that sub-section (1); and all other particulars referred to in that sub-section shall be subject to the approval of the [Kshettra Panchayat]¹.

(3) Within sixty days after the receipt of an application under sub-section (1) the [Kshettra Panchayat]¹ shall either sanction the laying out or the making of the street on such conditions as it may think fit to impose or disallow it or ask for further information with respect to it within a specified reasonable period.

(4) Such sanction may be refused if --

(i) the proposed street would conflict with any arrangements which have been made or which are, in the opinion of the [Kshettra Panchayat]¹, likely to be made for carrying out any general scheme of street Improvement; or

(ii) the proposed street does not conform to the provisions of the Act, rules and bye-laws referred to in sub-section (2); or

(iii) the proposed street is not designed so as to connect at least one end with a public street.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 177-180]

(5) No persons shall lay out or make any new private street or road without, or otherwise than in conformity with, the order of the [Kshettra Panchayat]¹. If further information is asked for under sub-section (3) the laying out or making of the street shall not be commencement until orders have been passed on the application after receipt of such information :

Provided that the passing of such orders shall not in any case be delayed by more than thirty days after the [Kshettra Panchayat]¹ has received all the information which it considers necessary for the final disposal of the application.

Sanction of the [Kshettra Panchayat]¹ to be presumed for laying out and making a street in certain case

177- Should the [Kshettra Panchayat]¹ neglect or omit for sixty days after the receipt of an application under section 176 to grant the sanction or if an order has been issued under sub-section (3) of the said section asking for further information fails within a period specified' in such order to deliver to the person who has submitted the. application, particulars of the information required by the [Kshettra Panchayat]¹ such person may by, a written communication call the attention of the Kshettra Samibi to the omission, neglect or failure and if such omission, neglect or failure continues-for a further period of thirty days, the [Kshettra Panchayat]¹ shall be deemed to have sanctioned the laying out and making of the proposed street absolutely:

Provided that nothing contained herein shall be construed to authorize any person to act in contravention of any provisions of the Act or any bye-laws.

Duration of sanction

178- (1) A sanction given or deemed to have been given by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 176 and 177 shall be available for one year.

(2) After the expiry of the said period the proposed street may not be commenced without sanction under the foregoing sections.

Illegal making of a street 179- Whoever begins, continues or completes the laying out or making of a street without giving the notice required by section 176 or in contravention of any written direction made by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 177 or any bye-law or any provision of this Act shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

Powers of [Kshettra Panchayat]¹ to alter unsanctioned street and demolish the same 180- (1) If any person lays out or makes any street referred to in section 176 without or otherwise than in conformity with the orders of the [Kshettra Panchayat]¹, the [Kshettra Panchayat]¹ may notwithstanding any prosecution which may have been started against the offender under this Act, by notice in writing-

(a) require the offender to show sufficient cause by a written statement signed by him and sent to the [Kshettra Panchayat]¹ on or before such date as may be specified in the notice, why such street should not be altered to the satisfaction of the [Kshettra Panchayat]¹ or if such alteration be impracticable why such street should be demolished, or

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 181-183]

(b) require the offender to appear before the [Kshettra Panchayat]¹ either personally or by a duly authorized agent on such day and at such time and place as may be specified in the notice and show cause as aforesaid.

(2) If any person on whom such notice is served fails to show sufficient cause to the satisfaction of the [Kshettra Panchayat]¹, the [Kshettra Panchayat]¹ may pass such order directing the alteration or demolition of the street as it thinks fit.

Sanction of [Kshettra Panchayat]¹ to projections over streets and drains 181- (1) Subject to any rules made by the State Government prescribing the conditions for the sanction by a [Kshettra Panchayat]¹ of projections over streets or drains in a controlled rural area, a [Kshettra Panchayat]¹ may give written permission, where provision is made by a bye-law for the giving of such permission--

(a) to the owners or occupiers of buildings in or on streets to erect or re-erect open verandahs, balconies, or rooms to project over the street from any upper storey thereof, at such height from the surface of the street, and to such an extent beyond the line of the plinth or basement wall as are prescribed in such bye-laws; and

(b) to the owner or occupier of any building or land to erect or re-erect any projection or structure so as to overhang project into, or encroach on or over a drain in a street to such an extent, and in accordance with such conditions, as are in like manner prescribed.

(2) In giving permission, under clause (a) of sub-section (1) a [Kshettra Panchayat]¹ may prescribe the extent to which, and the conditions under which any roofs, caves, weather boards, shop-boards and the like may be allowed to project

over such streets.

- | | | |
|--|------|--|
| Penalty for construction of projection over streets or drains without permission | 182- | Any person erecting or re-erecting any such projection or structure as is referred to in section 181 without the permission thereby required or in contravention of any permission given thereunder shall be liable on conviction to a fine which may extend two hundred and fifty rupees. |
| Power to remove encroachments and projections over streets and drains | 183- | <p>The [Kshettra Panchayat]¹ may, by notice, require the owner or occupier of a building to remove, or to alter a projection or structure overhanging, projecting into or encroaching on a street, or into, on or over any drain, sewer or aqueduct therein :</p> <p>Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence on or before the commencement of this Act the [Kshettra Panchayat]¹ shall make compensation for any damage caused by the removal or alteration, which shall not exceed three times the cost of erection and demolition.</p> |

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

**[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 184-187]**

- | | | |
|---|------|---|
| Power to require leveling, paving, etc. of streets | 184- | <p>(1) If in the controlled rural area any private street or Part thereof is not, levelled, paved, metalled, flagged, channelled or drained to the satisfaction of the [Kshettra Panchayat]¹, the [Kshettra Panchayat]¹ may by notice require the owners or occupiers of premises fronting, or abutting such street or part thereof to carry out work which in its opinion may be necessary, and within such time as may be specified in such notice.</p> <p>(2) If such work is not carried out within the time specified in the notice, the [Kshettra Panchayat]¹ may, if it thinks fit, execute it and the expenses incurred shall be recovered from the owners or occupiers in default under Chapter VIII according to the frontage of their respective premises and in such proportion as may be settled by the [Kshettra Panchayat]¹.</p> <p>(3) If any street has been leveled, paved, metalled, flagged, channeled and drained under the provisions of the preceding sub-section, such streets shall, on the requisition of not less than three fourths of the owners thereof, be declared a public street.</p> |
| Power to require the projection of streets during erection of buildings, etc. | 185- | <p>(1) No person shall cut down any tree or cut off a branch of any tree, or erect or re-erect or demolish any building or part of a building or alter or repair the outside of any building where such action is of a nature to cause obstruction, danger or annoyance, or risk of obstruction, danger or annoyance to any person using a street, without the previous permission in writing of the [Kshettra Panchayat]¹.</p> <p>(2) The [Kshettra Panchayat]¹ may at any time by notice require that any person doing or proposing to do any of the acts referred to in sub-section (1) shall refrain from beginning or continuing the act unless he puts up, maintains and provides from sunset to sunrise with sufficient lighting such hoardings or screens as are specified or described in the notice, and may further at any time by notice</p> |

require the removal, within a time to be specified in the notice, of any screen or hoarding erected in anticipation or in pursuance of any of the said acts.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees and to a further fine which may extend to five rupees for every day on which contravention continues after the date or the first conviction.

- | | | |
|---|------|---|
| Power to require trimming of hedges and trees | 186- | The [Kshettra Panchayat] may, by notice, require the owner or occupier of any land in a controlled rural area to cut or trim the hedges growing thereon and bordering on a street or any branches of trees growing thereon, which overhang a street obstruct the same or cause danger. |
| Power to remove accidental obstructions | 187- | When a private house, wall or other erection or anything fixed thereto or a tree shall fall down and obstruct a public drain or encumber a street the [Kshettra Panchayat] ¹ may remove such obstruction or encumbrance at the expense of the owner of the same and may recover such expense in the manner provided by Chapter VIII, or may, by notice require the owner to remove the same within a time to be specified in the notice. |

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 188-189]

- | | | |
|--|------|--|
| Regulation of troughs and drain water pipes and drain water pipes affecting a street | 188- | The [Kshettra Panchayat] ¹ may, by notice, require the owner or occupier of any building or land abutting on a street to put up and keep in good condition proper troughs and pipes for receiving and carrying off the water from the building or land and for discharging the same in such manner as the [Kshettra Panchayat] ¹ may think fit, so as not to inconvenience persons passing along the street. |
|--|------|--|

Public Streets

- | | | |
|---|------|--|
| Power to construct, prove and provide sites on public streets | 189- | <p>A [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ may-----</p> <p>(a) layout and make a new public street and construct tunnels and other works subsidiary to the same ;</p> <p>(b) widen, lengthen, extend, enlarge or otherwise improve any existing public street, if vested in the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be;</p> <p>(c) subject to such conditions as may be prescribed, turn, divert, discontinue or close any public street so vested;</p> <p>(d) provide within its discretion building sites of such dimensions as it thinks fit to abut on or adjoin any public street made, widened, lengthened, extended, enlarged or improved by it under clauses (a), (b) and (c) or by the State Government ,</p> <p>(e) subject to the provisions of any rule prescribing the conditions on which property may be acquired by it acquire by agreement with the owner or</p> |
|---|------|--|

under the Land Acquisition Act, 1894 or any other existing law any land along with the building thereon which it considers necessary for the purpose of any scheme or work undertaken or projected in exercise of the powers conferred by the preceding clauses, and

(f) subject to the provision of any rule prescribing the conditions on which property vested in it may be transferred, lease sell or otherwise dispose of any property acquired by it under clause (e) or any land used by it for a public street and no longer required therefor, and in doing so impose any condition as to the removal of any building existing thereon, as to the description of any new building to be erected thereon, as to the period within which such new building shall be completed, and as to any other matter that it deems fit:

Provided that in undertaking work under this section the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ as the case may be, shall in no case interfere with or encroach upon any place of worship or religious sanctity.

1 . Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 190-191]

Declaration of a street as a public street 190- (1) A [Kshettra Panchayat] may at any time, and shall when required by a requisition under sub-section (3) of section 184 by public notice posted up in any street that is not a public street, or in a part of such street, give intimation of its intention to declare the same a public street, Within two months next after such notice has been so posted up, the owner or owners of such street or such part of a street, or of a greater portion thereof may lodge objections addressed to the [Kshettra Panchayat]¹ against the notice. The [Kshettra Panchayat]¹ shall consider the objections lodged and if it rejects them, may by further public notice posted up in such street or such part declare the same to be a public street.

(2) Any public notice required under sub-section (1) shall, in addition to being posted up in the street, be published in a local paper, if any, or in such other manner as the [Kshettra Panchayat]¹ thinks fit.

(3) The [Zila Panchayat]¹ may also exercise the power conferred by this section in respect of a street or part of a street which it wants to include amongst district roads.

Power to regulate line of buildings on public streets 191- (1) Whenever the appropriate authority considers it expedient to define general line of buildings on each or either side of any existing or proposed public street, it shall give public notice of its intention to do so.

(2) Every such notice shall specify a period within which objections will be received.

(3) The appropriate authority shall consider all objections received within the specified period and may then pass a resolution defining the said line, and, the line so defined shall be called the regular line of the street :

Provided that the general line so defined shall conform to the requirements of any rule made in this behalf.

(4) Thereafter it shall not be lawful for any person to erect, re- erect or alter a building or part of a building so as to project beyond the regular line of the street, unless he is authorized to do so by sanction granted under section 165 or by a permission in writing and the appropriate authority is hereby empowered to grant such permission under this section.

(5) Any owner of land who is prevented by the provisions of this section from erecting, re-erecting or altering any building on any land may require the appropriate authority to make compensation for any damage which he may sustain by reason of such prevention, and upon the payment of compensation in respect of any land situated within the regular line of the street such land shall vest in the appropriate authority.

(6) The appropriate authority may, by notice, require the alteration or demolition of any building or part of, a building erected, re-erected or altered in contravention of sub-section (4).

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 192-194]

Duties of
appropriate
authority when
constructing
public streets,
etc.

192-

(1) The appropriate authority shall, during the construction or repair of a public street or of any water channel, drain or premises vested in it, or whenever any public street, water channel drain or premises vested in it has, for want of repair, or otherwise become unsafe for use by the public, take all necessary precautions against accident by-

(a) shoring up and protecting adjacent buildings,

(b) fixing bars, chains or posts across or in any street or the purpose of preventing or diverting traffic during such construction or repair, and

(c) guarding and providing with such sufficient lighting from sunset to sunrise any work in progress.

(2) Whoever, without the authority or consent of the appropriate authority, in any way interferes with any arrangement of construction made by the appropriate authority under sub-section (1) or guarding against accident shall be liable on conviction to fine which may extend to fifty rupees.

Protection of sources of water supply

Power to
require private
watercourse,
etc. to be
cleaned or
closed

193-

(1) The [Kshettra Panchayat]¹ may and when so required by the Zila Panchayat¹ shall, by notice, require the owner of, or the person having control over a private water-course, spring, tank, well or other place, the water of which is used for drinking, to keep and maintain the same in good repair and to clean the same, from time to time, of silt, refuse or decaying vegetation, and may also require him to protect the Same from pollution in such manner as the [Kshettra Panchayat] may think fit.

(2) When the water of any such water-course, spring, tank, well or of her

place is proved to the satisfaction of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ to be unfit for drinking, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ may, by notice require the owner or person having control thereof to desist from so using such water or permitting others to so use it, and if, after such notice, such water is used by any person for drinking, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, may, by notice, require the owner or person having control thereof to close such well, either temporarily or permanently or to enclose or fence such water-course, spring, tank, well or other place in such manner as it may direct so that the water' thereof may not be So used.

Emergent
powers on
outbreaks of
epidemic

194- In the event of the rural area of the district, or any part thereof, being visited with an outbreak of cholera or other infectious disease notified in this behalf by the State Government, the Adhyaksha of the [Zila Panchayat]¹ or the Primacy of the [Kshettra Panchayat]¹, or any person authorised any them in this behalf, may, during the continuance of the epidemic, without notice and at any time, inspect and disinfect any well, tank or other place from which water is, or is likely to be, taken for the purpose of drinking, and may further take such steps as he deems fit to prevent the removal of water therefrom.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 195-198]

Removal of
latrines, etc.
near any
source of
water supply

195- The [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ may, by notice, require an owner or occupier on whose land a drain, privy, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse exists within fifty feet of a spring, well, tank, reservoir or other source from which water is or may be derived for public use, to remove or close the same within one week from the service of such notice.

Unauthorized
construction,
etc. over drain
of water work

196- (1) Where, on or after the commencement of this Act, any street has been made or any building, wall or other structure has been erected or any tree has been planted without the permission in writing of the [Zila Panchayat]¹ or as the case may be, of the [Kshettra Panchayat]¹ over a public drain or culvert or a water work vested in it, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, may-

(a) by notice required the person who has made the street, erected the structure or planted the tree, or the owner or occupier of the land on which the street has been made structure erected or tree planted, to remove or deal in any other way the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, thinks fit with the street, structure or tree, or

(b) itself remove or deal in any other way it thinks fit with the street structure or tree.

(2) Any expense incurred by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ by action taken under clause (b) of sub-section (1) shall be recoverable in the manner prescribed by Chapter VIII from the person by whom the street was made, structure erected or tree planted.

Markets, slaughter houses, sale of food, etc.

Place for

197-

(1) The [Kshettra Panchayat] may with the approval of the district magistrate,

slaughter of animals for sale

fix premises in a controlled rural area for the slaughter of animals, on animals of any specified description for sale, and may, with the like approval, grant and withdraw licences for the use of such premises.

(2) When such premises have been fixed, no person shall slaughter any such animal for sale at any other place within a radius of two miles from such premises.

(3) Should anyone slaughter for sale, any such animal at any other place within the radius of two miles, he shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees for every animal so slaughtered.

Power of district magistrate in respect of animals not slaughtered for sale

198- Whenever it appears to the, district magistrate to be necessary for the preservation of the public peace or order, he may, subject to the control of the Commissioner of the Division, prohibit or regulate, by public notice, the slaughter anywhere within the rural area of animal or animals of any specified description for purposes other than sale and prescribe the mode and route in and by which such animals shall be brought to and meat shall be conveyed from the place of slaughter.

—————1- Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.—————

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 199-202]

Improper feeding of animals kept for dairy purposes or used for food

199- Whoever in the rural area feeds or allows to be fed an animal which is kept for dairy purposes, or may be used for food, on Filthy or deleterious substances shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

Explanation- Filthy or deleterious food shall mean such food as has been specified by an authority and in the manner prescribed by rules to be filthy or deleterious food.

Inspection of places for sale of food, drink drugs

200- The Adhyaksha, the Mukhya Adhikari, the Swasthya Adhikari, and, if authorized in this behalf by resolution, any other members, officer or servant of the [Zila Panchayat]¹ and similarly the Pramukh, the Khand Vikas Adhikari or any other officer of the [Kshettra Panchayat]¹ authorized in this behalf by the Khand Vikas Adhikari may, without notice, at any period of the day or night enter into and inspect a market, shop stall or place used for the sale of food or drink for man, or as a slaughter- house, or for the sale of drugs, and inspect and examine an article of food or drink or any animal or drug which may be therein.

Seizure of unwholesome articles and removal of deleterious and spent drugs

201- (1) If, in the course of the inspection of a place under the preceding section, an article of food of drink or an animal appears to be intended for the consumption of man and to be unfit therefor, the person inspecting, may seize and remove the same or may cause it to be destroyed, or to be so disposed of as to prevent its being exposed for sale or use for such consumption.

(2) If it is reasonably suspected that a chug has been adulterated or by reason of age or the effect of climate has become inert run wholesome, or has otherwise become deteriorated in such manner as to lesser its efficiency, or to change its operation, or render it noxious, the person inspecting may remove the same, giving

a receipt therefore and may produce it before a magistrate.

(3) if it appears to a magistrate before whom a drug has been produced under sub-section (2) that the drug has been adulterated or has become inert, unwholesome, or deteriorated as aforesaid, he may order the same to be destroyed, or to be so disposed of as to him may seem fit, and if any offence appears to have been committed he may proceed to take cognizance thereof.

Nuisance for certain trades and professions

Regulation of offensive trades	202-	(1) If it, is shown to the satisfaction of a [Zila Panchayat] ¹ that any building or place within the limits of the rural area which any person uses or intends to use as a factory or other place of business for the manufacture, storage, treatment or disposal of any article, by reason of such use, or by reason of such intended use, occasions or is likely to occasion a public nuisance, the [Zila Panchayat] ¹ may at its option require by notice the owner or occupier of the building or place-
--------------------------------------	------	---

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 203-204]

(a) to desist or refrain, as the case may be, from using, or allowing to be used the building or place for such purpose, or

(b) only to use, or allow to be used, the building or place for such purpose under such conditions or after such structural alterations as the [Zila Panchayat]¹ imposes or prescribes in the notice with the object of rendering the use of the building or place for such purposes free from objection.

(2) Whoever, after receiving a notice given under sub-section (1) uses or allows to be used any building or place in contravention of the notice shall be liable on conviction to a fine which may extend to two hundred rupees and to a further fine which may extend to forty rupees for every day on which he so uses or allows to be used the place or building after the date of the first conviction.

Neglect or the rules of the road	203-	Whoever, in driving, leading or propelling a vehicle along a street in the rural area, fails, except in the case of actual necessity-
--	------	---

(a) to keep to the left, or

(b) when passing a vehicle going in the same direction, to keep to the right of that vehicle, shall be liable on conviction to a fine which may extend to ten rupees.

Exception-- This section shall not apply to the districts of Kumaun and Uttarakhand Divisions nor where the failure aforesaid amounts to an offence punishable under section 12 of the Motor Vehicles Act, 1939.

Power to search for inflammable	204-	(1) The [Kshettra Panchayat] ¹ may, where it appears to be necessary for the prevention of danger to life or property, by public notice prohibit all persons from
---------------------------------------	------	--

materials in
excess of
authorised
quantity

stocking or collecting, or stocking or collecting beyond a specified quantity, wood, dry grass, straw or other inflammable materials, or from placing mats or thatched huts or lighting fires in any house, building place or within limits specified in the notice.

(2) Where dry wood, grass, straw or other inflammable material is suspected to be stocked or collected in contravention of a prohibition under sub-section (1), or in excess of the quantity permitted to be kept in such house, building or place under the provisions of sub-section (1) or of any bye-laws the Mukhya Adhikari or any officer or servant of the [Zila Panchayat]¹ authorized by the Mukhya Adhikari in this behalf may, without notice and at any period of the day or night, enter into and inspect a house or building or place.

(3) Should any quantity or excess quantity of such material be discovered it may be seized and held subject to such order as a magistrate may pass with respect to it.

(4) If the magistrate decides that the material seized was stored in the house, building or place contrary to any prohibition made under sub-section (1) he may pass an order confiscating the same.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 205-208]

(5) Subject to any provisions of or made under this or any other enactment, the material so confiscated may be sold by order of the Magistrate, and the proceeds, after defraying the expenses of such sale shall be credited to the Zila Nidhi.

Savings in
respect of other
proceedings

205- No order of confiscation under section 204 shall operate to prevent any other criminal or civil proceedings to which the person storing, or collecting or storing or collecting the materials in excess of the permitted quantity may be liable.

Displacing
pavements etc.

206- (1) Whoever displaces, takes up or makes an alteration in or otherwise interferes with, the pavement, gutter, flags or other internals of a public street or the fences, walls or posts thereof, or other such [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ property therein without the written consent of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, or other lawful authority, shall be liable on conviction to a fine which may extend to one hundred rupees.

(2) Any expense incurred by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ by reason of the doing of any such thing as is mentioned in sub-section (1) may be recovered from the offender in the manner provided by Chapter VIII.

Discharging
firearms, etc.

207- Whoever discharges firearms or lets off fire works or fire-balloons, or engages in a game, in such a manner as to cause, or to be likely to cause, danger to persons passing by or dwelling or working in the neighborhood, or risk of injury to property shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees.

Powers of the prevention of danger from ruinous buildings, unprotected wells, etc.

208- (1) A [Zila Panchayat]¹ may require notice the owner or occupier of any land or building-

(a) to demolish or to repair in such manner as it deems necessary any building, wall, bank or other structure, or anything affixed thereto, or to remove any-tree, belonging to such owner or in the possession of such occupier, which appears to the [Zila Panchayat]¹ to be in a ruinous condition or dangerous to persons or property, or -

(b) to repair, protect or enclose, in such manner as it deems necessary, any well, tank, reservoir, pool or excavation belonging to such owner or in the possession of such occupier, which appears to the [Zila Panchayat]¹ for be dangerous by reason of its situation, want of repair or other such circumstances.

(2) Where it appears to the [Zila Panchayat]¹ that immediate action is necessary for the purpose of preventing imminent danger to any person or property, it shall be the duty of the [Zila Panchayat]¹ itself to take such immediate action and in such case, notwithstanding the provisions of section 222, it shall not be necessary for the [Zila Panchayat]¹ to give notice, if it appears to the [Zila Panchayat]¹ that the object of taking such immediate action would be defeated by the delay incurred in giving notice.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 209-210]

Obstruction of street

209- (1) Whoever without the written permission of the [Zila Panchayat]¹ -

(a) causes or allows any vehicle, with or without an animal harnessed thereto, to remain or stand so as to cause obstruction in any public street in a controlled rural area longer than may be necessary for loading or unloading or for taking up or setting down passengers, or

(b) leaves or fastens any vehicles or animal so as to cause obstruction in any such street, or

(c) exposes any article for sale, whether upon a stall or booth or in any other manner, so as to cause obstruction in any such street, or

(d) deposits, or suffers to be deposited any building materials, box, bale, package or merchandize in any such street, or.

(e) erects or sets up any fence, rail, post, stall, or any scaffolding or any other such fixture in any such street, or

(f) in any manner wilfully obstructs or causes obstruction to the free passage of any such street,

shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

(2) The [Zila Panchayat]¹ shall have power to remove any obstruction referred to in sub-section (1) and the expenses of such removal shall be recoverable from the offender in the manner provided by Chapter VIII.

(3) The power exercise able by a [Zila Panchayat]¹ under sub-section (2) to

remove obstructions from streets, shall also be exerciseable for the removal by the [Zila Panchayat]¹ of obstructions from any open space, whether vested in the [Zila Panchayat]¹ or not, which is not private property.

(4) Nothing contained in this section shall apply to any obstruction of a street permitted by the [Zila Panchayat]¹ under any section of this Act or any rule or bye-law made or licence granted thereunder.

Sanitation and prevention of disease

Latrines for
factories,
schools and
places of
public resort
Act 63 of 1948

210- The [Zila Panchayat]¹ may require by notice any person employing more than twenty workmen or labourers or owning, managing or having control of a market, school or theatre or other place of public resort to provide such latrines and urinals as it may deem fit, and to cause the same to be kept in proper order and to be daily cleaned :

Provided that nothing in this section shall apply to a factory regulated by the Factories Act, 1948.

—1— Substituted by section 61 of Chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994. —

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 211-215]

Power to
require
removal of
nuisance
arising from
tanks, etc.

211- The [Zila Panchayat]¹ may by notice require the owner or occupier of any land or building to cleanse, repair, coyer, fill up or drain off a private well, tank, reservoir, pool, depression or excavation therein which may appear to the [Zila Panchayat]¹ to be injurious to health or offensive to the neighborhood :

Provided that the owner or occupier may require the [Zila Panchayat]¹ to acquire at its expense, or otherwise provide, any land or rights in land necessary for the purpose of effecting drainage ordered under the foregoing provision.

Cleaning filthy
land

212- Should any land be in a filthy or unwholesome state the [Zila Panchayat]¹ may, by notice, require the owner thereof to cleanse, or otherwise put in a proper state, the land, and thereafter to keep the same in a clean and proper state.

Regulation of
the disposal of
rubbish, night-
soil, etc.

213- (1) The [Zila Panchayat]¹ may in any controlled rural area-

- (a) provide receptacles and places for the temporary deposit of offensive matter and rubbish;
- (b) appoint places for the disposal of night-soil, and other offensive matter and rubbish, and
- (c) by public notice issue directions as to the time, manner and conditions at, in and subject to which any offensive matter or rubbish referred to in clauses (a) and (b) may be removed along a street, deposited or otherwise disposed of.

(2) It shall be sufficient notice of the appointment of a place under clause (b) of sub-section (1) that a notice board indicating such appointment is displayed on or near the place appointed.

Penalty for improper disposal of rubbish, night soil, etc.

214- The occupier of any building or land from which any offensive matter, rubbish, or night soil is thrown or deposited on any part of a public drain, or into any drain communicating with a public drain, otherwise than in a place appointed under clause (b) or in a receptacle or place provided under clause (a) of sub-section (1) of section 213, and any person contravening any direction of a [Zila Panchayat]¹ issued under clause (c) of the said sub-section shall be liable, upon conviction, to a fine not exceeding twenty rupees.

Penalty for discharging sewage on public street, etc.

215- In specified areas, whenever the water of a sink, sewer or cesspool, or any other offensive matter is allowed to flow, drain or be put upon a public street or place, or into a sewer or drain not set apart for the purpose without the permission in writing of the [Zila Panchayat]¹ or in contravention of any condition prescribed in such permission, the owner or occupier of the land or buildings from which such water or offensive matter flows, drains or is put, shall be liable upon conviction, to a fine which may extend to twenty rupees.

1- Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 216-219]

Building unfit for human habitation

216- (1) In a controlled rural area, should a building, or a room in a building, be in the opinion of the [Zila Panchayat]¹ unfit for human habitation in consequence of the want of proper means of drainage or ventilation or otherwise, the [Zila Panchayat]¹ may, by notice, prohibit the owner or occupier thereof from using the building or room for human habitation or suffering it to be so used either absolutely, or unless, within a time to be specified in the notice, he effects such alteration therein as is prescribed in the notice,

(2) Upon failure of a person to whom notice is issued under sub-section (1) to comply therewith, it shall be lawful for the [Zila Panchayat]¹ to require by further notice the demolition of the building or room.

Penalty for acts done by persons suffering from certain disorders

217- Whoever, while suffering from an infectious, contagious or loathsome disorder-

(a) makes or offers for sale an article of food or drink for human consumption or a medicine or drug, or

(b) wilfully touches any such article, medicine or drug when exposed for sale by others, or

(c) takes any part in the business of washing or carrying soiled clothes, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to twenty rupees.

Prohibition of cultivation, use

218- If the Director of Medical and Health Services certify that the cultivation of any description of crops or the use of any kind of manure or the irrigation of land

of manure, or
irrigation inju-
rious to health

in any specified manner.

(a) in a place within the limits of a rural area is injurious or facilitates practices which are injurious to the health of persons dwelling in the neighborhood, or

(b) in a specified place within the rural area is likely to contaminate the water supply of such specified place or otherwise render it unfit for drinking purposes,

the [Zila Panchayat]¹ may by public notice prohibit the cultivation of such crop, the use of such manure or the use of the method of irrigation so reported to be injurious, or impose such conditions with respect thereto as may prevent the injury or contamination :

Provided that when, on any land in respect of which such notice is issued, the act prohibited has been practiced in the ordinary course of husbandry for the five successive years next preceding the date of prohibition compensation shall be paid from the Zila Nidhi to all persons interested therein for damage caused to them by such prohibition.

Power to
require owners
to clear away
noxious
vegetation

219- The [Zila Panchayat]¹ may, by notice require the owner or occupier of any land to clear away and remove any vegetation or undergrowth which may be injurious to health or offensive to the neighborhood,

1- Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 220-222]

Power to
require
excavation to
be filled up or
dined

220- In a rural area for which bye-laws have been made Under sub-head (d) of heading "G" of sub-section (2) of section 239 the [Zila Panchayat]¹ may by notice, require the owner or occupier of any land upon which an excavation cesspool, tank or pit had been made in contravention of such bye-laws or in breach of the condition under which permission to dig any such excavation, cesspool, tank or pit has been granted, to fill up or drain the excavation, cesspool, tank or pit within a period to be specified in such notice.

Power in
respect of
burial and
burning
ground

221- (1) The [Zila Panchayat]¹ may, by public notice order a burial or burning ground which is certified by the civil surgeon or Swasthya Adhikari to be dangerous, or likely to be dangerous, to the health of persons living in the neighborhood to be closed from a date to be specified in the notice and shall in such case, if no suitable place for burial or burning exists within a reasonable distance provide a fitting place for the purpose.

(2) Private burial places in such burial grounds may be excepted from the notice, subject to such conditions as the [Zila Panchayat]¹ may impose in this behalf :

Provided that the limits of such burial places are sufficiently defined, and that they shall be used only for burial of members of the family of the owners thereof.

(3) No new burial or burning ground whether public or private, shall be made or formed without the permission in writing of the [Zila Panchayat]¹ .

(4) No person shall, except with the permission of the [Zila Panchayat]¹ in writing, bury or burn or cause to be buried or burnt, a corpse in a burial or burning ground closed under sub-section (1) or made or formed in contravention of the provision of sub-section (3).

(5) Should a person bury or burn, or cause or permit to be buried or burnt, a corpse contrary to the provisions of this section, he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

Inspection, entry, search, etc.

Power of inspection

222- The Adhysksha, the Mukhya Adhikari and, if authorized in this behalf by resolution any other member, officer or servant of the [Zila Panchayat]¹ and similarly the Pramukh, the Khand Vikas Adhikari or any other officer of the [Kshettra Panchayat]¹ authorised in this behalf by the Khand Vikas Adhikari may enter into or upon a building or land with or without assistants or workmen, in order to make an inspection or surveyor to execute a work which the [Zila Panchayat]¹ or as the case may be, the Kshettra Samiti is authorized by this Act or by rules or bye-laws, to make or execute, or which it is necessary for the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ for any of the purposes or in pursuance of any of the provisions of this Act or of rules or bye- laws, to make or execute :

Provided that-

(a) except when it is in this Act or in rules or bye-laws other-wise expressly provided, no entry shall be made between sunset and sunrise. and

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 223-225]

(b) except when it is in this Act or in rules or bye-laws otherwise expressly provided, no building which is used as a human dwelling shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, without giving the said occupier not less than four hour's previous written notice of the intention to make such entry, and

(c) sufficient notice shall in every instance be given even when, any premises may otherwise be entered without notice to enable the inmates of an apartment appropriated for females to remove to some part of the premises where their privacy need not be disturbed, and

(d) due regard shall always be had to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

Power for effecting entry

223- It shall be lawful for a person authorized under the provisions of section 222 to make an entry for the purpose of inspection, or of search, to open or cause to be opened a door, gate or other barrier-

(a) if he considers the opening thereof necessary, for the purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present, refuses to open such door, gate, or barrier.

**Obstruction to persons employed by [Zila Panchayat]¹ or
[Kshetra Panchayat]¹**

Penalty for obstructing persons employed by [Zila Panchayat] ¹ or [Kshetra Panchayat] ¹	224- Whoever obstructs or molests a person employed by, or under contract with, the [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshetra Panchayat] ¹ under this Act in the performance of his duty or in the fulfilment of his contract, or removes a mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized by this Act, shall be liable to conviction to imprisonment upto to three months or fine up to five hundred rupees or both.
---	--

CHAPTER 10

EXTERNAL CONTROL

Powers of inspections, etc. of prescribed authority or District magistrate over [Zila Panchayat] ¹	225- (1) The prescribed authority or the District magistrate may, with the limits of its or his jurisdiction or district, as the case may be- (a) inspect, or cause to be inspected, any movable property used or occupied by a [Zila Panchayat] ¹ or any committee or joint committee thereof, or any work in progress under the direction of any of them ; (b) by order in writing call for and inspect a book or documents in, the possession or under the control of a [Zila Panchayat] ¹ or any committee or joint committee thereof;
---	---

~~1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.~~

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 226-228]

Certain other powers and duties of District Magistrates	(c) by order in writing require a [Zila Panchayat]¹ , or any committee or joint committee thereof to furnish such statements, accounts, reports (including monthly reports of progress) or copies of documents, relating to its proceedings or duties as he thinks fit to call for ; and (d) record in writing, for the consideration of [Zila Panchayat]¹ , of any committee or joint committee thereof any observations he thinks proper in regard to its proceedings or duties. (2) Every officer appointed by the State Government. in this behalf may, within the limits of his jurisdiction, exercise, the powers conferred upon the prescribed authority or district magistrate by sub-section (1) in respect of any matter affecting his department and may inspect or cause to be inspected, the administration of a [Zila Panchayat]¹ in respect of such matters.
226-	(1) The District Magistrate may, from time to time, call after reasonable notice, a meeting of himself, the Adhyaksha and the Mukhys Adhikari and if considered necessary also the Vitta Adhikari, to discuss matters relating to expenditure from the budget grant of the [Zila Panchayat]¹ relating to planning and development. (2) The District Magistrate shall furnish quarterly report to the State

Government about the progress of development work.

Inspection of 227- A work, or institution, constructed or maintained in whole or part, at the
works and expense of as [Zila Panchayat]¹, and all registers, books, accounts or documents
institutions by relating thereto shall at all times be opened to inspection by such officers as the
Government State Government appoints in this behalf.
officers

Powers of 228- (1) The prescribed authority may, within the limits of its jurisdiction by order
prescribed in writing, prohibit the execution or further execution of a resolution or order
authority to passed or made under this or any other enactment by a [Zila Panchayat]¹, or
suspended committee of a [Zila Panchayat]¹, or a joint committee, or servant of a [Zila
action under Panchayat]¹ or a committee, if in its opinion such resolution or order is patently
the Act illegal or Ultra vires or inconsistent with any order or direction given by the State
Government under this Act or is Of a nature to cause or tend to cause obstruction,
annoyance or injury to the public or to any class or body or persons lawfully
employed, or danger to human life, health or safety, or a riot or affray and may
prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance of or
under cover of such resolution or order.

(2) Where an order is made under sub-section (1) a copy thereof, with a
statement of the reasons for making it, shall forthwith be forwarded by the
prescribed authority to the State Government which may after calling for an
explanation from the [Zila Panchayat]¹ and considering the explanation, if any,
made by it, rescind, modify or confirm the order.

1. ~~Substituted by section 61 of Chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.~~

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 229-231]

(3) Where the execution or further execution of a resolution or order is
prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall
be the duty of the [Zila Panchayat]¹ or the committee of the [Zila Panchayat]¹ or
the joint committee or any officer or servant of the [Zila Panchayat]¹, or of the
committee of the [Zila Panchayat]¹ or of the joint Committee, if so required by the
authority making the order under the said sub-section, to take any action which it
would have been entitled to take, if the resolution or order had never been made or
passed, and which is necessary for preventing any person from doing or continuing
to do anything under cover of the resolution or order of which the further
executionis prohibited.

Extraordinary 229- (1) In case of emergency the District Magistrate may provide for the
powers of execution of any work, or the doing or any act which the [Zila Panchayat]¹ or
of Committee or Joint Committee thereof is empowered to execute or do, and the
District Magis- immediate execution or doing of which is, in his opinion, necessary for the safety
trate in case of or protection of the public, and may direct that the expenses of executing the work
emergency or doing the Act shall be forthwith paid by the [Zila Panchayat]¹.

(2) If the expense is not so paid the District Magistrate may make an order
directing the person having the custody of the Zila Nidhi to pay the expense from
such fund and such person shall act upon such direction.

(3) The District Magistrate shall forthwith report to the [Zila Panchayat]¹ and

the prescribed authority every case in which he uses the powers conferred on him by this section.

Powers of State Government in case of default of [Zila Panchayat]¹

230-

(1) If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the State Government that a [Zila Panchayat]¹, or joint Committee, or other Committee of the [Zila Panchayat]¹ has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, the State Government may, by order in writing, fix a period for the performance of that duty.

(2) If that duty is not performed with the period so fixed, the State Government, may appoint the District Magistrate, or any other person to perform it and may direct that the expense, if any, of performing the duty shall be paid, within such time as may be fixed by the District Magistrate or any other person authorized by the State Government in this behalf, by the Paishad.

(3) If the expense is not so paid, the District Magistrate or any, other person authorized by the State Government in this behalf with the previous sanction of the State Government may, make an order directing the person having the custody of the Zila Nidhi to pay the expenses from such fund.

Removal of members

231.

(1) The State Government may remove a member of the [Zila Panchayat]¹ on any of the following grounds:

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 231]

(a) that he has acted as a member of the [Zila Panchayat]² or member of any committee by voting or taking part in the discussion of any matter in which he has directly or indirectly, a personal interest or in which he is professionally interested on behalf of a client, principal or other person;

(b) that he has become physically or mentally incapacitated for performing his duties as such member;

(c) that he has been guilty, whether in his present or an earlier term of office within five years, of misconduct in the discharge of his duty as such member or has contravened any of the provisions of this Act or caused loss or damage to the fund or property of the [Zila Panchayat]² and such misconduct, contravention or causing of loss or damage renders him unfit, in the opinion of the State Government, to continue to be a member :

Provided that no order of removal shall be made by the State Government under this section unless the member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order shall not be made;

[(cc) that he has taken the benefit of reservation under section 18-A on the basis of a false declaration subscribed by him stating that he is a member of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be;

(ccc) that he suffers from any of the disqualifications referred to in section 26.]⁷

(2) The removal shall be made by notification in the Gazette and shall become effective from the date of publication of such notification.

(3) Notwithstanding anything in any other enactment, where a member specified in [clause (a)]³ of sub-section (1) of section 18 is removed from membership under this section he shall with effect from the date of publication of notification of removal under sub-section (2), cease to hold the office of Pramukh [***]⁴ and a vacancy shall be deemed to have been created in that office.

(4) [***]⁵

(5) A person who has been removed from membership of the [Zila Panchayat]² under clause (a) or clause (c) of sub-section (1) shall be disqualified for being chosen [***]¹ [***]⁶ a member of the [Zila Panchayat]² and being elected a Pramukh of a Kshettra Samati [***]⁶ for a period of five years from the date of his removal :

Provided that the State Government may, at any time by order, remove the disqualification.

-
1. Deleted by section 24 of U.P. Act no. II of 1963
 2. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Substituted by section 113 (a)(i) *ibid*.
 4. Omitted by section 113 (a)(ii) *ibid*.
 5. Omitted by section 113 (b) *ibid*.
 6. Omitted by section 113 (c) *ibid*.
 7. Added by section 21 of Chapter-III of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961] [Section 232-236]

Power of State Government to dissolve [***] ³ the [Zila Panchayat] ²	232- If at any time, upon representation made, or otherwise, it appears to the State Government that a [Zila Panchayat] ² makes default in the performance of any duty imposed on it by or under this or any other enactment, or exceeds or abuses its powers, the State Government may, after calling for an explanation from the [Zila Panchayat] ² and considering any objection made by it to action being taken under this section, and upon being satisfied that resort to such action is desirable by an order, With the reasons for making it published in the Gazette, [dissolve the Zila Panchayat] ⁴ .
--	--

Consequence of dissolution of [Zila Panchayat] ²	233. Where a [Zila Panchayat] ² is dissolved under section 232, the following consequences shall follow: (a) all members of the [Zila Panchayat]² including the Adhyaksha shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their [eligibility for being elected as a member or as an Adhyaksha]⁵ under this Act. (b) As soon as may be, thereafter, [the [Zila Panchayat]² shall be reconstituted in accordance with the provisions of the Act]¹; (c) such person or persons as the State Government may appoint in that
---	--

behalf shall so long as the [Zila Panchayat]² is not recomputed exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the [Zila Panchayat]² and shall be deemed to be the [Zila Panchayat]² for all purposes. .

- 234- [***]⁶
- 235- [***]⁶
- External control over [Kshettra Panchayat]² 236. (1) The provisions of [sections 225 to 233]⁷ shall as far as may be, apply to [Kshettra Panchayats]² as if the expressions "[Zila Panchayat]² Adhyaksha", "Mukhya Adhikari" and "Zila Nidhi" had been substituted by the expression "[Kshettra Panchayat]²", "Pramukh", Khand Vikas Adhikari" and "Kshettra Nidhi":

Provided that the District Magistrate may delegate any or all of his powers under the said sections to a Sub-Divisional Officer exercising jurisdiction within the whole or part of the, Khand.

(2) [***]⁸

(3) [***]⁸

(4) [***]⁸

-
1. Subs. by section 25(2) of U. P. Aot No. II of 1963.
 2. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Omitted by section 114 (a) *ibid*.
 4. Substituted by section 114 (b) *ibid*.
 5. Omitted by section 115 *ibid*.
 6. Omitted by section 116 *ibid*.
 7. Substituted by section 117 (a) *ibid*.
 8. Omitted by section 117 (b) *ibid*

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 237-238]

CHAPTER XI

RULES, REGULATIONS AND BYE-LAWS

- Power of State Government to make rules 237. (1) The State Government [may by notification in the *Gazette* make rules]¹ consistent with this Act in respect of any matter or matters for which the power of making rules is expressly or by implication conferred by this Act, and may also make rules which are otherwise requisite for carrying out the purposes of this Act.

(2) Any rule made under sub-section (1) may be general for all [Zila Panchayats]⁴ or all [Kshettra Panchayats]⁴ or special for anyone or more [Zila Panchayats]⁴ or [Kshettra Panchayats]⁴ to be specified, [***]².

[(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the State Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.]³

Power to make regulations as to conduct of business etc.

238-

(1) A [Zila Panchayat]⁴ may, by special resolution, make regulations consistent with this Act and with any rule, and with any regulation made by the State Government under sub-section (2) as to all or any of the following matters : -

(a) the time and place of its meetings;

(b) the manner of convening meetings, and of giving notice thereof;

(c) the conduct of proceedings including the asking of questions by members at meetings, and the adjournment of meetings ;

(d) the establishment of committees other than advisory committees, for any purpose and the determination of all matters relating to the constitution and procedure of such committees ;-

(e) the delegation of powers, duties or functions, to:

(i) Adhyaksha of the [Zila Panchayat]⁴ or Pramukh of [Kshettra Panchayat]⁴;

(ii) a committee constituted under clause (d) ;

(iii) a chairman of such committee ;

(iv) the Mukhya Adhikari or any other servant of the [Zila Panchayat]⁴ ;

(f) the absentee or other allowances of the servants employed by a [Zila Panchayat]⁴ including the servants placed at the disposal of the Kshettri Samitis;

1. Subs. by section 28(i) of U. P Act No.3 of 1973.

2. Del. by section 28 (ii) *ibid*.

3. Substituted by section 28 (iii) *ibid*.

4. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 237-238]

(g) the amount and nature of the security to be furnished by a servant of a [Zila Panchayat]¹ including a servant placed at the disposal of any [Kshettra Panchayat]¹ from whom it is deemed expedient to require security;

(h) the grant of leave to servants of a [Zila Panchayat]¹, and the remuneration to be paid to the persons, if any, appointed to act for them whilst on leave ;

(i) the conditions of service, including period of service of all servants of a [Zila Panchayat]¹ including servants placed at the disposal of any [Kshettra Panchayat]¹ and the conditions under which such servants, or any of them, shall receive gratuities, annuities or compassionate allowances on retirement or on their becoming disabled through the execution of their duty, and the amount of such gratuities, annuities or compassionate allowances ; and the conditions under which any gratuities, annuities or compassionate allowances may be paid to the surviving relatives of any such servants whose death has been caused through the execution of their duty;

(j) the payment of contribution, at such rates and subject to such

conditions, as may prescribed in such regulations, to a pension. or provident fund established by the [Zila Panchayat]¹, or with the approval of the [Zila Panchayat]¹ by the said servants;

(k) principles and manners, of recruitment in, respect of the servants of the [Zila Panchayats]¹ including servants placed at the disposal of any [Kshetra Panchayat]¹ ;

(1) procedure to be followed, in making papers available to the Vitta Adhikari for audit and the action to be taken upon observations made by him ;

(m) procedure to be followed in filling casual vacancies of officers and servants ;

(n) manner in which the functions transferred to the [Zila Panchayat]¹ under sub-section (2) of section 31 shall be performed :

Provided that the regulations framed in the foregoing clause shall be in conformity with any, general or special orders of instructions issued by the State Government ;

(o) the conditions subject to which sums due to a, [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ may be written off as irrecoverable, and the conditions subject to which the whole or any part of a fee chargeable for distress, may be remitted ;

(P) all matters similar to, those set forth in clause (e) to (o) or in respect of which power to make regulations is conferred expressly or by implication in this Act and not otherwise provided for in this sub-section; and

(q) all matters similar to those set forth in clauses (a) to (d) and not otherwise provided for in this sub-section.

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961] [Section 239]

(2) The State Government may, if it thinks fit, make regulations consistent with this Act in respect of any of the matters specified in clauses (e) to (m) and (0) to (q) of sub-section (1); and any ngulation so made shall have the effect of rescinding any regulation made by the [Zila Panchayat]¹ under the said sub-section in respect of the same matter or inconeistent therewith.

Power of [Zila Panchayat]¹ to make bye-laws 239-

(1) A [Zila Panchayat]¹ may, and where required by the State Government shall, make bye-laws for its own purposes and for the purposes of [Kshetra Panchayats]¹, applicable to the whole or any part of the rural area of the district, consistent with this Act and with any rule, in respect of matters required by this Act to be governed by bye-laws and for the purposes of promoting or maintaining the health, safety and convenience of the inhabitants of the rural area of the district and for the furtherance of the administration of this Act in the Khand and the district.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power

conferred by sub-section (1), a [Zila Panchayat]¹ may, in the exercise of the said power, make any bye-laws described in the list below

A- Building

(a) Declaring with reference to clause (d) of sub-section (2) of section 164 and alteration of any specific description to be a "material alteration" ;

(b) prescribing that, on payment of fees in accordance with such scale as is specified in this behalf plans and specifications shall be obtainable from the [Kshettra Panchayat]¹ ;

(c) fixing with reference to section 166 the period for which a sanction shall remain in force

(d) prescribing the type and description of building which may 'or may riot and the purpose for which a building may or may not be erected in any prescribed area or areas within a controlled rural area;

(e) Prescribing the circumstances in which a temple mosque church or other sacred building mayor may not be erected, re-erected or altered in a controlled rural, area ;

(f) prescribing with reference to the erection, re-erection or alteration of buildings, or any class of buildings, all or any of the following matters-

(i) the materials and method of construction to be used for external and party' walls, roofs and floor;

(ii) the position and, the materials to be used in and method of construction of fire-places, chimneys, drains, latrines, privies, urinals and cesspools ;

(iii) the height and slope of the roof above the upper most floor upon which human beings are to live or cooking operations are to be carried on;

(iv) the ventilation and space to be left about the building to secure free circulation of air and to facilitate scavenging and for prevention of fire ;

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 239]

(v) the level and width of foundation, level of lowest floor and stability of structure :

(vi) the number and height of storeys of which the building may consist ;

(vii) the means to be provided for, egress from the building in case of fire ;

(viii) any other matter affecting the ventilation or sanitation of building ; and

(ix) the conditions subject to which sanction for the construction or alteration of a well may be refused or granted, with a view to prevent pollution of water or danger to any person using the well;

(g) Regulating in any manner not specifically provided for in this Act,

the erection of any enclosure, wall, fence, tent, awning, or other structure, of whatsoever kind or nature, on any land within a controlled rural area.

B-Drains, privies, cesspools, etc.

(a) Regulating in any manner not specifically provided for in this Act, the construction, alteration, maintenance, reservation, cleansing and repair of drains, ventilation shafts and pipes, water closets, privies, latrines, urinals, cesspools and other drainage works ;

(b) regulating or prohibiting the discharge into drains, or deposit therein, of sewage, sullage, polluted water and other offensive or obstructive matter.

C-Streets

(a) Determining the information and plans to be furnished to the [Kshettra Panchayat] under section 176 ;

(b) permitting, prohibiting or regulating the use or occupation of any or all public streets or places by itinerant vendors by or by any person for the sale of articles, or for the exercise of any calling or for the Betting up of any booth or stall and providing for the levy of fees for such use or occupation;

(c) regulating the conditions on which permission may lie given by the [Kshettra Panchayat]¹ under section 181 for projections over streets and drains and by the [Zila Panchayat]¹ under section 209 for the temporary occupation of streets.

D-- Markets, slaughter-houses, sale of food, etc.

(a) Prohibiting the use of any place as a slaughter-house, or as a market or shop for the sale of animals intended for human food or of meat, or of fish, in default of a licence granted by the [Kshettra Panchayat]¹ or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted;

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 239]

(b) prescribing the conditions subject to which and the circumstances in which, and the areas or localities in, respect of which licences for such use may be granted, refused, suspended or withdrawn;

(c) providing for the inspection of, and regulation of the conduct of business, in, a place used as aforesaid so as to secure Cleanliness therein or to minimize any injurious, offensive or dangerous, effect arising or likely to arise therefrom;

(d) providing for the establishment, and for the regulation and inspection of markets and slaughter-houses, of livery stables, of on-camping grounds, of sarais of flour-mills, of bakeries, of places for the manufacture, preparation or sale of specified article of food or drink, or for keeping or exhibiting animals for sale or hire or animals of which the produce is sold,

and of places of public entertainment or resort, and for the proper and cleanly conduct of business therein; and

(e) prescribing the conditions subject to which, and the circumstances in which, and the areas or locality in respect of which, licences for the purposes of sub-head (d) may be granted, refused, suspended or withdrawn, and fixing the fees payable for such licences, and prohibiting the establishment of business places, mentioned in sub-head (d) in default of licence granted by the [Kshettra Panchayat]¹ or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted.

E-Offensive trades

(a) Except where and so far as is inconsistent with any- thing contained in the Petroleum Act, 1934, or in rules made thereunder, prohibiting the use of any place, in default of a licence granted by the [Zila Panchayat]¹ or otherwise than in accordance with the conditions of licence so granted, as a factory or other places of business-

- (i) for boiling and storing offal, blood, bones, guts or rags,
- (ii) for the manufacture of leather or leather goods,
- (iii) for melting tallow or sulphur,
- (iv) for burning or baking bricks, tiles, pottery or lime,
- (v) for soap-making,
- (vi) for oil-boiling,
- (vii) for storing hay, straw, thatching grass, wood, coal or other dangerously infalmmable material,
- (viii) for storing petroleum or any inflammable oil or spirit,
- (ix) for storing and pressing cotton and cotton refuse,
- (x) for any other purpose if such use is likely to Cause a public nuisance or involve risk of fire ;

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 239]

(b) prescribing (but not so as to derogate from any power conferred on a [Zila Panchayat]¹ by section 202) the circumstances in which and the areas or localities in respect of which licences may be granted, refused, suspended or withdrawn; and

(c) providing for the inspection and regulation of the conduct of business in a place used as aforesaid, so as to secure cleanliness therein or to minimize any injurious, offenceseive or dangerous effect arising or likely to arise therefrom.

F-Public safety and convenience

(a) [***]²;

(b) imposing the obligation of taking out licences on the proprietors or drivers of vehicles (other than motor vehicles), boats or animals kept or plying for hire, or on persons hiring themselves out for the purpose of carrying loads within the limits of the rural area of the district, and fixing the fees payable for such licences and the conditions on which they are to be granted and may be revoked;

(c) fixing and regulating the use of place at which boats may be moored, loaded and unloaded, and prohibiting the mooring, loading and Unloading of boats except at such places as may be prescribed by the [Zila Panchayat]¹;

(d) providing for the seizure and confiscation of ownerless animals straying within the limits of the rural area of the district;

(e) prohibiting or regulating, with a view to promoting the public safety or convenience, any act which occasions or is likely to occasion a public nuisance and for the prohibition or regulation of which no provision is made under this heading;

(f) promoting and regulating supply of drinking water.

G-Sanitation and prevention of disease

(a) Controlling and regulating the use and management of burial and burning grounds and fixing the fees to be charged where such grounds have been provided by the [Zila Panchayat]¹, and prescribing or prohibiting routes for the removal of corpses to burial or burning grounds;

(b) regulating sanitation and conservancy;

(c) providing, in default of a bye-law made under the preceding sub-head, for the registration and inspection of lodging houses, the prevention of overcrowding, prescribing the notices to be given in the case of any infectious or contagious disease breaking out therein and generally for the proper regulation of lodging houses;

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Omitted by section 8 of UK Act no 13 of 2006.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]² Adhiniyam, 1961]
[Section 239]

(d) prohibiting or regulating, with a view to sanitation or the prevention of disease, any act which occasions, or which is likely to occasion, a public nuisance and for the prohibition or regulation of which no provision is made under this heading.

H - Miscellaneous

(a) Prohibiting or regulating any act which occasions or is likely to occasion or is public nuisance, for the prohibition or regulation of which no provision is made elsewhere by, or under this Act;

(b) providing for the registration of births, deaths and marriages, and

the taking of census within the rural area and for the compulsory supply of such information as may be necessary to make-such registration or census effective ;

(c) for the protection from injury or interference of. anything within the rural area being the property of Government or of the [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ or being under the' control of the [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ ;

(d) providing for the holding of fairs and industrial exhibitions within the, rural area of the district and under the control of the [Zila Panchayat]¹ or the Kshetra Samiti, and fixing the fees to be levied thereat;

(e) requiring and regulation the appointment by owners of buildings and lands in the rural area of the district of persons residing within or near the said area to act as their agents for all or any of the purposes of this act or of any rule or bye-laws;

(f) specifying the records and documents belonging to, or in the possession of, the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshetra Panchayat]¹ of which inspection may be made or copies given; and the charges to be levied or inspection or copies of such records and documents; and regulating inspection and the giving of copies;

(g) providing for the granting of licences for the sale and for the dispensing of medicinal drugs;

(h) providing for the registration and control of midwives and dais publicly practicing their profession;

(i) providing for the establishment and maintenance of maternity, centres and child welfare clinics ;

(j) providing for establishment, maintenance and grant -in-aid to institutions of physical culture ;

(k) regulating poor houses, orphanages, libraries, asylums, veterinary hospitals, markets, inspection houses, public parks and gardens and other public institutions ;

(l) regulating fairs, cattle markets, agricultural shows and industrial exhibitions held under the authority of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ or otherwise, to which the public is allowed access;

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 240-242]

(m) prohibiting the obstruction of any streams, channels, or drains under the control of the [Zila Panchayat]¹ or a Kshetra Samiti and providing for the removal of any such obstruction ;

(n) for removing, demolishing, or securing dangerous buildings, trees or places ;

(o) providing for the destruction of unclaimed, diseased or rabid dogs and noxious animals;

(p) prescribing conditions for the inspection of the minute books of the

[Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ and assessment lists of the [Zila Panchayat]¹ ;

(q) prohibiting the discharge of the water of any sink, drain, steam engine or boiler, or of any filthy, offensive or injurious matter into any river, tank or other source of water supply, or into any specified portion thereof ordinarily used for drinking or bathing purposes.

Infringement of rules and bye-laws	240-	In making a rule the State Government, and in making a bye-law the [Zila Panchayat] ¹ with the sanction of the prescribed authority may direct that a breach of it shall be punishable with fine which may extend to [one thousand rupees] ² and, when the breach is a continuing breach with a further fine which may extend to [fifty rupees] ² for every day after the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence, or, in default of the fine, with an imprisonment which may extend to three months.
Previous publication, of regulations etc. made by State Government	241-	(1) The power of the State Government to make regulations under this Chapter is subject to the condition of the regulations being made after previous publication and of their not taking effect until they have been published in the Gazette. (2) Any regulation made by the State Government may be general for all divisions or districts or for all divisions or districts not expressly accepted from its operation, or may be special for the whole or any part of any one or more than one division or district as the State Government direct.
Confirmation, etc. of regulations and bye-laws made by the [Zila Panchayat] ¹	242-	(1) The power of a [Zila Panchayat]¹ to make regulations under clauses (e) to (q) of sub-section (1) of section 238 shall be subject to the condition of the regulations not taking effect until they have, been confirmed by the State Government. (2) The power of a [Zila Panchayat]¹ to make bye-laws shall be subject to the conditions of the bye-laws being made after previous publication and of their not taking effect until they have been confirmed by the prescribed authority and, published in the Gazette. (3) The prescribed authority in confirming a bye-law, or the State Government in confirming regulation, may make any change in its form that appears necessary.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 118 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 243-244]

(4) No alteration or rescission of a regulation made under clauses (e) to (q) of sub-section (1) of section 238 shall have effect unless and until it has been confirmed by the State Government and likewise to alteration or rescission of a bye-law by a [Zila Panchayat]¹ shall have effect unless and until it has been confirmed by the prescribed authority.

(5) The State Government may, after previous publication of its intention, rescind any regulation or the prescribed authority may similarly rescind any bye-

law, which it has confirmed and, thereupon, the regulation or bye-law shall cease to have effect.

CHAPTER XII

PROCEDURE

Fixation of reasonable time or compliance	243-	Where any notice issued under any section of this Act or under any rule or bye-laws requires an act to be done, for which no time is fixed by such section or rule or bye-law, the notice shall specify a reasonable time for doing the same; and It shall rest with the court to determine whether the time so specified was a reasonable time within the meaning of this section.
Service of notice	244-	(1) Every notice or bill issued or prepared under any section of this Act or under any rule or bye-law shall, unless it is in such section or rule or bye-law otherwise expressly provided, be served or presented - (a) by giving or tendering the notice or bill, or sending it by post, to the person to whom it is addressed, or (b) if such person is not found, then by leaving the notice or bill at his last known place of abode, if within the jurisdiction of the [Zila Panchayat] or the concerned [Kshettra Panchayat] , as the case may be, or by giving or tendering notice or bill to some adult male member or servant of his family, or by causing the notice or bill to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which the notice or bill relates. (2) When a notice under this Act or under a rule or a bye-law is required or permitted by or under this Act, or under a rule or a bye-law to be served upon an owner or occupier of a building or land, the service thereof, in cases not otherwise specially provided for in this Act, shall be effected either- (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to the owner or occupier, or if there be more owners or occupiers than one, to anyone of them, or (b) if no such owner or occupier is found, then by giving or tendering the notice to an adult male "member" or servant of his family, or causing the notice to be fixed on some conspicuous part , of the building or land to which the same relates. (3) Whenever the person on whom a notice or bill is to be served is a minor, service upon an adult made member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 245-249]

Defective form	245-	No notice or bill shall be invalid for defect of form.
Disobedience to noticed issued to individual	246-	If a notice has been given under the provisions of this Act or under a rule or bye-law to a person requiring him to execute a work or to provide or do or refrain from doing anything within time specified in the notice, and if such a person fails

to comply with such a notice, then --

(a) the [Zila Panchayat]¹ or the concerned [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be--may cause such work to be executed or such thing to be provided or done, and may recover all expenses incurred by it on such account from the said person in the manner provided in Chapter VIII and, further

(b) the said person shall be liable, on conviction before a magistrate, to a fine which may extend to one hundred rupees, and, in case of a continuing breach, to a further fine which may extend to five rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have represented in the offence.

Authority for prosecution 247- Unless otherwise expressly provided, no court shall take cognizance of any of the offences punishable under this Act or under any rule or bye-law, except on the complaint of, or upon information received from, the [Zila Panchayat]¹ or the concerned [Kshettra Panchayat]¹ or some person authorized by the [Zila Panchayat]¹ or the concerned [Kshettra Panchayat]¹ by general or special order in this behalf.

Power to compound offences 248- (1) The Adhyaksha of a [Zila Panchayat]¹ or the Pramukh of It [Kshettra Panchayat]¹ may either before or after the institution of proceedings, compound an offence against this Act or a rule or bye-law, provided that no offence shall be compoundable which is constituted by failure to comply with a written notice issued by the [Zila Panchayat]¹ or the Khettra Samiti, or on behalf of the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹, unless and until the notice has been complied with in so far as compliance is possible.

(2) When an offence has been compounded the offender if in custody shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

(3) Sums paid by way of composition under this section shall be credited to the Zila Nidhi or the Kshettra Nidhi, as the case may be.

Compensation for damage to property vested in the [Zila Panchayat]¹ 249- If through an act, neglect or default on account where of a person has incurred a penalty imposed by or under this Act any damage to the property of the [Zila Panchayat]¹ or any [Kshettra Panchayat]¹ has been caused, the person incurring such penalty shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty and the amount of damage shall, in case of dispute, be determined by the magistrate by whom the person incurring such penalty is convicted, and on nonpayment of such amount on demand the same shall be levied by distress; and such magistrate shall issue his warrant accordingly.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 250-253]

Powers and duties of police in respect of offences and assistance to 250- Every police officer shall give immediate information to the [Zila Panchayat]¹ or the concerned [Kshettra Panchayat]¹, as the case may be, of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any Act wherein or whereunder provision is made for the fine being credited to the Zila Nidhi or the

authorities of [Zila Panchayat] ¹ and [Kshettra Panchayat] ¹		Kshetra Nidhi or against any rule made under any of the said Acts, and shall be bound to assist all members officers and servants of the [Zila Panchayat] ¹ and of any [Kshettra Panchayat] ¹ in the exercise of their lawful authority.
Appeals from order of [Zila Panchayat]	251-	(1) any person aggrieved by any order or direction made by a [Zila Panchayat]¹ or a kshetra Samiti, as the case may be, under the powers conferred upon it by sections 165 (1), 171, 184, 191(6), 193, 202, 216, 218, 221 or under a bye-law made under sub-head (a) of Heading D and under heading E of sub-section (2) of section 239, may within thirty days from the date of such direction or order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, appeal to such officers as the State Government may appoint, for the purpose of hearing such appeals or any of them or, failing such appointment, to the district magistrate. (2) The appellate authority may, if it thinks fit, extend the period allowed by sub-section (1) for appeal. (3) No appeal shall be dismissed or allowed impart or whole unless reasonable opportunity of showing cause or being heard has been given to the parties.
Costs	252-	(1) The court deciding the appeal shall have power to award costs at its discretion. (2) Costs awarded under this section to the [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ shall be recoverable by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ as if they were arrears of a tax due from the appellant. (3) If the [Zila Panchayat]¹ or a [Kshettra Panchayat]¹ fails to pay any costs awarded to an appellant under this section within ten days after the date of the communication of the order for payment thereof, the court awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the Zila Nidhi or the Kshettra Nidhi, as the case may be, to pay the amount.
Finality of order of appellate authority	253-	(1) No order or direction referred to in section 251 shall be questioned in any other manner or by any other authority than is provided therein. (2) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying any such order or direction, shall be final : Provided, first, that it shall be lawful for the appellate authority, upon application, and after giving notice to the other party, to review any order passed by him in appeal by a further order passed within three months from the date of his original order: Provided, secondly, that in case any order or direction referred to in section 251 infringes the civil right of any person, he shall be entitled to question the said order or direction in any civil court having jurisdiction in the matter.
Suspension or prosecution in certain cases	254-	When an order or direction of the kind specified in section 251 is subject to appeal and appeal has been instituted against it, or a civil suit has been filed concerning the subject matter of any order or direction made under section 251 all proceedings to enforce such order or direction and all prosecutions for a breach

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 254-257]

thereof may by order of the appellate authority or of the civil court, as the case may be suspended pending the decision of the appeal or the civil suit; and if such order is set aside on appeal or by the decree of the civil court, disobedience thereto shall not be deemed to be an offence.

Dispute as to 255- (1) Should a dispute arise touching the amount of compensation which the compensation payable by [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ is required by this Act to pay, it shall be settled in such manner as the parties may agree, or in default of agreement by the collector upon application made to him by the [Zila Panchayat]¹, the [Kshetra Panchayat]¹ or the person claiming compensation.

(2) Any decision of the collector awarding compensation shall be subject to a right of the applicant for compensation to require reference to the district judge in accordance with the procedure set forth in section 18 of the Land Acquisition Act, 1894.

(3) In cases in which compensation is claimed in respect of land, the collector and the district judge shall, as far as may be, observe the procedure prescribed by the said Act for proceedings in respect of compensation for the acquisition of land acquired for public purpose.

Decision of 256- (1) Should a dispute arise between a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ and any other local authority in any matter in which they are Jointly interested, such dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

(2) The State Government may regulate by rule the relations to be observed between [Zila Panchayats]¹ and [Kshetra Panchayat]¹ and other local authorities in any matter in which they are jointly interested.

Suit against 257- (1) No suit shall be instituted against a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ or against a member officer or servant of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹, in respect of an act done or purporting to have been done in its or his official capacity until the expiration of two months next after notice in writing has been, in the case of a [Zila Panchayat]¹ or a [Kshetra Panchayat]¹ left at its office, and, in the case of a member, officer or servant, delivered to him or left at his office or place of abode explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought the amount of compensation claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff, and the plaint shall contain a statement that such notice has been delivered or left.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshetra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 258-261]

(2) If the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshetra Panchayat]¹ or the member, officer or servant has before action is commenced, tendered sufficient amount to the plaintiff the plaintiff shall not recover any sum in excess of the amount so tendered and shall also pay all costs incurred by the defendant after such tender.

(3) No action such as is described in such-section (1) shall, unless it is an action for the recovery of immovable property or for a declaration of title thereof, be commenced otherwise than within six months next after the accrual of the cause of action :

Provided that nothing in sub-section (1) shall construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

- | | | |
|---|------|---|
| Prohibiting temporary injunctions by civil courts against [Zila Panchayat] ¹ , [Kshettra Panchayat] ¹ or their officers | 258- | <p>No civil court shall, in the course of any suit, grant any temporary injunction, or made any interim order-</p> <p>(a) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a member, Adhyaksha, Upadhyaksha, officer or servant of a [Zila Panchayat]¹ or of a committee or sub-committee of a [Zila Panchayat]¹ on the ground that such person has not been duly elected, co-opted or appointed as such member, Adhyaksha, Upadhyaksha, officer or servant; or</p> <p>(b) restraining any person from exercising the powers and performing the functions and duties of a member, Pramukh, Up-Pramukh, officer or servant, of [Kshettra Panchayat]¹ or of a committee or sub-committee of a [Kshettra Panchayat]¹ on the ground that such person has not been duly elected, co-opted or appointed such member, Pramukh, Up-Pramukh, officer or servant; or</p> <p>(c) restraining any person or persons, or any [Zila Panchayat]¹ or [Kshettra Panchayat]¹ or committee or sub-committee of a [Zila Panchayat]¹, or a [Kshettra Panchayat]¹ from holding any election, or from holding any election in any particular manner.</p> |
|---|------|---|

Chapter XIII

MISCELLANEOUS

- | | | |
|--|------|---|
| Delegation of powers by the State Government | 259- | The State Government may, by notification in the Gazette, delegate to the prescribed authority, in respect of any specified [Zila Panchayat] ¹ , or [Zila Panchayats] ¹ or [Kshettra Panchayat] ¹ or [Kshettra Panchayats] ¹ anyone or more of the powers vested in it by this Act. |
| Facility for inspection of minute books and assessment lists | 260- | The minute books of the [Zila Panchayat] ¹ and every [Kshettra Panchayat] ¹ and the assessment lists of the [Zila Panchayat] ¹ shall be open to inspection free of charge by any tax payer or elector under conditions to be prescribed by bye law in this behalf. |
| Provision for publicity of rules regulations and bye-laws | 261- | Books containing every rule, regulation and bye law shall be kept in the office of the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ as the case may be, and shall be open, during the ordinary hours of business, inspection, free of charge by any person and shall be for sale to the public at such office at a reasonable price to be specified by, bye-law in this behalf. |

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 262-264B]

- | | | |
|---|------|--|
| Mode of proof of records of [Zila Pancha- | 262- | A copy of any receipt, application, plan, notice, order, entry in a register or other document in the possession of a [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshettra Panchayat] ¹ shall, if duly certified by the legal keeper thereof or other person authorized in this |
|---|------|--|

yat] ¹ or [Kshettra Panchayat] ¹		behalf, be received as <i>prima facie</i> evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case where and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters.
Restriction on the summoning of servants of [Zila Panchayats] ¹ or [Kshettra Panchayats] ¹ to produce documents	263-	No officer or servant of a [Zila Panchayat] ¹ or of a [Kshettra Panchayat] ¹ shall in any legal proceeding to which the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under the preceding section by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.
Inspection of works and registers of [Zila Panchayats] ¹ or [Kshettra Panchayats] ¹ by members	264-	Any member of a [Zila Panchayat] ¹ or a [Kshettra Panchayat] ¹ may inspect any work or institution constructed or maintained, in whole or part, that the expense of the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ , as the case may be, and with the previous sanction of the Adhyaksha any register, book, accounts or other documents in the office of the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ as the case may be.
[Honoraria and allowances	264-A	(1) The Adhyaksha and Upadhyaksha of a Zila Panchayat and the Pramukh and Up-Pramukhs of a Kshettra Panchayat shall receive such honoraria and such allowances as may be prescribed. (2) The members of a Zila Panchayat, other than Adhyaksha and Upadhyaksha and members of a Kshettra Panchayat other than Pramukh and Up-Pramukh, shall receive such allowances as may be prescribed.
Manner and conduct of election	264-B	(1) The election to the office of an Adhyaksha, Upadhyaksha or a member of a Zila Panchayat and a Pramukh, Up-Pramukh or a member of a Kshettra Panchayat shall be held by secret ballot in the manner provided by rules which shall also provide for resolution of doubts and disputes relating to the election of such Adhyaksha, Upadhyaksha, Pramukh and Up-Pramukh. (2) The superintendence, direction and control of the conduct of election of the office of an Adhyaksha, Upadhyaksha or a member of a Zila Panchayat and of a Pramukh, Up-Pramukh or a member of a Kshettra Panchayat shall vest in the State Election Commission.]² [(3) Except as provided in sub-section (4), the State Government shall, in consultation with the State Election Commission, by notification, appoint the date or dates for general election of the Adhyaksha, Upadhyaksha or members of a Zila Panchayat or the Pramukh, the Senior Up-pramukh, the Junior Up-pramukh or members of a Kshettra Panchayat. (4) The State Election Commission shall, in consultation with the State Government, by notification, appoint the date or dates for by election of the Adhyaksha, Upadhyaksha or members of a Zila Panchayat or Pramukh, Senior Up-pramukh, Junior Up-pramukh or members of a Kshettra Panchayat.]³

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Added by section 119 *ibid*.

3. Added by section 22 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 264C-244D]

[Staff of every local authority etc. to be made available for election work 264-C

(1) Subject to the supervision and control of the State Election Commission, the District Magistrate shall supervise the conduct of all elections under this Act in the district.

(2) Every local authority and the management of every educational institution receiving grant-in-aid from the State Government in the district shall, when so required by the District Magistrate make available to him or to any other officer appointed by the District Magistrate as Nirvachan Adhikari in accordance with the directions issued by the State Election Commission, such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election.

(3) The State Election Commission may likewise require all or any of the local authorities and the managements of all or any of such institutions as aforesaid in the State to make available to any officer referred to in sub-section (2) such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such elections and they shall comply with every such requisition.

(4) Where any employee of any local authority or institution referred to in sub-section (2) or sub-section (3) is appointed to perform any duty in connection with such elections he shall be bound to perform such duty.

Requisitioning of premises, vehicles etc, for election purposes 264-D

(1) If it appears to the District Magistrate that in connection with an election under this Act within the district—

(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling place or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken; or

(b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling place, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election;

he may, by order in writing, requisition such premises or such vehicles, vessels or animal, as the case may be and make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Magistrate to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 264 E]

(4) In this section--

(a) "premises" means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(b) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose or road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

Payment of
compensation

264-E

(1) Whenever in pursuance of section 264-D the District Magistrate requisitions any premises, there shall be paid to the person interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following; namely—

(i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(ii) if in consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change :

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the

District Magistrate for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the District Magistrate may determine :

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation it shall be referred by the District Magistrate to an arbitrator appointed in this behalf by him for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

Explanation— In this sub-section, the expression “person interested” means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 264-D immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

(2) Whenever in pursuance of section 264-D, the District Magistrate requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the District Magistrate on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal :

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the District Magistrate for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the District Magistrate may determine :

Provided further that where immediately before the requisitioning, the vehicle or vessel was, by virtue of a hire-purchase agreement, in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed by the District Magistrate in this behalf may decide.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 264 F-264 I]

Power to obtain information	264-F	The District Magistrate may, with a view to requisitioning any property under section 264-D or determining the compensation payable under section 264-E by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.
Power of entry into and inspection of premises, etc.	264-G	(1) Any person authorized in this behalf by the District Magistrate may enter into premises and inspect such premises and any vehicles, vessels or animal therein for the purpose of determining whether, and if so in what manner, an order under section 264-D should be made in relation to such premises, vehicles, vessel or animal or with a view to securing compliance with any order made under that section. (2) In this section the expressions “premises” and “vehicle” have the same meanings as in section 264-D.
Eviction from requisitioned premises	264-H	(1) Any person remaining in possession of any requisitioned premises in contravention of any order made under section 264-D may be summarily evicted for the premises by any officer empowered by the District Magistrate in this behalf. (2) Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.
Release of premises from requisition	264-I	(1) When any premises requisitioned under section 264-D are to be released from requisition the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person, to the person deemed by the District Magistrate to be the owner of such premises, and such delivery of possession shall be a full discharge of the District Magistrate from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered. (2) Where the person to whom possession of any premises requisitioned under section 264-D is to be given under sub-section (1) can not be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the District Magistrate shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the <i>Official Gazette</i>. (3) When a notice referred to in sub-section (2) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof and the District Magistrate shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994. .

Penalty for
contravention
of any order
regarding re-
quisitioning

264-J

If any person contravenes any order made under section 264-D or section 264-E he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.]⁵

Savings as to
Indian Railways
Act, 1890 and
United provin-
ces village sani-
tation Act, 1892
Act IX of 1890

265-

Nothing in this Act shall affect any provision of the Indian Railways Act, 1890 or of the United Provinces Village Sanitation Act, 1892, or any rule made under those Acts.

CHAPTER XIV TRANSITORY PROVISIONS, REPEALS AND AMENDMENTS

Construction
of references
in other
enactments
U.P. Act X of
1922
U.P. Act XXII
of 1958

266-

(1) In any enactment other than the United Provinces District Boards Act, 1922, or the Uttar Pradesh Antarim [Zila Panchayat]¹ Act, 1958, in force on the date immediately preceding the [date of commencement of this Act]⁴ in a district or any rule order or notification made or issued thereunder and in force on such date in the said district unless a different intention appears-

(a) references to the district board of a district shall be construed as references to the [Zila Panchayat]¹ of the district and such enactment, rule, order or notification shall apply to the said [Zila Panchayat]¹ accordingly;

(b) references to the president or the vice-president of the district board of a district shall be construed as references to the Adhyaksha and Upadhyaksha appointed under this Act;

(c) references to the members of a district board of a district shall be construed as references to the members of the [Zila Panchayat]¹ constituted under this Act for that district ; and

(d) references to any Chapter or section of the United Provinces District Boards Act, 1922, shall, as far as may be, be construed as references to this Act or its corresponding Chapter or section.

[(2) On and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994, any reference to the Zila Parishad or the Kshettra Samiti in any rules, regulations, bye-laws, statutory instruments or in any other law for the time being in force, or in any document or proceedings shall be construed as reference respectively to the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat.]²

³[Succession to
property,
assets rights,
liabilities and
obligation in
certain cases

267-

(1) On and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994 and subject to the provisions of section 102—

(a) all property, interest in property and assets, including cash balances, wherever situate, which immediately before such date were vested in the Zila Panchayat of the Kshettra Panchayat shall vest in and be held by the Zila Panchayat of the Kshettra Panchayat as the case may be, for the purposes of this Act; and

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
2. Added by section 120 *ibid*.
3. Subs. by section 121 *ibid*.
4. Substituted by section 27 of U.P. Act No. 21 of 1995.
5. Added by section 11 of U.P. Act No. 29 of 1995.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 268-269]

(b) all rights, liabilities and obligations of the aforesaid Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, whether arising out of any contract or otherwise, existing immediately before such date, shall be the rights, liabilities and obligations of the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat as the case may be.

(2) Where any doubt or dispute arises as to whether any property, interest or asset has vested in a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat under sub-section (1), or any right, liability or obligation has become the right, liability or obligation of the a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat such doubt or dispute shall be referred by the Mukhya Adhikari or the Khand Vikas Adhikari as the case may be to the State Government whose decision shall unless superseded by any decision of a court of law shall be final.

Sums due	268-	All sums to the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, whether on account of any tax or any other account, shall be recoverable by the Zila Panchayat of the Kshettra Panchayat, as the case may be and for the purpose of such recovery. It shall be competent to the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be to take any measure or institute any proceeding which it would have been open to the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat to take or institute, if the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994 had not come into force.
----------	------	---

Debits obligations, contracts and pending of proceedings	269-	(1) All debts and obligations incurred and all contracts made by or on behalf of the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat before the date referred to in sub-section (1) of section 267 and subsisting on the said date shall be deemed to have been incurred and made by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be in exercise of the powers conferred on it by this Act and shall continue in operation accordingly.
--	------	---

(2) All proceedings pending before any authority of the said Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat on the said date, which under the provisions of this Act, are required to be instituted before or undertaken by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, shall be transferred to and continued by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be, and all other such proceedings shall, so far as may be, be transferred to and contained by such authority before or by whom they have to be instituted or under taken under the provisions of this Act.

(3) All appeals pending before any authority or the said board or Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat on the said date shall so far as may be practicable, be disposed of, as the case may be, when they were filed.

(4) All prosecutions instituted by or on behalf of the said Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat and all suits and other legal proceedings instituted by or against the said Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, or any officer of the said Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, pending on the said date, shall be continued by or against Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat or the officer, as the case may be, as if there was a Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat

constituted when such prosecution, suit or proceeding was instituted.]]²

-
1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Added by section 121 *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 270-272]

Continuation appointments, of taxes, budget estimates, assessments, etc.	270-	Save as expressly provided by the provision or this Chapter----- (a) any appointment, delegation, notification, notice, tax, order, direction, scheme, licence, permission, registration, rule, bye law, regulation and form made, issued, imposed or granted under the United Provinces District Boards Act, 1922, or the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958, [or this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994] ⁴ or any other law in force in any local area immediately before the appointed date shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force until it is superseded by any appointment, delegation, notification, notice, tax, order, direction, scheme, licence, permission, registration, rule, bye-laws regulation or form made, issued, imposed on granted under this Act [as amended by the said Act] ⁴ or any other law as aforesaid, as the case may be; and (b) all budget estimates, assessments, valuations, measurements, and divisions made under the United-Provinces District Boards Act, 1922, or the Uttar-Pradesh Antarim [Zila Panchayat] ¹ Act, 1958, before, the [date of commencement of this Act] ⁵ shall in so far as they are consistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act.
U.P. act X of 1922 U.P. Act XXII of 1958		
[Provision until the constitution of the Kshettra Panchayat and Zila Panchayat	271-	Notwithstanding anything in this Act, during the period between the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994, and the constitute of – (a) [the first Zila Panchayat under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994] ⁶ the Zila Praishad and its Adhyaksha, Upadhyaksha and members shall respectively exercise, perform and discharge the powers, functions and duties of the Zila Panchayat and its Adhyaksha, Upadhyaksa and members and shall be deemed respectively to be the Zila Panchayat and its Adhyakshas, Upadhyaksha and members; or (b) [the first Kshettra Panchayat under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994] ⁷ the Kshettra Samiti and its Pramukh, Up-Pramukh and members shall respectively exercise, perform and discharge the powers, functions and duties of the Kshettra Panchayat and its Adhyaksha, Upadhyaksa and members and shall be deemed respectively to be the Kshettra Panchayat and its Adhyakshas, Upadhyaksha and members.]] ²
Powers to remove difficulties	272-	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act, to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, [by notified order direct that this Act shall have effect] ³ subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient .

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 122 *ibid*.
3. Subs. by section 123 (a) *ibid*.
4. Substituted by section 27 of U.P. Act No. 21 of 1995.
5. Subs. by section 28 (a)(ii) *ibid*.
6. Subs. by section 29 (a) *ibid*.
7. Subs. by section 29 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Section 273-274]

[(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.

(3) The provisions made by any order under sub-section shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994

(4) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.]⁴

Amendments 273-
U.P. Act 26 of
1947

The enactments named in Schedule-VIII shall be amended in the manner and to the extent specified in that Schedule :

Provided that the amendment of section 37 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, shall take effect from such date as may be specified by the State Government by notification in the Gazette and different dates may be specified in respect of different districts.

Repeal 274-

U.P. Act 10 of
1922

As from the date on which the establishment of [Kshettra Panchayats]¹ is completed in a district the- United Provinces District Boards Act, 1922 and the United Provinces Local Rates Act, 1914, shall be, and stand, repealed in relation to that district :

U.P. Act 1 of
1914

[Provided that in relation to areas in which estates have not vested in the State under any law relating to the abolition of Zamindari, the provisions of the said Acts to the extent they relate to imposition and collection of local rate, shall be deemed to continue in force until the date of such vesting.]¹

[(2) As from the date on which the [Zila Panchayat]³ is established in a district under section 17, the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958, shall be and stand repealed in relation to that district.]²

1. Added by section 29 of U. P. Act No. II of 1963.
2. Added by section 14 of U. P. Act No. 16 of 1965.
3. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

4. Added by section 123 ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule I]

²[SCHEDULE I

(See Section 32)

POWERS AND FUNCTIONS OF KSHETTRA PANCHAYATS

- (i) Agriculture, including agricultural extension :
 - (a) Promotion and development of agriculture and horticulture;
 - (b) Promotion of cultivation and marketing of vegetables, fruits and flowers.
- (ii) Land development, land reform implementation, land consolidation and soil conservation :

Assisting the Government and Zila Panchayat in the implementation of land improvement, soil conservation and land consolidation programme of the Government.
- (iii) Minor irrigation, water management and watershed development :
 - (a) Assisting the Government and Zila Panchayat in the construction and maintenance of minor irrigation works.
 - (b) Implementation of community and individual irrigation works.
- (iv) Animal husbandry, dairying and poultry :
 - (a) Maintenance of veterinary services.
 - (b) Improvement of breed of cattle, poultry and other livestock;
 - (c) Promotion of dairying, poultry, piggery.
- (v) Fisheries :

Promotion of fisheries development.
- (vi) Social and farm forestry :
 - (a) Planting and preserving trees on the sides of roads and public lands.
 - (b) Development and promotion of social forestry and sericulture.
- (vii) Minor forest produce :

Promotion and development of minor forest produce;
- (viii) Small industries :
 - (a) Help in development of rural industries;
 - (b) Creating general awareness of agro-industrial development.
- (ix) Cottage and village industries :

Marketing of products of cottage industries.
- (x) Rural housing :

Assisting in rural housing programme and its implementation.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Substituted by section 124(a) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule I]

- (xi) Drinking water :
 - (a) Providing and assisting in development of drinking water.
 - (b) Guarding from drinking polluted water.
 - (c) Encouraging and monitoring rural water supply programmes.
- (xii) Fuel and fodder land :
 - (a) Promotion of programmes related to fuel and fodder.
 - (b) Plantation of trees near roads in the Panchayat area.
- (xiii) Roads, culverts, bridges, ferries, water-ways and other means of communication :
 - (a) Consturction of roads, culverts outside the villages and their maintenance.
 - (b) Construcition of bridges.
 - (c) Help in management of ferries and water-ways.
- (xiv) Rural electrification :
 - Promotion of rural electrification.
- (xv) Non-conventional energy source :
 - Promoting use of non-conventional energy and its promotion.
- (xvi) Poverty alleviation programmes :
 - Implementation of poverty alleviation programme.
- (xvii) Education including primary and secondary schools;
 - (a) Development of primary and secondary educaton :
 - (b) Promotion of primary and social educaton
- (xviii) Technical training and vocational educaton :
 - Promotion of rural artisans and vocational education.
- (xix) Adult and informal education :
 - Supervision of adult literacy.
- (xx) Library :
 - Promotion and supervision of rural libraries.
- (xxi) Sports and cultural affairs :
 - (a) Supervision of cultural activities;
 - (b) Promotion and organising of resional folk songs, dances and rural sports.
 - (c) Promotion and development of cultural centres.

(xxii) Markets and fairs :

Promotion, management and supervision of fairs and markets (including cattle fair) outside of Gram Panchayat.

1. Chapter-III of substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule I]

(xxiii) Medical and sanitation :

- (a) Establishment and maintenance of P.H.C. and dispensaries;
- (b) Control of epidemics;
- (c) Implementation of rural health and sanitation programmes.

(xxiv) Family welfare :

Promotion of health and family welfare programmes.

(xxv) Maternity and child development :

- (a) Promotion of programmes for participation of organization in women and child health, School health and nutrition programmes.
- (b) Promotion of programmes relating to development of women and child welfare.

(xxvi) Social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded:

- (a) Participation in the social welfare programmes including welfare of the handicapped and the mentally retarded;
- (b) Monitoring of the old-age and widow pension schemes.

(xxvii) Welfare of the weaker sections and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :

- (a) Promotion of welfare of the Scheduled Castes and weaker sections;
- (b) Preparation of plans and implementation of schemes for social justice.

(xxviii) Public Distribution system :

Distribution of essential commodities.

(xxix) Maintenance of community assets :

Guiding and monitoring preservation and maintenance of community assets.

(xxx) Planning and statistics :

- (a) Preparation of plan for economic development;
- (b) Review, co-ordination and integration of the plans by the Gram Panchayat;
- (c) Ensuring execution of the Khand and Gram Panchayat development plan;

- (d) Periodical review of achievement and targets;
- (e) Collection of date and maintenance of statistics in respect of matters relating to the implementation of the Khand Plan.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule II]

(xxxix) Supervision over Gram Panchayats :

- (a) Distribution of grnats to the Gram Panchayats in accordance with the prescribed procedure;
- (b) General supervision according to rules over the activity of the Gram Panchayat.

(xxxix) Providing relief in natural calamities.]²

³[**SCHEDULE II**

PART A

(i) Agriculture, including agricultural extension :

- (a) Promotion of measures to increase agricultural production.
- (b) Establishment and maintenance of godowns.

(ii) Land development, land reform implementation, land consolidation and soil conservation :

Planning and implementation of land improvement, soil conservation and land consolidation programmes entrusted by the Government.

(iii) Minor irrigation, water management and watershed development :

- (a) Construction and maintenance of minor irrigation and inter-Khand water projects;
- (b) Managing the water distribution;
- (c) Development of sub-soil water;
- (d) Watershed development.

(iv) Animal husbandry, dairying and poultry :

- (a) Establishment and maintenance of veterinary and animal husbandry services;
- (b) Improvement of breeds;
- (c) Promotion of dairying, poultry, piggery.

(v) Fisheries :

- (a) Development of fisheries in irrigation works;
- (b) Implementation of fishermen's welfare programmes.

(vi) Social and farm forestry :

- (a) Promotion of social and farm forestry, trees, plantation and sericulture
- (b) Development and wastelands.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Substituted by section 124 (a) *ibid*.
 3. Substituted by section 124 (a) *ibid*

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule II]

- (vii) Minor forest produce :
Promotion and implementing programmes of minor forest produce;
- (viii) Small industries :
Promotion of small scale industry and food processing unit.
- (ix) Cottage and village industries :
 - (a) Establishing and maintaining training centres for training in village and cottage industries;
 - (b) Establishment of Panchayat industries at district level.
- (x) Rural housing :
 - (a) Promotion and development of rural housing programmes.
 - (b) Implementation of rural housing at non-residential area.
 - (c) Construction of community centres and rest houses.
 - (d) Monitoring of rural housing work done by Gram Panchayats and Kshettra Panchayats.
- (xi) Drinking water :
 - (a) Providing and assisting in development of drinking water.
 - (b) Guarding from drinking polluted water.
 - (c) Encouraging and monitoring rural water supply programmes.
- (xii) Fuel and fodder land :
 - (a) Monitoring and development of fuel and fodder programmes.
 - (b) Maintenance and development of plants for fuel and fodder areas.
 - (c) Monitoring of programmes regulated by Gram Panchayats and Kshettra Panchayats.
- (xiii) Roads, culverts, bridges, ferries, water-ways and other means of communication :
 - (a) Development and maintenance of rural roads, culverts, bridges and waterways of the district.
 - (b) Maintenance of river banks.
 - (c) Writings of directions and marks on roads.
 - (d) Help in removal of encroachment on roads and public places.
- (xiv) Rural electrification :
 - (a) Assisting Gram Panchayats and Kshettra Panchayats in rural

electrification.

(b) Helping in distribution of light in rural areas.

(xv) Non-conventional energy source :

(a) Development of sources of non-conventional energy.

(b) Assisting programmes of Gram Panchayats and Kshettra Panchayats.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule II]

(xvi) Poverty alleviation programme :

(a) Planning, monitoring and supervision of poverty alleviation programmes.

(b) Co-ordination of programmes with other departments.

(xvii) Education including primary and secondary schools :

(a) Construction, maintenance and supervision of primary and secondary schools.

(b) Providing education for all in district.

(c) Survey and evaluation of primary and secondary education in district.

(xviii) Technical training and vocational education :

Establishment of technical and vocational training centres and its monitoring.

(xix) Adult and informal education :

Planning and implementation of adult literacy and informal education programmes.

(xx) Library :

(a) Construction and maintenance of libraries and reading rooms at Khand level and in district.

(b) Implementation of programmes.

(xxi) Sports and cultural affairs :

(a) Promotion of cultural activities.

(b) Promotion and supervision of regional cultural and sports activities.

(c) Arrangement of cultural folk activities on important occasion.

(xxii) Markets and fairs :

(a) Supervision and monitoring of rural markets, fairs (including cattle fair).

(b) Supervision and monitoring of works done by Gram Panchayat

and Kshettra Panchayats regarding markets and fairs.

(xxiii) Medical and sanitation :

(a) Assisting and suitably financing Kshettra Panchayats in the prevention and control of epidemics.

(b) Establishment, maintenance and management of P.H.C. and dispensaries.

(c) Providing drinking water facilities.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule II]

(xxiv) Family welfare :

Implementation, supervision and monitoring of family welfare programmes.

(xxv) Maternity and child development :

(a) Implementation of maternity and child health programmes.

(b) Promotion of school health and nutrition programme.

(xxvi) Social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded:

(a) Participation of the social welfare programmes including welfare of handicapped and mentally retarded.

(b) Promoting Social Welfare programmes of old age and widow pension schemes.

(xxvii) Welfare of the weaker sections and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :

(a) Promotion of welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections;

(b) Protection such castes from social injustice and exploitation.

(c) Establishment and management of hostels.

(d) Preparation of plans and implementation of schemes for social justice.

(xxviii) Public Distribution system :

Planning and monitoring of distribution of rural commodities.

(xxix) Maintenance of community assets :

(a) Co-ordination and integration of the development schemes.

(b) Preservation and maintenance of community assets.

(xxx) Planning and statistics :

- (a) Preparation of plan for economic development.
- (b) Review of the plans by the Kshettra Panchayats, their co-ordination and consolidation.
- (c) Encuring the excecution of the plans at Khand and village level;
- (d) Periodical review of achievement and targets.
- (e) Collection of date and maintenance of statistics on respect all matters relating to the implementation of the Plan with in the district.

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule II]

(xxxi) Relief word :

(a) Construction, repairs and maintenance of famine preventive works, estaglishment and maintenance of relief works and relief houses and adoption of such other measures of relief in time of famine and scarity as may be considered necessary.

(b) Establishment, management, maintenance and visiting of poor houses, asylums, orphanages, markets and rest houses.]²

PART B

- (i) laying out, whether in areas previously built or not, new public roads and acquiring land for that purpose and for the construction of building and their compounds, to abut on such roads,
- (ii) reclaiming unhealthy localities,
- (iii) furthering educational objects by measures other than the establishment and maintenance of schools,
- (iv) taking a census and granting rewards for information which may tend to secure the correct registration of vital statistics,
- (v) constructing, subsidising or guaranteeing tramways, aerial ropeways or other means of locomotion,
- (vi) securing or assisting to secure suitable places for the carrying on of any offensive, dangerous or obnoxious trade, calling or practice,
- (vii) conserving and preventing injury or contamination to, or pollution of, rivers and other sources of water supply within its jurisdiction,
- (viii) promotion of tourism,

- (ix) the doing of anything whether inside or outside the district, whereon expenditure is declared by the State Government or by the [Zila Panchayat]¹ with the sanction of the State Government to be an appropriate charge on the Zila Nidhi.

-
1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.
2. Substituted by section 124 (a) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule III]

SCHEDULE III
[See section 35]

Powers duties and functions under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, which shall be exercised or performed by the [Zila Panchayat]¹ or the [Kshettra Panchayat]¹ as is specified in the third column :

Section of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947	Power, duty or function	Authority by which to be exercised or performed
9	[***] ²	[***] ²
11(1)	[***] ²	[***] ²

12-E	To tender oath of office to Pradhan of [Gram Panchayat] ³ , and Panches, Sarpanches and Saheyak Sarpanches of Nyaya panchayats	[Kshettra Panchayat] ¹
12-F	To entertain the resignations of Pradhan, UP-Pradhans and members of [Gram Panchayats] ³ .	[Zila Panchayat] ¹
17-E	To sanction proposals of [Gram Panchayats] ³ for undertaking small irrigation projects.	[Kshettra Panchayat] ¹
20	(1) To direct a group of neighbouring [Gram Panchayats] ³ within the Khand to combine to establish and maintain a primary school or Arurvedic, Homoeopathic or Unani Hospital or dispensary. (2) To direct group of neighbouring inter Khand [Gram Panchayats] ³ to combine to establish and Maintain a primary school or Ayurvedic, Homoeopathic or Unani Hospital or dispensary	[Kshettra Panchayat] ¹ [Zila Panchayat] ¹
25(1)	To approve the creation of a post by a Panchayat not provided for in its budget.	[Kshettra Panchayat] ¹
25(4)	(1) To effect transfers of Panchayat servants within the Khand. (2) To effect transfers of Panchayat servants outside the Khand.	[Kshettra Panchayat] ¹ [Zila Panchayat] ¹
25(5)	To senotion appointments of servonts under the Nyaya Panchayat and to exercise powers of transfer, punishment, discharge and dismissal in respect of them.	[Kshettra Panchayat] ¹
25-A	(1) To appoint Panchayat Secretaries and to exercise administrative control over them in respect of promotion, dismissal and removal.	[Zila Panchayat] ¹

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Omitted by section 124 (c) (i) *ibid*.

3. Substituted by section 124 (c) (ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule III]

Section of the United provinces panchayat Raj Act, 1947	Power, duty or function	Authority by which to be exercised or performed
	(2) To exercise administrative control over Panchayat Secretaries in respect of leave, transfer and other disciplinary action which does not include appointment, promotion, dismissal and removal.	[Kshettra Panchayat] ¹

27	To sanction filing of a civil suit against a member of [Gram] ¹ Panchayat, joint committee or other committee for loss, waste or misapplication of any money or property of [Gram Panchayat] ¹	[Zila Panchayat] ¹
30(2)	(1) To settle disputes between the constituent units of a joint committee situated within the Khand. (2) To settle disputes between the Inter Khand constituent units of a joint committee.	[Kshettra Panchayat] ¹ [Zila Panchayat] ¹
36	[***] ²	[***] ²
37-A(2)	To direct the [Gram Panchayat] ³ to impose a tax or rate on any person Wrongly excluded	[Kshettra Panchayat] ¹
37-B	To authorize recovery of the arrears of Panchayat taxes as arrears of land revenue in the event of the [Gram Panchayat] ³ failure to pass a resolution within three months for the realization of its dues as arrears of land revenue	[Kshettra Panchayat] ¹
37-C(2)	Under circumstances prescribed by Government to remit the whole or part of any tax or rate.	[Zila Panchayat] ¹
37-C(3)	To approve the decision of the [Gram Panchayat] ³ to remit the whole or part of any tax or rate	[Kshettra Panchayat] ¹
39(1)	To determine the proportion in which the, expenses of a Nyaya Panchayat are to be charged to the Gaon Funds of the [Gram Panchayat] ³ comprised in the circle.	[Kshettra Panchayat] ¹
41(3)	[***] ²	[***] ²
41(4)	[***] ²	[***] ²
41(5)	[***] ²	[***] ²

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Omitted by section 124 (c) (i) *ibid*.

3. Substituted by section 124 (c) (ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule IV]

96	To prohibit execution or further execution of any resolution or order passed or made by a [Gram Sabha] ¹ , [Gram Panchayat] ¹ or a joint committee or any officer or servant thereof if in his (prescribed authority's) opinion, such resolution or order is of a nature as to cause or likely to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body of persons lawfully employed, or danger to human life, health, or safety or riot or affray.	[Zila Panchayat] ¹
----	--	-------------------------------

98	To sanction the penalty clause of Panchayat bye-laws.	[Zila Panchayat] ¹
112(1)(g)	To direct any other duties or functions to be performed by the [Gram Sabha] ¹ .	[Kshettra Panchayat] ¹
114	To direct for leaving a vacancy on any, body, constituted under the Panchayat Raj Act, to be left unfilled if the vacancy is not to last for more than six months.	

SCHEDULE IV

(See section 56)

POWERS AND FUNCTIONS OF THE [ZILA PANCHAYAT]¹

Section	Power or function	Remarks
34(1)	To delegate any of its powers or functions under the Act to a [Gram Sabha] ¹ , [Gram Panchayat] ¹ or Bhumi Prabandhak Samiti, within the district or to resume any such delegated power.	--
34(2)	To delegate any of its powers or functions under the Act to a [Kshettra Panchayat] ¹ or the consent to the delegation of any power or function by the [Kshettra Panchayat] ¹ to the [Zila Panchayat] ¹ .	--
35(1)	To exercise powers and perform duties and functions in respect of [Gram Panchayats] ² .	May be delegated to the Karya Samiti Adhyaksha or Mukhya Adhikari or partly to one and partly to another.
35(2)	To require any [Gram Panchayat] ² in the district to co-ordinate any of its activities with similar activities of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	May be delegated

1. Substituted by section 61 of chapter III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Substituted by section 124 (c) (ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule IV]

36(a)	To approve and sanction the proposal of a [Gram Sabha] ¹ to impose any tax or rate	May be delegated to the Karya
-------	---	-------------------------------

	and to frame and sanction the bye-laws for any [Gram Sabha] ¹ .	Samiti.
36(b)	[***] ²	--
38(a)	To decide whether to unite with any other [Zila Panchayat] ¹ or other legal authority in works or undertakings which benefit all the areas controlled by it and such authority.	--
38(b)	To decide whether to contribute towards any work or institution from which the district benefits although such work or institution is under-taken or maintained outside the district or is Included in any Nagar Mahapalika, Municipality, cantonment, Notified Area or Town Area.	--
39(2)	To create posts of officers other than those specified in section 3D(1) or to create a post the creation of which has been ordered by the State Government.	--
39(2) proviso	To obtain Government's sanction for the abolition of a post created upon specific order of the State Government.	Shall be exercised by the Adhyaksha.
39(2) proviso	To abolish a post created upon specific direction the State Government and for the abolition of which State Government sanction has been secured.	--
41(1)(a)	To request the State Government to place at the disposal of the [Zila Panchayat] ¹ , the services of any of its servants.	..
43 (1)	To make appointments to posts of Karya Adhikari, Abhiyanta, Kar Adhikari and post [carrying such pay scales as the State Government may fix.] ³	..

43(4)(b)	To take any Government servant in the service of the [Zila Panchayat] ¹ on requisition by the state Government.	..
46(2) (d)	To terminate the services of any officer or servant.	Shall be exercised by the Karya Samiti.
48 (3) proviso	To constitute, upon direction by Government a district cadre of any class of employees in [Kshettra Panchayat] ¹ .	Shall be exercised by the Karya Samiti.

-
1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Omitted by section 124 (d) (i) *ibid*.
 3. Substituted by section 124 (d) (iii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule IV]

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
48(3)	To provide staff to each [Kshettra Panchayat] ¹ .	May be delegated to the Karya samiti.
51(1)	To exercise control over the Mukhya Adhikari and other Head of Departments.	Shall be exercised by the Adhyaksha under the general guidance of the Parishad.
51(3)	[***] ²	[***] ²
57(1)	To delegate any of the [Zila Panchayat] ¹ powers, duties and functions.	..
57(3)	To decide an appeal against an order passed by authority in exercise of a power delegated by the [Zila Panchayat] ¹ or to revise such an order.	..
64(1)	To appoint committees.	
65(1)	To appoint other committees by regulation.	..
65(2)	To appoint advisory committees by	..

	resolution.	
77(1)	To combine with one or more than one assenting local authority, to appoint a joint committee.	..
86(7)	[***] ²	..
93(1)	To call for any report or extract from the proceedings of a committee or a return.	May be delegated to the Adhyaksha
94(1)	To require the Adhakari or the Mukhya Adhikari to supply or produce any return etc.	..
95	To require assistance or advice from certain officers of Government.	May be delegated
100(2)	To raise loans in the open market.	..
101(3)	To make investments out of the Zila Nidhi in certain securities or placing funds in fixed deposit.	..
105(1)	To request the State Government to make acquisition of land for its pruposes.	May be delegated.
107	To transfer any property vested in the [Zila Panchayat] ¹ .	May be delegated to the Karya Samiti.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Omitted by section 124 (d) (i) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule IV]

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
108	To make compensation out of the Zila Nidhi	May be delegated to the Karya Samiti.
110(7)	To vary or alter the budget	..
115(2)	To place the budget of [Kshettra Panchayat] ¹ before the Niyojan samiti.	Shall be exercised by the Adhyaksha.
115(6)	To decide on the difference of opinion between the [Kshettra Panchayat] ¹ and	..

	the Niyojan Samiti about the budget.	
122	To entrust to a [Gram Panchayat] ² .. collection of tax.	
124	To decide or to modify any tax proposal. ..	
131	To exempt from payment of tax ..	
132	To furnish explanation and to remove a .. defect in tax on being asked to do so by the State Government.	
141	To contribute to the funds of [Gram .. Panchayat] ² .	
142	To charge fees for the use or occupation .. of immovable property vested in, or entrusted to the management of the [Zila Panchayat] ¹ and to levy and recover charges.	May be delegated to the Karya Samiti.
143	To charge fees for licences, sanction and .. permissions.	
144	To fix and levy fees and tools described .. in this section.	
145	To impose fees and tons in markets .. established, maintained or managed by the [Zila Panchayat] ¹ .	
189	To layout and make new public streets .. and widen, lengthen, etc. an existing public street, to provide building sites abutting them.	May be delegated
190	To declare a street as a public street.	May be delegated.
191(1) to (3)	To define a general line of buildings on .. the sides of a public street after notifying the intention and settling objections.	May be delegated to the [Krishi Udhog Evam Nirman Samiti] ³ .
191(4)	To sanction constitution of any building .. which does not conform to the regular line of a street?	Shall be exercise by the [Krishi Udhog Evam Nirman Samiti] ³ .

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 124 (d) (ii) *ibid*.

3. Substituted by section 124 (d) (iv) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule IV]

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
191(5)	To make compensation for damage caused due to any person being prevented from buildings, etc.	Shall be exercised by the karyasamiti.
191(6)	To require alteration or demolition of any building, etc. which contravenes the regular line of a street?	Shall be exercised by the [Krishi Udhog Evam Nirman Samiti] ³ .
192(2)	To permit the doing of any thing by a person which would otherwise amount to interfering with the arrangement of construction made by the [Zila Panchayat] ¹ under sub-section (1) of section 192?	May be delegated.
195	To require removal or closing drain, privy, etc.	Maybe delegated
196	To permit erection of building, wall or other structure or planting of tree on a public drain or culvert or waterworks vested in the [Zila Panchayat] ¹ and to order removal and on default. Itself to remove any unauthorized structure or tree and recover the expenses from the person concerned.	May be delegated.
202	To regulate offensive trades.	May be delegated.
211	To acquire or otherwise to provide any land or rights in land necessary for purposes of effecting drainage ordered under section 211.	May be delegated.
213(1)(a)	To provide in any controlled rural area receptacles and places for the temporary	Shall be exercised by

and (b)	deposit of offensive matters.	the [Shiksha Evam Jan Swasthya Samiti] ² .
213(1)(c)	To issue directives as to the time, manner and conditions of removal of offensive matters in a controlled rural area.	Shall be exercised by the [Shiksha Evam Jan Swasthya Samiti] ² .
216	To prohibit the use of any building in a controlled rural area unfit for human habitation unless suitably altered, and upon failure to comply, to require its demolition.	Shall be exercised by the Karya Samiti.

-
1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Subs. by section 124 (d) (ii) *ibid*.
 3. Substituted by section 124 (d) (iv) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule V]

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
218	To prohibit the cultivation of a crop or the use of a manner, or a method of irrigation which is injurious to health.	..
221	To order closure of a specified burial or burning ground and to provide a bifitting place for the purposed if no suitable place within a reasonable distance, to except private burial places from a public notice and to give permission to use an unrecognized burial or burning ground.	Shall be exercised by the [Shiksha Evam Jan Swasthya Samiti] ² .
228(2)	To furnish explanation in connection with an order of the prescribed authority prohibiting the execution or further execution of any resolution or order.	..
232	To furnish explanation to charges leveled against the [Zila Panchayat] ¹ .	..

239	To make bye-laws.	..
246	To cause a work to be executed or thing to be provided or done, and to recover expenses incurred thereon when a default has been made in the execution, provision or doing of the work or thing in this regard of the [Zila Panchayat] ¹ notice.	May be delegated.
General	Any power, duty or function which any rule requires to be exercised or performed by the [Zila Panchayat] ¹ .	..

-
1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.
 2. Substituted by section 124 (d) (iv) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule V]

SCHEDULE V

(see section 56)

SCHEDULED POWERS AND FUNCTIONS OF THE MUKHYA ADHIKARI

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
34(1)	To obtain the consent of a [Gram Sabha] ¹ , [Gram Panchayat] ¹ , Bhumi Prabandhak Samiti, for the delegation of any of its powers or functions by [Zila Panchayat] ¹ to any of the aforesaid bodies.	..
34(2)	To obtain a Kshettra Samiti's consent for taking over such power or function as may be proposed to be delegated to it by the [Zila Panchayat] ¹ .	..

43(1)	To address the Commission for consultation in respect of appointments to posts [carrying such pay scales as the State Government may fix] ² .	..
86(4)	To receive the draft plan of a Khand.	..
86(5)	[***] ³	..
101(3)	To obtain Government's sanction for the investment of the Zila Nidhi in certain securities.	..
102(2)	To obtain Government's sanction for acquiring or renting land beyond the limits of the district.	..
113	To submit a copy of budget as finally passed to the Commissioner of the Division and to the state Government.	..
115(3)	To communicate to the [Kshettra Panchayat] ¹ the approval of recommendations of the Niyojan Samiti in respect of the budget of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
123(3)	To publish tax proposals and draft rules along with notice.	..
124(2)	To publish modified tax proposals and revised draft rules along with notice.	..
128	To submit copy of resolution directing imposition of tax.	..
148	To issue a bill of demand.	..
150	To issue a notice of demand.	..
155	To apply to the District Magistrate to issue a warrant to another magistrate for distress of property outside the rural area or lying within the jurisdiction of another magistrate.	..

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 124 (e) (i) *ibid*.

3. Omitted by section 124 (e) (ii) *ibid*.

Section	Power or function	Remarks
1	2	3
158	To bring a suit for the recovery of [Zila Panchayat's] ¹ dues.	..
159	To require any arrears of rents being realized as arrears of land revenue.	..
206	To give written consent for displacement, or alteration by a person of a pavement, gutter, etc. belonging to the parishad, and to recover expenses incurred by the zila Parishad from offenders.	..
208	To require demolition or removal of any building, well, etc. and to take necessary proceedings.	Appealable.
209	To accord permission for things which otherwise cause obstruction of a public street in a controlled rural area, to remove any obstruction and to recover cost thereof.	...
210	To require provision of latrines and urinals in factories, schools, etc.	..
211	To require cleansing, repairing, covering, filling up or draining off of a private well, tank, etc.	Appealable.
212	To require a filthy land or building to be cleansed and put in proper order.	Do.
215	To permit any sink, sewer or cesspool or other offensive matter to flow, drain or being put on a public street or place and to impose any conditions thereabout.	..
219	To order clearance of noxious vegetation.	Appealable.
220	To require excavations, etc. to be filled up or drained.	Do.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule VI]

SCHEDULE VI

(See section 79)

POWERS AND FUNCTIONS OF A [KSHETTRA PANCHAYAT]¹

Section	Power or function	Remarks
----------------	--------------------------	----------------

11(1)	To receive notice of resignation from [***] ² Up Pramukh or Member.	Shall be performed by the Khand Vikas Adhikari or any nominee of his.
34(10)	To delegate any of its powers or functions under the Act or to resume such a delegated power, etc. from a [Gram Sabha] ¹ , [Gram Panchayat] ¹ or Bhumi Prabandhak Samiti.	..
34(2)	To delegate any power or function under the Act to the [Zila Panchayat] ¹ or to consent to the delegation of a power or function by the [Zila Panchayat] ¹ to the [Kshettra Panchayat].	..
35(1)	To exercise powers and perform duties and functions in relations to [Gram Panchayats] ³ .	May be delegated to the [Karya Samiti] ⁴ or Pramukh
173	To alter, discontinue, close or remove a public drain.	May be delegated
38(a)	To decide whether to unite with any other [Kshettra Panchayat] ¹ or other local authority in works or undertakings which benefit all the areas controlled by the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
38(b)	To decide whether to contribute towards any work or institution from which the Khand benefits, although such work or institution is undertaken or maintained outside the Khand or is included in any Nagar Mahapalika, municipality, cantonment, notified area or town area.	..
86	To consider and approve the draft plan of the Khand.	..
87 (1) & (2)	To appoint committee.	..
87(3)	To appoint advisory committees,	..
93(1)	To call for any report or extract, etc. from the proceedings, of a committee.	May be delegated.

1. Substituted by section 61 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Omitted by section 124 (f) (i) *ibid*.

3. Subs. by section 124 (f) (ii) *ibid*.

4. Subs. by section 124 (f) (iii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule VI]

Section	Power or function	Remarks
101(3)	To make investments from the Kshettra Nidhi in certain securities or placing it in fixed deposit.	May be delegated to the khand Vikas Adhikari.
105(1)	To request the State Government to make acquisition of	May be

	land for its purposes.	delegated.
107(1)	To transfer any property vested in the Kshettra Samiti.	May be delegated to the [Karya Samiti] ²
108	To make compensation out of the Kshettra Nidhi.	Ditto,
115(4)	To consider the recommendations of the Niyojan Samiti as regards the budget.	..
142	To charge fees for the use or occupation of immovable property vested in, or entrusted to the management of the [Kshettra Panchayat] ¹ and levy or recover charges.	..
143	To charge fees for licences, sanctions and permissions.	..
144	To fix and levy certain other fees and tolls described in this section.	..
145	To impose fees or tolls in markets established, maintained or managed by the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
165(1)	To sanction or refuse to sanction erection, etc. of a building or digging, etc. a well aborting on or adjacent to a public street or place or property vested in Government, the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹ .	May be delegated to the khand vikas Adhikari.
171	To direct the owner or occupier of any land to stop erection, etc. of a building or construction, etc. of a well (adjacent to a public street or place or property vested in Government, the [Zila Panchayat] ¹ or the [Kshettra Panchayat] ¹) and to direct alteration or demoliatation of a building or well.	May be delegated.
184 (1) and (2)	To acquire any private street in a controlled rural area to be levelled, paved, metalled, flagged, etc. and in default to get the work done and to recover the cost from the person concerned.	May be delegated to the Khand Vikas Adhikari.
184(3)	To declare a private street in a controlled rural area to be a public street.	..
189	To lay out and make new public streets and may be delegated widen, longthen, etc. an existing public street and to provide building sites abutting them.	May be delegated.

1. substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 124 (f) (iii) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule VI]

Section	Power or function	Remarks
190	To declare a private street as a public street.	.
191(1), (3)	To difine a general line of buildings on the sides of a public street after notifying the intention and settling objections.	May be delegated.
191(4)	To sanction construction of any building, which does	Shall be exercises by the [Karya

	not conform to the regular line of a street?	Samiti] ²
191(5)	To allow payment of compensation for excluding any private land from the regular line of a street.	Shall be exercised by the [Karya Samiti] ²
191(6)	To require alteration or demolition of any building, etc. which contravenes the regular line of a street?	Shall be exercised by the [Karya Samiti] ²
192(2)	To permit the doing of anything by a person which would otherwise amount to interfering the arrangement of construction made by the [Zila Panchayat] ¹ under sub-section (1) of section 192?	May be delegated.
193	To require cleaning and maintenance in good condition of any water course, etc. and to prohibit the use of any water course, etc. for drinking purposes, or to order its closure.	May be delegated.
194	To require removal or closing of drain, privy, etc.	Shall be delegated to the [Karya Samiti] ² or the Khand vikas Adhikari.
196	To permit erection of a building, wall or other structure or planning of tree on a public drain or culvert or water work vested in the [Kshettra Panchayat] ¹ and to order removal and on default, itself to remove any unauthorized structure or tree and recover the expenses from the person concerned.	..
228(2) (cread with 236)	To furnish explanation in connexion with an order of the prescribed authority prohibiting the execution or further execution of any resolution or order.	..
236(4)(a)	[***] ³	..
246	To cause a work to be executed or thing to be provided or done, and to recover expenses incurred thereon whom a default has been made in the execution, provision or doing of the work or thing in this regard of the [Kshettra Panchayat] ¹ notice,	May be delegated.
General	Any power, duty or function which any rule requires to be exercised or performed by the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs. by section 124 (f) (iii) ibid.

3. Omitted by section 124 (f) (iv) ibid.

[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule VII]

SEHEDULE VII

(See section 79 (3))

SCHEDULED POWERS OF KHAND VIKAS ADHIKARI

Section	Power or function	Remarks
34(1)	To obtain the consent of a [Gram Sabha] ¹ , Gram	..

	Panchayat] ¹ or Bhumi Prabandhak Smiti for the transfer to it of any of the powers or functions of the [Kshettra Panchayat] ¹ under the Act.	
34(2)	To obtain consent of the [Zila Panchayat] ¹ for delegation to it of any power or function of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
101(3)	To obtain Government's sanctioned for making investments out of the Kshettra Nidhi in certain securities.	..
102(2)	To obtain Government's sanctioned for incurring an expenditure on a acquiring or renting land beyond the limits of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
148 (read with section 161)	To issue a bill of demand.	..
150(read with section 161)	To issue a notice of demand.	..
155 (read with section 161)	To apply to the district magistrate to issue a warrant to another magistrate for distress of property outside the Khand or lying within the Jurisdiction of another Magistrate.	..
158 (read with section 161)	To bring a suit for the recovery of the dues of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
159 (read with section 161)	To require any arrears of rents being realized as arrears of land revenue.	..
172	To issue notice of the owner or occupier of a land or building in a controlled rural area that a drain of the [Kshettra Panchayat] ¹ would be carried into, through or under such building or land.	Appeable.
174(1)	To permit the emptying of a private drain into a drain of the [Kshettra Panchayat] ¹ .	..
174(2)	To require any person to close, demolish, etc. the connection of a drain belonging to himself or to some other person with a drain belonging to the [Kshettra Panchayat] ¹ .	Appeable.

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

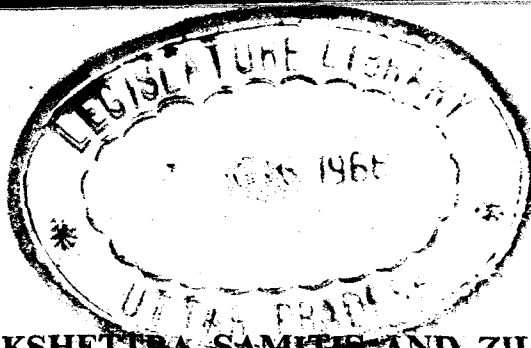
[The Uttar Pradesh [Kshettra Panchayats and Zila Panchayats]¹ Adhiniyam, 1961]
[Schedule VII]

Section	Power or function	Remarks
176	To sanction the lay-out of a private street in a controlled rural area.	Do.
180	To require an offender to show cause or to appear,	Do.

	and to direct the alteration or demolition of an unsanctioned private street.	
181	To accord permission for construction of projections over streets or drains in a controlled rural area.	Appealable.
183	To require removal of encroachments and projections over street and drains.	Do.
185	To permit cutting of a tree or erection or demolition of a building, etc. where it involves obstruction or danger or annoyance to any person using the street.	Do.
186	To require cutting or trimming of hedges, etc, growing on any land bordering a street in a controlled rural area.	Do.
187	To remove accidental obstructions to a street caused by the falling of any house or tree and to recover the cost from the owner.	..
188	To require owners or occupiers of buildings or lands abouting a street to put up and keep in good condition proper troughs and drain-water pipes.	Appealable.
195	To require a receptacle for filth situated within fifty feet of any well, tank etc. to be removed or closed.	Do.
197	To fix premises in a controlled rural area for slaughter of animals and to grant and with draw licences for the use of such premises.	..
201	To seize and remove or destroy any article of food or drink or an animal intended to be used for human consumption which is unfit for such purpose, and similarly remove and produce before a magistrate any spent drug.	..
206	To give written consent for displacement or alteration by a person of a pavement, gutter, etc. belonging to the [Kshettra Panchayat] ¹ , and to recover expenses incurred by the [Kshettra Panchayat] ¹ from offenders,	..

1. Substituted by section 61 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1994.

114936.



L.A.
15/63-24
Q. 16.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1963*

[U. P. Act No. XXIV OF 1963]

[Authoritative English text† of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis tatha Zila Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963.]

**AN
ACT**

to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

It is hereby enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963.

Short title and commencement.

(2) Sections 2, 3, 4 and 5 of this Act shall be deemed to have come into force on the 18th day of July, 1962 and the remaining provisions shall come into force at once.

2. In sub-section (1) of section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter called the Principal Act, between the words "establish a Zila Parishad" and the words "for each district", the commas, words and figures, "as soon as may be after its composition under sub-sections (1) and (2) of section 18," shall be inserted.

Amendment of section 17 of U. P. Act XXXIII of 1961.

3. In sub-section (2) of section 18 of the Principal Act the words and figure "and as soon as may be after the constitution or re-constitution of the Zila Parishad under sub-section (1)" shall be deleted.

Amendment of section 18.

4. In sub-section (1) of section 19 of the Principal Act, the full-stop occurring at the end shall be substituted by a colon and thereafter the following shall be added as a proviso :

Amendment of section 19.

"Provided that the State Government may nominate any person, qualified for election as an Adhyaksha of the Zila Parishad, to be Adhyaksha for so long as an Adhyaksha is not elected after the establishment of the first Zila Parishad under section 17."

5. In sub-section (3) of section 20 of the Principal Act, the words and figure "sub-section (1) of" and the words and figure

Amendment of section 20.

(*For statement of Objects and Reasons, please see U. P. Gazette Extraordinary, dated September 25, 1963.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 26, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on October 22, 1963.)

(Received the Assent of the Governor on October 23, 1963 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated October 23, 1963.)

(†Published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated October 23, 1963.)

“and the term of a member co-opted under sub-section (2) of that section shall commence from the date of co-option” shall be deleted.

Validation of
nominations.

6. The nominations made under the proviso to sub-section (1) of section 19 of the Principal Act, as added by the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Removal of Difficulties) (Fifth) Order, 1963, shall be deemed to have been made under the proviso to sub-section (1) of section 19 of the said Act, as amended by this Act, and the nominations so made shall, notwithstanding any judgment, decree or order of any court to the contrary, be, and be deemed always to have been, valid.

Repeal of U. P.
Ordinance V of
1963.

7. The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Sanshodhan) Adhyadesh, 1963, is hereby repealed.

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 अप्रैल, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 29 अप्रैल, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 मई, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायगा।

संक्षिप्त नाम

(1) 2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 33,
1961 की धारा
8 में संशोधन।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 12 अप्रैल, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

Price 05 Paise

154/20

L.A.
15/76.3
Cop.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS
(AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 37 OF 1976]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Kshettra Samiti Aur Zila Parishad (Samshodhan) Adhiniyam, 1976]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads
Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India
as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and
Zila Parishads (Amendment) Act, 1976.

Short title:
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1976.

2. After section 9 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads
Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, the following
section shall be inserted, namely :—

Insertion
new section
in U. P. A.
XXXIII of

“9-A. When the Pramukh is unable to discharge his functions owing to
absence, illness or any other cause, and the office of Up-
Pramukhs are vacant, or when the Up-Pramukh, if any,
acting under section 83 during a vacancy in the office of
Pramukh is unable to discharge his functions owing to
absence, illness or any other cause, the District Magistrate
may, by order, make such arrangement, as he thinks fit, for the discharge
of the functions of the Pramukh, until the date on which the Pramukh
or Up-Pramukh, as the case may be, resumes his duties.”

3. After section 21 of the principal Act, the following section shall be
inserted, namely :—

Insertion
new section

“21-A. When the Adhyaksha is unable to discharge his functions
owing to absence, illness or any other cause, and the office
of Upadhyaksha is vacant or when the Upadhyaksha acting
under section 60 during a vacancy in the office of Adhyaksha
is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other
cause, the State Government may by order, make such arrangement, as
it thinks fit, for the discharge of the functions of such Adhyaksha until
the date on which the Adhyaksha or Upadhyaksha, as the case may be,
resumes his duties.”

U. P. Ordinance no. 20
of 1976.

4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Second
Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

Repeal
savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under
the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to
have been done or taken under the corresponding provisions of the principal
Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all
material times.

[For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary),
dated November 11, 1976]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 8, 1976 and by
the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 10, 1976).

[Received the Assent of the Governor on November 17, 1976 under article 200, of the
Constitution of India and was published in Part I (a) of the Legislative Supplement of the
Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated November 19, 1976]

PRICE 10 PAISE

No. 940(2)/XVII-V-1-1(KA)-24-1983

Dated Lucknow, April 27, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Samiti Tatha Zila Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 26, 1984.

**THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS
(AMENDMENT) ACT, 1984**
[U. P. ACT No. 8 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature

AN
ACT

176166

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads
Adhiniyam, 1961

It is HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1984.

Short title and
enactment

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on April 12, 1983 sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of section 3 shall be deemed to have come into force on August 8, 1983, sub-clause (ii) of clause (a) of section 3 shall be deemed to have come into force on October 12, 1983 and the rest of the provisions shall come into force at once.

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:

Amendment of
section 6 of U. P.
Act no. 33 of
1961.

"Subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, the members mentioned in sub-section (1) shall, subject to the conditions and in the manner prescribed, co-opt the following as members of the Kshettra Samiti, namely :—"

3. In section 18 of the principal Act,—

Amendment of
section 18

(a) in sub-section (1)—

(i) in clause (iv), in sub-clause (b), for the words "the Chairman" the words "the Chairman or the Administrator" shall be substituted; and

(ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely—

"(v) so many persons, not exceeding five, as may be specified, to be chosen by the State Government, one of whom shall be from amongst the freedom fighters, one from amongst ex-servicemen, and the rest from amongst persons engaged in social, cultural, literary and professional activities ;"

Explanation—For the purposes of this clause—

(a) "freedom fighter" means a person who took part in the struggle for Indian independence and for participation in such activities—

(i) suffered imprisonment for a period of not less than two months; or

(ii) was detained in jail for a period of not less than three months as undertrial prisoner or as a detainee ; or

(iii) was declared absconding ; or

(iv) suffered bullet wound ; or

(v) suffered punishment of at least ten lashes;

and includes a person who took part in 'Peshawar Kand' or was a certified soldier of the Azad Hind Fauj or was a certified member of the India Independence League but does not include any such person who begged for pardon ;

(b) "ex-serviceman" means a person who had served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Indian Union for a continuous period of not less than six months and has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b) in sub-section (2), for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"The members mentioned in sub-section (1) shall, subject to the condition and in the manner prescribed, co-opt as members of the Zila Parishad."

Repeal and saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Sanshodhan) Adhyadesh, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

U. P.
Ordinance
No. 3 of
1984.

Samiti Tatha Zila Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1990) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 24, 1990.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) ACT, 1990

[U. P. ACT No. 20 OF 1990]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1990. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 1990.

2. In section 15 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-sections (12) and (13), for the words "two years" wherever they occur, the words "one year" shall be substituted. Amendment of section 15 of U.P. Act no. 3 of 1961.

3. In section 20 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :— Amendment of section 20

"(c) Subject to the other provisions of this Act, the term of office of a person chosen to be a member under clause (v) of sub-section (1) of section 18, whether before or after January 20, 1990, shall be one year, but he shall continue to hold office till another person is chosen to be a member in his place.

Explanation :—For removal of doubts it is hereby declared that the choice of a person to be a member under clause (v) of sub-section (1) of section 18 may be cancelled by the State Government at any time before the constitution or reconstitution of the Zila Parishad under section 17."

4. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "be one year from the date of election but shall not extend beyond" the words "commence upon his election and shall end with" shall be substituted. Amendment of section 21

5. In section 28 of the principal Act,—

Amendment of section 28

(a) in the marginal heading, after the word "Adhyaksha" the words "or Upadhyaksha" shall be inserted ;

(b) in sub-section (1), after the word "Adhyaksha" the words "or the Upadhyaksha" shall be inserted ;

(c) in sub-section (11), in clause (b), after the words "the Adhyaksha" the words "or the Upadhyaksha, as the case may be," shall be inserted ;

(d) in sub-sections (12) and (13) for the words "two years" wherever they occur, the words, "one year" shall be substituted, and after the word "Adhyaksha" wherever it occurs the words "or Upadhyaksha, as the case be," shall be inserted.

Repeal and
saving

6. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Ordinance, 1990 is hereby repealed. U.P. Ordinance No. of 1990

(2) Notwithstanding such repeal, or the repeal of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Amendment) Ordinance, 1990, by the Ordinance referred to in sub-section (1), anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinances, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

Dated Lucknow, July 10, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chetra Panchayat tatha Zila Panchayat (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1998:

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND
ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1998

(U. P. ACT No. 20 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961,

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 5, 1998.

- प्रति
रा. से
रख
रख
म. से
रख
रख
देश
उप-
म. से
सर्वे
998 उत्तर
द्वारा
संख्या
सं. 1
द्वारा
संख्या
सं. 1
बाही
2. In section 15 of Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act,
(a) in sub-section (11) for the words "more than half" the words "not less than two-thirds" shall be substituted;
(b) in sub-section (12) for the words "one year" the words "two years" shall be substituted;
(c) in sub-section (13) for the words "one year" the words "two years" shall be substituted.
3. In section 28 of the principal Act, —
(a) in sub-section (11) for the words "more than half" the words "not less than two-thirds" shall be substituted;
(b) in sub-section (12) for the words "one year" the words "two years" shall be substituted;
(c) in sub-section (13) for the words "one year" the words "two years" shall be substituted.
4. Notwithstanding anything contained in the principal Act the provisions of this Act shall also have effect and shall be deemed always to have effect in a case, where the notice referred to in sub-section (2) of section 15 or sub-section (2) of section 28 of the principal Act has been delivered before the commencement of this Act and a meeting has been convened in pursuance thereof on a date after such commencement as if the provisions of this Act were in force at all material times.
5. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Amendment of section 15 of U. P. Act no. 33 of 1961

Amendment of section 28

Transitory provisions

Repeal and savings

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

No. 1343/VII-1—1(Ka)-28-2005
Dated Lucknow, November 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 29, 2005.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005
(U.P. Act No. 25 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats
Adhiniyam, 1961.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sansodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 13, 2005.

2. In section 27-A of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act for the words "Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha" wherever occurring, the words "Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha, Upadhyaksha or Member" shall be *substituted*.

Amendment of
section 27-A of
U.P. Act no. 33 of
1961

U.P.
Ordinance
no. 9 of
2005

3. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhyadesh, 2005 is hereby repealed.

Repeal and
saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 27-A of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) *inter alia* provided that a person shall be disqualified for being elected as and for being Pramukh, Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat or Adhyaksha or Upadhyaksha of a Zila Panchayat if he is a member of Parliament or of a State Legislature. The said section did not mention the members of Kshettra Panchayat and Zila Panchayat due to which a member of a Kshettra Panchayat or a Zila Panchayat continued to be such member even after his becoming the Member of Parliament or of a State Legislature. It was, therefore, decided to amend the said Act to bring the said members in the ambit of the said section 27-A.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sansodhan) Adhyadesh, 2005 (U.P. Ordinance no. 9 of 2005) was promulgated by the Governor on September 13, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

RAM HARI VIJAI TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 815/79-वि-1-18-1(क)4-18

लखनऊ, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

2-इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

3-यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 33 सन्
1961 की धारा
197 के पूर्व
प्रकट होने वाले
शीर्षक में
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में शब्द "बाजार, वधशाला" के स्थान पर शब्द "बाजार" रख दिया जाएगा।

धारा 197 का
निकाला जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 197 निकाल दी जाएगी।

धारा 198 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 198 में पार्श्वकित शीर्षक में शब्द "बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं" के स्थान पर शब्द "धार्मिक प्रयोजनार्थ वध" रख दिये जायेंगे।

निरसन और
व्यावृत्ति

5-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
5 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाला शीर्षक 'बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि' के रूप में वाचित है। धारा 197 में 'बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान' उपबंधित है। धारा 198 के पार्श्वकित शीर्षक में 'ऐसे पशुओं के संबंध में, जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपबंध है। रिट याचिका लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आलोक में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में संशोधन करने, धारा 197 को निकालने और शब्द 'बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं' के स्थान पर शब्द 'धार्मिक प्रयोजनार्थ वध' को रखते हुए धारा 198 के पार्श्वकित शीर्षक में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 815(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka) 4-2018

Dated Lucknow, April 11, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat Tatha Zila Panchayat (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 2018 .

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

(U. P. ACT NO. 23 OF 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the republic of India as follows:—

- | | |
|---|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.</p> <p>(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall be deemed to have come into force on January 29, 2018.</p> | <p>Short title,
extent and
commencement</p> |
| <p>2. In the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, in the heading appearing before section 197, for the words "MARKETS, SLAUGHTER-HOUSES", the word "MARKETS" shall be substituted.</p> | <p>Amendment of
the heading
appearing before
section 197 of
U.P. Act no. 33
of 1961</p> |
| <p>3. Section 197 of the principal Act shall be omitted.</p> | <p>Omission of
section 197</p> |
| <p>4. In section 198 of the principal Act, in the marginal heading for the words, "not slaughtered for sale", the words "slaughtered for religious purpose" shall be substituted.</p> | <p>Amendment of
section 198</p> |
| <p>5. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 is hereby repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.</p> | <p>Repeal and
Saving</p> |

U.P.
Ordinance
no. 5 of
2018

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 has been enacted to provide for the establishment of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats in Uttar Pradesh. The heading appearing before section 197 of the said Act read as 'Markets, Slaughter houses, sale of food, etc.'. Section 197 provides for the place for slaughter of animals for sale. The marginal heading of section 198 provided for power of District Magistrate in respect of animals not slaughtered for sale. In the light of the

decision of the Hon'ble Supreme Court in the writ petition Lakshmi Narayan Modi *Versus* Union of India and Others, it has been decided to amend the heading appearing before section 197, to omit section 197 and to amend the marginal heading of section 198 by substituting the words "slaughtered for religious purpose" for the words "not slaughtered for sale".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (U.P. Ordinance no. 5 of 2018) was promulgated by the Governor on January 29, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 राजपत्र-2018-(37)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० विधायी-12-4-2018-(38)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 22, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 680/79-वि-1-2022-1-क-19-2022

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे पंचायती राज अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15 में,— (क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे; (ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।
धारा 28 का संशोधन	3-मूल अधिनियम की धारा 28 में,— (क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे; (ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।
निरसन और व्यावृत्ति	4-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 8
सन् 2022

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 15 और 28 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। उक्त धाराओं की उपधारा (11) में यह उपबंध है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है तो यथास्थिति प्रमुख या अध्यक्ष इस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जायेंगे। उक्त धाराओं की उपधारा (13) में यह उपबंध है कि अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, यथास्थिति किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी। इन उपबंधों के कारण क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में सदैव अस्थायित्व की स्थिति बनी रही। क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह उपबंध किया जाय कि यथास्थिति धारा 15 के अधीन किसी प्रमुख के विरुद्ध या धारा 28 के अधीन किसी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, क्रमशः किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के दो वर्षों के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी और क्षेत्र पंचायत प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष तब तक अपना पद धारण करने से प्रविरत नहीं होंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से न लाया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 680 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-19-2022

Dated Lucknow, December 13, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 13, 2022. The Panchayati Raj Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022
(U.P. Act no. 14 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|--|--|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force with effect from October 4, 2022. | |
| 2. In section 15 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the "principal Act"),- | Amendment of section 15 of U.P. Act no. 33 of 1961 |
| (a) in sub-section (11), <i>for</i> the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be <i>substituted</i> ; | |
| (b) in sub-section (13), <i>for</i> the words "one year", the words "two years" shall be <i>substituted</i> . | |
| 3. In section 28 of the principal Act,- | Amendment of section 28 |
| (a) in sub-section (11), <i>for</i> the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be <i>substituted</i> ; | |
| (b) in sub-section (13), <i>for</i> the words "one year", the words "two years" shall be <i>substituted</i> . | |
| Repeal and saving | |
| 4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 is hereby repealed. | U.P. Ordinance no. 8 of 2022 |

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) has been enacted to provide for the establishment of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats in the State of Uttar Pradesh. Sections 15 and 28 of the said Act, deals with the motion of no-confidence in Pramukh of Kshettra Panchayats and Adhyaksha of Zila Panchayats respectively. Sub-section (11) of the said section provides that if the motion of no-confidence is carried with the support of more than half of the total numbers of elected members of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats, as the case may be, then the Pramukh or Adhyaksha, as the case may be, shall cease to hold office as such. Sub-section (13) of the said sections provides that no notice of motion of no-confidence shall be received within one year of assumption of office by the Pramukh or the Adhyaksha, as the case may be. Due to these provisions there was always a situation of instability in the Kshettra Panchayats and Zila Panchayats. With a view to ensure stability of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats it was decided to amend the said Act to Provide that no notice of motion of no-confidence against a Pramukh under section 15 or against an Adhyaksha under section 28, as the case may be, shall be received within two years of the assumption of office by a Pramukh or an Adhyaksha respectively and the Pramukh of Kshettra Panchayats or Adhyaksha of Zila Panchayats shall not cease to hold office unless no-confidence motion is carried with the support of not less than two-thirds of the total number of elected members thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttar Pradesh Ordinance no. 8 of 2022) was promulgated by the Governor on October 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.